Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का ३२वां दिवस [संख्या १८

गुरुवार,
दिनांक १५ अप्रैल, १९७१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-०२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, गृह, स्वायत्त शासन, जन-स्वास्थ्य, उपनिवेशन, सहकारी, नगर विकास न्यास, जन-सम्पर्क, कारागृह, पशुपालन, एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री शंकरलाल !

एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स योजना

२९९. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले की जैतारण तहसील के लिये एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स की योजना अभी तक स्वीकृत होकर कार्य चालू नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत कार्य कब चालू हो जायगा और कितनी धनराशि किन-किन कार्यों पर व्यय करने का तखमीना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) :
(१) पाली जिले की जैतारण तहसील के लिये एक लघु सिंचाई योजना दि० २-२-७१ को कृषि पुनर्वित्त निगम, बम्बई को स्वीकृति के लिये भेजी गई है। स्वीकृति प्राप्त होते ही चालू कर दी जावेगी।

(२) कृषि पुनर्वित्त निगम की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य चालू हो जावेगा। इस योजना पर व्यय का तखमीना निम्न प्रकार है:—

	तादाद	राशि
(१) ओपन सरफेसवेल	१७४	१५,२२,५००
(२) कुओं को गहरा कराई	१७४	८,८३,०००
(३) बिजली की मोटर लगाने हेतु	२२३	१०,०३,५००
(४) डीजल के पम्प लगाने हेतु	१२५	९,३७,५००
(५) खेतों में नालियां (आर. एम. टी.) बनवाने हेतु	३,६६,०००	७,३२,०००
योजना का कुल व्यय		४६,७८,५००

श्री शंकरलाल : २-२-७१ को यह योजना भेजी गयी थी वह तैयार हो गई थी ?

Page No 2

श्री हरिसिंह : वैसे इसको तैयार करने में दो-तीन महीने लगते हैं।

श्री शंकरलाल : ६-२-७१ को यह भेजी तो तैयार कब हो गई थी ?

श्री हरिसिंह : निश्चित तारीख तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वैसे मैंने निवेदन किया कि दो-तीन महीने लगते हैं। इसमें दो लाइनें होती है। पहले हास्टी लाइन का तैयार होना जरूरी है। प्रेलिमिनरी रिपोर्ट प्राप्त होने की बात है। क्लाइमेटिक कन्डीशन्स की रिपोर्ट जाती है और फिर कृषि पुर्नवित्त निगम बम्बई को वह भेजी जाती है।

श्री शंकरलाल : अन्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आ चुकी है, वह प्रकाशित नहीं हुई है कि यहां-यहां पर जल उपलब्ध है। इसमें डिले होती है, उसको किस प्रकार कन्ट्रोल किया गया है ? कब तक यह स्वीकृत हो जायगी ?

श्री हरिसिंह : वहां से जो हमें सूचना मिली है कि निगम ने इस योजना को टेक्नीशियन्स को दी है। इसी महीने में इसका फाइनेलाइजेशन हो जावेगा और दो माह के अन्दर यह योजना चालू हो जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

थाना मोठपुर के इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायतें

२७०. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) व श्री नन्दलाल (पाटन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि थाना मोठपुर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले किसी गांव में पिछले वर्ष में दफीना निकला था ? यदि हां, तो कितनी रकम का दफीना निकाला गया ?

(२) इस सम्बन्ध में कौन-कौन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया व उनसे कितना-कितना माल बरामद किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि थाना मोठपुर के उस वक्त के इन्चार्ज के खिलाफ किन्हीं लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं जिसमें उक्त दफीना के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था ? यदि हां, तो किसने शिकायत की थी तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (१) जी हां, इस दफीने में १६५ सिक्के चांदी वजनी १६५ तोला व एक मोहर सोना निकला।

(२) इस सम्बन्ध में धारा ३७९/४४७ भा. द. सं. का अपराध दिनांक १९-९-७० को थाना मोठपुर में सर्व श्री मुकुटबिहारी सुनार, कवाई, २. गोपाल पुत्र भैरूलाल काछी, ३. कल्याण पुत्र मांग्या काछी, नि० कूंडी, ५. लट्टूर पुत्र गंगाकिशन काछी, निवासी पाडलिया, ५. मदन ब्राह्मण, निवासी पाडलिया, ६. गंगाराम पुत्र कान्हा काछी, कूंडी ७. गिरधारीलाल पुत्र भैरूलाल काछी, कूंडी ८. एक अन्य व्यक्ति जो गोपाल काछी का बहनोई है कुल ८ व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया है। १. सर्व श्री गंगाराम, २. लट्टूर, ३. गोपाल, ४. कल्याण तथा ५. मदन के पास में ३०-३० सिक्के चांदी दफीने के, विरधीलाल के पास से १२ सिक्के चांदी के तथा आधी मोहर सोने की वजनी ५ ग्राम व मुकुट बिहारी सुनार के पास से १ डली चांदी तथा पतरी चांदी वजनी तीन तोला बरामद हुई।

Page No 3

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(१) डी. एम. कोटा के आदेशानुसार एस. डी. एम. छबड़ा ने जांच कर २१-१-७१ को रिपोर्ट दी जिससे एस. एच. ओ., मोठपुर की कार्यवाही की पुष्टि होती है। अनुसंधान जारी है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्षजी, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आपने दफीना निकला बताया तो यह किसके खेत से बरामद हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कन्हैयालाल पुत्र मदनलाल ब्राह्मण। उसके नाना के खेत से यह दफीना निकला।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : दफीना निकला इसकी सूचना थाना मोठपुर को कब मिली और कब बरामद हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : २०-५-७० को और पांच व्यक्तियों के पास बताया। २१ सिक्के बरामद कर लिये १७-९-७० को। कन्हैयालाल ने इस्तगासा प्रस्तुत किया, ८ मुसलमानों के नाम बताये। उनके विरुद्ध १५६ की कार्यवाही करके उनसे तीन से और बरामद किया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जो मोठपुर के पहले इन्चार्ज थे उनको फरियादी ने बताया कि कहीं अधिक था और क्या यह सही है कि डीवाई. एस. पी., छबड़ा ने दूसरे अधिकारी से जांच करवाई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उस वक्त के सब-इन्सपेक्टर ने तफतीश में गड़बड़ की और ज्यादा निकला इसकी इन्क्वायरी एन्टी-करप्शन विभाग से कराई जा रही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : दफीना ज्यादा निकला और तीन महीने बाद मुल्जिमान को इन्होंने पकड़ना बताया और यह भी बताया कि उनके पास तीन-तीन सिक्के निकले। फिर बताया कि एस० डी० एम०, छबड़ा ने जांच की। उनके यहां बयान हुए और मुल्जिमान ने बताया कि हमारे पास से अधिक माल बरामद हुआ है और तकमील नहीं हुई। न हलफनामा और न ही फरियादी से बात की। मुल्जिमान से अन्डर प्रेस लिया। इस प्रकार के बयान हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : डी. एम., कोटा के आदेश से एस० डी० एम०, छबड़ा ने जांच की और जांच से उन्होंने सब-इन्सपेक्टर की जांच को सही पायी है और कहा कि उतना ही दफीना निकला। अभी जांच चल रही है और आगे क्या मिलने वाला है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। जहां तक सब इन्सपेक्टर के खिलाफ शिकायत का सवाल है उसकी जांच की कार्यवाही एन्टीकरप्शन विभाग से चल रही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि कन्हैयालाल ने इस्तगासा पेश किया, पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले पांच आदमियों से बरामद किया जा चुका था।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पहले चांदी बरामद की। फिर जांच की गई तो दो टुकड़े मोहरों के बरामद किये गये। इसके बाद एस० डी० ओ०, छबड़ा थी उसके सामने दरख्वास्त पेश की। हलफनामा लिया। १६४ में बयान लिये। एस० डी० ओ० मौजूद है। डी० एम० के आदेश से फरियादी से पूछताछ की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : मामला अभी जेर तफतीश है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि इस खेत में माल निकला वह कुंडी के ब्राह्मण का है? क्या यह सही है कि बबोना ने दरख्वास्त दी कि मेरा माल अधिक बरामद हुआ है। इस प्रकार गड़बड़ी हुई है। डी० एस० पी० की जांच का भी हवाला नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : कन्हैयालाल ने शिकायत की है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : क्या थानेदार सस्पेण्डेड है? फरियादी ने रिपोर्ट की उसमें कितना माल होना बताया गया।

श्री हीरालाल : फरियादी ने कुछ नहीं कहा, उसने कहीं यह नहीं कहा कि जितना बरामद किया उससे ज्यादा निकला। माल बरामद हुआ है। अनुसन्धान अब भी जारी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या थानेदार को सस्पेण्ड किया है। हजारों रुपयों का माल वह हजम कर गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। मेरे पास प्रश्न बहुत हैं। समय थोड़ा है। इस पर काफी बहस हो चुकी है। मामला अभी अनुसन्धान में है।

ग्राम बारेदा का कृषि फार्म

२७१. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अकलेरा तहसील में ग्राम बारेदा पर जो कृषि विभाग का फार्म है उसका क्षेत्रफल कितना है एवं उस पर आज तक विभाग की कुल कितनी राशि व्यय हुई है भूमि, भवन, ट्रैक्टर एवं बैल जोड़ी पर?

(२) उक्त फार्म पर कितने अधिकारी किस-किस श्रेणी के कार्य कर रहे हैं और उनका वार्षिक व्यय क्या होता है?

(३) उक्त फार्म कितने घाटे या लाभ में है? आंकड़े प्रत्येक वर्ष के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह बेगूं) : (१) ग्राम बारेदा में जो कृषि विभाग का फार्म है उसका क्षेत्रफल १०७ एकड़ है। भूमि, भवन ट्रैक्टर एवं बैल जोड़ी पर विभाग द्वारा फरवरी, १९७१ तक रुपया ६३४२३) व्यय हुए हैं।

(२) इस समय इस फार्म पर कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं। इन पर होने वाले व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि आपके द्वारा बताई हुई राशि में से २८,१११) रुपये की राशि आपके स्टाफ पर व्यय हो गई है? वह अतिरिक्त है या इसी में शामिल है?

श्री हरिसिंह : स्टाफ पर व्यय होता है ५८ हजार।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या इस व्यय से यह फार्म घाटे में नहीं जा रहा है?

श्री हरिसिंह : जब से रिआर्गेनाइज हमने सब फार्मों के प्रबन्ध को किया है तो कुछ ऐसे हैं जिनमें अलग से स्टाफ नहीं रहता। डी० ओ० ऑफिस से ही मैनेज कर लेते हैं। यह वैसे अनइकोनॉमिकल फॉर्म है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : आपकी ट्रैक्टर जो चलने वाली है। वह घाटा किसमें शामिल है ?

श्री हरिसिंह : रेकरिंग एक्सपेण्डीचर तो सब आवेगा इसीमें ट्रैक्टर है, बीज है बैल है, बिजली है।

स्टाफ का खर्चा हमने कम कर दिया है। अगर फिर भी लॉस में यह चलेगा तो फिर पूरी डिटेल देखी जावेगी। यह डी क्लास फार्म है। अगर लॉस में होगा तो रेवेन्यू विभाग को दे देंगे ताकि इसका वह और तरह से सदुपयोग कर सके।

पेट्रोल पम्प के लिये भूमि

२७२. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सोजती गेट से स्टेशन जोधपुर पर स्थित मूंदड़ा पेट्रोल पम्प को नगर सुधार न्यास द्वारा अवाप्त किया गया है ? अगर हां, तो कब अवाप्त किया गया और अवाप्त करने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त पेट्रोल पम्प की जगह, उनको दूसरा प्लाट दिया गया है ? अगर हां, तो किस जगह यह प्लाट दिया गया है और, अगर मुआवजा दिया गया है, तो कितना ?

(३) क्या यह भी सही है कि जोधपुर नगर में इस प्रकार से और भी पेट्रोल पम्प अवाप्त कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और किस पेट्रोल पम्प की क्या-क्या शर्तें अवाप्त करने की है ? पिछले दो वर्ष में कितने इस प्रकार से पेट्रोल पम्प अवाप्त किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह): इस प्रश्न को स्थगित करने के लिये निवेदन किया गया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह स्थगित करने का आधार क्या है ?

श्री खेतसिंह : क्वेश्चन पूछते वक्त आपने गलती कर दी। जोधपुर नगर सुधार न्यास आपने लिखा है जब कि नगर परिषद् द्वारा यह दिया गया है। आपका प्रश्न वापस नगर परिषद् को भेजा है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मन्त्री महोदय के सामने जब गलती आ गई और सही कर ली तो फिर क्या आधार रह गया ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह आधार निराधार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है। इसी सत्र में ले लिया जावेगा।

रंगजी के मन्दिर में चोरी

२७३. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पुष्करराज के रंगजी के मन्दिर में चोरी हुई ? यदि हां,

Page No 6

(श्री गोरधन सोनी)

तो कब व कितनी लागत का कुल माल गया ? विवरण सदन की मेज पर रक्खें।

(२) क्या यह सही है कि ग्राम थांवला में बावरी भैंरू द्वारा वहां के सुनार को चोरी का माल बेचने के प्रयास के समय सुनार ने कुछ लोगों को भेज कर दिनांक ६-३-७० को पुलिस थाना पुष्कर में इसकी सूचना भिजवाई ?

(३) क्या यह सही है कि बावरी भैंरू की बिना पूरी जांच पड़ताल किये सिफारिश या अन्य आधार पर पुलिस थाना पुष्कर ने छोड़ दिया ?

(४) इस जांच का क्या नतीजा रहा ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हां। यह चोरी दिनांक २६, २७-१-७१ की दरमियानी रात में हुई है और इसमें लगभग ३ लाख रुपये की कीमत के जेवरात व जवाहरात चोरी गये हैं। चोरी गये हुए माल की सूची संलग्न है।

(२) मुखबिर से सूचना मिलने पर भैंरू बावरी से जांच की गई।

(३) जी नहीं। श्री भैंरू बावरी को पूर्ण जांच के उपरांत ही छोड़ा गया था।

(४) जांच से भैंरू बावरी के खिलाफ इस चोरी के सम्बन्ध में कोई शक-शुबा नहीं पाया गया।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री गोरधन सोनी : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि मुखबिर ने क्या सूचना दी ? क्या यह बाजार में माल बेच रहा था उस वक्त पकड़ा गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसमें तफतीश चल रही है, अधिक बताना जनहित में उपयुक्त नहीं होगा। भैंरू बावरी का जहां तक सवाल है कि वह थांवला के बाजार में माल बेचता पाया गया और सुनार ने इत्तला दी। इस पर उसे पकड़ा गया। यह सही है। पूछताछ भी की गई। पर माल उसके पास होना नहीं पाया गया। इसलिये आखिर में उसे छोड़ा गया।

श्री गोरधन सोनी : यह बिलकुल असत्य है। क्या यह सही नहीं है कि माल बेचने के आधार पर ही सूचना दी गई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माल बेचना नहीं पाया गया।

श्री गोरधन सोनी : यह बिलकुल असत्य है। माल बेचने के आधार पर ही सूचना दी गई थी। क्या उसके घर की तलाशी ली गई जांच के दौरान ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह हर वक्त आवश्यक नहीं होता। फिर भी तफतीश जारी है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह बावरी कहां का है ? छोटी खाटू का है क्या ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उसके कब्जे से क्या माल मिला ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कुछ नहीं मिला।

Page No 7

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या यह सच है कि इससे ३३ तोला माल बरामद किया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे जानकारी नहीं।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि जिस वक्त चोरी हुई वहां संदिग्ध अवस्था में एक जीप मोटर और एम्बेसेडर कार बिना नम्बर की घूमती रही।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, अमूमन चोरी करने वालों को गृहमन्त्रीजी की पुलिस इस इलाके में कभी भी नहीं पकड़ पाती। हमारे क्षेत्र की यह हालत है कि किसी भी चोरी को बरामद नहीं किया जाता।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : यह क्या तमाशा है ? पुलिस चोरी पकड़ने के लिये है। लोगों की जानमाल की रक्षा करने के लिये है, पर वहां कुछ नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : जिस समय वह बावरी मारकेट में सुनार के पास चोरी का माल बेच रहा था और इसकी सूचना सुनार ने थाने में दे दी और चोर पकड़ लिया गया तो यह तो पुलिस ने तलाशी ली होगी कि कितना और क्या क्या माल होगा उसके पास जिसे वह बेचने के लिये गया था। खाली हाथ तो गया नहीं होगा, माल जब बेचने के लिये गया तो कुछ तो माल होगा, तो वही पूछा जा रहा है कि वह माल क्या था और कितना था ?

श्री अध्यक्ष : बेचने के तथ्य को ही इन्कार किया है सरकार ने।

नेक्स्ट। जन-स्वास्थ्य मन्त्री।

राजलदेसर तथा श्री डूंगरगढ़ की जलप्रदाय योजना

२७४. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजलदेसर और श्री डूंगरगढ़ की जल-प्रदाय योजनाओं की लागत व्यय का क्या अनुमान है ?

(२) इन दोनों कस्बों में जल-प्रदाय योजनाएं कब तक पूरी कर दी जायेंगी और इनका काम कब तक चालू हो जायगा ?

(३) इन योजनाओं की पानी की क्षमता कितनी होगी ? पानी कहां से लिया जायगा ? क्या पर्याप्त पानी इन कस्बों में उपलब्ध हो गया है ? यदि हां, तो कहां और कितना ?

(४) क्या इन कस्बों में योजना की पाइप लाइनें डालने आदि का सर्वेक्षण हो चुका है ? सर्वेक्षण रिपोर्ट मय नक्शे के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) राजलदेसर योजना की लागत व्यय का अनुमान ६.५८ लाख रुपये व डूंगरगढ़ योजना की लागत व्यय का अनुमान १३.५२ लाख रुपये हैं।

Page No 8

(श्रीमती सुमित्रा)

(२) राजलदेसर कस्बे की जल प्रदाय योजना का कार्य वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में पूर्व किये जाने की सम्भावना है। डूंगरगढ़ जलप्रदाय योजना को वर्ष १९७१-७२ में ले लिये जाने का विचार है।

(३) राजलदेसर योजना की पानी की क्षमता ३.२० लाख गैलन प्रतिदिन है। पानी ओपन वेल्स से लिया जावेगा, पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की सम्भावना है। डूंगरगढ़ योजना की पानी की क्षमता ५.२० लाख गैलन पानी प्रतिदिन होगी, योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है। योजना की तकनीकी जांच की जा रही है। योजना में पानी बढ़ने से लगभग १-१/२ मील दूर ६ नलकूप खोदकर प्राप्त किया जावेगा।

(४) जी हां, सर्वेक्षण संलग्न नक्शे के अनुसार है, जिसकी प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दो गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री दौलतराम सारण : मुझे केवल राजलदेसर का ही नक्शा मिला है, डूंगरगढ़ का नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : उसकी योजना की स्वीकृति नहीं हुई है इसलिये नक्शा कहां से दूंगी ?

श्री दौलतराम सारण : सर्वेक्षण का मैप मांगा है, योजना का नहीं, सर्वेक्षण आपने करवाया है और तभी तो लागत मूल्य का अनुमान आया है।

श्रीमती सुमित्रा : आपने मेरे प्रश्न संख्या २ के उत्तर को ठीक से नहीं सुना है। इसमें मैंने कहा है कि लिये जाने का विचार है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने पूछा इसकी लागत मूल्य का अनुमान क्या है, आपने लागत मूल्य बतलाया तो क्या बिना सर्वे के ही अनुमान कर लिया गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : डिटेल्ड सर्वे बाद में होता है टेक्निकल एप्रूवल के लिये।

श्री दौलतराम सारण : सर्वेक्षण तो हुआ है। मेरा मतलब इतने से ही है। टेक्निकल एप्रूवल अलग चीज है। सर्वेक्षण अलग चीज है। दोनों का आपस में सम्बन्ध नहीं है। मैंने पूछा है इसका सर्वे हुआ है क्या ? आपने कहा हुआ है तो उसका नक्शा दीजियेगा। टेक्निकल सर्वे तो आखिरी सेंक्शन के लिये होता है।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य ने प्रश्न नम्बर ४ में पूछा है पाइप लाइनें डालने आदि का सर्वेक्षण हो चुका है ? अब चूंकि यह राजलदेसर में ही हुआ है इसलिये डूंगरगढ़ का कहां से नक्शा देती ?

श्री दौलतराम सारण : तो आप यह कहें कि सर्वे नहीं हुआ है। डूंगरगढ़ का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं। आप क्यों इसका टालमटोल उत्तर दे रही हैं ? मैं तो यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि डूंगरगढ़ का सर्वे हुआ है या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : सर्वेक्षण हो चुका है। पाइप लाइन का सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : किस बात का ?

Page No 9

श्रीमती सुमित्रा : योजना का।

श्री दौलतराम सारण : योजना किस बात की होती है ? क्या उसमें पाइप लाइन टंकी, कुआ आदि का सर्वेक्षण नहीं होता है ?

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्रीमती सुमित्रा : योजना जो होती है उसमें कुआं, टंकी, स्टाफ क्वार्टर ये सभी होते हैं और इनका सर्वेक्षण भी किया जाता है। आपने प्रश्न चार के आखिर में पूछा है कि पाइप लाइन डालने का सर्वेक्षण हुआ है या नहीं ? पाइप लाइन जब सारी योजना कम्पलीट हो जाती है उसके बाद डाली जाती है।

श्री दौलतराम सारण : मैं तो सर्वेक्षण का पूछ रहा हूं। स्पष्ट पूछ रहा हूं। आप कह दीजिये सर्वेक्षण हुआ है तो ?

श्रीमती सुमित्रा : पाइप लाइन का सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से पहले ही साफ कह देतीं। इस तरह प्रश्न को टालमटोल क्यों करती हैं और इस सदन का समय खराब करती हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। कृषि मंत्री जी।

ट्रैक्टरों का आवंटन

२७५. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर ने जर्मन आर. एस. जो. रो. नाइन ट्रैक्टर एलॉट हो जाने के बाद ऐसे एलॉटी द्वारा यह ट्रैक्टर खराब होने से तथा शुरू में निगम द्वारा भी यह ट्रैक्टर एलॉटमेन्ट की तिथि पर इन ट्रैक्टरों का मेकेनिज्म नहीं समझ पाने के कारण नहीं दिये तथा बाद में इस ट्रैक्टर के खराब किस्म का होने से एलॉटी द्वारा नहीं लेने के कारण क्या अन्य किस्म के ट्रैक्टर ऐसे एलॉटीज को दिये हैं ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम (प्रा०) लिमिटेड, जयपुर से जो ट्रैक्टरों का आवंटन होता है, उसके लिये कोई नियम हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? यदि नियम नहीं बने हैं, तो जो भी नीति या आदेश इस हेतु हैं, उसकी टिप्पणी बताने की कृपा करें ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) जी नहीं। सूची देने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी हां, नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामसिंह कुड़ी : जी नहीं से यह मतलब है कि ये ट्रैक्टर खराब नहीं थे, यह आप मानते हैं ?

श्री हरिसिंह : जी नहीं से मतलब साफ है। आपने एक प्रकार से प्रश्न को स्पष्ट तौर से नहीं पूछा है। इसमें दो-तीन विचारों का समावेश कर दिया है, पहले यह लिखा है कि मेकेनिज्म नहीं समझ पाने के कारण और

(श्री हरिसिंह बेगूं)

दूसरा यह लिखा है कि पहले कोई जानता नहीं था। इसलिये रिप्लाई नैगेटिव में देना पड़ा है। आप भी यह जानते हैं कि ट्रेक्टर्स को टेस्ट करा कर ही लिया गया है।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह खराब था या नहीं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं कह दिया है।

श्री हरिसिंह : खराब का सवाल ही नहीं है। इसमें कोई मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट नहीं पाया गया है। इसका डिटेल्ड टेस्ट हुआ है और यह एक्सपर्ट के द्वारा किया गया है। इसका आपरेशनल डिफेक्ट है और यहां की जो कण्डीशन्स हैं उसके आधार पर बनाया जाना चाहिये। फ्यूल कन्जम्शन्स, ट्रान्जेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ डिफेक्ट पाये गये हैं जो यहां की कन्डीशन्स के कारण हैं। इसमें कोई मेन्युफेक्चरिंग या ओरिजनल डिफेक्ट नहीं है। हमारे यहां की कन्डीशन्स में जो आपरेशनल डिफेक्ट हैं, उसके लिये एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी है क्योंकि इसके बारे में काफी शिकायतें हमारे पास में आई थीं। भारत सरकार ने ७००० ट्रेक्टर्स का एस. टी. सी. के द्वारा मंगवाने का कान्ट्रेक्ट किया था और उसके अनुसार १६६० ट्रेक्टर भारत सरकार ने एस.टी.सी. के द्वारा प्राप्त किये और फिर हिन्दुस्तान के एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में उनका वितरण किया गया है और राजस्थान में भी उसके अन्दर ३४८ ट्रेक्टर एलॉट हुए हैं, और उसके अन्दर से अभी करीब ८२ ट्रेक्टर कॉर्पोरेशन के पास में हैं और बाकी के फार्मर्स को या एजेन्ट्स को दिये गये हैं। इसमें जो शिकायतें हैं वे आपरेशनल डिफेक्ट की शिकायतें हैं और इसके लिये जर्मन डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट को लिखा गया है और उन्होंने मोडिफाइड पार्ट्स जितने आपरेशनल डिफेक्ट्स हैं उसके लिये मोडिफाइड पार्ट्स भेजे हैं। एक-एक पार्ट की तीन-तीन चार-चार हजार की कीमत है और उनका जितना ऑर्डर था वितरण कर दिया गया है और अब इसका ६ महीने का पीरियड और बढ़ा दिया गया है। इसके उपरान्त भी शिकायत होगी तो ट्रेक्टर्स को लौटाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या यह सही है कि किन्हीं काश्तकारों को ये जर्मनी के ट्रेक्टर खराब होने के कारण ये ट्रेक्टर लेकर उनके बदले में दूसरे ट्रेक्टर दिये गये हैं ?

श्री हरिसिंह : जी नहीं। जिन्होंने जर्मन ट्रेक्टर के लिये आवेदन किया था उनको जर्मन ट्रेक्टर मिले हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने तो यह पूछा है कि जर्मन ट्रेक्टर जिन काश्तकारों को दिये गये थे वे खराब होने के कारण उनके बदले में क्या दूसरा ट्रेक्टर दिया गया है।

श्री हरिसिंह : वह दूसरा ट्रेक्टर तो डिस्क्रीशनरी कोटा में से ही दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी जानकारी है या नहीं ?

श्री हरिसिंह : ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री कुड़ी।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह ट्रेक्टर सबसे पहले किस तारीख को दिया गया ?

श्री हरिसिंह : ऐसा प्रश्न आपने नहीं पूछा है।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैंने स्पष्ट पूछा है। हम खरीदने गये और आपने मना किया और फिर उसको दिया गया एलॉटमेन्ट का लेटर....

श्री अध्यक्ष : किस तारीख को दिया गया यह आपके प्रश्न से नहीं निकलता है। दूसरा प्रश्न कर लीजिये।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह तो निकलता है कि ट्रैक्टर के लिये गये थे और टाइम पर एलॉट नहीं किया गया है।

श्री हरिसिंह : एलॉटमेन्ट हुआ है। ३४८ ट्रैक्टर थे उनमें से १४५ ट्रैक्टर फारमर्स को और बाकी के कुछ ऐजेन्सीज को दिये हैं और ८२ ट्रैक्टर मौजूद हैं कॉर्पोरेशन के पास।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत !

देवगढ़ में पीने के पानी की व्यवस्था

२७६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि देवगढ़ में अनुसूचित जाति के पीने के पानी के लिये पाइप लाइन डालने और हाइड्रेन्ट बनाने के लिये अनुदान राज्य सरकार से मिला था, वह सीधा ही जलप्रदाय विभाग को दे दिया गया ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत कितने हाइड्रेन्ट लग चुके हैं।

(३) क्या पानी सप्लाई उनको की जा चुकी है ?

(४) यदि नहीं तो क्यों ? किस दिन से काम शुरू हुआ था तथा काम की प्रोग्रेस क्या विभाग संतोषजनक समझता है ?

राज्य मन्त्री, जनस्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां; जिस नगरपालिका ने जलदाय विभाग को वैसा जमा कराया।

(२) अनुसूचित जन-जाति के मौहल्लों में ९ हाइड्रेन्ट लगाये जा चुके हैं।

(३) जी नहीं।

(४) क्योंकि अभी तक कनेक्शन देने की प्रक्रिया नगरपालिका देवगढ़ ने पूरी नहीं की। कार्य दिनांक ५-९-७० को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक १८-९-७० को पूर्ण हुआ। जी हां।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जब कि हाइड्रेन्ट लगाने की रकम विभाग के पास में है, और पाइप लाइन डालने का काम भी विभाग का है तो मैडम मेरी समझ में नहीं आता कि फिर कौनसी दिक्कत रह गई है।

श्रीमती सुमित्रा : काम पूरा होने के बाद ही....

श्री अध्यक्ष : नो मैडम। ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती सुमित्रा : विभाग द्वारा सम्पूर्ण काम होने के बाद जहां पंचायत होती है वहां पंचायत से और जहां नगरपालिका होती है वहां नगरपालिका से पूछा जाता है और जब तक वे हाइड्रेन्ट के लिये अन्डरटेकिंग नहीं

(श्रीमती सुमित्रा)

देगी कि इसका जो कुछ खर्चा आयेगा वह वे जमा करायेगी तब तक इनको चालू नहीं किया जाता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : नगरपालिका तीन, चार बार विभाग को लिख चुकी है। फिर हरिजनों के लिये पानी टैक्स भी माफ किया जा चुका है और वहां करीब ७ महीने से कनेक्शन लगा हुआ है, हाइड्रेन्ट लगा हुआ है परन्तु टूंटी नहीं लगाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी मन्त्रिणीजी इतनी फास्ट है तो उनका विभाग इतना धीमा क्यों चलता है।

श्रीमती सुमित्रा : विभाग के धीमे चलना या मन्त्री के फास्ट चलने का इसमें कोई सवाल नहीं है। आपकी नगरपालिका से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्डरटेकिंग नहीं आई है। वैसे वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में हरिजन बस्तियों में पानी मुफ्त देने की घोषणा की है। इसके आधार पर ही आप नगरपालिका से प्रस्ताव पास करा कर भेज दें।

प्रश्न संख्या २७७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २७८

श्री हरलालसिंह खर्रा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया !

जिला कोटा की ग्रामीण जलदाय योजना

२७९. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा में जलदाय विभाग के अधीन ग्रामीण जलदाय योजना के अन्तर्गत कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या बारां तहसील क्षेत्र के ग्राम राजपुरा, खेराली, मजरावता, लेवा एवं बिजयपुर आदि ग्रामों में पीने के पानी की बड़ी समस्या है ? यदि हां, तो उस समस्या के समाधान के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

राज्य मंत्री जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां, निम्न योजनायें तैयार की गई हैं:—१. आवा २. चेचट ३. खेराबाद ४. इन्द्रगढ़ ५. मन्डाना ६. सीसवाली ७. छीपाबड़ोद । योजना की प्रतिलिपि रखना सम्भव नहीं है क्योंकि एक योजना में लगभग ३० पेज की प्रति होती है और जिसको तैयार करने में समय लगता है।

(२) ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

इन ग्रामों की जनसंख्या १९६१ के आधार पर २००० से कम होने के कारण वहां पर विभाग द्वारा कोई नल योजना नहीं चालू की जा सकती । सम्बन्धित पंचायत को चाहिये कि वह विकास विभाग से कुएं आदि खुदवाने के लिये सम्पर्क स्थापित करें।

श्री प्रेमसिंह सिघवी (छबड़ा) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री प्रेमसिंह सिघवी : मैं भी प्रश्नकर्ता ही हूं अध्यक्ष महोदय! क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जल योजना के लिये इसका काम कब चालू करा दिया जायेगा।

(विराम)

श्रीमती सुमित्रा : छीपा बड़ोद की अभी स्वीकृति नहीं है इसलिये स्वीकृति होने के बाद काम शुरू किया जा सकेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय जो ७ गांवों की योजना बनाई है ये कब तक क्रियान्वित हो जायेंगी और क्रियान्वित नहीं होगी तो क्या-क्या बाधायें हैं और वे कब पूरी हो जायंगी।

श्री प्रेमसिंह सिघवी : अध्यक्ष महोदय क्या मंत्री महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न आ चुका है।

श्रीमती सुमित्रा : आर्थिक बाधा ही है और तो क्या है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि राज्य सरकार की पहले नीति थी कि ग्राम पंचायत ५ प्रतिशत पैसा जमा करा दें तो योजना क्रियान्वित हो जायगी और ५ प्रतिशत की जगह अब ढाई प्रतिशत ही कर दिया है। क्या विभाग ने ग्राम पंचायत से मांग की है ताकि उनकी योजना चालू की जा सके।

श्रीमती सुमित्रा : मांग उनको खुद को करनी चाहिये। पहले पंचायत प्रस्ताव पास करे और फिर जिलाधीश सिफारिश करें उसके बाद ढाई प्रतिशत पैसा जमा करायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि सीसवाली और छीपाबड़ोद पंचायत समिति ने जल योजना लागू करने के लिये नियमानुसार पैसा जमा कराने के लिये विभाग को लिखा है।

श्रीमती सुमित्रा : जी हां। लेकिन यह अलग से प्रश्न है।

श्री प्रेमसिंह सिघवी : अलग से प्रश्न कैसे है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय जब इन्होंने स्वीकार किया है और पंचायत समिति ने लिखा है पैसा जमा कराने के लिये तो यह अलग से प्रश्न कैसे है? इन सातों ग्राम पंचायतों की जल योजना को ढाई प्रतिशत विभाग को जमा कराने पर कब से चालू हो जायगी ?

श्रीमती सुमित्रा : प्रायरिटी के अनुसार होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय यह भी बड़े दुःख की बात है कि योजना की प्रतिलिपि को सदन की मेज पर ३० पेज की प्रति होने के कारण रखने से मना कर दिया। विभाग यह कह कर समय बहुत लगेगा टालना चाहता है क्या आपका विभाग इतना निकम्मा है कि ३० पेज की प्रति सदन की मेज पर नहीं रख सकता। यह तो एक घंटे काम था। अध्यक्ष महोदय मैं यह चाहता

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

हूं यह हमारा अधिकार है इसको इस प्रकार कह कर समय लगेगा जानकारी नहीं दी जा रही है इसलिये मेरी आपत्ति है और जो हमारा अधिकार है यह प्रति दी जानी चाहिये।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य आप चाहेंगे तो भिजवा दी जायगी। ३० पेज की प्रति थी इसलिये आज उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं था।

श्री अध्यक्ष : यह प्रति ३० पेज की है और ८ योजना है ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इसी सिद्धान्त को लेकर गये सत्र में मंत्री महोदय ने फरमाया था यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी पंचायत की रकम जमा हो जाय तो नल योजना लागू करें। आपने लास्ट सेशन में सिद्धान्त रूप से यह फरमाया था कि कोई ग्राम पंचायत रकम जमा करादें तो कोई जरूरी नहीं है योजना लागू करें मैंने एक गांव के लिये कहा था और आपने कहा था रुपये जमा होने से नहीं योजना लागू नहीं होती है जहां जरूरत है वहां शुरू होती है।

श्रीमती सुमित्रा : फन्ड्स की अवेलेबिलिटि पर निर्भर करता है। सारी योजनाओं को पैसे आने पर लागू नहीं किया जा सकता है। उसके लिये बजट प्रावधान नहीं होगा तो लागू नहीं हो सकती है।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि दो हजार के आबादी वाले गांवों की पानी की समस्या को हल करने के लिये केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को करीब ११ लाख से अधिक रकम रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत मिली थी ?

श्रीमती सुमित्रा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय यह इसी विभाग से सम्बन्धित है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के इस विभाग को पीने की पानी की समस्या हल करने के लिये ११ लाख रुपया दिया है तो वह इन गांवों के अन्दर क्यों नहीं लगाया जाता है ?

श्रीमती सुमित्रा : ५० लाख रुपया इस विभाग के निमित ट्रान्सफर हुये है और वह दो हजार से अधिक की आबादी वाले गांवों के लिये पीने के पानी की समस्या हेतु दिये गये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इन गांवों की पीने के पानी की समस्या का हल कब क्रियान्वित किया जायगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद कस्बा है उसकी आबादी ८ हजार है। यहां का सर्वे हो चुका है और सर्वे होने के बाद राज्य सरकार ने छीपाबड़ोद को इत्तला दी जा चुकी है कि परसेन्टेज जमा करवा दी दीजिये। आज तक क्यों विलम्ब हो रहा है अभी जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया मंजूरी नहीं हुई यह बिलकुल गलत बताया है।

श्री अध्यक्ष : मंजूरी नहीं हुई है ?

श्रीमती सुमित्रा : नहीं।

Page No 15

श्री प्रेमसिंह छबड़ा : इसका क्या इलाज करें।

श्री अध्यक्ष : ला इलाज है।

नैक्स्ट।

प्लाटों पर निर्माण कार्य

२८०. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर जिले की किस-किस मण्डी में प्लोट खरीदने वाले खरीददार को यह नोटिस कब कब दिया गया है कि यदि आप एक माह के अन्दर अन्दर अपने खरीदे गये प्लाटों में निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे तो आपकी जमा शुदा किश्त जप्त करके प्लाटों की दुबारा नीलाम कर दिया जावेगा? नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रखी जावेग

(२) यदि नहीं दिया गया है तो क्यों?

(३) क्या सरकार उन मंडियों को आबाद नहीं कराना चाहती है?

(४) आज तक मण्डियों के नहीं आबाद होने के क्या कारण हैं?

(५) अब यह मंडियां कब तक आबाद हो जावेगीं?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्रीमनफूल सिंह) : (१) सूची मय नोटिस की प्रति के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) सरकार ने मंडियों को आबाद करने के लिये ही योजना बनाई थी तथा समयानुकुल मंडियां अपने क्रमिक विकास की ओर बढती रही है। अतः आबाद नहीं कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) भाखरा क्षेत्र की ही केवल दो मंडियां नोहर व भादरा ऐसी हैं जो आबाद नहीं हो पाई हैं क्योंकि इन मंडियों के पुराने बाजारों में काफी दुकाने हैं तथा वे ही उनकी मांग पूरी कर देती हैं। फिर भी ज्यों ज्यों पैदावार बढ़ेगी तथा यह क्षेत्र समृद्ध होगा मंडियां स्वतः आबाद हो जावेंगी।

(५) ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी, पैदावार बढ़ेगी और ये मंडिया भी आबाद हो जावेंगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सुमित्राजी तो जनसंख्या घटाने में लगीं हुई है और आप जनसंख्या बढ़ाने में, यह कैसे.....

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री ने फरमाया मंडी विकास की ओर बढ़ रही है। किस ओर बढ़ रही हैं पंजाब की ओर, हरियाणा की ओर किस ओर बढ़ रही है मौके पर तो बढ़ नहीं रही है। मंडी का विकास तो नहीं हो रहा दूसरा आपने फरमाया....

श्री मनफूलसिंह : मैंने यह स्वीकार किया है लेकिन नोहर और भादरा तक ही तो विकास सीमित नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं नोहर और भादरा अभी तक आबाद नहीं हुई है। नोटिस १५ मई को समाप्त हो रहे है जिसके बाद कार्यवाही की जायगी।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है ....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, इसको सात साल हो गये। सात साल तक तो सरकार आंख मीचकर बैठी हुई है। ७ साल तक नोटिस क्यों नहीं दिया ? क्या अब यह आखिरी नोटिस है और इसके बाद और नोटिस नहीं दिया जायगा ? आज तक सरकार नींद में सोयी हुई है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या सरकार का इरादा मंडियों के विकास करने का है। मण्डियों को सरकार आबाद करवाना चाहे तो करवाये।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया १५ मई को मियाद खतम हो रही है। इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं किन-किन को नोटिस मिले हैं और किन-किन को नोटिस नहीं मिले हैं, तो यह जानकारी माननीय सदस्य को दे दी जायगी। जैसा मैंने पिछली बार कहा था अबकी बार नोटिस देने के बाद रियायत नहीं की जायगी और जिनके भू-खण्ड कैंसिल करने की बात होगी इस संबंध में कार्यवाही की जायगी, यह विश्वास मैं १५-२० रोज पहले माननीय सदस्य को दे चुका हूं और आखिरी मियाद १५ मई को रही है। अब किन-किन में हो रही है और कौन-कौन रह गये हैं इसकी विस्तृत जानकारी चाहें तो मैं दे दूंगा।

श्री हंसराज आर्य : क्या सरकार इस अवधि के समाप्त होने के बाद मजबूती के साथ प्लाटों को दुबारा बोली बुलवाने को तैयार होगी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह मण्डियों का मामला बड़ा गम्भीर है और एक करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च हो चुका है और राज्य सरकार बिलकुल लापरवाही बरत रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार नियमानुसार प्लाटों को दुबारा नीलाम कराने की कार्यवाही करेगी ?

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जैसा कहा कि इसकी मियाद नहीं मिलेगी। मगर इन मण्डियों में सैकड़ों इस तरह के केसेज हैं और सबको कैंसिल करके दुबारा करते हैं तो इसमें कन्सट्रक्शन नहीं होता बल्कि मनी मार्केट टाइट होता है और इस कारण से लोग बनाते नहीं हैं। तो मैं कहता हूं कि कितने प्लॉट्स एक साथ रिलीज किये जायें ऑक्शन के लिए इसके लिए निर्धारित तरीके से कार्यक्रम बनाना होगा। नहीं तो क्या होगा कि उसके दाम कभी नहीं आयेंगे और शुरू में जो प्लॉट्स नीलाम किये गये या अलाट किये गये और और उनका निर्माण कार्य नहीं हुआ तो जाहिर है कि लोगों को जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा अलॉटमेन्ट कर दिया गया। इसलिए इस बात को तो देखेंगे लेकिन जो निवेदन किया कि १५ मई के बाद उनको मौका मिलेगा और कितने प्लॉट्स हम रिलीज करेंगे वह वहां की हालत पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। प्लॉटों के नीलाम के के साथ नियम यह है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी !

श्री दौलतराम सारण : नियम यह है कि जो प्लाट नीलाम किये जायें उसको निश्चित अवधि के अन्दर वह आबाद करता है और अगर नहीं करता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन इतने वर्ष होने के बाद आज तक कार्यवाही नहीं की गई और कई बार नोटिस देकर भी उनको खाली छोड़ दिया गया। इसलिए मनी मार्केट टाइट है या कैसा है इस मामले को सोचकर यदि राज्य सरकार चलती है तब तो भगवान ही मालिक है इस सरकार का और इस तरह से मण्डियां कभी आबाद नहीं होंगी....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य ! मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री दौलतराम सारण : किसान बरबाद हो चुके हैं और फसल बेचने के लिए मण्डियां नहीं हैं और ये कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! दूसरा प्रश्न ले लिया है। मेरे पास अभी १५ प्रश्न शेष हैं जिन्हें पूछा जाना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : १५ प्रश्न और ७ स्थगित प्रश्न शेष हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : अच्छा पूछ लीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल में जो मण्डियों की भूमि है और भाखरा क्षेत्र में जो मण्डियों की भूमि है वह लीज सिस्टम पर दी गयी है और उनकी कीमत १५-१८ हजार पहले ले ली गई है और उसके अलावा ५ परसेन्ट की दर से सालाना वसूल किया जाता है। इसलिए वह निर्माण कार्य नहीं कर सकते। क्या इसके ऊपर राज्य सरकार पुनः विचार करेगी और ९९ साल का जो लीज सिस्टम है उसको खतम करेगी अगर लीज वसूल करते हैं तो फिर कीमत नहीं ली जाये तब तो ठीक है ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सिंचाई मंत्रीजी !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका उत्तर तो दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर नहीं होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने प्रश्न पूछा है इसका उत्तर दिलवाये !

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। इसका उत्तर नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका उत्तर क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने इससे पहले प्रश्न पूछा था और आपने बीच में दूसरा प्रश्न ले लिया। तो मेरा प्रश्न उचित है और आप इसका उत्तर दिलायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। दूसरा प्रश्न ले लिया है। अभी दस-पन्द्रह प्रश्न अवशेष हैं।

Page No 18

श्री रामचन्द्र आर्य : इतनी देर में तो उत्तर आ जाता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इसका उत्तर चाहता हूं। इसका उत्तर आना चाहिए और मुख्य मन्त्रीजी यहां बैठे हैं। इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैंने दूसरे प्रश्न को पुकार लिया है। (श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने के दौरान) श्री हरिवल्लभ शर्मा, उसके बाद कृष्णकुमार गोयल, श्री मनोहरसिंह मेहता, श्री लादूराम सुलानिया, श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री दौलतराम सारण- कई प्रश्न पड़े हुए हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने सिर्फ एक प्रश्न पूछा था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री रामचन्द्र आर्य : स्थान ग्रहण तो करूंगा लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। मण्डियों को आबाद कराने का मामला है और इस तरह से दस-बारह साल से मण्डियां पड़ी हैं और कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है और हम प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर नहीं दिया जाता....

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इतनी देर में तो आप उत्तर ही दिला देते।

श्री दौलतराम सारण : तो फिर अध्यक्ष महोदय, आज से यह परम्परा है कि दूसरा प्रश्न कॉल कर लिया जाये तो सप्लीमेण्टरी क्वेश्चन का आप चांस नहीं देंगे? क्या आज से यह मानकर चलें कि दूसरा प्रश्न कॉल कर लिया....

श्री अध्यक्ष : समय जहां रह जाता है तो वहां वापस मौका देता हूं। अभी मेरे पास समय नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आसन को थोड़ा सा देखना चाहिए। इतना महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों का ध्यान भी मैं रखता हूं। मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। जन-स्वास्थ्य मन्त्रीजी!

श्री दौलतराम सारण : आपने ले लिया वह तो ठीक है लेकिन आप इस तरह से कार्यवाही नहीं चला सकेंगे। हमारे सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको।

श्री अध्यक्ष : मैं सहयोग लेकर चलता हूं अपवाद रूप से।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से कार्यवाही नहीं चलेगी। आप हर मामले में कहते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया है और फिर आप भी बहुत आक्रोश में आते हैं...

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं आता हूं। आप बहुत आक्रोश में हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैं नहीं आता हूं। आप जबरदस्ती उत्तेजित करने की चेष्टा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : आप इस तरह से महरबानी करके उत्तेजित करने की कार्यवाही नहीं करें। यह कोई शोभा की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो शांत मन से चलता हूं लेकिन माननीय सदस्य रणनिष्का ही उत्तेजित होते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपको मजा आता है माननीय सदस्यों को उत्तेजित करने में। यह आसन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आॅर्डर, आॅर्डर। (श्री दौलतराम सारण के बैठे-बैठे बोलने पर)। अब आप बैठे-बैठे उत्तेजित हो रहे हैं। यह बड़ी मुश्किल की बात है। मैं तो उत्तेजित नहीं हो रहा हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मण्डियों का सवाल है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री दौलतरामजी सारण ने जिस तरह के आक्षेप चेयर पर लगाये हैं वे उचित नहीं हैं और चेयर पर इस तरह के आक्षेप लगाना शोभाजनक नहीं है और हमारे सदन की परम्पराओं के खिलाफ भी हैं....

श्री दौलतराम सारण : आप अकेले सदन के मालिक नहीं हैं। यह सदन सब का है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज!

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, गलत और निराधार आरोप आसन के ऊपर माननीय सदस्य ने लगाये हैं वो यह चेयर के लिए उचित नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आये दिन इस तरह से होता है सदन में।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो फिर आप उत्तर दिलवायें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस तरह से कई माननीय सदस्यों के प्रश्न रह जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज! जन-स्वास्थ्य मन्त्री जी!

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें क्योंकि यह भाखरा और राजस्थान कैनाल क्षेत्र में मण्डियों का प्रश्न है और आज वे मण्डियां गैर-आबाद पड़ी हैं...

श्री अध्यक्ष : अब यह आप माननीय सदस्यों का प्रश्न है, मेरा नहीं है। जब सहयोग की मांग की जाती है....

श्री रामचन्द्र आर्य : तो फिर मेरे....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर, स्थान ग्रहण करें। अन्य माननीय सदस्यों को तो हानि होगी जिनके प्रश्न अवशेष हैं।

(श्री रामचन्द्र आर्य बार-बार उठते रहे और माननीय अध्यक्ष बार-बार माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।)

श्री रामचन्द्र आर्य : हानि, लाभ यह कोई व्यापार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का है यह प्रश्न। अभी कई माननीय सदस्यों के प्रश्न अवशेष हैं। अभी स्थगित प्रश्न भी अवशेष हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं तो यह समझता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य आपसे निवेदन करता हूं कि दूसरे प्रश्नों को लेने का अवसर दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप इसका उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : स्थान तो ग्रहण तब करूंगा जब मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें-नेक्स्ट, जन-स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह कोई मजाक की बात नहीं है। मण्डियों की हालत बड़ी खराब है और गंगानगर को तो वैसे ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है और जब प्रश्न पूछते हैं तो ..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। जब माननीय कई सदस्य कहते हैं तो मैं तो आक्रोश में नहीं होता हूं और यह द्वन्द्व, यह संघर्ष आपके आग्रह हेतु चल रहा है। यह जो प्रश्न मैंने रखा है कि इसको जल्दी समाप्त कर दें। यह अन्य माननीय सदस्यों के हक में है और उनके अधिकारों के हित में है, और वे माननीय सदस्य जिनके प्रश्न अभी आने को हैं वे आतुर होंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रश्न आयें, लेकिन आप बार-बार उस पर वाद-विवाद खड़ा करते हैं। ऐसे प्रश्न पर मैं बहुत उदारता के साथ आपकी तरफ देखा करता हूं....

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने पूरे समय में एक प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : आपने पूरा सहयोग देने का प्रयत्न नहीं किया है। इसलिए मैं आपसे फिर आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि कृपया दूसरे प्रश्न जिनके लिए माननीय सदस्य आतुर हैं उन्हें अवसर दें। ७ अवशेष स्थगित प्रश्न मेरे पास में हैं। मैं चाहता हूं कि सब के सब प्रश्न हो जायं। उसमें आप बाधा न डालें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको मालूम है कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य, ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय राज्य मंत्रीजी ने यह कह दिया कि वहां पर मण्डियां आबाद हो रही हैं और प्रगति पर हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य, अन्तिम बार, माननीय श्री आर्य ! आपको मैं अन्तिम बार सूचित करता हूं कि बाधा आप न डालें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं बाधा नहीं डाल रहा हूं। बाधा तो सरकार डाल रही है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को सूचित करता हूं अन्तिम बार कि बाधा न डालें अन्यथा मुझे आगे का कदम लेना आवश्यक होगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आगे का कदम आप ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप माननीय सदस्य सदन का परित्याग कर दें।

(श्री रामचन्द्र आर्य फिर भी बैठे रहे)

माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं। श्री आर्य, सदन का परित्याग कर दें।

(श्री रामचन्द्र आर्य फिर भी बैठे रहे)

श्री रामचन्द्र आर्य : इस से यह काम चलने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर आप सदन का परित्याग नहीं करते हैं तो मैं विवश होकर दूसरा आदेश देता हूं। यदि अब भी आप शान्त बैठे रहें तो फिर भी मैं उस पर पुनर्विचार कर लेता हूं। फिर मौका देता हूं।

श्री दौलतराम सारण : एक माननीय सदस्य सप्लिमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं और अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : पहले मुझे उनसे निपट लेने दें।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य को अवसर नहीं देना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं देता हूं और समय बचेगा तो अवसर दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : मेरा नम्र निवेदन है कि आपको इस तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तो हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। यह सदन जानता है इस सम्बन्ध में कि उनका प्रयोग मैंने कितनी दफा किया है। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, आप इस पर थोड़ा सा उदारता से चिन्तन करें। मेरी तो इतनी उदार नीति है कि उससे माननीय सदस्य भी सहमत होंगे और वह इतनी उदार नीति है....अब इसको प्रश्न वाचक ही रखिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की जिस तरह की नीति है कि वह गंगानगर जिले में मंडियां...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब भी आप सम्भल जायें। माननीय केदारजी से निवेदन करूंगा कि आप का प्रभाव उन पर अधिक पड़ता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रभाव तो आपका भी पड़ रहा है मगर मेरे पर सब का पड़ रहा है और यह मामला इस से दबने नहीं पायेगा। इस तरह से राजस्थान सरकार इन मंडियों को आबाद नहीं कर रही है और कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो सरकार उत्तर नहीं देती है....

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : काश्तकारों को....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें !

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार लूट रही है।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : XXXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !!

स्थगित प्रश्न

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या २८१ ले लें।

श्री अध्यक्ष : यस, जन-स्वास्थ्य मंत्री।

बोंली की पेय जल योजना

२८१. **श्री हरिवल्लभ शर्मा :** (सवाई माधोपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बोंली ने जो तहसील हैडक्वार्टर भी है ग्रामीण पेय जल योजना के अधीन अपना अंशदान राज्य सरकार में जमा करा दिया था ? यदि हां, तो यह अंशदान कब जमा हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि यह अंशदान कस्बा बोंली की पेय जल योजना स्वीकार होने पर ही जमा कराया गया ? यदि हां, तो यह योजना कब स्वीकार की गई ?

(३) क्या इस कस्बे की पेय जल योजना का राज्य सरकार द्वारा कोई कार्य प्रारम्भ कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितना काम पूरा हो चुका है और नहीं तो क्यों ?

(४) इस कस्बे की पेय जल योजना कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

राज्य मन्त्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी नहीं, अभी योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

(३) जी नहीं, योजना स्वीकृत नहीं हुई है। प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) अभी योजना स्वीकृत ही नहीं हुई है, अतः पूरी किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपकी राज्य सरकार की यह नीति रही है कि ५ हजार की आबादी वाले जितने भी कस्बे हैं और जहां पर पेय जल का संकट है वहां पर उनको प्राथमिकता दी जायगी और उनकी पेय जल की समस्या को दूर किया जायगा ?

श्रीमती सुमित्रा : प्राथमिकता तब दी जायगी जब कि पंचायत प्रस्ताव करके भेजेगी और जिला परिषद् सिफारिश करेगी और ढाई पर्सेन्ट जन सहयोग की राशि जमा करा देंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी की सूचना बिल्कुल गलत है।

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

[श्री हरिवल्लभ शर्मा]

इनका पैसा ६७ में ही जमा हो चुका है और पंचायत की तरफ से लिख भी दिया गया है और कलेक्टर महोदय से स्वीकृति भी हो गई थी और तीन वर्ष तक कागज बराबर पड़े रहे और बाद में पंचायत ने लेने से इन्कार कर दिया। इस स्कीम की सर्वे भी हो चुकी है। आपके पास कागजात पेश नहीं हुए और विभाग दबाये ही बैठा रहा तो उसका इलाज ही क्या है ?

श्रीमती सुमित्रा : विभाग में कभी भी धनराशि जमा नहीं कराई गई।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : विभाग में जमा नहीं कराई है, लेकिन वहां की तहसील में जमा कराई गई है और बाकायदा चालान भर कर विभाग के नाम।

श्रीमती सुमित्रा : विभाग को जब तक वे जानकारी नहीं देंगे तब तक कैसे उसको करेंगे ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या आप जानकारी करने की कोशिश करेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा : अवश्य।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जानकारी करके क्या इसको प्राथमिकता देंगी ?

प्रश्न संख्या ९४

श्री अध्यक्ष : श्री हरलालसिंह खर्रा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य !

स्थगित प्रश्न

(२५-३-७१)

१०२. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भादरा-साहवा रोड कुल २६ मील लम्बी है सन् १९५२ से अधूरी पड़ी है।

(२) क्या सरकार इसे इस साल पूरा कराने की सोचती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या चालू बजट १९७०-७१ में कोई धनराशि इसके निर्माण के लिये सरकार ने रखी है ? यदि हां, तो कितनी ?

(४) क्या नये बजट से इस रोड को पूर्ण करा दिया जायगा ?

उप-मन्त्री (श्री खेतसिंह) : (१) जी हां।

(२) इस वर्ष पूरा करना सम्भव नहीं है।

(३) जी हां, २५,००० से बढ़ा कर ८५,००० रुपया किया गया है।

(४) जी नहीं किन्तु इस सड़क के लिये बजट में प्रावधान रखा जा रहा है।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह वह सड़क है जो आजाद हिन्दुस्तान की पहली सड़क है और २६ मील सड़क को २१ साल पूरे हो गये हैं। भादरा से साहवा रोड जब उप-मन्त्रीजी अकाल सहायता मन्त्री थे और सुखाड़िया साहब ५२ में भादरा में आये थे तो भादरा-साहवा रोड चालू करवाई थी।

(श्री हंसराज आर्य)

इस २६ मील के टुकड़े को २१ साल में भी पूरा नहीं कर सके हैं और आज तक वहां पर कोई भी वाहन नहीं चल सकता है। नवाब साहब खुद देख कर आये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : तीन मील का सड़क का टुकड़ा भी राजस्थान सरकार हरियाणे से मिलाने के लिये नहीं बना सकी तो २६ मील का टुकड़ा कैसे बना सकती है। इस सरकार की क्या ताकत है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता

श्री रामचन्द्र आर्य : उस सड़क के लिये आपने चार महीने का आश्वासन दिया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार क्या पूरा करवा सकती है २६ मील जब कि ३ मील का टुकड़ा ही पूरा नहीं करवा सकी है।

श्री अध्यक्ष : दोनों आर्यों के संघर्ष में अब आचार्य अन्दर आ गया है। माननीय सदस्य श्री आर्य !

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं निर्माण मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि उनका क्या इरादा है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इनका इरादा तो गंगानगर जिले को बरबाद करने का है...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है कि जब निर्माण मन्त्रीजी यहां उपस्थित हैं और उप-मन्त्रीजी बोल रहे हैं जिनके पास यह विभाग नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यहां पर उप-मन्त्री का मतलब निर्माण मन्त्री से ही है।

श्री दिग्विजयसिंह : जो उप-मन्त्रीजी खड़े हैं उनके पास यह विभाग भी नहीं है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, निर्माण मन्त्रीजी उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : वह निर्माण मन्त्रीजी से ही पूछ रहे हैं। आॅर्डर प्लीज !

श्री हंसराज आर्य : निर्माण मन्त्रीजी यहां पर बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कल अर्ज किया था कि मौजूद का कोई सवाल नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जब निर्माण-मन्त्रीजी....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : यह सड़क जो मन्जूर हुई थी वह केवल दो-चार मील के लिए मन्जूर हुई थी। पहले यह सड़क ४ मील पर आती थी। अब जितनी हो सकेगी रफ्ता-रफ्ता उसको पूरा किया जायेगा।

श्री हंसराज आर्य : रफ्ता रफ्ता यानी कितने साल में ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जितना हो सकेगा।

श्री हंसराज आर्य : इसका क्या मतलब ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने यह सड़क देखी है। राजस्थान में और भी सड़कें देखी हैं। बहुतों से यह खराब है, बहुतों से यह अच्छी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : तीन मील का टुकड़ा कब पूरा करेंगे ?

श्री हंसराज आर्य : (अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : आप तीन मील का टुकड़ा....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य ! प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : अगला मेरा प्रश्न है। महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले भी स्थगित किया था।

श्री रामकिशन (वैर) : सारे स्थगित कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : सभी स्थगित कर दिये। अब संघर्ष के दूसरे दौर में। स्थगन प्रस्ताव।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

लोकपाल एवं लोकायुक्त संबंधी कानून और राज्य सरकार की राय

२७७. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक के संबंध में राज्य सरकार से राय मांगी थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या राय भेजी है ?

(२) निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों के निराकरण के लिये राज्य सरकार क्या प्रावधान करना चाहती है ?

(३) क्या लोकपाल एवं लोकायुक्त संबंधी कानून को राजस्थान में एडोप्ट करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हां। भारत सरकार का सुझाव लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में राज्य के मुख्य मंत्रियों को सम्मिलित करने का था। हमने भारत सरकार को सूचित किया था कि इस अखिल भारतीय एवं व्यापक महत्त्व के प्रश्न पर देश के सभी राज्यों में एकरूपता एवं समन्वय की दृष्टि से मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार कर लिया जाना चाहिये।

(२) जब लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक अंतिम रूप से विधान बन जावेगा तब राज्य सरकार इस विषय पर विचार करेगी।

(३) भारत सरकार का सुझाव लोकपाल के क्षेत्राधिकार में मुख्य मंत्रियों को लेने का था। राज्य के मंत्री परिषद् के सदस्यों के विरुद्ध आरोपों आदि की जांच की व्यवस्था राज्य स्तर पर करने का सुझाव था। भारत सरकार को उपरोक्त अनुसार सूचित किया गया है। भारतीय स्तर पर विधान बन जाने के उपरान्त ही राज्य में भी इस बारे में विचार किया जावेगा।

Page No 26

कृषकों को दवाइयों का वितरण

२७८. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कृषि विभाग द्वारा सन् १९६० के बाद फसलों के रोग की रोकथाम के लिये कौन-कौन सी दवाई कितनी-कितनी मात्रा व कीमत की कब-कब खरीदी गई ? सूची सालवार बताने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि इस समय जो दवाइयां कृषकों को विभाग द्वारा दी जा रही हैं वे काफी रानीपु होने से असर नहीं करतीं ?

(३) उपरोक्त सन् के बाद कितनी-कितनी दवाइयां किस-किस जिले को कब-कब दी गईं व कितनी-कितनी बांटी व बेची गई व कितनी-कितनी पड़ी हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(२५-३-७१)

दांतारामगढ़ अप्रोच रोड पर व्यय

६४. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दांता रामगढ़ (सीकर) अप्रोच रोड फैमिन में कितनी लम्बी बनी व क्या कार्य हुआ व कितना खर्चा हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि फैमिन में दांता रामगढ़ में रोड़ियां तोड़ने का काम भी हुआ था ? यदि हां, तो वे रोड़ियां कहां काम में ली गई व कितनी रोड़ियां गई थीं व कितनी पड़ी हैं ?

(३) क्या यह सही है कि ये फैमिन की रोड़ियां इसी अप्रोच रोड पर काम में आईं और रोड़ियों का पेमेंट अलग से हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि इस सड़क पर रोड़ियां नियमानुसार नहीं डाली गईं व कम बेलास्ट होने पर भी पूरा पेमेंट उठाया गया ?

उत्तर

(१) अकाल राहत कार्यो में १०२८ मीटर मेटल रोड बनी है तथा १२२८ मीटर में डामर हुआ है, इस पर कुल खर्चा रु० ३४,८१०.०० हुआ है।

(२) जी हां, ये रोड़ियें दांतारामगढ़ अप्रोच रोड पर काम में ली गई थीं। कुल ९९२५ घनफुट रोड़ियें दांतारामगढ़ अप्रोच की सड़क के काम में ली गईं और अब कोई रोड़ी बकाया नहीं है।

(३) जी हां, वह रोड़ी इसी सड़क पर काम में आई। रोड़ी साइट पर फेमिन की लेबर ने तोड़ी थी तथा रोड़ी का अलग से पेमेन्ट नहीं हुआ।

(४) जी नहीं, रोड़ियां सड़क पर नियमानुसार ही डाली गई हैं। जितना कार्य बेलास्ट का हुआ उतने का ही पेमेन्ट किया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर में हवाई अड्डा

२६२. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अजमेर नगर दरगाह शरीफ के कारण अपना विशेष महत्त्व

(श्री भगवानदास शास्त्री)

रखता है और दुनियां के मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहां आते हैं ? यदि हां तो क्या सरकार वहां हवाई अड्डा स्थापित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हाँ, अजमेर का दरगाह विशेष महत्व रखता है एवं दुनियां के बहुत से लोग वहां आते हैं।

इस सम्बन्ध में अभी राजस्थान सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

तहसील सांचौर में पंचायत केन्द्रों पर पोस्ट ऑफिस

२६३. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर) : क्या मुख्य मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचौर, जिला जालोर में कई पंचायत केन्द्रों पर अभी तक पोस्ट ऑफिस नहीं खोले गये हैं ? अगर हां, तो कितने व कौन-कौन से केन्द्रों पर ? उन स्थानों पर पोस्ट ऑफिस खोलने के लिये सरकार कब तक आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सत्य है कि सांचौर से सरवाना पुलिस स्टेशन तक टेलीफोन लाईन लगाई गई है और उस लाइन पर ग्राम हाडेचा एक बड़ी व्यापारिक मण्डी है ? क्या यह भी सत्य है कि ग्राम हाडेचा में सब-पोस्ट ऑफिस भी खोल दिया गया है ? अगर हां, तो क्या सरकार ग्राम हाडेचा में पी. सी. ओ. शीघ्र खोलने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(३) क्या सांचोर टेलीफोन एक्सचेंज को जोधपुर से सीधी लाइन द्वारा मिलाये जाने के लिये भी सरकार आवश्यक कदम उठायेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) ग्राम पंचायत केन्द्र, सुराचन्द तहसील सांचोर, जिला जालोर में पोस्ट आफिस की स्थापना कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(१) तहसील सांचौर में ९ पंचायत केन्द्रों में अभी तक कोई डाकघर नहीं खोला गया है। इन केन्द्रों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

१. खेजरियाली, २. भीमगुड़ा, ३. सुरेचन्द, ४. सांगन, ५. करोल, ६. निमवन, ७. रानोद, ८. सुनावा, ९. बिरोल।

डाकघर खोलने का कार्य केन्द्र सरकार का है और वे अपने विभागीय नियमों के अनुसार डाकघर खोलते हैं।

(२) सरवाना में तारघर है और हाड़ेचा में एक पोस्ट ऑफिस खोल दिया गया है और पी. सी. ओ. खोलने की मन्जूरी प्राप्त हो चुकी है । जैसे ही इसके लिए आवश्यक सामग्री आजावेगी यहां पी. सी. ओ. चालू हो जावेगा।

(३) सांचोर को सीधी लाइन जोधपुर से मिलाने की अभी तक कोई मांग जनता की तरफ से नहीं आई है । इसलिए इस प्रश्न पर कोई विचार नही किया गया । मांग आने पर राज्य सरकार केन्द्र सरकार को लिखेगी।

(मुख्य मंत्री)

(४) अगले वित वर्ष (१९७१-७२) में इसकी स्थापना पर विचार किया जावेगा।

राजकीय उपक्रमों, निगमों, बोर्ड्स एवं अन्य कमेटियों में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या

२६४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार द्वारा वर्त्तमान में राजकीय उपक्रमों, निगमों, बोर्ड्स व अन्य कमेटियों में नियुक्त किए गए गैर-सरकारी व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? इनके नाम व पते मय नियुक्ति की तारीख के संस्था अनुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इनमें से मन्त्री स्तर की सुविधाएं किस-किस को दी जा रही हैं? इस सम्बन्ध में जारी की गई आज्ञाओं की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य अन्तर्गत राजकीय उपक्रमों, निगमों तथा बोर्ड्स इत्यादि में वर्त्तमान में जो गैर-सरकारी व्यक्ति (सदस्य चेयरमैन) हैं उनकी वांछित सूची संस्थावार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) एतत् सम्बन्धी सूचना भी प्रश्न १ के उत्तर में दी गई सूची में सम्मिलित कर दी गई है और सम्बन्धित आज्ञाओं को प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

नेशनल हाई वे नं० ११ को राजलदेसर कस्बे से जोड़ना

२६५. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नेशनल हाई वे नं० ११ के बस स्टैण्ड से राजलदेसर कस्बा कितना पड़ता है? क्या इस कस्बे को सड़क से जोड़ना सरकार जन-सुविधा की दृष्टि से आवश्यक नहीं मानती है?

(२) सड़क के इस छोटे से टूकड़े का अनुमानित लागत व्यय कितनी है? राज्य सरकार इसे कब तक बना कर पूरा करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) बस स्टैण्ड से राजलदेसर कस्बा १५०० फुट के लगभग है, यह कच्चा धांधला सरफेस रोड से जुड़ा हुआ है।

(२) पक्की सड़क की लागत का अनुमान लगभग १०,५००) रुपये हैं। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं किया गया हैं।

कुचामन सिटी से घाटवा वाया चितावा सड़क

२६६. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कुचामन सिटी, जिला नागौर से घाटवा वाया चितावा तक बसों के लिए कटाण का रास्ता बनाया हुआ है?

Page No 29

(श्री विजयसिंह)

(२) क्या यह सही है कि इस रास्ते पर बसों का भारी आवागमन रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार इस रास्ते पर शिघ्रातिशीघ्र सड़क बनवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है। ३६ कि० मी० लम्बाई की कच्ची सड़क पर लगभग ६-७ कि० मी० की लम्बाई में सहायता कार्यों में अर्थ वर्क कराया गया है।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है, तथा यह कार्य विभागीय योजना में स्वीकृत नहीं है।

सवाई माधोपुर तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत खोले गये राहत कार्य

२६७. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष उन्हालू की फसल पर ओलावृष्टि के कारण सवाई माधोपुर तहसील में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन कुछ राहत कार्य खोले गये? यदि हां, तो ये राहत कार्य किस-किस जगह क्या-क्या खोले गये?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम भगवतगढ़ (तहसील सवाई माधोपुर) से सूरवाला की सड़क निर्माण का कार्य भी इस राहत कार्य में आरम्भ किया गया? यदि हां, तो यह काम कितना हुआ और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

(३) क्या यह सही है कि राहत कार्य में किये गये अधूरे कार्य को पूरा करने की सिफारिश करने हेतु राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय एक समिति का गठन किया? यदि हां, तो इस समिति ने इस सड़क को पूरा करने की सिफारिश की अथवा नहीं?

(४) राज्य सरकार इस अधूरे कार्य को कब तक पूरा करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) जी हां, एक सड़क सूरवाल भगवतगढ़ का कार्य स्वीकृत हुआ था।

(२) जी हां, १२ कि० मी० की लम्बाई से अर्थ वर्क कराया गया है। सड़क पर १४३५ व० मी० सोलिंग स्टोन एवम् १४०५ व० मी० रोड़ी एकत्रित कराई गई है, जिस पर १,४०,२३८ रुपया व्यय हुआ है।

(३) जी हां, इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(४) जिला सवाई माधोपुर में अकाल स्थिति न होने के कारण सहायता विभाग ने राहत कार्य बंद कर दिये है, अतः उक्त कार्य कब तक पूरा होगा, निश्चित नहीं कहा जा सकता।

माजरी कलां से नीमराना सड़क पर मरम्मत का कार्य

२६८. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या माजरी कलां से नीमराना तक की सड़क पर कोई मरम्मत की गई है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे मरम्मत तलब नहीं मानती है?

(श्री अमीलाल यादव)

(२) इस नीमराना मांजरी कलां सड़क को कितने वर्ष बने हुए हो गये हैं और क्या यह सही है कि उसके बाद कभी भी इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, जिससे यह सड़क बिल्कुल नष्ट हो चुकी है ?

(३) क्या वित्तीय वर्ष १६७१-७२ में इस सड़क की मरम्मत के लिये धनराशि स्वीकृत की जाकर शीघ्र कार्य शुरू कराया जावेगा ?

(४) काठूवास से परतापुर तक क्या कोई सड़क है ? यदि हां, तो वह कब किस किस्म की बनाई गई थी ?

(५) क्या इसकी भी मरम्मत आज तक कराने की कोई धनराशि स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो क्या कभी इस पर कार्य हुआ है ?

उत्तर

(१) विभागीय गैंग द्वारा सड़क की साधारण मरम्मत की जाती है।

(२) यह मार्ग १६५३-५४ में बनाया गया था। सड़क की विशेष मरम्मत वर्ष १६६७-६८ में की गई है। सड़क की दशा साधारण है।

(३) वर्ष ७१-७२ में साधारण मरम्मत की जाने को है।

(४) जी हां, वर्ष ६२-६३ में मेटल रोड निर्माण कराई गई है।

(५) जी हां, वर्ष १६६६-६७ में स्वीकृति दी गई थी। जी हां।

कृषि उपज मण्डी समिति से आय

२६६. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला गंगानगर में कृषि उपज मण्डी समितियों में सन् १६७०-७१ को फसल खरीफ व रबी के अनाज की बिक्री पर कुल कितना टैक्स जमा हुआ है ? आमदनी के ब्योरेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) कृषि उपज मण्डी समिति में दर्ज कुल अनाज व अन्य कृषि उपज के माल के आंकड़े समितिवाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जिला श्री गंगानगर की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषि उपज की बिक्री पर कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। मण्डी समितियों द्वारा केवल मण्डी फीस प्राप्त की जाती है। वर्ष १६७०-७१ की माह फरवरी तक उपलब्ध इस प्रकार की सूचना संलग्न है।

(२) जिले की १३ मण्डी समितियों द्वारा कृषि उपज के क्रय-विक्रय के आंकड़ों की सूचना भी उक्त सूची में उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

केजुअल लेबर की नियुक्ति

२७०. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कृषि अभि-यांत्रिकी में अक्टूबर, १६६८ से फरवरी,

(श्री गंगासहाय)

१६६६ तक केजुअल लेबर रहट बनाने के लिये रखी गई है ? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी ?

(२) क्या उपरोक्त केजुअल लेबर को रखने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर ली गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त केजुअल लेबर पर कुल कितना खर्चा हुआ ? केजुअल लेबर की दैनिक मजदूरी की स्वीकृत रेट क्या है ?

(४) क्या केजुअल लेबर को परिचय-पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो कितने ?

उत्तर

(१) जी हां। निम्न संख्या में आकस्मिक श्रमिक अक्टूबर, १६६८ से फरवरी, १६६६ तक रखे गये:—

(क) अक्टूबर, १६६८	....११०
(ख) नवम्बर, १६६८	....२१६
(ग) दिसम्बर, १६६८	....३२७
(घ) जनवरी, १६६६	....२६६
(ङ) फरवरी, १६६६	....१६६

(२) जी नहीं। केजुअल लेबर (आकस्मिक श्रमिक) को नियुक्त करने का अधिकार कृषि अभियन्ता एवं सचिव को है।

(३) इस प्रकार रखी गई लेबर पर कुल ८२,६००.६० रुपये का खर्चा आया। स्वीकृत दरें निम्न प्रकार से हैं:—

पद १	दरें प्रति दिन २
हैल्पर	३.५० रु०
टर्नर	५.०० ,,
ड्रिल मशीन ऑपरेटर	४.०० ,,
ब्लेकस्मिथ	५.०० ,,
फिटर	४.०० ,,
मेन कुली	३.२५ ,,
स्पेशल आर्टीशियन	७.०० ,,

(४) जी नहीं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था केजुअल लेबर के लिये नहीं है।

सवाई माधोपुर जिले में सघन कृषि कार्य

२७१. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले को सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने चुना था ? यदि हां, तो इसकी कौन-कौन सी तहसीलें अथवा पंचायत समितियों में यह कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है और किस-किस वर्ष से ?

(२) कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य सरकार ने इस जिले को किन-किन पंचायत समितियों में क्या-क्या योजनाएं बनाई हैं और वे कब से लागू की जावेंगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

इस जिले की समस्त पंचायत समितियों में सघन कृषि कार्यक्रम वर्ष १६६६-७० में आरम्भ किया गया।

(कृषि मंत्री)

(२) सघन कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत इस जिले की समस्त पंचायत समितियों में अधिक उपज देने वाली फसलों का कार्यक्रम लिया गया है। इसमें विशेषकर संकर बाजरा व मैक्सिकन गेहूं पर अधिक जोर दिया गया है।

पंचायत समिति, सवाई माधोपुर में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, १९७० में ४६ लाख १६ हजार रुपये लागत की लघु सिंचाई योजना आरम्भ हो गई है, जिसके अन्तर्गत ४१८ नये कुए, १९२ डीजल पम्पिंग सेट्स व ३२८ बिजली की मोटरों का प्रावधान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सवाई माधोपुर जिले में बहुफसलीय कार्यक्रम भी आरम्भ किया जावेगा। वह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।

पंचायत समिति, महुआ में भी लघु सिंचाई योजना का कार्यक्रम है, जिसमें २० लाख २७ हजार ५०० रुपये लागत की योजना जो कि कृषि पुनः वित्त निगम से स्वीकृति प्राप्त होते ही आरम्भ कर दी जावेगी।

पंचायत समिति, टोडा भीम (सवाई माधोपुर) में एक मलटिपल क्रोपिंग की स्कीम १९७१-७२ से शुरू करने का प्रस्ताव है।

खाद से स्वास्थ्य को खतरा

२७२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिक खाद देकर पैदा किये गये खाद्यान्नों से स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

(२) क्या इस संबंध में किसी भी जीव शास्त्री ने कोई रिपोर्ट समाचार-पत्रों में प्रकाशित करके इस खतरे से अवगत कराया है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में क्या-क्या तथ्य बताये गये हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं, प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(२) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

अटरू कस्बे में ट्यूबवैल

२७३. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या भू-गर्भ जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले के अटरू कस्बे में एक ट्यूबवैल लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो यह किस प्रयोजन हेतु लगाया जा रहा है-सिंचाई हेतु या पेय जल सप्लाई के लिये ?

(२) इस नल कूप में कुल कितनी रकम खर्च होने का अनुमान है ?

(३) इसकी रकम सरकार को किसके द्वारा भुगतान कराई जावेगी ?

(४) क्या इसकी पहले कोई सर्वे कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या यह उपयुक्त जगह पर लगाया जा रहा है ?

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(५) क्या यह भी सही है कि इससे अटरू को १ बीघा जमीन में भी पानी नहीं दिया जा सकेगा ? यदि हां, तो यह सारा व्यर्थ क्यों किया जा रहा है ?

(६) क्या अटरू तहसील क्षेत्र में और भी स्थान पर नल-कूप लगाने की योजना बनी है ? यदि हां, तो कहां पर और कब तक यह कार्य पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(१) यह सही है कि कोटा जिले के अटरू कस्बे में एक नल कूप लगाया जा रहा है जिसका प्रयोजन भू-जल अन्वेषण करना है।

(२) अनुमानतः इस अन्वेषण नल-कूप पर २५०००) रु० का खर्चा आयेगा।

(३) इसका खर्चा सरकार ही भू-जल अन्वेषण के अन्तर्गत वहन करेगी।

(४) अटरू पंचायत समिति का सर्वेक्षण करने के बाद उपरोक्त नल-कूप सर्वेक्षण के आधार पर उपयुक्त स्थान पर लगाया जा रहा है।

(५) नल-कूप के सफल होने के उपरान्त इस पर कुछ प्रयोग व अन्वेषण किये जायेंगे और उसके बाद यदि उपयुक्त समझा गया तो इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकेगा।

(६) अभी अटरू क्षेत्र तहसील में नल कूप लगाने की योजना नहीं बनी है।

जैसलमेर जिले में नहरी क्षेत्र में खातेदारी अधिकार

२७४. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में जो क्षेत्र राजस्थान नहर क्षेत्र में घोषित किया गया है उसमें लोगों को गैर-खातेदार दर्ज किया जाता है ? (और हां, तो इसके क्या कारण हैं जब कि गंगानगर व बीकानेर जिले में नहरी क्षेत्र में खातेदारी हक है ? इस भेदभाव पूर्ण नीति के क्या कारण हैं और भविष्य में खातेदारी हकूक कब तक दे दिये जावेंगे ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में स्थाई आवंटन भी नहीं किया जाता है और बढ़ती जनसंख्या को मकान बनाने के खण्ड भी नहीं दिये जाते हैं ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में राज्य सरकार कब तक इसके बारे में निर्णय लेगी ?

उत्तर

(१) जी हां राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १५-ए में ऐसा प्रावधान है लेकिन किसानों को खातेदारी की सुविधा देने के लिये १९५५ के भूमि [illegible] काश्तकारों के लिये राज्य सरकार ने [illegible] से नियम दिनांक १-२-१९७१ को जारी कर दिये हैं जो समस्त राजस्थान कैनाल कोलोनी क्षेत्र पर लागू है। जैसलमेर जिले के साथ कोई भेदभाव पूर्ण नीति नहीं अपनाई गई है।

(२) राजस्थान उपनिवेशन आरजी काश्त पट्टे शर्त १९५५ इस संबंध में लागू है। मकान बनाने के लिये भूमि देने के

Page No 34

(उपनिवेशन मंत्री)

लिये चक आबादी नियम दिनांक २८-१-१९७१ को जारी कर दिये हैं।

मोटर स्टेण्ड की भूमि

२७५. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सैनी इन्जीनियरिंग वर्क्स मोटर स्टेन्ड अलवर किस भूमि पर बना हुआ है? यह भूमि कब किसको कितनी कीमत में तथा किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दी गई थी?

(२) क्या यह उद्देश्य पूरा हो चुका है?

उत्तर

(१) श्री दशरथकुमार को दिनांक २१-९-५७ की आज्ञा द्वारा १९१ वर्ग-गज १३५ वर्ग-गिरह भूमि २०३.३१ पैसे में नगर परिषद् अलवर द्वारा बिक्री की गई थी। बिक्री पट्टा में किसी उद्देश्य का होना नहीं पाया गया।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

रतनगढ़ रेल्वे लाइन के पास वाली ढाणी के लिये पीने के पानी की व्यवस्था

२७६. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या जल प्रदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि रतनगढ़ नगर में रेल्वे लाइन के दक्षिण की तरफ भरतीयों की ढाणी बसी हुई है?

(२) क्या यह सही है कि मौजूदा वाटर वर्क्स द्वारा वहां पीने का पानी पहुँचाना सम्भव नहीं है?

(३) क्या सरकार वहां पर वाटर वर्क्स की योजना बनाना जरूरी समझती है? अगर हां, तो सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इस विषय में नगरपालिका रतनगढ़ से अभी तक कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यदि नगरपालिका रतनगढ़ आवश्यक धन-राशि जो योजना के निर्माण में व्यय होगी उपलब्ध कराने को तैयार हो तो योजना तैयार की जा सकती है।

पंचायत समिति दांता रामगढ़ की ग्रामीण जलप्रदाय योजना

२७७. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—(१) क्या यह सही है कि ग्राम कूद व बानूडा पंचायत समिति, दांता रामगढ़ की जल प्रदाय योजना की सर्वे हो चुकी है? योजना चालू होने में अब कितना समय लगेगा?

(२) क्या यह सही है कि दांता जल-प्रदाय योजना के अन्तर्गत बनी हुई टंकी का धरातल ग्राम के धरातल से नीचा है?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम कोछोर, तहसील दांता रामगढ़ की जनता द्वारा पांच प्रतिशत रकम जमा करा दी गई है? अगर हां, तो कब जमा कराई गई तथा इस

(श्री मदनसिंह)

समय इस योजना सम्बन्धी क्या कार्यवाही की जा रही है और इसे कब तक पूरा किया जा सकेगा ?

उत्तर

(१) ग्राम कुड की योजना स्वीकृत की जा चुकी है तथा कार्य निर्माणाधीन है। बानूड़ा की सर्वे की जा चुकी है और योजना बनाई जा रही है। पंचायत की ओर से जन सहयोग की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। योजना स्वीकृति के बाद चालू की जा सकेगी।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। योजना बनाई जा रही है।

जैसलमेर नगर में पीने के पानी की रेट

२७८. बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में पानी का खर्च पहले फ्लेट रेट से लिया जाता था और अब पानी का पैसा परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार लिया जाता है? अगर हां, तो पानी की दर किस आधार पर तय की जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि सदस्यों की संख्या पर पानी की दर लेना अनियमित है ? अगर हां, तो इस प्रकार से दर तय करने के क्या कारण है ? भविष्य में राज्य सरकार कब से नियमानुसार पैसा तय कर देगी ?

उत्तर

(१) जैसलमेर नगर में पानी का खर्च पहले भी और अब भी मीटर रीडिंग के अनुसार एवं फ्लेट रेट नियमों के अनुसार लिया जाता है। फ्लेट रेट नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या एफ. ४ (१९१) एम० पी० एच० /जी० आर० १११ दिनांक ७-९-७० के द्वारा कुछ संशोधन किये हैं जिसके अनुसार यदि परिवार की सदस्य संख्या ५ से अधिक हो तो अतिरिक्त चार्ज देना होगा।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

मकराने का कसाईखाना

२७९. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि मकराने में कसाईखाना एक स्थान पर न होने की वजह से स्थान-स्थान पर गन्दगी रहती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि बाजार के बीच सब्जी बिकने की वजह से बाजार में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रहता है और स्थान स्थान पर सड़ी सब्जी आदि पड़ी रहने से बीमारी फैलती है ?

(३) क्या सरकार इन दोनों के लिए उपयुक्त स्थान नियत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(१) यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र में कसाईखाना बना हुआ नहीं है। कसाई व्यापारियों ने इस कार्य हेतु अपने अपने

Page No 36

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निजी बाड़े व दुकानें बना रखी हैं। समय समय पर नगरपालिका द्वारा इन स्थानों की सफाई करा दी जाती है।

(२) कसाईखाने के बाजार में सब्जी की अस्थाई दुकानें लगती हैं जो नगरपालिका की स्थापना के पूर्व से हैं। बाजार छोटा होने से भीड़ रहती है। बाजार के नजदीक में सब्जी मण्डी के लिये कोई उचित स्थान नहीं है। समय-समय पर नगरपालिका द्वारा सब्जी की जांच की जाती है तथा गन्दी सड़ी सब्जी उसी समय फिकवा दी जाती है। सफाई की पूर्ण व्यवस्था रखी जाती है।

(३) नगरपालिका नई सब्जी मण्डी बनाने के लिये प्रयत्नशील है। कसाईखाने हेतु अभी नगरपालिका में कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

एम० ओ० एच० नगर परिषद अजमेर

२८०. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि एम० ओ० एच० नगर परिषद, अजमेर का कार्य संतोषजनक नहीं है, और इस कारण अजमेर नगर में सफाई आदि का कार्य ठीक प्रकार नहीं हो रहा है;

(२) क्या एम० ओ० एच० का तबादला करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(१) इनके कार्य के संतोषजनक न होने बाबत नगरपरिषद से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(२) इनको वर्तमान में प्रति-नियुक्ति की अवधि २३-५-७१ को समाप्त हो रही है।

जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा प्लाटों की नीलामी

२८१. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) जोधपुर नगर सुधार न्यास द्वारा किस तरह से प्लाटों की नीलामी की जाती है?

(२) क्या यह सही है कि आखिरी बोली वाले के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन होता है? अगर हां, तो क्या एक व्यक्ति एक से अधिक प्लाट ले सकता है?

उत्तर

(१) प्लाटों के नीलामी की शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) जी हां। एक बोली में एक व्यक्ति एक ही प्लॉट ले सकता है।

तिलवाड़ा पशु मेले से आय

२८२. श्रीमती भंवर कौर (पचपदरा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत पांच वर्षों में तिलवाड़ा पशु मेले से सालाना राज्य सरकार को कितनी आय हुई?

(२) कितना रुपया इस पशु मेले के स्थल के विकास हेतु व्यय किया गया? क्या क्या विकास के कार्य किये गये?

(श्रीमती मदन कौर)

(२) क्या राज्य सरकार इस आय का कुछ प्रतिशत मेले के विकास हेतु व्यय करना उचित नहीं समझती ?

उत्तर

(१) सूची संलग्न है।

(२) इस विभाग द्वारा विकास कार्य हेतु कोई व्यय नहीं किया गया।

(३) राज्य स्तर का मामला है।

(कृपया परिशिष्ट ४६ देखिये)

सादड़ी में पशु चिकित्सालय

२८३. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) (क) सादड़ी (जिला पाली) की पशु-चिकित्सालय एक डिस्पेन्सरी है। उस डिस्पेन्सरी को क्या अस्पताल बनाने का सरकार सोच रही है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त डिस्पेन्सरी भवन अस्पताल बनाया जाय वैसी क्षमता रखता है और उस डिस्पेन्सरी में आने वाले रोगी पशुओं की संख्या बहुत है ? यदि हां, तो इस डिस्पेन्सरी को कब तक अस्पताल बनाया जायगा जिससे वहां के क्षेत्र की कठिनाइयों का हल वहीं हो जाय और पाली (सादड़ी से ५७ मील दूर) नहीं जाना पड़े ?

(२) (क) दुग्ध वृद्धि की दृष्टि से डेनमार्क या हालेण्ड का सांड अच्छी नस्ल बढ़ाने में सहायक प्रमाणित हुआ है या नहीं ? यदि हां, तो पाली जिले में ऐसे सांड कहां कहां रखे गये हैं और राजस्थान में अन्यत्र कहां-कहां रखे गये हैं ?

(ख) क्या सादड़ी व सादड़ी के आस पास की गायों की संख्या देखते हुए उपर्युक्त प्रकार का सांड सादड़ी पशु चिकित्सालय में रखा जाना अत्यावश्यक नहीं है जिससे दुग्ध वृद्धि वाली नस्ल बढ़ने से उस क्षेत्र के बच्चों को पर्याप्त दूध मिल सके और साथ ही गरीब किसानों की आर्थिक अवस्था में भी सुधार हो सके ?

उत्तर

(१) (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त डिस्पेन्सरी में आने वाले रोगियों की संख्या साधारण है। इस डिस्पेन्सरी को अस्पताल में परिवर्तन किया जा रहा है।

(२) (क) डेनमार्क व हालेण्ड के सांड को दुग्ध की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं परन्तु हमारे यहां पर जर्सी व फ्रीजियन सांडों से नहीं जो कि इंगलैण्ड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया की ब्रीड है। संकर गो संवर्द्धन कराया जा रहा है, जिसके परिणाम अच्छे निकल रहे हैं। इस समय इस प्रकार के सांड पाली जिले में नहीं रखे गये हैं। राजस्थान में जर्सी, फ्रीजियन सांड, जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं अलवर में हैं।

(ख) चूंकि ऐसे सांड (वांछित) मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं अतः हर पशु चिकित्सालय पर इसका रखा जाना उपलब्धियों की दृष्टि से संभव नहीं है। प्रयास ये किये जा रहे हैं कि जहां की जलवायु अनुकूल हो वहां पर उस जिले के ग्रामि

(पशु पालन मंत्री)

आधार योजना के मुख्यावास पर ऐसे सांड रखे जायेंगे ताकि उस क्षेत्र में संकर गो संवर्द्धन का कार्य करवाया जा सके। पाली ग्राम आधार योजना केन्द्र पर जर्सी सांड रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

सामाचार पत्रों को दिये गये विज्ञापन

२८४. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान सरकार के सभी विभागों की ओर से किन किन समाचार पत्रों को राजस्थान दिवस के नाम पर १ अप्रेल, १९६७ से १ अप्रेल, १९७० तक कितनी राशि का विज्ञापन दिया गया ?

(२) इनमें राजस्थान से प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक तथा देश के अन्य भागों से प्रकाशित होने वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार-पत्रों को दिए गए विज्ञापनों के अनुपात उल्लेख करें। कमी बेशी विज्ञापन देने के आधार क्या हैं ? प्रत्येक पत्र का सरकुलेशन अंकित किया जाय ?

(३) राज्य क्षेत्र से प्रकाशित पत्रों को विज्ञापन देने की नीति क्या है ? क्या स्थानीय छोटे पत्रों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) समाचार-पत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की दरें क्या हैं ? ये कब निर्धारित की गई थीं ? क्या राजस्थान सरकार का इसमें परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब और किस आधार पर ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार राजस्थान दिवस के नाम से अपनी ओर से आमतौर पर नियमित रूप से सब पत्रों को विज्ञापन नहीं देती। अलबत्ता जो पत्र इस अवसर पर विशेषांक प्रकाशित करते हैं और सरकार से विज्ञापन मांगते हैं उन्हें विज्ञापन दिया जाता रहा है वांछित सूची संलग्न है।

(२) इनमें से (परिशिष्ट—क) राज्य से प्रकाशित होने वाले पत्रों को दिये गये विज्ञापनों का व्यय २४,५७६.३६ है, तथा राज्य के बाहर के पत्रों पर किया गया व्यय २३,०७५.२५ है।

(३) राज्य से प्रकाशित विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त पत्रों को उनके स्तर तथा प्रसार संख्या के आधार पर ए. बी. सी. तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हर श्रेणी की विज्ञापन दर भिन्न-भिन्न है। छोटे पत्रों को प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति हमेशा रही है। विज्ञापन देने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।

(४) समाचार पत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों की दरें ६ अगस्त, १९६२ से राजस्थान विज्ञापन नियम, १९६२ के अनुसार निम्नांकित प्रचलित हैं :—

दैनिक	अ	श्रेणी	२.८०	प्र. कॉ.	से. मी.
दैनिक	ब	,,	२.००	,,	,,
दैनिक	स	,,	१.२०	,,	,,
साप्ताहिक एवं					
पाक्षिक	अ	,,	२.००	,,	,,
पाक्षिक	ब	,,	१.२०	,	,,
पाक्षिक	स	,,	०.६०	,,	,,
अन्य मासिक	अ	,,	१.६०	,,	,,
अन्य मासिक	ब	,,	०.८०	,,	,,
अन्य मासिक	स	,,	०.६०	,,	,,

Page No 39

(जन सम्पर्क मंत्री)

ये दरें ६ अगस्त, १९६२ से जब से राजस्थान विज्ञापन नियम १९६२ प्रभाव में आये हैं, तब ही से लागू है। इसके अतिरिक्त अगस्त, ६६ से उक्त समाचार पत्रों को (मासिक पत्रों को छोड़ कर) १० प्रतिशत अतिरिक्त सरचार्ज भी दिया जाता है। ७ जून, ६७ से मासिक पत्रों को निम्नांकित दर से भुगतान किया जाता है :—

अ श्रेणी	०.४५	प्रति वर्ग सेन्टी मीटर
ब ,,	०.२४	,, ,,
स ,,	०.१८	,, ,,

पत्रों की दरों में परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

केशोराय सहकारी शुगर मिल

२८५. श्री केशरसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) केशोराय सहकारी शुगर मिल की लागत क्या है और उस राशि में लोन कितने का है और शेयर के रूप में कितनी राशि है ?

(२) शुगर मिल का उद्घाटन तत्कालीन केन्द्रीय गृह मंत्री श्री वाई. बी. चव्हाण द्वारा कब हुआ और इस मिल ने उत्पादन किस तारीख से प्रारम्भ किया था ? क्या उसी दिन से बराबर उत्पादन हो रहा है ?

(३) इस मिल द्वारा अब तक कुल कितने गन्ने की खरीद की गई और इसका वजन कितना था ? इसमें कितना गन्ना पेना गया और बाकी गन्ने का क्या हुआ ?

(४) मिल चालू होने के बाद कितनी दफा किन कारणों से बन्द हुई ?

(५) क्या इस वर्ष मिल उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब हुई अथवा नहीं ?

(६) क्या मिल द्वारा सारे काश्तकारों को उनके गन्ने का मूल्य चुका दिया गया है ? अगर नहीं, तो बकाया देनदारी कितने की है ?

(७) इस मिल की दुर्व्यवस्था का क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

सहकारी फार्मिंग सोसायटीज

२८६. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) बारां, किशनगंज, शाहबाद, अटरू, छबड़ा, छिपाबड़ोद एवं मांगरोल तहसील क्षेत्र में कितनी सहकारी फार्मिंग सोसाइटीज हैं उनका गठन कब कब हुआ व उनकी कितनी-कितनी हिस्सा पूंजी सरकारी व गैर-सरकारी है एवं उनकी सदस्यता प्रारम्भ से लेकर अब तक क्या क्या रही है ? मय जाति पते के पदाधिकारी वर्ग के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) सहकारी फार्मिंग सोसाइटी के गठन के नियम व उपनियम क्या हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 40

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(३) क्या यह सही है कि बारां व छबड़ा उप-जिला क्षेत्र में जितनी सहकारी फार्मिंग सोसाइटीज हैं ? उनमें अधिकांश बोगस सोसाइटीज हैं। यदि हां तो कौन कौन सी सोसाइटी बोगस है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) इन सोसाईटीज को कितनी-कितनी बीघा भूमि कितने-कितने समय से सरकार द्वारा आवंटित की है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या सरकार ने बोगस सोसाइटीज की भूमि को भूमिहीन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को आवंटित करने का कोई निर्णय लिया है ?

उत्तर

(१) बारां, किशनगंज, शाहबाद, अटरू, छबड़ा, छिपाबड़ोद एवं मांगरोल तहसीलों में सहकारी कृषि समितियों की संख्या निम्न प्रकार है—

१. बारां [illegible]
२. अटरू [illegible]
३. छबड़ा १
४. छिपाबड़ोद ६
५. शाहबाद किशनगंज [illegible]
६. मांगरोल [illegible]

समितियों के गठन, हिस्सा पूंजी, सदस्यता एवं पदाधिकारियों की सूची मय जाति व पते के संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(२) सहकारी कृषि समितियों का गठन राजस्थान सहकारी समितियां नियम १९६६ व जिन जिन उप-नियमों के अन्तर्गत किया जाता है उसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(३) जी नहीं, इनमें से रजिस्ट्रेशन के समय कोई भी सहकारी कृषि समिति बोगस नहीं बनी अतः राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(४) इन समितियों को भूमि का अलॉटमेंट राजस्थान लैण्ड अलॉटमेंट टू को-ऑपरेटिव सोसाइटी में रूल्स १९५९ के अन्तर्गत किया गया था। इन नियमों के अन्तर्गत भूमि का अलॉटमेंट २५ वर्ष के लिये किया जाता है। प्रत्येक समिति को अलॉट की गई भूमि बाबत सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" के कॉलम नम्बर ११ व १२ पर उपलब्ध है।

(५) कोई सरकारी कृषि समिति बोगस नहीं है और नहीं किसी सहकारी समिति की भूमि का एलॉटमेंट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन किसानों को आवंटित करने का कोई निर्णय लिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भू-विकास बैंकों द्वारा वितरित ऋण

१२६०. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) राजस्थान में गत [illegible] वर्षों में भू-विकास बैंकों (लैण्ड मोरगेज बैंक) द्वारा कितना

Page No 41

(श्री गंगासहाय)

ऋण वितरित किया गया है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने लोगों को कितना ऋण दिया गया है ?

कितना ऋण कुओं व बैलों के लिये, कितना पम्पिंग सेटों के लिये तथा कितना ऋण ट्रैक्टर खरीदने हेतु दिया गया है।

उत्तर

राजस्थान में गत ५ वर्षों में भूमि विकास बैंकों द्वारा कुल ७,६१,१०,३०९ रुपयों का ऋण कुओं के लिये दिया गया है, जिनमें ३,५३,७३,३२० रुपये का ऋण कुओं के लिये १,६६,८६,७७९ रुपये का ऋण पम्प सेट के लिये तथा १५०३६३२१ रु० का ऋण ट्रैक्टर खरीदने के लिये दिया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कितने लोगों को कितना ऋण दिया गया इसकी सूचना बैंकों में पृथक् से नहीं रखी जाने के कारण उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये जातिगत ऋण वितरण के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। भूमि विकास बैंकों द्वारा बैलों के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाता है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति ललासरी

२८८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, ललासरी, जिला नागौर को दिये गये ऋण का गबन करने तथा सही ढ़ंग से वितरण नहीं करने व सदस्यों को दिये बिना ही उनके नाम से लिख देने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यदि हां, तो कब और उन पर कब और क्या कार्यवाही की गई ?

(२) यदि विभाग द्वारा इसकी जांच की गई है तो जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त ऋण की वसूली किस के द्वारा कब और किस से की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां, सर्वश्री हनुमानमल मेढ़ एवं हरजीराम बुरड़क द्वारा प्राप्त हुई थी। श्री मेढ़ द्वारा शिकायत उनके पत्र दिनांक ३-१-६९ द्वारा श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा उनके पत्र दिनांक १०-१२-६८ द्वारा की गई थी।

शिकायतें प्राप्त होने पर राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, १९६५ की धारा ७० के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं गबन पाये जाने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई व सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत वसूली हेतु केस रजिस्टर किया गया।

(२) जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(३) ऋण की वसूली प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा जिन सदस्यों से की गई उनका ब्योरा परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है शेष राशि की अभी वसूली नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

ग्राम बूसी में दुर्घटना से मृत्यु

२८९. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बूसी (जिला पाली) में तारीख २७-६-७० को एक भयंकर दुर्घटना घटी जिसमें कई लोग मृत्यु को प्राप्त हुए व अनेकों घायल हुए? यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने मरे व कौन-कौन (प्रत्येक के नाम व पति या पिता के नाम सहित) मरे व कितने घायल हुए व कौन-कौन (प्रत्येक के नाम व पिता या पति के नाम सहित) व किस-किस गम्भीर रूप में (कैसा-कैसा गम्भीर रूप—यह भी विवरण बतावें) घायल हुए? इनमें अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के कौन-कौन हैं?

(२) जो-जो इस घटना में मरे उनके परिवारजनों को क्या कोई सहायता सरकार द्वारा दी गई? यदि हां, तो किस-किस को (नाम व पिता या पति के नाम सहित) कितनी-कितनी सहायता किस-किस तारीख को दी गई? जिस-जिस मृतक के परिवार को सहायता नहीं दी गई वह क्यों नहीं दी गई? जिस-जिस मृतक के परिवार को सहायता नहीं दी गई वह क्यों नहीं दी गई? जिस-जिस मृतक (नाम व पिता या पति के नाम सहित) के परिवार को सहायता नहीं दी गई उस मृतक के परिवार की आर्थिक हालत का विवरण बतावें। इनमें अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के कौन-कौन हैं?

(३) जो-जो इस दुर्घटना में घायल हुए उनमें से ऐसे कौन-कौन (नाम व पिता या पति के नाम सहित) आज भी काम-धंधा करने योग्य नहीं हो पाया है? इनमें अनुसूचित जातियों व पिछड़ी जातियों के कौन-कौन हैं? घायलों को क्या कोई सहायता सरकार द्वारा दी गई है? यदि हां, तो किस-किस घायल (नाम व पिता या पति के नाम सहित) को कितनी-कितनी व कैसी-कैसी सहायता किस-किस तारीख को दी गई? जिस-जिस घायल को (नाम व पिता या पति के नाम सहित) सहायता नहीं दी गई उस घायल की आर्थिक अवस्था (कौन-कौन, क्या-क्या धंधा करता है व उस धंधे से उसे क्या आय हो रही है?) का विवरण बतावें।

(४) इन मृतकों व घायलों के लिये सरकार की अब भविष्य के लिये क्या-क्या योजना है?

(५) इन मृतकों व घायलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछड़ी जाति के कौन-कौन हैं (नाम व पिता या पति के नाम तथा जाति सहित) व उनमें से किस-किस को कोई सहायता नहीं दी गई सरकार द्वारा? क्या यह सही है कि इस जाति के गरीबों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिली?

(स्थगित किया गया)

ग्राम बड़बड़ में ट्रक से बालक की मृत्यु

२९०. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि दिनांक २५-२-७१ को झालावाड़ जिले में श्री नाथूलाल जैन कांग्रेसी उम्मीदवार के प्रचार हेतु ५० ट्रकों में २ हजार मजदूरों का एक जुलूस निकाला गया था?

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(२) उक्त ट्रक किस-किस व्यक्ति अथवा कम्पनी के थे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या उक्त जुलूस जब रीछवा होकर बकानी जा रहा था तब ग्राम बड़बड़ के निकट एक १२ वर्षीय ब्राह्मण बालक को ट्रक के नीचे कुचल कर मार डाला गया ?

(४) उक्त हत्या के सिलसिले में क्या पुलिस बकानी ने कोई केस रजिस्टर किया है? यदि हां, तो किस ट्रक नं० या ट्रक मालिक का चालान किया गया है ?

(५) क्या यह सत्य है कि कोटा एवं झालावाड़ जिले के समस्त ट्रक एवं बसेज चुनाव व्यवस्था हेतु राज्य सरकार ने ले लिये थे फिर इन ट्रकों को क्यों कर नहीं लिया गया ?

(६) क्या उक्त ट्रकों में २ हजार आदमियों को सारे जिले में घुमाने की कोई विधिवत् आज्ञा किसी अधिकारी द्वारा दी गई थी और यदि हां, तो किस अधिकारी ने क्या आज्ञा दी थी ? प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है।

(२) ट्रकों के मालिक और कम्पनी की लिस्ट पुलिस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(३) जी नहीं। किसी बालक को जान-बूझ कर नहीं कुचला गया। सही बात यह है कि जब यह जलूस बारां से बकानी जा रहा था तब रास्ते में ग्राम बड़बड़ के निकट भीड़ में से नानूराम ब्राह्मण का १२ वर्षीय लड़का एक ट्रक से टकरा कर घायल हो गया जो अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मर गया।

(४) जी हां, इस दुर्घटना का मु. नं. १, सन् ७१, धारा १०४ ए. ती. हि. थाना बकानी में दर्ज किया गया है तफतीश से अब तक ट्रक व उसके ड्राइवर का पता नहीं लग सका है। मुकदमे की तफतीश जारी है।

(५) जी नहीं। समस्त जिले के ट्रक एवं बसेज चुनाव व्यवस्था हेतु नहीं लिये गये थे। जितनी आवश्यकता थी उतने ही वाहन जिलाधीश द्वारा रीक्वीजेशन किये गये थे। इन ट्रकों को इसलिये नहीं लिया गया क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं थी।

(६) यह जुलूस चुनाव प्रचार हेतु उम्मीदवार के समर्थकों ने निकाला था इस तरह स्वयं सेवकों द्वारा निकाले गये जुलूस से किसी प्रकार की कानूनी या नियम की अवहेलना नहीं होती है। अतः इस जुलूस के लिये विधिवत् आज्ञा देने या लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कठूमर क्षेत्र में चोरियों के मामले

२९१. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कठूमर सब-तहसील क्षेत्र में गत दो वर्षों में कितनी चोरियां हुई ? क्या सभी चोरियों का माल बरामद किया जा चुका है और चोरों को दण्ड दिया गया है ?

(२) ये चोरियां किन-किन ग्रामों में और किन-किन जाति के लोगों के घरों में हुई ?

(गृह मंत्री)

उत्तर

(१) कठूमर सब-तहसील क्षेत्र में वर्ष १९६९ में ४० एवं १९७० में ५१ चोरियों की घटनाएं हुई थीं। चोरी गये माल व बरामदगी तथा पकड़े गये मुल्जिमान आदि का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(२) चाही गई सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७१)

नगरपालिकाओं के अधीनस्थ कर्मचारी

१५९. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं में २४-११-६३ के पूर्व नियुक्त सभी अधीनस्थ व लिपिकवर्गीय कर्मचारी राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ व लिपिकवर्गीय सेवा नियम, १९६३ की सेवा के सदस्य हैं? यदि नहीं, तो क्यों और किस प्रावधान के तहत से सेवा में सदस्य नहीं हैं?

(२) क्या यह सही है कि इन सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन सेवा नियमों में निर्धारित वेतन श्रृंखलायें कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार ही दी जायेंगी? यदि नहीं, तो ऐसा कौनसा नियम है जिसके तहत सरकार शर्त अथवा प्रतिबन्ध लगा सकती है?

(३) क्या यह सही है कि इन नियमों के तहत जिस अधिसूचना द्वारा १-४-६४ से वेतन श्रृंखलायें निर्धारित की गई हैं उस सूचना में सरकार ने वेतन श्रृंखलाओं को पुराने कर्मचारियों पर लागू करने के लिये कुछ शर्तें व प्रतिबन्ध लगाये हैं? यदि हां, तो ये शर्तें व प्रतिबन्ध इन नियमों के किस प्रावधान के तहत लगाये हैं?

(४) क्या यह सही है कि नगरपालिका रायसिंहनगर, सुजानगढ व चूरू ने दिनांक १-४-६४ से अपने अपने उन एसेसरों को इन नियमों में निर्धारित वेतन श्रृंखलायें देने के आदेश दिये थे जो कि इन नियमों के प्रभावशील होने से पहले ही नियुक्त थे?

(५) क्या यह सही है कि इन उपरोक्त नगरपालिकाओं में से किसी नगरपालिका के ऐसे आदेश को सरकार ने स्थगित कर रखा है? यदि हां, तो वह कौनसी नगरपालिका है और किस नियम के तहत? स्थगित करने के बाद क्या उस आदेश पर आज तक कोई निर्णय लिया गया है?

(६) क्या यह सही है कि इन उपरोक्त नगरपालिकाओं के इन एसेसरों को सरकार ने भी इन सेवा नियमों का सदस्य स्वीकार किया है? यदि हां, तो किस तारीख और सन् से? यदि नहीं तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१९-३-७१)

आबादी भूमि पर काश्त

३६. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान कैनाल की कितने चकों की आबादी भूमि काश्त होती है और ऐसी आबादी की कितनी भूमि है?

Page No 45

(श्री हंसराज आर्य)

(२) क्या उस भूमि का लगान तथा तावान भी वसूल होता है ?

(३) यदि हां, तो सरकार को कुल कितनी आय सालाना होती है ?

(४) क्या भाखरा नहर क्षेत्र में भी आबादी के चकों की भूमि काश्त होती है ?

(५) ऐसी आबादी भूमि भाखरा के चकों में कितने एकड़ है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में २९ चकों में १७०३ बीघा ३ बिस्वा आबादी भूमि काश्त होती है।

(२) जी हां।

(३) सरकार को लगान की ८२५) रु. वार्षिक आय होती है।

(४) ९७ चकों की आबादी भूमि काश्त होती है।

(५) ४०५ एकड़।

स्थगित प्रश्न
(१९-३-७१)

राजस्थान नहर क्षेत्र में डिग्गियों का निर्माण

३४. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान कैनाल क्षेत्र में कुल कितने गांव और चकों में डिग्गियां बन कर तैयार हो गई हैं ?

(२) औसतन प्रति डिग्गी की क्या लागत आई है ?

(३) क्या इन डिग्गियों का उपयोग होने लग गया है ?

(४) क्या इन डिग्गियों में नहर का पानी डाला जाता है या वर्षा के पानी पर निर्भर करती हैं ?

(५) क्या राजस्थान कैनाल क्षेत्र में किसी स्थान पर कोई मंडी निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है ?

उत्तर

(१) ५८ गांव एवं चकों में डिग्गियां बन कर तैयार हो गई हैं।

(२) औसतन प्रति डिग्गी लागत ४७०००) रुपये आई है।

(३) तैयार हुई डिग्गियों का प्रायः उपयोग होने लग गया है।

(४) इन डिग्गियों में नहर का पानी डाला जाता है।

(५) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में एक 'ए' श्रेणी मण्डी सूरतगढ़ तथा एक 'बी' श्रेणी मण्डी रावतसर में मण्डी निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

स्थगित प्रश्न
(२५-३-७१)

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमि का आवंटन

८३. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान कैनाल क्षेत्र में सन् १९७०-७१ के लिये एक साल की लीज पर

(श्री रामचन्द्र आर्य)

कितने बीघा भूमि नहरी व बारानी अलॉट की गई? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त वर्ष में काफी रकबा बंजड़ रह गया? यदि हां, तो कुल कितने बीघा भूमि अलॉट होने से वंचित रही है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र में सन् १९७०-७१ के लिए एक साल की लीज पर आज तक १,५४,७७६ बीघा भूमि कमाण्ड तथा १,७१,७१६ बीघा भूमि अनकमाण्ड (मय बारानी) अलॉट की गई। उपनिवेशन तहसीलवार सूची संलग्न है।

(२) उक्त वर्ष में १,६८,३६६ बीघा कमाण्ड इस अलॉट होने से वंचित रही? तहसीलवाइज सूची संलग्न है?

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

स्थगित-प्रश्न

(३१-३-७१)

नगरपालिका कोष से स्वागत सत्कार

१६५. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका, लाडनूं, जिला नागौर के एक सदस्य ने सरकार के पास यह शिकायत की थी कि नगरपालिका कोष से स्वागत सत्कार के लिये २०००) रु० की राशि खर्च की गई वह गैर कानूनी है? यदि हां, तो कब और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(२) क्या यह भी सत्य है कि नगर पालिका कानून में नगरपालिका कोष को खर्च करने के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकतायें निर्धारित की हुई हैं? यदि हां, तो किस प्रकार से?

(३) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत बजट से इस प्रकार का खर्चा करने का कोई प्रावधान नहीं था? यदि हां, तो यह राशि कैसे खर्च की गई?

(४) क्या यह भी सत्य है कि जिस रोज यह राशि पालिका कोष से निकाली गई उस रोज हरिजन कर्मचारियों की तनख्वाह बकाया थी? यदि हां, तो किन-किन की कितनी और कब-कब से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या सरकार यह महसूस करती है कि वह खर्चा गलत हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

(स्थगित किया गया)

स्थगित-प्रश्न

(३१-३-७१)

जसनगर नागौर के पास नदी पर रपट का निर्माण

१६७. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जसनगर जिला नागौर के पास नदी पर जो रपट बांधी है, उसका कार्य अपूर्ण है?

(श्री गोरधन सोनी)

(२) क्या यह सही है कि इस अपूर्ण कार्य के कारण इस रपट का कोई उपयोग नहीं होता ?

(३) क्या सरकार इस रपट का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये तैयार है ?

उत्तर

(१) रपट का कार्य सहायता कार्यों में चालू किया गया था। सहायता कार्य अगस्त ७० में बंद होने के कारण रपट कार्य समाप्त नहीं हो सका।

(२) जी हां।

(३) अर्थाभाव के कारण योजना में स्वीकृत नहीं हुआ है।

स्थगित प्रश्न

(३१–३–७१)

सरदारशहर स्टेशन से डिफेन्स रोड तक डामर का कार्य

१९९. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरदारशहर स्टेशन से डिफेंस रोड़ तक घांवटे पत्थर से एक सड़क का टुकड़ा बना हुआ है जो बहुत ही टूटा-फूटा पड़ा है और इससे काफी गाड़ियां आती-जाती हैं ?

(२) सड़क के इस टुकड़े की लम्बाई क्या है और इस पर डामर करने की लागत का अनुमान क्या है ?

(३) सड़क के इस इतने महत्वपूर्ण टुकड़े पर अब तक डामर न करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक इसका काम पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) लम्बाई १.८ कि० मी० है। अनुमानित लागत ४७,०००/–रु० होगी।

(३) अर्थाभाव। विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री पृथ्वीसिंह, सदस्य विधान सभा ने पाली जिले के खारची तहसील के ग्राम बाली में गत सप्ताह अचानक आग भड़क उठने के कारण पूरे गांव के घर, सम्पत्ति, खड़ी फसल आदि को क्षति पहुंचने तथा राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता न दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित दो स्थगन प्रस्तावों की और सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

(१) श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह सिंघवी व श्री वालसिंह सोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० की कई वर्षों से सहकारी समितियों में अधिक बकाया रहने तथा उक्त बैंक में गबन व

(श्री अध्यक्ष)

घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य, विधान सभा ने गाय-बैल को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन दोनों स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

कुछ पेण्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है।

(१) गंगनहर एवं राजस्थान कैनाल में पानी की कमी से फसलों को पूरा पानी न मिलने से सम्बन्धित श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(२) कोटा जिले में शेरगढ़ बांध से गेहूं की फसल के लिए पानी न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(३) पाली जिले के ग्राम दाड़ाई में ६ अप्रैल, ७१ को एक व्यक्ति के मकान पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वीसिंह व श्री फूलचन्द बाफना, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(४) छोटी खाटू काण्ड के सम्बन्ध में अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार न किये जाने एवं गवाहान को डराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दो स्थगन प्रस्ताव, इस विषय पर पहले चर्चा हो चुकी है।

(५) पाली डाक बंगले में एक अधिकारी की विदाई के अवसर पर एक उपमन्त्री के आचरण के सम्बन्ध में श्री पृथ्वीसिंह, श्री विजयसिंह व श्री बालसिंह सोढा, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चत कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। इसके अलावा ये मामले संबन्धित मांगों पर विचार करते समय कटौती प्रस्तावों के जरिये भी सदन में उठाये जा सकते हैं। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री मदनसिंह : आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय अध्यक्ष महोदय पर भी प्वाइन्ट आफ आर्डर? अभी स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था समाप्त हुई है, तो भी प्वाइन्ट आफ आर्डर? उसके बाद बोलने की क्या जरूरत है। हर बात पर प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : अब भी किसी को रोकना हो तो यह प्वाइन्ट आफ आॅर्डर अच्छा हथियार है।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय ऐसा महत्वपूर्ण मामला जो माननीय सदस्यों ने रखा है।

Page No 49

श्री अध्यक्ष : नो प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री पृथ्वीसिंह : XXXX

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप ने इसको जानकारी करने के लिए रखा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी बहुत डिसिप्लिण्ड है फिर कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होते हैं। (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री पृथ्वीसिंह : XXXX

श्री अध्यक्ष : एक बात मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहूंगा, जब मैंने उसको अस्वीकार किया है तो उस पर चर्चा करें यह नियम के विरुद्ध है।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (श्री आर्य से) आपके पास तो नियमों का कोई मूल्य ही नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : XXXX

श्री मदनसिंह : XXXX

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

श्री जसराज : XXXX

मदनसिंह : ऑन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : It is a question of personal explanation.

श्री मदनसिंह : It has come through a Sthagan Prastav.

श्री विजयसिंह : XXXX

श्री रामानन्द अग्रवाल : XXXX

एक माननीय सदस्य : XXXX

श्री जसराज : XXXX

श्री दिग्विजयसिंह : XXXX

श्री जसराज : XXXX

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसको मैंने अस्वीकार किया है। स्थगन प्रस्ताव आया। जानकारी में रहा। तब भी जानकारी के दरम्यान में कुछ न कुछ माननीय सदस्य इस प्रश्न पर कहते रहे आज जब अस्वीकार कर दिया गया है मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि अस्वीकार करने के बाद इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य ने उठ कर जो बात कही, उससे स्थगन प्रस्ताव के कन्टेन्ट्स हैं उन पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ गया है। या तो उस प्रश्न पर माननीय सदस्य ने जो चर्चा उठाई, इस पर, अस्वीकृत प्रस्ताव पर, उसको मैं एक्सपंज कर दूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : थैंक यू।

श्री अध्यक्ष : अभी थैंक यू कहां हुआ।

और मैं माननीय सदस्य को पर्सनल एक्सप्लेनेशन का कोई मौका नहीं दूंगा। इसलिए इस प्रश्न पर चूंकि नियमों के विरुद्ध आपने भी चर्चा उठाई अस्वीकृत किये प्रस्ताव पर और उस आधार पर माननीय

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाले गये।

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन की कुछ पंक्तियां कहीं, इसलिए मैं दोनों ओर से हुई चर्चा को, आपके पाइन्ट ऑफ ऑर्डर को दृष्टिगत रखते हुए भी एक्सपंज करता हूं और आपके पर्सनल एक्सप्लेनेशन को भी एक्सपंज करता हूं।

श्री पृथ्वीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : अब नहीं चलेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : इसका मतलब यह है कि अजमेर नगर परिषद् के कर्मचारी ८-४-७१ से हो रही हड़ताल पर हैं और अजमेर के अन्दर कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, नालियों के साफ न होने की वजह से गन्दगी फैल रही है और वहां पर जो व्यवस्था है उससे स्थिति बदतर हो रही है। आज या कल वहां पर महामारी फैलने का डर है क्योंकि कन्जस्टेड एरिया है, आगरा की तरह अजमेर भी एक ऐतिहासिक नगर है। आप इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ करके अजमेर नगर की तीन लाख जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि बच्चे, विद्यार्थी और जनसंघ के कार्यकर्त्ता वहां पर सफाई में लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर लोगों के द्वारा मार पिटाई की जाती है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री भगवानदास शास्त्री : जो सफाई कर्मचारी हैं वह वहां सफाई नहीं करने देते हैं और अधिकारी बिल्कुल चुप बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भगवानदास शास्त्री ! स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे गृह मंत्रीजी से आश्वासन दिलाया जाए....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं अजमेर की जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी सुरक्षा की मांग करता हूं। गृह मंत्रीजी वहां पर पुलिस कर्मचारियों की व्यवस्था करें वहां पर पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर दें....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

श्री भगवानदास शास्त्री : आज स्थिति यह है कि जनता के ऊपर सभी ओर से प्रहार किया जाता है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय भगवानदास शास्त्री ! बड़ी मुश्किल है, आप भी उत्तेजित हो गये। आपने स्थगन प्रस्ताव मुझको दिया ...

श्री भगवानदास शास्त्री : वहां सफाई कर्मचारी अव्यवस्था कर रहे हैं। मुझको सूचना मिली है कि वहां स्थिति ला एण्ड ऑर्डर की पैदा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने निवेदन किया था कि समय के बाहर आया। मैंने कहा कि जानकारी यद्यपि मै आज ही प्राप्त कर लेता हूं, लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं है।

Page No 51

श्री भगवानदास शास्त्री : मैंने चर्चा नहीं उठाई।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, उत्तेजित होकर वापस बोलने लगे। नियमों का अर्थ क्या है ? ज्योंही स्थगन प्रस्ताव दिया और बहस प्रारम्भ, मैंने कहा जानकारी के लिए दिया, पर बहस, अस्वीकार हुआ, फिर बहस !

श्री भगवानदास शास्त्री : आप व्यवस्था कल दे दें, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कुछ करना चाहिए। वहां स्थिति गरम है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं, आपने जो श्री स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था फर्मायी वह शिरोधार्य है मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। कल फर्माया था, मैं जानकारी चाहता हूं, हम केवल यह जानकारी करना चाहते हैं कि आपने क्या जानकारी प्राप्त की ? इसके अलावा जो हमसे जानकारी प्राप्त की थी, उसके लिए मैंने कागज दे दिये थे, उसके आधार पर, जो फेक्ट्स मैंने रखे थे, उनके ऊपर क्या जानकारी की है। जब कि हमारे उप-मंत्री का ऐसा आचरण है, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे उप-मंत्री भी इस प्रकार से काम करेंगे, और राजस्थान के अन्दर बड़ी भयंकर समस्या पैदा हो जायगी। इससे जनता जनार्दन के अन्दर एक प्रकार से रोष फैलता है। इसके कारण निवेदन किया। हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप या तो मुख्य मंत्रीजी पर छोड़ दें, वह जानकारी पूरी प्राप्त करें, हम उन्हे फेक्ट्स देंगे और अगर फेक्ट्स वाजिब हैं तो उस पर उचित कदम उठायें। यह आश्वासन मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेरी जानकारी के अनुसार, जो तथ्य आपने दिये हैं, वह सही नहीं पाये गये। यही पर्याप्त होगा।

श्री विजयसिंह : यह कैसे मालूम हो गया कि सही नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं उस पर कोई......

श्री विजयसिंह : अगर वह गलत है तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लायें।

श्री दामोदरलाल व्यास : ला रहे हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है, अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है....

श्री विजयसिंह : गृह मन्त्री जी, शर्म आनी चाहिये।

श्री पृथ्वीसिंह : आपकी मार्फत सूचना मिली है कि सूचना के आधार पर तथ्य असत्य है इसलिये यह एडजोर्नमेन्ट मोशन अस्वीकार किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सदन के मेम्बर्स की एक कमेटी बनाई जाय और उससे आप इसकी इन्क्वायरी करवा लीजिये।

श्री जसराज : अध्यक्ष महोदय, अभी विजयसिंहजी प्रिविलेज मोशन की बात कर रहे थे, तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि मैं राइटिंग में प्रिविलेज मोशन दे रहा हूं।

श्री विजयसिंह : जरूर दीजिये, प्रिविलेज मोशन आयेगा तो मैं प्रूव करके बता दूंगा। अगर यह गलत था तो आप पीली क्यों दौड़े गये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन किया था अपने स्थगन प्रस्ताव के जरिये कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का सम्बन्ध गऊ से है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ) : मैं एक मिनिट अर्ज कर दूं। कृपा करके भारत सरकार से जोरदार शब्दों में आग्रह कीजिये कि इसको राष्ट्रीय पशु घोषित करें। कांग्रेस गाय और बछड़े के बल पर ही चुनाव जीत कर आई है और आज हजारों की तादाद में गायें कट रही हैं। अगर ऐसा रहा तो वह दिन आयेगा कि जब बैल और पाड़े खेती के लिये भी नहीं मिलेंगे, खाद नहीं मिल पायेगी, दूध नहीं मिलेगा। यह दुर्दशा होगी, इसलिये अर्ज किया...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री हरजीराम बुरड़क !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेटमेन्ट कल होगा ?

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं लाडनूं से मणु बाबा सुनारी, हीरावती ओडिट सड़क में आई हुई भूमि का मुआवजा संबंधित काश्तकारों को दिलाये जाने के बारे में याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लाभचन्द वैद !

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर में सूरजपोल दरवाजे के बाहर लक्ष्मीनारायण पुरी में पानी के नल, बिजली व सड़क निर्माण कार्य करने से सम्बन्धित चार याचिका देने वालों से हस्ताक्षरित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ! प्राक्कलन समिति के दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं:—

(१) परिवार नियोजन विषयक समिति का १७वां प्रतिवेदन।

(२) राजस्व विभाग विषयक समिति का २०वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री शंकरलाल, श्रीमती मदनकौर, श्री जयनारायण सालोदिया, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री देवीदत्त गाड़िया जालोर, बाड़मेर तथा गंगानगर जिलों में बाजरे का भाव गिरने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका स्टेटमेन्ट आ गया मथुरादासजी का अखबार में।

श्री भैरोंसिंह : मैं जानकारी चाहता हूं कि आज स्टेटमेन्ट होगा क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज ही इण्डस्ट्री के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : आज नहीं।

Page No 53

श्री रामानन्द अग्रवाल : डेट मुकर्रर कर दें।

श्री अध्यक्ष : मालूम हो जायगी। कल जो होने वाला था उससे मतलब था।

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा, इसलिये स्थगित किया। आज दूसरा आ गया। कल ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेटमेन्ट हो उसके बारे में पहले से सूचना मिल जाय कि इस विषय पर मन्त्री महोदय स्टेटमेन्ट देंगे।

श्री अध्यक्ष : पहले से सूचना दे देंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाजरे के गिरते हुये भावों के संबंध में

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान में इस वर्ष खरीफ की फसल में बाजरे की काफी अच्छी फसल हुई है, परन्तु इस वर्ष ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माथुर साहब का स्टेटमेन्ट आ गया अखबारों में।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कुछ नहीं है।

परन्तु काश्तकारों का दुर्भाग्य है कि पिछले तीन-चार साल के भयंकर अकाल के बाद प्रथम बार खरीफ की फसल अच्छी हुई है, लेकिन एक तरफ फसल चाहे बाजरे की अच्छी हुई हो लेकिन दूसरी तरफ बाजरे के भाव बहुत नीचे गिर गये हैं। भारत सरकार ने यह गारन्टी दी थी कि खरीफ की फसल ४५ रुपये प्रति क्विन्टल की मिनिमम प्राइस से भी नीचे भाव गिर जायेंगे तो राज्य में जितना अनाज होगा वह खरीद लेंगे। उस गारन्टी के बाद दुबारा इस सदन में इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों द्वारा और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों द्वारा भाव निर्धारित करने की जब बात आई थी उस समय यहां की सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया था कि पिछले अकाल के समय के अन्दर बहुत कीमत लगा कर बहुत मंहगी फसल लोगों ने पैदा की है, इसलिए वाजिब भाव काश्तकारों को मिलने चाहिये। उस पर मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि इस साल ५५ रुपये प्रति क्विन्टल से ज्यादा प्रोक्योरमेन्ट प्राइस फूड कॉर्पोरेशन के जरिये से बफर स्टाक बनाने के लिए खरीद की जायगी और उसके भाव ५५ रुपये प्रति क्विन्टल के होंगे। उस समय सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि ५५ रुपये प्रति क्विन्टल कम होगा क्योंकि अकाल के बाद में मनी लैण्डर से पैसा लेकर काश्तकारों ने बीज मुश्किल से प्राप्त किया है और काश्त की है। अब उपज के भाव कम हों, तो उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि ५५ रुपये प्रति क्विन्टल में राजस्थान सरकार फूड कॉर्पोरेशन के जरिये खरीद कराना चाहती है तो उसकी उचित व्यवस्था हो, बाजार में भाव नीचे आयें उससे पहले खरीद की जानी चाहिये। राजस्थान विधान सभा का जब सत्र शुरू हुआ था उस समय एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश किया था, काल अटेंशन नोटिस दिया था, जो आज डिस्कशन में आया है।

तीसरे अध्यक्षजी, सांचोर के लोग आपसे मिले, मथुरादासजी माथुर के पास आये थे, तो आपने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही दो-तीन दिन में अनाज खरीदेंगे और व्यवस्था कर देंगे, परन्तु जानकारी की तो दुःख हुआ कि अभी तक जालोर, भीनमाल, सांचोर में खरीददारी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इसके अलावा बाड़मेर में चोहटन बालोतरा वगैरह में अभी खरीददारी की व्यवस्था नहीं हुई है। आपको मालूम है कि बाजरा पकने के बाद सितम्बर में बरसात हुई, बाजरा जो खड़ा था, बरसात पूरे जालोर में हुई थी? बाड़मेर में भी हुई थी, उस बरसात से दाने पर थोड़ा सा ऊपर से काला सा नजर आता है और उस आधार पर भारत सरकार की तरफ से खाद्य निगम वालों को कुछ सेम्पुल्स भेजे और डाक्टर पिंगले ने रिपोर्ट दी यह बाजरा बिल्कुल खराब

(१२.२३ म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

हो जाएगा, ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल नहीं होगा इस आधार पर बाजरा खरीदना उचित नहीं। उसकी रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने यह मान लिया कि इस तरह का बाजरा नहीं खरीदेंगे। उसका नतीजा यह हुआ कि जो भाव ठीक ढंग से चल रहे थे लेकिन जब इस तरह का बाजरा, विशेष तौर से सांचोर तहसील के बाजरे के बारे की रिपोर्ट दी थी कि १०० में से ४८ दाने खराब नजर आते हैं। ऐसी हालत में यह रिजेक्टेड बाजरा है। परन्तु आपको मालूम है कि बाजरा ३-४ साल लगातार अकाल के वर्षों में जो सड़ा गला कोठारों में बन्द पड़ा था, वह अकाल के वर्षों में लेबरर्स को बांटा गया और १००) प्रति क्विंटल बाजरे की भी हमने मांग की थी कि अकालग्रस्त क्षेत्रों में बाजरा उपलब्ध कराया जाए। परन्तु राज्य सरकार के पास इसका स्टॉक नहीं था न फूड कॉर्पोरेशन के पास और उस समय में लाल जवार सड़ी गली वर्षों से पड़ी थी उसको ले जाकर मजदूरों में बांटा और काश्तकारों ने इस तरह की जुआर खाई।

फूड कॉर्पोरेशन वाले समझते होंगे कि काला बाजरा है, ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल नहीं होगा परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि उन्होंने कहां शिक्षा ग्रहण की है और उनको ग्रामीण क्षेत्रों का ज्ञान ही नहीं था, कॉमनसेंस की बात है कि गांव में अगर पहली बार बाजरा पैदा हो, पहले पुराना बाजरा कहीं उपलब्ध नहीं है और इस तरह का सड़ा हुआ बाजरा हो जिसके अन्दर न्यूट्रीटिव वेल्यू नहीं हो तब तो लेबोरेटरी में एग्जामिन करायें परन्तु उन्होंने किन तथ्यों पर रिपोर्ट दी सिर्फ सुपरफ्लूएस वे में। लोगों को सुनकर हंसी आती है कि पढ़े लिखे लोग कैसे सोचते हैं। तो जो रिपोर्ट दी गई है, काश्तकारों के साथ घोर अन्याय किया है और लोगों की पीठ में छुरा भोंका है तो राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और खाद्य निगम के जो कर्मचारी हैं या निगम है ये एन्टी काश्तकार दीखते हैं जब भी खरीददारी का सवाल आता है, पिछले दो सालों में यह कहा गया, अलवर की बात कही गई, सुमेरपुर की बात कही गई, सुमेरपुर व सांचोर की कही गई, मैंने खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। खाद्य निगम वालों को ५) प्रति क्विंटल या किसी तरह का मार्जिन दें, पैसा दें तो क्वालिटी पास करते हैं। यह तथ्य है। मैं जनरल मैनेजर से मिला और उनका ध्यान आकर्षित किया। उनके क्वालिटी इन्सपेक्टर लॉ-स्तर के कर्मचारी होते हैं। वे गांवों में जाते हैं, कलेक्टर की सुनते नहीं हैं न जिला रसद अधिकारी की। हम बात करते हैं तो कुछ भी नहीं सुनते हैं। ऐसी हालत में काश्तकार मजबूर होकर

Page No 55

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लोकल ट्रेडर्स को बहुत ही कोड़ियों के भाव बाजरा बेचता है। सांचोर में कुल मिलाकर करीब ५०० क्विंटल के आसपास बाजरा खरीदा गया है और क्वालिटी पास करके ५०-५५ के बीच में खरीदा है लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा बाजरा व्यापारियों ने पहले ३३) रु० तक खरीदा था और ५२ में वापस खाद्य निगम ने ले लिया और क्वालिटी पास कर दी। इसके अलावा भीनमाल में १६०० क्विंटल खरीदा है और वहां की क्वालिटी और सांचोर की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। भीनमाल नगरपालिका के सदस्य हैं सोमतमल, जिला कांग्रेस कमेटी के भी सदस्य हैं, उनकी तरफ से और काश्तकारों की तरफ से तार गए हैं रिश्वत के बारे में ५) रु० काश्तकार रिश्वत देता है तो क्वालिटी पास कर देते हैं, वरना रिजेक्ट कर देते हैं। मौके पर कलेक्टर आए। कलेक्टर से काश्तकारों का डेप्युटेशन मिला। उन्होंने खाद्य निगम के क्वालिटी इन्सपेक्टर को बुलाने की कोशिश की परन्तु वह नहीं आया तो कलेक्टर ने आदेश दिया कि मेरे बसका रोग नहीं है; मैं डी० एस० ओ० को भेजूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी व्यवस्था हो तो कलक्टर खुद परेशान हो गए क्योंकि उनका खाद्य निगम पर कोई बस नहीं चलता। ऐसी हालत में मौके पर मंडी में क्वालिटी इन्सपेक्टर जाता है, उनके द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। मान लो पैसा मिला तो व्यापारियों के मारफत पहले खरीदते हैं, फिर वही बाजरा खुद ले लेते हैं। यह वस्तुस्थिति है। इससे साफ जाहिर होता है कि यदि राज्य सरकार का खाद्य निगम पर कुछ भी अंकुश नहीं होगा। तो किसान बराबर लुटता रहेगा इसलिए यदि लोकल एडवाइजरी कमेटी, जिसमें स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि हों और तहसीलदार हो, बनाई जाए तो काश्तकारों को राहत मिल सकती है वरना खाद्य निगम अपनी मर्जी के अनुसार प्रोक्योरमेंट करता है और काश्तकारों को नुकसान हो रहा है।

इस साल बालोतरा में भाव काफी ऊंचे थे। सबसे नीचे भाव राजस्थान में तहसील सांचोर में बाजरे का है। वहां काश्तकारों ने जो छुटकर में बाजरा दिया है १९-२० रु० प्रति क्विंटल दिया है।

माथुर साहब वहां होकर आए थे, लोगों से बात की थी और बाजरा लेकर बताया था। वहां असिस्टेंट मैनेजर टेक्नीकल आए थे उनसे कहा कि इतने फर्स्ट क्लास बाजरे को कैसे रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह कहां से ले आए, हमारे पास तो खराब आया था। तो इस तरह गलत सैम्पुल्स भेज देते हैं। जालोर में भाव ऊंचे होते हुए भी सबसे ज्यादा मात्रा वहां से खरीदी है। कलेक्टर ने लिखा है कि सांचोर से क्यों नहीं खरीदा था। कारण यह था कि जालोर में उनको प्रति क्विंटल काफी पैसा मिलता था। इसलिए जानबूझकर वहां बाजरे का भाव ठीक होते हुए भी खरीदा। ४०-३५ पहले ही था, उसके बावजूद भी खरीदा। काश्तकारों से एक भी बोरी नहीं खरीदी। ऐसी हालत में कलेक्टर ने मजबूर होकर राज्य सरकार को सख्त रिपोर्ट लिखी। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जालोर में जो बाजरा है, भीनमाल में है, सांचोर में है। खाद्य निगम ने जो बाजरा खरीदा वह ५२ से ५५) में खरीदा। उस बाजरे का सैम्पुल अलग-अलग देखा तो काश्तकारों का जो बाजरा है वह उससे अच्छा है, परन्तु वह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

क्वालिटी उन्होंने पास कर दी। इस बारे में राज्य सरकार को खाद्य निगम की तरफ से खरीददारी करवानी चाहिए कि जो बाजरा आपने पास करके खरीदा है उसकी क्वालिटी अच्छी कैसे बताई जब क्वालिटी वही की वही है। ऐसी हालत में साफ जाहिर है कि खाद्य निगम के जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचते नहीं, बैठे-बैठे देखते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसी हालत में काश्तकारों का शोषण होता है। कलक्टर ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है उसके तथ्य राज्य सरकार के सामने पढ़कर सुनाता हूं, यदि सरकार की आंख खुल जाए ....

श्री मदनसिंह : किस की आंख खुल जाए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्रियों की। खाद्य निगम के कर्मचारियों की आंख खुल जाए। सरकार की तो निगम वाले मानते नहीं, परसरामजी ने माथा फोड़ा उनकी चलती नहीं। कलेक्टर ने लिखा है :

"निवेदन है कि दिनांक २३-३-७१ को मैंने सांचोर पहुंचकर बाजरा कूंत करने के संबंध में जानकारी करने हेतु खाद्य निगम के क्वालिटी निरीक्षक एवं एजेन्ट के बारे में जानकारी की तो पाया गया कि दोनों १० दिनों से अनुपस्थित हैं, प्रायः लोग शिकायत कर रहे थे कि खाद्य निगम का निरीक्षक वहां पर नहीं रहता है। इस वजह से वहां पर बाजरा बहुत कम खरीद हुआ है। बाजरा की आवक मंडी में इस सप्ताह दिनांक १६-३-७१ से २२-३-७१ तक निम्न प्रकार रही है। कुल ९६२ क्विंटल बाजरा बाजार में खरीदा है, औसतन १४० क्विंटल प्रतिदिन बाजार में बाजरा आ रहा है।" यह रिपोर्ट दी है कलेक्टर ने। जांच की तो पता चला कि ज्यादा माल है। आगे लिखा है अपनी रिपोर्ट में :

"(१) ऐसा लगता है कि निरीक्षक स्थानीय व्यापारियों से मिला हुआ है। किसानों का कम दाम पर व्यापारियों को बाजरा मिल जावे इसलिये वह प्रायः शत-प्रतिशत माल को रिजेक्ट कर देता है, नहीं तो कोई कारण नहीं कि कुछ भी अंश में बाजरी अच्छी न हो। अतएव इसको फौरन हटाया जाना उचित होगा।

(२) एजेन्ट द्वारा रकम की पूर्ण व्यवस्था न करने से यह भी कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है।

(३) जो माल यहां खरीद किया है वह गोदाम बन्द होने से नमूना उपलब्ध नहीं है लेकिन बाजरा तो बहुत अच्छा मंडी में आ रहा है फिर क्या कारण है कि वह बाजरी अब लेने से मना करता है।

(४) सांचोर में कृषि उपज मंडी नहीं है और अगर यह कायम हो जावे तो बहुत सी दिक्कत कम हो सकती है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करवाने की कृपा करावें।

(५) हालांकि बाजरी पकते वक्त इस क्षेत्र में वर्षा हो गई थी और उस वजह से बाजरी का रंग कुछ मटमैला हो गया है लेकिन बाजरा का स्वाद एवं सुगन्ध आदि में कोई फर्क नहीं है। ऐसी अवस्था में डिस्कलर्ड

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिबन्ध, को फेयर एवरेज क्वालिटी के फार्मूले में से हटा दिया जाना चाहिये अलबत्ता यदि बाजरा में कूड़ा कचरा हो तो बाजरा छनवा कर लिया जा सकता है। कलर का तो एक ऐसा बहाना निरीक्षक को मिल गया है कि उसकी आड़ में न तो किसानों को लाभ हो रहा है और न सरकार का क्रय करने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी हमने खाद्य विभाग एवं जनरल मैनेजर खाद्य निगम, जयपुर रीजनल मैनेजर खाद्य निगम जोधपुर को निवेदन किया है और यह भी लिखा है कि यदि सरकार ने क्रय का उचित प्रबन्ध नहीं किया तो किसानों को १५) रु० २०) रु० प्रति क्विन्टल की नीची दर से बाजरी बेचनी पड़ेगी।

अतः निवेदन है कि इस सम्बन्ध में आप आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करावें।

इस प्रकार उन्होंने डी. एस. ओ. की रिपोर्ट लेकर वायरलेस मेसेज दिया। निरीक्षक से क्वालिटी का सेम्पल मांगा डी.एस.ओ. ने कहा कि उनसे मैं ज्यादा डिग्री पास हूं। वो कहता है कि हमारी बात मानी जावेगी और आपकी नहीं। फूड कॉर्पोरेशन और क्वालिटी इन्सपेक्टर की धांधली के कारण बाजरी की खरीद उनके द्वारा नहीं हो रही है इसलिये राज्य सरकार को इसमें ठोस निर्णय लेकर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये जिससे के बाजरी मंडियों में खरीदी जा सके और उसके भाव जम जांय। इधर काश्तकारों से रिकवरी हो रही है। चारों तरफ से उनके सर पर वसूली की कार्यवाही हो रही है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये राजस्थान सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो भी निर्णय किया है इस सम्बन्ध में इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिये। चार पांच और अधिक मंडियों के लिये कलेक्टर ने लिखा है। सांचौर में पहले हुंडियां थी। अब बाजरी का बफर स्टाक बना कर रखना चाहिये। तीन-तीन चार-चार साल तक बाजरी काश्तकारों के पास रहने पर भी नहीं बिगड़ती है। कार्पोरेशन वालों को फालतु भय हो रहा है। किसान तो कहते हैं कि वही बाजरी हमको बीज के रूप में देदें भाव में दे दीजिये हम लेने के लिये तैयार हैं। उनके सामने समस्या है कि किस प्रकार उनको बाजरी के उचित भाव मिले क्योंकि उनको सरकारी वसूली चुकानी है, तकावी, लगान आदि इसी कारण से वे बाजरी को रख नहीं सकते हैं और उनको मजबूरी हालत में ही निकालना पड़ रहा है। इसलिये शीघ्र ही राज्य सरकार उनकी मदद पर आवे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री विश्नोई साहब ने बाजरे के भावों के गिरने के बारे में अपने विचार रखे। मैं भी इस सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। अकाल के समय में बाडमेर जिले में, जालोर, जोधपुर डिविजन में किसानों ने १०५) और ११०) रुपये क्विन्टल के भाव से बाजरा खरीद कर बोया। जोधपुर डिविजन में अच्छी बाजरी हुई, बाडमेर जिले में अच्छी बाजरी हुई। बाजरी की पैदावार हुए तीन महीने हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जिससे किसानों को राहत मिल सके। किसानों से तीन महीनों से लगातार वसूली हो रही है,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बिघोड़ी की वसूली हो रही है, स्पेशल बेटर-मेन्ट की वसूली हो रही है, कोआपरेटिव की वसूली हो रही है और तकावी की वसूली हो रही है और उन सबके लिये किसानों को सस्ते भाव में बाजरा देना पड़ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने ४५ रुपये क्विन्टल मिनिमम रेट फिक्स की बाजरी के लिये तो फिर राजस्थान सरकार ने तीन महीने में क्या कदम उठाये ? मुझे जहां तक जानकारी है राजस्थान सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं। राजस्थान सरकार खरीद सकती थी । पंजाब में स्टेट ट्रेडिंग का कार्य शुरू किया। राजस्थान सरकार पार्शियल ट्रेडिंग का कार्य शुरू कर सकती थी लेकिन राजस्थान सरकार ने वह काम नहीं किया।

श्री दौलतराम सारण : वह समाजवादी सरकार थोड़े ही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फूड कार्पोरेशन पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके उन पर नियन्त्रण के लिये अधिकार लें। ताकि नियन्त्रण कर सकें। उन पर नियन्त्रण नहीं होगा तो यह स्थिति साफ है कि जहां पर एजेन्ट्स मुर्रर्क हुए हैं, आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो मालूम होगा कि वे ही बिजनिसमैन हैं और एफ. सी. आई. की गुटबन्दी से वे किसानों की हालत बुरी से बुरी कर देंगे। उनका कोई भी दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि किसानों को राहत मिल सके। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ८) १०) और कहीं २६) रुपये एजेन्ट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं और वे ३६) और ३८) में खुद खरीदते हैं और फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया से ५२) ५३) और ५४) रुपया चार्ज करते हैं। एजेन्ट्स बहुत लाभ उठा रहे हैं और क्या राजस्थान सरकार उनको कन्ट्रोल कर सकती है ? कार्पोरेशन के लिये कोई कदम उठा सकती है। जब तक कोई व्यवस्था राजस्थान गवर्नमेन्ट नहीं करती अब जब तक कोई सरकार परचेज करने की कोशिश नहीं करती फूड कार्पोरेशन पर नियन्त्रण नहीं कर सकते तब तक हालत नहीं सुधर सकती। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि वसूली को स्थगित कर दें। आप बिघोड़ी की जो वसूली कर रहे हैं उसे स्थगित करदें स्पेशल ग्रेटीच्युअस की तथा तकावी की वसूली स्थगित करदें ताकि किसान को बहुत ही सस्ते भाव पर अपना बाजरा बाजार में बेचकर चुकाने को बाध्य न होना पड़े।

पिगले साहब की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया। केवल यही ऑथोरिटी नहीं है। राजस्थान सरकार के पास अपने एक्सपर्ट भी हैं। जालोर और बाड़मेर का बाजरा बहुत दूर-दूर तक मशहूर है। बरसात आखिर में पड़ने से थोड़ा काला जरूर हो गया है। बहुत अच्छी तरह से खाने लायक है। बाड़मेर, जालोर और जोधपुर जिलों का बाजरा भारत भर में अच्छा गिना जाता है। बम्बई, सौराष्ट्र, गुजरात सभी की डिमाण्ड इस बाजरे के लिये है। काफी दिन तक यह सुरक्षित भी रह सकता है। तो मार्केट में इसकी खपत की कठिनाई की बात कहना गलत है।

राजस्थान के एक्सपर्ट हैं फिर । वे एग्जामिन करलें। यह स्टोर करने पर दो तीन साल रह सकता है। अगर राजस्थान सरकार के एक्सपर्ट इसे ठीक मान लेते हैं तो राजस्थान सरकार को ही परचेज कर लेना चाहिये।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

फिर यह स्थिति तो यहां है ही कि हर दूसरे तीसरे साल अकाल आता ही रहता है और अकाल से समय बाजरे की बहुत मांग रहती है। ६८-६९ के अकाल में भी बाजरा मिला ही नहीं, ऐसी ज्वार खानी पड़ी कि बीमारियां पैदा हो गई। तो इस दृष्टि से भी ऐन मौके पर मदद दी जा सके, सरकार को स्वयं को स्टोर करने का प्रयास करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आप बाजरे को बिकवाने के लिये अकाल को बुलावा तो न दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तो प्रकृति की देन है। इसे कौन बुलाता है और कौन रोक सकता है। यह तो क्षेत्र सदा से ऐसा ही रहा है, पिछले इतिहास को देखते हुए मैं तो केवल उस इतिहास की बात को ही दोहरा रहा हूं। भगवान करे कि कभी अकाल आवे ही नहीं, पर वस्तु स्थिति से आंखे भी तो नहीं मूंदी जा सकतीं।

फिर इस साल भी कुछ इलाकों में अकाल है ही। तो सरकार को स्वयं को यह बाजरा खरीद कर रख लेना चाहिये। इतना कहकर में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले यह हम सभी चाहते हैं। सरकार ने इसके लिये मूल्य निर्धारित किये। ४५) के भाव निर्धारित किये। पर बाजरा आज खुले मार्केट में २९) ३०) बिक रहा है। इससे स्पष्ट है कि सरकार अपनी नीति को क्रियान्वित करने में असफल रही है। यह प्रश्न नीतियों का भी है।

राज्य सरकार जहां एक ओर लोकतन्त्र प्रणाली के रास्ते समाजवाद का नारा देकर स्टेट ट्रेडिंग में जाना चाहती है पर आप भी उन्हीं व्यापारियों से सांठ गांठ करके चलना चाहते हैं जो बेसिकली आपको फेल करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के खातिर।

श्री उपाध्यक्ष : फेल कर दिया।

श्री शंकरलाल : यही मैं कह रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : यह तो अपनी-अपनी गरीबी को दूर करने का इलाज किया है। आज इस सरकार की कथनी और करनी का यह फल है कि कपड़े की मिल वालों के उत्पादन का तो एक रुपया का दो रुपया हो गया और गांव के गरीब किसान के उत्पादन का एक रुपये का आठ हो आना रह गया। यह समाजवादी नारे का पहला पुरस्कार है इन तथाकथित समाजवादियों के हाथों जनता को।

श्री शंकरलाल : तो ये बिचौलिये बहुत अरसे से चले आ रहे हैं।

७०/७१की रिपोर्ट में सरकार के खाद्य विभाग ने बताया कि उसने १०० सेन्टर कायम किये हैं। सीधे मोटा अनाज निर्धारित भावों पर खाद्य निगम द्वारा किसानों से खरीदने की व्यवस्था की गई है। और बाजरा ८५४८१ टन, मक्का ६७३८ टन और ज्वार ३५२ टन एकत्रित हो चुकी है। किसान को अपने उत्पादन का वाजिब मुल्य मिलने की आशा बन्ध गई है। यह राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है।

पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, किसान को अपने उत्पादन का वाजिब मुल्य इस फूड कारपोरेशन ने भी

(श्री शंकरलाल)

नहीं दिया है इस फूड कारपोरेशन ने भी बिचोलियों से मिलकर किसान को चूंसा है। फूड कारपोरेशन भी इन किसानों का शोषण बिचोलियों से मिलकर करता है । इन बिचोलिये दलालों की एजेन्ट्स के नाम पर फूड कारपोरेशन से सांठ-गांठ रहती है और जिसमें भ्रष्टाचार होकर फूड कारपोरेशन वालो का भी और उन एजेन्टों का भी हिस्सा होता है।

प्रश्न यह है कि ये एजेन्ट के भेष में बिचोलिये व्यापारी और फूड कारपोरेशन वाले दोनों मिलकर सरकार की और जनता की सभी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और एक तरह से क्रिमिनल आफेन्स तक कर रहे हैं। राज सरकार की नीति है कि किसान से गल्ला सीधा खरीदा जाय । पर जनता जानती है, माननीय सदस्य जानते है, एक एक बच्चा बच्चा जानता है और स्वयं राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के जागरूक लोग भी जानते हैं अनुभव करते हैं कि ये फूड कारपोरेशन के आदमी सीधे किसान से नहीं खरीद कर बिचोलियों से खरीद करते हैं और रसीद काटी जाती हैं किसानों के नाम। यह तुर्रा ऊपर से और। सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने में अपने आपको असमर्थ पा रही है। होता क्या है जिस दिन बाजार में किसान अधिक अनाज लेकर आ गया तो कोई भी बहाना लेकर कि आज पेमेन्ट नहीं आया, बाकी आज गोदाम में जगह नहीं है, ले जाने के साधन नहीं है, फूड कारपोरेशन वाले उस दिन गल्ला नहीं खरीदते ऐसी स्थिति में किसान अपना लाया हुआ अनाज वापस ले जाने से मजबूर होता है और जिस किसी तरह कुछ कम रेट पर सौदा ते करके बिचोलिये एजेन्ट को ही बेच जाता है वह बिचोलिया एजेन्ट दूसरे दिन उन्हीं किसानों के नाम से रसीदें तैयार रखता है और कारपोरेशन के नाम पर उनको दिखाकर कारपोरेशन को बेच देता है और बीच में जो रेट में फर्क रहता है वह दोनों मिलकर बांट कर खा जाते हैं। यह भ्रष्टाचार कई तरह से चलता है । तो ये सरे आम जिस तरह का भ्रष्टाचार ये कारपोरेशन वाले बिचोलिया एजेन्ट व्यापारियों से मिलकर चला रहे हैं और जिसे सरकार रोक नही पा रही है यह सरकार के लिये बहुत बड़ी लज्जा की बात है। राजस्थान सरकार चाहे तो फूड कारपोरेशन के अधिकारियों और व्यापारियों की इस मिली भगत से होने वाले भ्रष्टाचार को रोक सकती है और इन सभी को सजा दिला सकती है क्योंकि यह काम उसकी स्टेट बाउन्ड्री में होता है । ये गरीब किसान के साथ उसके उत्पादन के साथ खिलवाड़ करते हैं । सरकार इस भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकती, उन अधिकारियों को और व्यापारियों को सजा नहीं दे सकती यह समझ में नहीं आता । फूड कारपोरेशन वाले चाहे भारत सरकार के आदमी हों या किसी के भी हों राज्य सरकार को सीमा में अगर किसी भी प्रकार का जुल्म या जुर्म करते हैं, जो कि एक तरह से जुर्म ही हैं यह, तो उसे निश्चित रूप से पकड़ सकते है और सजा दे सकते हैं। राज्य सरकार को कड़ाई से इस बारे में कदम उठाने चाहिये। आप यह भी कह सकते हैं कि फूड कारपोरेशन को बिलकुल बन्द कर दीजिये, सरकार कह दे कि हम उनके मार्फत नही खरीदना चाहते। इसमें तो भ्रष्टाचार होता है। तो स्टेट ट्रेडिंग को मारने वाले स्टेट ट्रेडिंग को आज संचालन करने वाले लोग स्वयं हैं ये व्यापारियों से मिलकर

(श्री शंकरलाल)

इस स्टेट ट्रेडिंग को बदनाम करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं।

अगर उनको एजेन्ट ही मुकर्रर करना है और एजेन्टों के बिना सीधा वे खरीदना नहीं चाहते, बिचोलियों के बिना उनके पास कोई राह नहीं है, तो वे मार्केटिंग कॉपरेटिव सोसाइटियों के मार्फत खरीद सकते हैं। केवल यह करने से अब काम नहीं चलेगा कि यह सारा मामला फूड कारपोरेशन का है और वह केन्द्रीय सरकार का संगठन है, इसलिये हम इसमें बीच में कुछ बोल नहीं सकते। यह सही है कि फूड कारपोरेशन सीधा आपके नियंत्रण में नहीं है। पर आपके राज्य में खरीदारी तो करते हैं और आपके राज्य में ही व्यापारियों से मिलकर भ्रष्टाचार तो करते हैं, क्या आप भ्रष्टाचार को भी पकड़ने संकोच करते है और भ्रष्टाचार की सजा चाहे कोई भी हो करने वाला उसको भुगताने के आपके कर्तव्य से भी हटना चाहते हैं ? फूड कारपोरेशन अगर ज्यादतियां करता है, किसान को धोखा देता है, व्यापारियों से एजेन्टों से, और बिचोलियों से मिलकर लूटता है तो इसकी सजा निश्चित रूप से सरकार उनको दे सकती है। इसलिए अब प्रश्न यह है कि इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जावे, किसानों के साथ होने वाले इस अन्याय को कैसे दूर किया जावे। स्टेट ट्रेडिंग में जो यह घुन लग गया है और स्टेट ट्रेडिंग में को यह घुन जिस तरह से बदनाम करने पर स्टेट ट्रेडिंग के अधिकारिगण ही स्वयं तुल गये हैं, इसको कैसे रोका जावे। यह योजना केवल सरकार के लिये ही आवश्यक नहीं है, सबके लिये आवश्यक हो गया है, जो समाजवाद में और स्टेट ट्रेडिंग में विश्वास रखने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस स्टेट ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिये कहा गया कि किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करना है और राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उचित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करना, उनको स्टोर करना तथा उनको विक्रय करना ताकि बाजार में बढ़ते भावों पर नियन्त्रण किया जा सके।

बाजार के बढ़ते भावों को नियन्त्रण में रखना, किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य देना यह जिम्मेदारी आपकी रिपोर्ट के अनुसार आपकी है। सरकार ने अपने ऊपर ले रखी है। इस जिम्मेदारी को निभाना आपका कर्तव्य है। पर अभी तो इस पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि आर्थिक व्यवस्था में जहां डिमाण्ड और सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है। जहां अनाज अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा वहां प्राकृतिक रूप से भाव नीचे गिरता है और उत्पादन कम होता है अनाज की और मांग अधिक है तो भाव ऊंचे जावेंगे। अब इस चीज को सब जानते हैं। आज काफी लम्बे अकाल की स्थिति से गुजरने के बाद इस वर्ष किसान को अच्छी फसल मिली है। उसे इस उपज से अपना पुराना सारा कर्जा चुकाना है अपने भरण पोषण जितना अपने पास रखना है, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा सरकारी ऋण आदि भी चुकाना है। सरकार के लगान की वसूली ही नहीं, तकावी की वसूली, सहकारी समितियों की वसूली, और दूसरे-दूसरे प्रकार की वसूली और इसके साथ-साथ उसका ब्याज,

Page No 62

(श्री शंकरलाल)

इसके अलावा विवाह-शादी और दूसरे प्रकार के खर्चे, सब प्रकार के खर्चे, आज दिन तक सरकार से कर्जा लिया, और दूसरे लोगों से कर्जा लिया अकाल को मीट आउट करने के लिये, अकाल का सामना करने के लिये कर्जा लिया, उस सब को वापिस देने के लिये सब प्रकार के साहूकार आज किसान के सामने खड़े हैं और किसान धान बेच कर उसको चुकाना चाहता है। इसलिये इस बात को आपको देखना पड़ेगा। यह सोचना है राज्य सरकार को। राज्य सरकार दो किस्तों में वसूली करना चाहती है। अभी राज्य सरकार ने १० जनवरी को एक सरक्यूलर निकाला है और उसके अन्दर दूसरे प्रकार की जितनी वसूलियां है और उन वसूलियों के ऊपर ब्याज ज्यों का त्यों रखा है और पंचायत समितियों ने भी वसूलियों के नोटिस निकाले हैं। एक प्रकार से वसूली लेने वाले आदमी चारों ओर से किसान के ऊपर खड़े हो गये हैं और उसको चुकाने के लिये वह अनाज को बाजार में ला रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इस रिकवरी के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा और सरकार को चाहिये कि वह एक दम से सभी वसूलियां न करें....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य !

श्री शंकरलाल : वसूलियां एकदम न हों तो उनको बाजार में एकदम जल्दी-जल्दी धान नहीं लाना पड़ेगा और बाजार में जब धान ज्यादा सप्लाई नहीं होगा तो भाव नहीं गिरेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के सैंकड़ों और लाखों गरीब किसानों....

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें माननीय सदस्य !

श्री शंकरलाल : उनके जीवन का प्रश्न है। यदि अनाज के भाव गिरते जावेंगे तो लोगों के अन्दर जो एक उत्साह पैदा हो गया है अधिक अन्न उपजाने के लिये, वह उत्साह किसानों का समाप्त हो जायेगा और किसानों की सारी इकोनोमी खत्म हो जायेगी। इसलिये अनाज के भावों के अन्दर कन्ट्रोल करने के लिये राज्य सरकार को गम्भीर रूप से चिन्तन करना चाहिये और इसके लिये मजबूत कदम उठाने चाहियें और जो बिचौलिया है, फूड कार्पोरेशन के जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सजा देने के लिये भी कदम उठाये जाने चाहिये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर !

(अनुपस्थित)

श्री जयनारायण सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय ! बाजरे के भाव के सम्बन्ध में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो फैक्ट सदन के सामने रखे है, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। जब किसान बीज के लिये बाजरा खरीदने के लिये पंचायत समिति और सरकार के पास गया था तो वह बीज का बाजरा उसे ६-७ रुपया किलो बाजरा का बीज उसको दिया गया था। वही बाजरा लेकर किसान अगर बाजार में जाता है तो उसको ३० रुपये २५ रुपये क्विन्टल के हिसाब से खरीदा जाये और वह भी सरकार के माध्यम से खाद्य निगम की मारफत से खरीदा जाये, इतनी ढिले से खरीदा जाये और फिर उसको भी अयोग्य घोषित कर

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दिया जाये तो इस तरह से किसान को मजबूर होकर बाजार में बेचना पड़ता है। तो यह किसान के विपरीत सरकार की नीति है यह मैं मानूंगा। एक तरफ तो सरकार किसान को खुशहाल रखना चाहती है, इसके लिये समाजवाद का नारा देती है और दूसरी तरफ उनकी सब से बड़ा जो मदद करनी चाहिये, जहां उनकी मदद करने का प्रश्न आता है, उसकी काश्त को बेचने और खरीदने का प्रश्न आता है....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये कभी किसान की भलाई नहीं चाहते हैं। ये अपने खुद की भलाई करना चाहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं इनकी गलत नीतियों के बारे में ही निवेदन कर रहा हूं।

यह सरकार की दोहरी नीति है। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार करती क्या है और कहती क्या है। इसका राजस्थान की हर मण्डी और बाजारों में प्रदर्शन हो रहा है। सरकार की भावना क्या है। क्या सरकार किसान विरोधी नीति रखती है। इस सरकार की इन नीतियों का प्रदर्शन हर मण्डी, हर बाजार में पूरी तरह से हो रहा है और यह स्पष्ट है कि किसान विरोधी और किसानों को खतम करना चाहती है यह सरकार। सरकार के सामने तो प्रश्न सिर्फ वोट मात्र रह जाता है। येन केन प्रकारेण सरकार उनसे वोट केच करना चाहती है। उनकी भलाई के लिये इसके पास कोई नीति, कार्यक्रम नहीं है। हर मण्डी, हर बाजार में सरकार की नीतियों का प्रदर्शन खुले आम हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य निगम बाजरा खरीदता है। कोई भी काम सरकार के हाथ में जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार पहले से ही शुरू हो जाता है। खाद्य निगम जो बाजरा खरीदता है....मेरे क्षेत्र की बात मैं कहता हूं। खाद्य निगम पूरे तहसील की एक मण्डी में बाजरा खरीदता है। जो बाजरा खरीदता है वह तंग मोरी की पेन्ट पहनने वाला होता है जो बाजरे को जानता भी नहीं है, जिसने कभी खेत को देखा भी नहीं है, ऐसे लोग किसानों के भाग्य का फैसला करते हैं। यह बाजरा खराब है या अच्छा है वे इसको नहीं जानते हैं और अच्छे बाजरे को भी खराब घोषित कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि इसका क्या मापदण्ड है। पहले जब हम खादी की पहचान करते थे—यह आठ नम्बर की है, १५ नम्बर की है। तो उसको एक कांच से देखते थे और फिर कहते थे कि यह कितने नम्बर की खादी है। उस कांच से उसको देख लेते थे। यह बाजरा क्या तो अच्छा है और क्या बुरा है यह वे कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में? वे जानते तो एक ही चीज हैं उपाध्यक्ष महोदय कि जो उनको पैसा देता है उनका बाजरा वे अच्छा बता देते हैं और जो उनको पैसा नहीं देता है उनका बाजरा खराब घोषित कर देते हैं, अयोग्य कर देते हैं। और किसान को मजबूर हो कर वह बाजरा २५-३० रुपये क्विन्टल में देना होता है, उसको बेचकर जाना पड़ता है और वही दुकानदार दूसरे दिन दूसरे किसान के नाम से खाद्य निगम के इन्स्पेक्टर को ५/६ रुपये प्रति बोरी के देकर सौदा कर लेता है और खाद्य निगम वही बाजरा ५२-५५ रुपये

(श्री जयनारायण सालोदिया)

क्विटल के भाव से खरीद लेता है। यह क्या नीति है सरकार की ? सरकार एक तरफ बिचोलियों को खतम करना चाहती है, दूसरी तरफ नये-नये बिचोलियों को किसानों के बीच में सरकार डाल रही है। इस तरह से सरकार किसानों को बरबाद करने पर तुली हुई है। इस तरह १०-१५ रुपया एक-एक बोरी पर ब्लेक होता है और किसानों को पैसा नाम मात्र पर मिलता है और सारा पैसा बिचोलियों के पास चला जाता है और दूसरी तरफ सरकार को पूरा पेमेन्ट करना होता है। यह किसी एक मण्डी की बात नही है, यह सारे राजस्थान की बात है। राजस्थान के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, सिवाय गवर्नमेन्ट के ऑफ़िसर के चाहे कृषि मण्डी अधिकारी हो, चाहे एफ०सी०आई० का इन्सपैक्टर हो, उनके सिवाय किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। उन तक भी सुनवाई पैसे से होती है। इस तरह यह सरकार किसानों को बरबाद कर रही है। यह सरकार समाजवाद, समाजवाद का नारा देती है, किसान इसको अपना रक्षक समझते हैं, वही सरकार अपनी नीतियों का पालन नहीं करती है, उसकी नीतियों का पूरे तौर से पालन नहीं होता। हमारे यहां की मण्डी में ३० दिन से बिक्री बन्द है, जब मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया तब से। एफ० सी० आई० कहती है हमारे पास में पैसा नहीं है, बाजरा नही खरीदेंगे। इस तरह किसान को मजबूर हो कर बाजरा दुकानदारों को बेचना पड़ रहा है उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां का बाजरा अच्छा माना जाता है। दो-तीन हजार बोरी रोज निवाई में आती है। पांच-पांच रुपये की बोरी एफ० सी० आई० के इन्सपेक्टर को खुश करने के लिये दिये जाते हैं, तो आप सोचिये कितना पैसा होता है। कितनी लूट हो रही है और वह भी राज्य के मारफत हो रही है। इस तरह से १५ दिन बिक्री बन्द रही, दो-तीन हजार बोरी का स्टाक हो गया, कृषि मण्डी में, यह सरकारी आंकड़ों से जाहिर हो सकता है। किसानों ने २५ रु०, ३० रु०, ३५ रु० के भाव में बाजरा बेचा और १५ दिन बाद फिर एफ० सी० आई० ने खरीद शुरू कर दी। जो दुकानदारों के पास में स्टॉक था वही बाजरा दुकानदारों ने दूसरे किसानों के नाम से ५२-५५ के भाव में एफ० सी० आई० के इन्सपेक्टर से मिल कर खरीद कर लिया। जिस बाजरे को खाद्य निगम केन्सिल कर देता है, दूसरे दिन वही बाजरा दुकानदार से खरीद लेते हैं। उस बाजरे को आपके इन्सपेक्टर ५-७ रुपया बोरी का लेकर ५२ रु० के भाव में खरीद कर लेते हैं। कितना बड़ा मारजीन है। २५ रु० रुपये किसान का बाजरा बिके और ५२ रु० में बिचोलिये के मारफत खरीदा जाये। कितना फर्क है। किसान लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, जितनी गारन्टी सरकार ने दी है और जितना बाजरा होगा, हम ५२ रु० से कम नहीं होने देंगे। ५२ रु० में सरकार खरीदें, यह सरकार की गारन्टी है। किसानों के साथ यह सरकार का समझौता है और अगर सरकार इस समझौते में गड़बड़ करती है, समझौते में उदासीनता रखती है, इस समझौते में कर्मचारियों की मारफत किसानों को खुली छूट देती है तो यह किसान के साथ धोखा है, किसान के साथ अन्याय है। एक

(श्री जयनारायण सालोदिया)

प्रोग्रेसिव सरकार को इस प्रकार की नीति नहीं अपनानी चाहिये। आप मानते हैं हमारे देश में ८५ प्रतिशत किसान हैं और अगर उनके बारे में उदासीन रहें तो कोई प्रतिनिधित्व कहलाने का अधिकार नहीं हैं। इसका मतलब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उनके प्रतिनिधि नहीं है। हाउस में बैठकर और किसानों का ज्यादा प्रतिनिधित्व होते हुये भी चाहे इधर बैठने वाले हो और चाहे उधर बैठने वाले हों हमारे देश की आबादी का ८५ प्रतिशत हिस्सा किसानों का है और हम उन्हीं की रक्षा नहीं करें तो यह बड़े दुःख की बात है। सरकार बनाने में किसानों की सबसे बड़ी मदद है। यहां हम विधान सभा में बैठकर उस किसान के खिलाफ काम करें या उसकी सुने नहीं और आज वह किसान दुकान दुकान त्राही त्राही करता फिरे और यहां सरकार चुप्पी लगाकर बैठी रहे यह सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है—लज्जा की बात है। उनके साथ ऐसा करके धोखा करते हैं, अन्याय करते हैं और फरेब करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में सरकार को कहूंगा जितना बाजरा होगा ५२ रु० से कम नहीं होगा। यह सरकार की नीति से सम्बन्धित है। यह प्रश्न नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार को भाव ऊंचे जाते है या नीचे जाते है उसका भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न सरकार और किसान के बीच समझौते का है। मैं आशा करता हूं सरकार इसे नहीं तोड़ेगी और अपनी घोषणा पर अडिग रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाजरे की खरीद के सम्बन्ध में मैं खाद्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजस्थान में काश्तकारों को कुछ राहत देने के लिये राजस्थान सरकार ने गत विधान सभा में घोषणा की थी लेकिन उसके बावजूद भी उन काश्तकारों को कोई लाभ नहीं हुआ और अभी कोई दो-चार दिन पहले कस्बा नोहर में मैंने खाद्य निगम वालों को अनाज खरीदते हुये देखा, किस प्रकार से सरकारी खजाने में डाका डालने वाली कार्यवाही कर रहे है। हमारे कुछ इलाके के नजदीक हरियाणा प्रान्त लगता है हरियाणा की बाजरी वैसे बाजार में ४० रु० में अच्छी बिकती है और जो रिजेक्टेड बाजरी पिछले साल हरियाणा की बाजरे में कीड़ा लगने की वजह से रिजेक्ट कर दी गई थी वह काश्तकारों के पास पड़ा है उस बाजरे को वहां पर लाते नहीं है और बड़ी तादाद में वह बाजरा नोहर की मंडी में आया। हजारों क्विन्टल की तादाद में १५-१६ दिन बिका और काश्तकारों द्वारा लिया गया बाजरा नहीं खरीदा गया और वह बाजरा ३५ रु० क्विन्टल के भाव से आया और ५५ से खरीदा गया। इस प्रकार की घृणित कार्यवाही इस राजस्थान की सरकार के नाम के नीचे हो रही है और इस तरह से सरकारी धन पर सीधा डाका डालने वाले लोग हरियाणा के बाजरे को पास कर लेते हैं और व्यापारी से मिलकर सरे आम पैसे बांट लेते हैं। आप अन्दाजा लगा सकते हैं दो हजार क्विटल। प्रतिदिन १५ दिन तक बाजरा आया और ५५ में खरीदा गया तो राजस्थान सरकार की धनराशि का कितना दुरुपयोग होता है। इस प्रकार की कार्यवाही को राजस्थान सरकार नहीं रोके। वहां अधिकारी भी

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बैठे हैं और पुलिस भी है। सरे आम हरियाणा से लोड होता है और बाजार में बिकता है। शिकायत कोई सुनते नहीं। इस प्रकार की कार्यवाही आज हम देखते हैं। एक तरफ यह सरकार यह ऐलान करती है गरीब किसानों का शोषण नहीं किया जायगा समाजवाद की नीति अपनाई जायेगी जिससे गरीबों को कुछ राहत मिलेगी और दूसरी तरफ सरे आम जो निगम वाले कर्मचारी लूट करते हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि इस मामले को गंभीरता से देखते हुये इसकी जांच करवानी चाहिये। मैं इसको साबित करूंगा क्योंकि हमारी मण्डी के अन्दर हरियाणा के व्यापारी किसानों को लूटने आते हैं और भाव रोजाना दूसरे बाजारों का आता है। उनकी फाइल्स में वह कागज पकड़े जा सकते हैं इतना डिफरेन्स उस भाव में १५,१६ और २० रु० का। इस प्रकार लोगों की आंख में धूल डालकर जो काश्तकार बाजरा लाते हैं उसको रद्दी कह कर नहीं खरीदते हैं और वह जहरीला बाजरा खरीद कर नुकसान पहुँचाये। मैं नहीं समझता सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है? लेकिन सरकार के अधिकारियों और सरकार के जो यहां सत्ताधारी मंत्री लोग बैठे हैं ये कभी भी इस प्रकार की बात को पसन्द नहीं करते-क्यों नहीं करते कि सबकी मिली भगत है। मिली भगत के कारण इन लोगों को लाभ होता है और जो उधर खाद्य निगम वाले है वे भारत सरकार से सम्बन्धित है। इन्दिरा गान्धी के नाम से आज लोग घोषणा करते हैं, ऐलान करते हैं हम समाजवाद लायेंगे, क्या उन लोगों को सजा नहीं मिल सकती है? क्या वह बाजरा जब्त नहीं हो सकता है, क्या वह रेकार्ड नहीं पकड़ा जा सकता है। जिन लोगों से बाजरा खरीदा गया है वे तमाम नाम फर्जी हैं। उन काश्तकारों के पास कोई बाजरा नहीं है। यदि इसको असलियत में लाया जाय तो पकड़ में आ सकते हैं लेकिन इनसे उम्मीद नहीं है इस प्रकार की कार्यवाही करे क्योंकि आज तक लाखों, करोड़ों रूपयों का घोटाला हुआ है उनकी भी शिकायत करते हैं तो उनका आज तक नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन फिर भी मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं जो भी इस प्रकार की हरकतें सामने आयें उनके लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मंडी नोहर में इतना बाजरा खरीदा गया है उस बाजरे की सही तरीके से जांच की जाय, भ्रष्टाचार का सही नमूना सामने आ जायगा। जो काश्तकार बाजरा बेचना चाहें और जो राज्य सरकार ने घोषणा की थी उसके अनुसार खरीदना चाहिये। दूसरे उस इलाके के अन्दर ज्यादातर चनों की फसल है। चने की बुआई उस समय काश्तकारों ने ९५-९६ रुपये के भाव से बीज खरीदकर बोया था। इतना महंगा बीज था और आज चना ६७-६८ रुपये के हिसाब से बिक रहा है और आगे उम्मींद है कि ६०-६५ तक आ जायगा और किस तरह से काश्तकार अपने घाटे को पूरा कर सकेगा। एक तरफ तो बाजार में दूसरी चीजों के भाव आसमान को छू रहे हैं और दूसरी तरफ जो काश्तकार का अनाज है वह इतने नीचे भावों पर बिक रहा है। तो जितना सरकार का कर्जा लिया हुआ है वह कैसे काश्तकार अदा कर सकेगा। कितनी उनको तकलीफ होगी। यह तो वही लोग जानते हैं जिनके ऊपर बीतती है

Page No 67

(श्री रामचन्द्र आर्य)

क्योंकि राजस्थान सरकार तो इस बात को नहीं समझती या जानबूझकर इसको टाल देना चाहती है। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और कृषि उत्पादन करने वाले जो काश्तकार हैं, जो वह माल पैदा करें उस माल को बेचने के लिए आये तो उसका इन्तजाम नहीं और जो उनके रोजाना के जरूरत की चीजें हैं, उनको लेने के लिए वह बाजार में आये तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। मैंने पिछले सेशन में यह सवाल उठाया था कि जिस समय राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, कि हम ५५ रुपया क्विन्टल के भाव से बाजरा किसानों से लेंगे। मैंने यही पूछा था कि १० रुपये के भाव से ज्यादा की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। काश्तकार बेचे तो उसे दस रुपया भी कम कीमत मिल जाये तो हर्ज नहीं है और जब खरीदने के लिए आये तो १० रुपये उसे ज्यादा देने पड़े तो कोई हर्ज नहीं।

(१. १३ म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति पदासीन):

इस तरह की व्यवस्था जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक काश्तकार को पैदा की हुई चीज के सही दाम नहीं मिल सकते। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि काश्तकार की जो तकलीफें हैं उनको आप दूर करिये। और इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूं कि काश्तकार अपनी पैदावार बेचता है और फिर बाजार से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदता है तो दोनों के भावों में फर्क नहीं होना चाहिए। उसको कपड़ा सस्ता नहीं मिलता, उसको चीनी भी सस्ती नहीं मिलती जब कि काश्तकार के खेतों में से ही ये चीजें पैदा होकर जाती हैं। जब वह बाजार में खरीदने के लिए आता है तो उसको दुगना और तिगुना दाम देना पड़ता है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के द्वारा यही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि चने के भाव, दूसरे अनाज के भाव के बारे में, आज रबी की फसल का अनाज आ रहा है। मण्डियों में उसको खरीदने का इन्तजाम किया जावे और भावों को ज्यादा नीचे नहीं गिरने दिया जाये। राजस्थान सरकार खरीद सके तो खरीदे नहीं तो पाबन्दी लगाये कि इससे नीचे भाव पर बाजार में नहीं बिक सकेगा। क्योंकि सरकार ही इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। भाव सरकार से ऊपर बढ़कर नहीं जा सकते। सरकार की बड़ी शक्ति होती है वह अपनी शक्ति के अनुसार इसको रोक सकती है लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि जानबूझकर इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों के सामने आज जो कठिनाइयां हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो मैंने मुद्दे उठाये हैं उनकी ओर विशेष तौर से ध्यान दिया जाये और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यदि जरूरत पड़े तो आप इन्क्वायरी बैठायें तो मैं इसको साबित करवा सकता हूं कि कहां से बाजरा आया और कौन आदमी लाया और किस भाव से वहां मिला। इस प्रकार की कार्यवाही को नहीं रोकेंगे तो जो इसके नतीजे निकलते हैं वह भी निकलेंगे, आप देख लेना। क्योंकि लोग हमेशा इस तरह से बेवकूफ नहीं बन सकेंगे। जिस तरह से आप समाजवाद का नारा देकर भ्रम में डालकर वोट ले लेते हैं और जब

(श्री रामचन्द्र आर्य)

समय आता है तो उस समय मुँह मोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कहां मोड़ते हैं पास ही तो बैठे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो सरकार इस प्रकार की कार्यवाहियां करती हैं उसका पतन होता आया है और जो आकाश मे थे वे जमीन में पड़े हैं और जो जमीन में थे वे ऊंचे आ गये । आज से कुछ दिन पहले कुछ नहीं थे। राजस्थान बनने से पहले आपको कोई चपरासी नहीं रखता था और आज कुर्सियों पर ऊंचे बैठे हैं, अपने आपको एयर कन्डीशण्ड हाउस में बैठाते हो, तुम तो राजा बनोगे लेकिन यह नहीं सोचते कि आज गरीब गावों में बसते हैं उनकी क्या हालत है। जब काश्तकार बाजार में बेचने के लिए आता है तो उसको अपने उत्पादन की कोई खास कीमत नहीं मिलती और जब वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदने जाता है तो अनापशनाप पैसा देना पड़ता है। तो क्या वह समझते नहीं हैं। हमेशा यह व्यवस्था नहीं चल सकती।

मेरा यही निवेदन है कि जो गड़बड़ियां हुई है उसकी जांच की जाये और आइन्दा के लिए सही व्यवस्था की जाये। यदि सही माने में ध्यान आकर्षण से प्रभावित होते हैं तो मैं समझूंगा कि कुछ फर्क पड़ेगा और यदि इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देंगे जिस तरह से कि आज तक निकालते आये हैं तो हमारे ध्यानाकर्षण कराने से भी लाभ नहीं और आपके सुनने से भी लाभ नहीं। तो मैं यही बात कहते हुए खाद्य मंत्री जी का आपके मार्फत ध्यान आकर्षित करते हुए स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय सभापति महोदय, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो किसानों के सम्बन्ध में है यदि किसी देश की अर्थ व्यवस्था, किसी प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को ठीक रखना है तो उसके लिए सबसे पहले यह अनिवार्य है कि उस देश और प्रदेश के रहने वाले किसान और मजदूरों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जावे। यदि आज किसान के पास पैसा होगा और किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा तो वह किसान पैसा लेकर बाजार में जायेगा और आम व्यक्ति को चाहे वह मजदूर हो, किसान हो उसको वह रोजगार देता है और उसी से देश की अर्थव्यवस्था ठीक रहती है। आज हमारे राजस्थान की सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहती है और समाजवाद का नारा लगाती है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने का दावा करती है आज उस राजस्थान के अन्दर रहने वाले किसान ने जहां कठोर परिश्रम करके खरीफ की फसल को तैयार किया, रबी की फसल को तैयार किया लेकिन यह सरकार इतनी निकम्मी है कि किसान की अर्थव्यवस्था को ठीक किस प्रकार से रखा जायें इसकी उसको चिन्ता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जब किसान ने कठोर परिश्रम करके बाजरे की फसल तैयार की और इसी सदन के अन्दर दिसम्बर के अन्दर जब यह सदन चला था उसी समय माननीय खाद्य मंत्री जी ने इसी सदन में यह विश्वास दिलाया था कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सही बनाये रखने

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के लिए हम खरीफ की फसल का भाव नहीं गिरने देंगे और राज्य सरकार खरीदेगी, यह उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चाहे वह झुंझुनूं जिला हो, चाहे वह सीकर जिला हो, चाहे वह सांचोर जिला हो, चाहे वह बाड़मेर जिला हो, चाहे वह जैसलमेर जिला हो और चाहे सवाई माधोपुर जिला हो सारे जिलों के अन्दर किसान जिनके पास बाजरा है आज उनके भावों में इतनी गिरावट आई है कि किसानों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गयी है। आज राजस्थान के अन्दर बाजरे का भाव ३० रुपया से लेकर ४० रुपये क्विन्टल तक का है। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं काश्तकार हैं, राजस्थान के खाद्य मंत्री जी भी स्वयं काश्तकार हैं उनको यह मालूम होना चाहिए कि जिस समय किसान फसल को तैयार करने के लिए खाद खरीदता है, बीज खरीदता है तो उस समय खाद के भाव क्या थे और आज उसी खाद के क्या भाव हैं। चाहे वह खाद यूरिया हो, डी० ए० पी० हो या एमोनियम सल्फेट हो आज उसके उत्तरोत्तर भाव बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस समय किसान अनाज पैदा करके मण्डी में लाता है, आज राजस्थान का इतिहास इस बात का साक्षी है, २० साल के रेकर्ड को देखिये जिस समय किसान फसल को तैयार करके मण्डी में लाते है उस समय अनाज के भाव गिरते हैं।

और जब किसान के खेत और खलिहान से अनाज निकल जाता है और बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों के गोडाउन्स में चला जाता है तब उसके ३-४ महीने बाद ही हर अनाज का भाव बढ़ता है, तो राज्य सरकार की यह कैसी समाजवादी नीति है यह मेरी समझ में नहीं आती है? माननीय सभापति महोदय, जब किसान अनाज बेचता है, उस समय अनाज के भाव गिरे हुए रहते हैं, उस समय अनाज सस्ता बिकता है, लेकिन वही अनाज बड़े बड़े पूंजीपतियों के गोडाउन्स में जाता है तब ३-४ महीने बाद में उसके भाव ऊंचे होते हैं, जो मुनाफा किसान को मिलना चाहिए वह उसको नहीं मिल पाता है। इसी कारण से राजस्थान के किसान की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर गिरावट की ओर जा रही है। यदि राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो और भी गिरेगी। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो बाजरे के भाव गिरते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं, और जो इस प्रकार से गेहूं के भाव ५० से लेकर ६० रुपये तक के है और अच्छे गेहूं के भाव कुछ अच्छे हो सकते हैं, लेकिन गेहूं के ५० और ६० के भाव हैं जब कि किसान ने सिंचाई के द्वारा गेहूं पैदा किया है। डी० एस० पी० खाद कितना महंगा आता है, यूरिया खाद कितना महंगा आता है, उसको खरीदकर उसने गेहूं को तैयार किया है, लेकिन गेहूं के भाव उस अनुपात में जो नीचा है जिसके कारण आज किसानों के अंदर त्राही-त्राही मच रही है, मैं माननीय सभापति महोदय, इस राज्य सरकार से जो यह कहती हैं कि हम किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक रखना चाहते हैं, और जो आज यह कई लोग कहते हैं कि ये किसान अपने अनाज को रोक क्यों नहीं लेते हैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसान ७ तरह के कर्जों से दबा हुआ है एक राजस्व, यानी लगान, दूसरा भूमि बन्धक बैंक का कर्जा, तीसरा सहकारी सोसाइटीज का कर्जा,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

चौथा उस बोहरे का कर्जा, पांचवा उसकी जीवन सम्बन्धी चीजें जैसे कपड़ा, नमक, मिरची, लूण, तेल जो कि वह खरीदता है। इस प्रकार से आज का गरीब किसान ७ तरह के कर्जों से दबा हुआ है और आज ज्योंही किसान की फसल खलिहान में आती है बोहरे और वे लोग जो किसान को कर्जा देते हैं वे उससे अपना पैसा मांगने के लिए आते हैं इस कारण से वह गरीब किसान चाहे अनाज के कितने ही सस्ते भाव हों अपने अनाज को रोक नहीं पाता है। एक गरीब किसान जिसके पास २०-२५ बीघा जमीन है उसकी आर्थिक स्थिति तो वैसे ही खराब है तो उसकी ताकत नहीं है कि वह अनाज को रोक पाये। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से और इस सरकार से यह कहना चाहूंगा कि किसान की आर्थिक स्थिति को ठीक रखना चाहते हैं तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वह जो अनाज के भाव बाजरे और गेहूं के गिरते जा रहे हैं उन पर तुरन्त रोक लगाये और भावों को गिरने न दे। राज्य सरकार ने बाजरे का न्यूनतम आर्डर जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस न्यूनतम भाव के अन्दर बाजरे की खरीद क्यों नहीं की जा रही है? इस प्रकार से वह पूंजीपतियों के गोडाउन्स में चला गया तो ३-४ महीने के बाद में भाव बढ़ जायेंगे और उसका असर उस गरीब किसान और मजदूर पर पड़ेगा जो दो तीन रोज का अनाज खरीद कर अपने बच्चों का पेट भरता है। इसलिए सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि इस ओर ध्यान दे।

साथ ही साथ उस किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और उसमें गिरावट न आने पाये इसके लिए राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। किसान की फसलें तैयार करने में काम में आने वाले जो खाद हैं डी० एस० पी० एमोनिया सल्फाइड इस प्रकार के खाद हैं जिनके भाव उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पूंजीपतियों का कब्जा है, मैं सरकारी पक्ष के कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा जो कि बारबार समाजवाद का नारा लगाते हैं, जो कहते हैं कि हम पूंजीवाद से संघर्ष करना चाहते हैं, जो इस प्रकार का नारा लगाते हैं कि हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं, क्या किसी भी सरकारी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य ने माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए चेतावनी दी है कि खाद के मालिक जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार से मिलकर भाव बढ़वा लेते हैं। यूरिया का भाव इतना बढ़ा हुआ क्यों है? इसको आधी कीमत को जाना चाहिए। डी० एस० पी० खाद के भाव क्यों न आधे किये जाने चाहिए। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से इस सरकार से कि जो खाद यहां आयातित होता था वह जापान से आधी कीमत पर आ रहा था जो कि यहां के कारखानों के खाद के लिए आपने भाव तय किये हैं उससे उद्योगपतियों की सेन्ट्रल केबिनेट के मिनिस्टरों से सांठगांठ है उन्होंने उनसे बातचीत करके जापान से जो खाद आता था उसको नहीं आने दिया। यदि उस खाद को आने दिया जाता तो किसानों को वह आधी कीमत पर मिलता...

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह विदेशों से आ रहा था उसको कैसे आने देते?...

श्री देवीदत्त गाड़िया : कई चीजें विदेशों से आ रही हैं। आपके विचार भी देशी नहीं हैं। वे भी विदेशी हैं।

Page No 71

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

यदि आप किसानों को राहत देना चाहते हैं तो किसानों से खेती से सम्बन्धित उसमें काम आने वाली लकड़ी, खेत में काम आने वाला खाद और बीज सबसे पहले सस्ते दिये जायं। लेकिन यह सरकार तो कहती है कि हम भावों में गिरावट को रोकने के लिए एस० टी० सी० से खरीद करना चाहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि एस० टी० सी० जो बाजरा खरीदती है वह कभी भी सीधे किसान से नहीं खरीदती है। वह बाजार में एक एजेन्ट मुकर्रर करती है। कुछ उनके आदमी होते हैं उनकी मारफत ही खरीदती हैं। इससे खुले आम भ्रष्टाचार होता है। एस० टी० सी० के काले कारनामे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां विदेशों से खाद आया था और वह भी डोनेशन के अंदर आया था। मुझे याद है कि बारां के अन्दर वह खाद आया था तब एस० टी० सी० एवं वेयरहाउसिंग के अधिकारियों ने मिलकर और रेल्वे स्टेशन के मास्टर ने मिलकर उस खाद में शार्टेज ज्यादा बतलाई और वह सरे आम बाजार में जाकर खाद बिका...

श्री सभापति : खाद कहां से आ गया ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि उसका किसान से सम्बन्ध है क्योंकि खाद के भाव ऊंचे बढ़ रहे हैं और बाजरे के भाव सस्ते हैं। इसलिए यह कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप बाजरे के भावों पर ही चर्चा करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की आर्थिक अवस्था को ठीक रखने के लिए सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि अनाज के भाव जो कि गिर रहे हैं उनको तुरन्त रोका जाय, और जो न्यूनतम ...

श्री दौलतराम सारण : नैतिक नहीं संवैधानिक जिम्मेदारी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भाव निर्धारित किये हैं, खरीफ की फसलों से संबंधित गल्ले के उस पर ज्योंही फसल मन्डी में आती है उसी समय उसको खरीदना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। इस प्रकार से मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह जो गेहूं के भाव आज ५० और ६० के आस पास हैं तो राज्य सरकार ने गेहूं के न्यूनतम भाव क्या निर्धारित किये हैं ? क्या माननीय मंत्रीजी इसकी जानकारी देंगे ? ये गेहूं के भाव गिरने न पायें इनके लिए क्या किया है ? ६८-६९ के बीच में जो गेहूं के भाव हैं वे बहुत कम हैं और यदि इस प्रकार से ये गिरे तो किसानों की आर्थिक स्थिति इससे खराब हो जायगी और इतनी खराब हो जायगी कि वह १० साल तक उठ नहीं सकेगा। इसलिए इतना ही कहकर मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि खरीफ और रबी की फसल चाहे गेहूं हो चाहे बाजरा हो, चाहे चना हो उन सभी गल्लों के न्यूनतम भाव निर्धारित करें। साथ ही साथ ज्योंही मंडी में फसल आये तो सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि सब से पहले आगे आ कर किसानों का मोरल बनाये रखने के लिए और जो इस प्रकार के बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनके दिमाग में यह चीज है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, एस० टी० सी० के पास में पैसा नहीं है इसको हटाने के लिए खरीद शुरू करें। भ्रष्टाचार जो एस० टी० सी० में फैल रहा है और जो बिचौलिये एजेन्ट के रूप

Page No 72

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

में आते हैं और उसके कारण किसान लुट रहे हैं। किसान से एस० टी० सी० सीधी नहीं खरीदती है, एजेन्ट के मारफत खरीदती है। क्वालिटी का बहाना करती है और रिश्वत लेते हैं। (समय समाप्ति-सूचक-घंटी) रिश्वतखोरी और बिचौलियों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है, और यह जो बाजरे और गेहूं के भाव गिरते जा रहे हैं, और इनके न्यूनतम भाव क्या निर्धारित हैं और यह जो बाजरे के भाव निर्धारित किये हैं उन पर कितना बाजरा खरीदा है इसकी जानकारी दें ताकि इन ३–४ महीनों के बाद भाव बढ़ें तो सरकार खुले आम बाजार में माल निकालें।

मेरा विश्वास है कि इन मुद्दों पर राज्य सरकार ध्यान देगी और खरीफ और रबी की फसलों की खरीद के न्यूनतम भाव जो है उनको निर्धारित करेगी।

श्री बिरदाराम : सभापतिजी....

श्री सभापति : खाद्य मंत्रीजी।

श्री दौलतराम सारण : दो एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं ताकि साथ ही उनका उत्तर दे दें। एक तो यह है कि १४ तारीख का जालोर का संवाद है जिसमें वित्त मंत्रीजी ने वहां किसी सभा में यह कहा है कि ४५ रु० प्रति क्विन्टल के भाव से राज्य सरकार अनाज खरीदेगी तो क्या निगम के अतिरिक्त राज्य सरकार अनाज खरीदने की व्यवस्था कर रही है और दूसरा उन्होंने यह कहा है कि ३८ रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से १० हजार मन बाजरा राज्य सरकार खरीदेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ४८ रुपये हैं ३८ गलत है।

श्री दौलतराम सारण : तो यह ३८ रुपये क्विन्टल है या ४८ रुपये क्विन्टल है इस स्थिति को साफ कर दें।

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना बाजरा राज्य सरकार ने खरीदने का तय किया है ? और कितनी खरीद होने के बाद बाजार स्थिर हो सकता है ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय....

श्री सभापति : खाद्यमन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्यमंत्री) : सभापति महोदय, बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मोटे अनाज के बारे में खासतौर से बाजारे के भाव गिर रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइस पर अनाज खरीदने के लिए स्पेसिफिकेशन भारत सरकार ने किया है, उसके अनुसार बाजरे की खरीदी अब हो रही है। राजस्थान में अकाल की स्थिति रहते हुए अब की साल मोटा अनाज अच्छा हुआ है। इसीलिए माननीय सदस्यों ने इतना रोष प्रदर्शित किया है। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं उनके बारे में मैं कहूंगा कि ये भारत सरकार ने निर्धारित किये हैं। जैसे कि मिनिमम प्राइस है, इस खरीद के मामले को समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस राजस्थान सरकार ने नहीं निर्धारित की है। उसको भारत सरकार ने निर्धारित किया है। जून, १९७० को निर्धारित किया था। बाद में हमे कम्युनीकेट किया है। बाजरे की मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की है वह ४५ रुपया है। ४५ रु० पर क्विण्टल के हिसाब से तय की है। फेयरएवरेज क्वालिटी

(श्री परसराम मदेरणा)

का दाम भारत सरकार ने ४५ रु० तय किया। हर साल भारत सरकार का कमीशन प्रक्योरमेण्ट प्राइस तय करता है। जैसे की बाजरे की मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। इसी तरह से गेहूं कि प्राइस थी। वह ५२,५५,६० की तय की थी। प्रक्योरमेण्ट गेहूं का किया था, ७१,७४,७६ था। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार ने उनको निर्धारित किया है। सितम्बर, १९७० में प्रक्योरमेन्ट का निर्णय लिया था। जब कि विधान सभा का सत्र था। उस समय हमने यह बताया था। लेकिन ५५ भी हुई है। यह फेयर एवरेज क्वालिटी का है। फेयर एवरेज क्वालिटी का भारत सरकार और फूड कारपोरेशन ने तय किया है। भारत सरकार में जो क्वालिटी एक्सपर्ट हैं, वह तय करते हैं। इनका जो फार्म है उसमें ३,४ कॉलम होते हैं। फेयर एवरेज क्वालिटी ५ तरह की है। जैसे बाजरा डेमेज्ड है या कलर्ड है, यह बाजरा कौन सा समझा जाएगा। तो यह उन्होंने तय किया है। १/५% है तो फेयर एवरेज क्वालिटी है। इसी तरह से २% है तो फेयर एवरेज क्वालिटी है। ३% है तो फेयर एवरेज क्वालिटी है। दूसरा धान है तो इसकी प्राइस ५५ रु० थी। इस प्राइस के साथ ही उन्होंने आगे कॉलम में अलग-अलग दो कैटेगरी बनाई है। वन ग्रेड क्वालिटी, उसके अन्दर उन्होंने ४,३,५% बनाकर कहा कि इस लिमिट में बाजरा आएगा तो उसकी कीमत साढ़े ३३ रु० देंगे। इससे नीचे वाले की तीसरी क्वालिटी है। ६ प्रकार के कालम हैं। यह तय कर लिया कि तीसरी क्वालिटी का होगा तो हम ५२ रु. देंगे। मगर जो कोई स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है, तो हम खरीदेंगे नहीं।

यह भारत सरकार ने किया है जैसा कि बाड़मेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था। अक्टूबर में बाजरे की आमद शुरू हुई। हमने भारत सरकार को लिखा। सभी स्टेट्स को हमने लिखा। मुख्यमन्त्री जी ने लिखा। बहुत से लेटर लिखे। लिखने के बाद कॉलम ३ में रिलेक्सेशन दिया। वन ग्रेड का ५% बढ़ाया। २ ग्रेड का ८% बढ़ाया। इसके बाद फेयर एवरेज क्वालिटी का ३ का ४% किया। २ ग्रेड का ८% और १०% किया है। जो ग्रेड ३% है उसको ५%, जो २ ग्रेड में ४%। यह राजस्थान के एरिया को नहीं दिया गया। यह राजस्थान सरकार के पास आया। हमने यह कहा कि जो क्लेम है उसमें कुछ नहीं आया। तो भारत सरकार ने यह लिखकर भेजा कि एफ. सी. आई. ने यह लिखा कि डेमेज्ड क्लेम आया हुआ है। बाजरा ८% कर दिया जाएगा और उन्होंने पर्चेज शुरू कर दी, पर्चेज शुरू करते-करते, जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, जब कभी बाजरा राजस्थान में बेचा जाता है तो करीब-करीब जनवरी तक बाजरा निकाल कर बेचा जाता है, फरवरी तक इस साल अच्छी क्राप थी, बम्पर क्राप थी, रेगिस्तानी इलाके और दूसरे इलाकों में। यह ठीक है, गंगानगर के अन्दर ग्वार और दूसरी फसल भी अच्छी थी, इसलिए भी कि लोगों ने घास भी बोया हुआ था और घास की कटाई करनी थी क्योंकि फोडर की दिक्कत चार-पांच साल से महसूस कर रहे थे और समय पर नहीं काटते हैं तो सूखने के बाद में कटता नहीं है। दूसरे ग्वार और मोठ काटना भी जरूरी हो गया था, तो बाजरे की जो फसल हुई थी उससे बाजरा निकालने का काम है वह हो नहीं सका।

(श्री परसराम मदेरणा)

एफ. सी. आई. ने जनवरी में हमें लिखा कि जो स्टाफ हमने लगाया है वह स्टाफ बेकार बैठा हुआ है और इस कारण हमारे इन्सीडेन्टल चार्जेज ज्यादा आ रहे हैं, तो प्रिजम्प्शन पर खरीदने की इजाजत दी जाय, उस एरिया को कार्डन किया जाय और एक्सपोर्ट इसका बन्द कर दिया जाय। इस प्रकार की रिक्वेस्ट राज्य सरकार को भेजी तो राज्य सरकार ने इसे टर्न डाउन करते हुए गवर्नमेंट आफ इंडिया, एफ. सी. आई. को लिखा कि अभी तक बाजरे की अराइवल हुई नहीं है, और हमारे विभाग की राय भी थी कि प्रिजम्प्शन खरीदने की इजाजत नहीं देनी चाहिए क्योंकि राजस्थान की इनवोइस हुई नहीं है, रेगुलर इन्वोइस नहीं हुई है, इसलिए इजाजत नहीं दो। हमने कहा था कि अभी फुल एराइवल नहीं हुई है, और अराइवल आने वाली है, इसलिए प्रिजम्प्शन पर खरीद करें, इसके लिए पचास पर्सेन्ट देने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने राजस्थान के लिए टार्गेट रखा था वह चालीस हजार टन का था। हमने इस सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी की कि यह कम है, इसलिए टार्गेट राजस्थान के मामले में इन्क्रीज करना चाहिए। उन्होंने राइटिंग में यह एस्योरेन्स दिया कि चालीस हजार टन का टार्गेट सभी प्रकार के अनाज का, बाजरा मक्का, ज्वार का टार्गेट अचीव कर लेंगे तो और ज्यादा पर्चेज करने वाली बात सोचेंगे। इधर खरीफ के मामले में टार्गेट तय किया पूरे हिन्दुस्तान का वह वन मिलियन टन मोटे अनाज का था, बाजरा मोठ आदि। अनाज की रिसीव थी वह साढ़े चार लाख टन माइलो के मामले में रखा गया और बफर और सेन्ट्रल पूल के लिए टार्जेट आठ लाख टन था. इस आठ टन में से चालीस हजार टन राजस्थान का टार्जेट था। इसमें से जो पर्चेज किया वह ५४ हजार और चार सौ टन इन्होंने अभी तक राजस्थान के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के खाते में पर्चेज किया है। अब मैं निवेदन यह कर रहा था कि बाजरे के भाव गिरे हैं, अब हम पूछते हैं कि बाजरा क्यों नहीं खरीदते तो एफ.सी.आई. यह बात कहता है, एफ. सी. आई. के मैनेजर हैं, एफ. सी. आई. के अधिकारी हैं, मैनेजर हैं, वह कहते हैं, क्वालिटी इन्सपेक्टर के अनुसार बाजरा स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है। स्पेसिफिकेशन वाले बाजरे की बात हुई तो हमने कहा कि जो नीचे की क्वालिटी को इन्सपेक्टर रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका हमने सैंपल पहले भी भिजवाया है, जो हाइएस्ट ऑफिसर हैं, जिनके सम्बन्ध में बात बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, सेम्पल वहां भेजा और उन्होंने २४ पर्सेन्ट तक बाजरा डिस्कलर बताया, जब की मेक्जिमम आठ पर्सेन्ट है, इसलिए कहते हैं कि पर्चेज करने लायक नहीं है। अगर पर्चेज करते हैं तो इसकी स्टोरेबल कैपेसिटी नहीं है और जल्दी ही इसमें सडांध आ जायगी। और इस बात से एग्री करते हैं कि यह ह्यूमन कन्जम्प्शन के लायक नहीं रहेगा....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह सेम्पल कहां से ले गये थे।

श्री परसराम मदेरणा : बैठिये। सेम्पल डिस्ट्रिक्ट से ले गये थे, आपके डिस्ट्रिक्ट के बाजरे को डिस्कलर बताया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गये थे, जब थोड़े दिन क्वालिटी इन्सपेक्टर वहां था, सांचोर मेले में, तो जो आप फाइनेन्स मिनिस्टर और

(श्री परसराम मदेरणा)

बाकी की बात करते हैं, तब क्वालिटी इन्सपेक्टर ने कहा था, जो बाजरा सांचोर में है, वह स्पेसिफिकेशन के अनुसार बारह पर्सेंट नीचे है, बारह पर्सेन्ट से ज्यादा खराब है जब कि हम आठ पर्सेन्ट तक ही खरीद सकते हैं। अब प्रश्न रहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं खरीदते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ४५ है बाजरे की और बाजरे के भाव गिर गये हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर काश्तकार से खरीदना चाहिए। यह भारत सरकार से भी हमने निवेदन किया कि राजस्थान सरकार इस बारे में कैसे नैगलेक्टेड है। और फरवरी में केबिनेट से रिजोल्यूशन पास करा कर भारत सरकार को कहा कि भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बाजरा खरीदवाये, क्योंकि बाजरे के भाव गिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फेअर क्वालिटी के लिए है, इन ग्रेड के बिलों के बाजरे को पर्चेज नहीं करेंगे। फेअर क्वालिटी के लिए पैंतालीस रुपये क्विन्टल देंगे, जब कि पचपन में फेअर क्वालिटी के बाजरे को खरीद रहे हैं तो उसी भाव से मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। दो तरह की प्राइस नहीं चल सकती है, जिस बाजरे को आप पैंतालीस के भाव में दिलवाना चाहते हैं, जब कि उससे बेहतर फेअर क्वालिटी के बाजरे को पचपन के भाव में खरीद रहे हैं और उस ग्रेड से बिलो है तो पैंतालीस के भाव नहीं खरीदेंगे क्योंकि वह बाजरा खरीदने के बाद डेमेज होने के बाद हमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जायगा। हम जो खरीदने वाले थे, उसके लिए हमने एस्योरेन्स दिया था वह फेअर क्वालिटी का दिया था। राज्य सरकार ने तब कहा, अच्छी बात है बन्द क्यों किया है, अराइवल हो रही है आप शुरू कर दो खरीद। लेकिन उसके बाद में २३ मार्च को भारत सरकार ने आदेश दिया कि बन्द कर दीजिये खरीद क्योंकि हमारा टार्गेट पूरा हो गया है। अब वन ग्रेड टू ग्रेड बिलो खरीदना नहीं चाहते है, फेअर एवरेज खरीदना चाहिए। उस समय क्वालिटी इन्सपेक्टर जयपुर में बैठे थे, रबी की फसल को खरीदने के लिए उन्हें कह दिया। हमने भारत सरकार से कहा, ऐसा आदेश क्यों कर दिया है, इन्सपेक्टर को ऐसा आदेश क्यों दे दिया है। हम कलेक्टर और एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर वगैरह को आदेश दे रहे हैं फिर भी बाजरा पर्चेज करना बन्द क्यों कर दिया, ऐसा आदेश कैसे दे दिया गया है जब कि राजस्थान गवर्नमेन्ट को इसके बारे में पता नहीं है। इसके बाद में फिर कहा कि वन ग्रेड, टू ग्रेड बिलो के अनाज को खरीदने का आदेश दे दिया है, यह एक अप्रैल को आदेश दिया। एक अप्रैल के आदेश देने के बाद में जो काला बाजरा है, काला बाजरा, जिस फेअर एवरेज क्वालिटी को आप बात करते हैं तो बताता हूं कि फेअर एवरेज बाजरा है, फेअर एवरेज क्वालिटी का जो सेम्पल भेजा है वह यह बाजरा है (मंत्री महोदय ने बाजरे का सेम्पल दिखाया) उसके बाद में दूसरा सेम्पल भेजा है, जिसमें उन्होंने १३ पर्सेन्ट से २४ पर्सेन्ट तक बताया है, उसका सेम्पल यह भेजा है। (मंत्री महोदय ने बाजरे का सेम्पल दिखाया) और यह तीसरा है, यह टालरेन्स लिमिट के पास नहीं आता, इसलिए इसको नहीं खरीद सकते (मंत्री महोदय ने बाजरे का सेम्पल दिखाया) यह राज्य सरकार के सामने दिक्कत है। अभी दो तारीख को मुख्य मंत्री जी दिल्ली में थे, मैं भी दिल्ली में था, हमने भारत सरकार के खाद्य मंत्री से बातचीत की,

(श्री परसराम मदेरणा)

सेक्रेटरी हैं मिस्टर मठानी, आई. सी. एस.–उनसे मुख्य मंत्रीजी ने बात की। उन्होंने कहा कि आप टालरेन्स लिमिट के स्पेसिफिकेशन को थोड़ा बहुत डाउन कर सकते हैं क्योंकि बाजरे के भाव डाउन हो रहे हैं, और दो साल के अकाल के बाद में थोड़ा बहुत बाजरा लोगों के पास भी रहता है, थोड़ा बहुत काश्तकारों ने रखा है क्योंकि वसूलियां और दूसरे मामले होने की वजह से काश्तकारों को अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। अभी जो स्टॉक रखा है, वह तो लेना होगा क्योंकि काश्तकारों की लाइबिलिटी बहुत है और बाजरे के भाव गिर रहे हैं, इसलिए इस टालरेन्स लिमिट को थोड़ा नीचे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करने वाले हैं। हम यह कर सकते हैं कि आप स्टेट अकाउन्ट के अन्दर खरीद सकते हैं अगर खरीद करना चाहते हैं। अब यह निर्णय लिया तो उसके बाद में फूड कमिशनर हैं, उनको बुला कर चार तारीख को एफ० सी० आई० से बातचीत कराई और यह उन्होंने कहा कि सात नवम्बर को जो निर्णय लिया है, भारत सरकार उस स्पेसिफिकेशन के नीचे खरीदने वाली नहीं है। सात या दस नवम्बर को फूड मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजस्थान के मुख्य मंत्री को चिट्ठी में साफ लिख दिया था, कि तीन कॉलम में जो रिलेक्सेशन किया है वह फाइनल है, इससे आगे हम लिबरेलाइज नहीं करना चाहते हैं। दुबारा हमने एप्रोच किया उसको नहीं माना है। तो राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि राजस्थान के तीन जिलों के अन्दर जहां बाजरे के भाव गिर गये हैं, वहां से टालरेन्स लिमिट से नीचे के बाजरे को ले लें ताकि काश्तकारों को राहत मिल जाय। इनमें बाड़मेर, जालोर, जोधपुर जिलों में जहां भाव उस समय नीचे गिर गये थे, और जहां का बाजरा स्पेसिफिकेशन में नहीं आता था, कॉलम पांच में लाइटली डेमेज आठ पर्सेन्ट था लेकिन हमने बारह पर्सेन्ट कर दिया और उसका निर्णय लिया, भारत सरकार के एफ० सी० आई० से बातचीत करके उसकी कीमत ४८ रुपये प्रति क्विन्टल तय हुई, क्योंकि यह चार पर्सेन्ट बिलो है, इसलिए चार पर्सेन्ट बिलो होने की वजह से ४८ रुपये प्रति क्विन्टल की कीमत तय हुई।

इसके साथ ही माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं, जो डाक्टर पिंगले की बात करते हैं, उनकी राय ली थी, जैसा बताया कि यह अनाज बारह पर्सेन्ट डेमेज का खरीद रहे हैं, यह कितने अर्से तक ड्यूरेबल है, स्टोरेबल है, तो उन्होंने यह बात लिखी है :

"Dr. Pingley, who is the Technical Expert of the F. C. I. was of the opinion that he will not advise the State Government to relax beyond 12.0 under this head for Bajra beyond this limit would not be storable beyond October. Any further relaxation will result in heavy loss of grain to the State Government. He was of the opinion that such Bajra has started becoming bitter and it will become more and more bitter and its flour will be useless for

(श्री परसराम मदेरणा)

human consumption after October."

यह उनकी सलाह होते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया और सारे मैटर को फाइनेन्स डिपार्टमेंट से अपने लेवल पर एग्जामिन कराया....

श्री दौलतराम सारण : वर्षों तक खराब नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : दौलतराम सारण जी की ओपीनियन के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी एक ओपीनियन थी, हमने यह निर्णय ले लिया चाहे घाटा भी हो और मैं यह सोचता हूं कि आज ४८ रुपये प्रति क्विन्टल के भाव से खरीद रहे हैं, यह ४८ रुपये प्रति क्विन्टल और दूसरे इन्सिडेंटल चार्जेज, दूसरे सीजन में बेचेंगे तो वह चार्जेज १५,१६ से कम नहीं आने वाले हैं; इस तरह से राजस्थान सरकार को करीबन छः-सात महीने के बाद बेचने से दस लाख रुपये का घाटा होगा। इसको मंजूर करते हुए भी, क्योंकि भाव नहीं गिरने चाहिए, इसलिए इस तरह की बात रखी कि यह खरीद रहे हैं, यह टालरेन्स लिमिट से नीचे के बाजरे को खरीद रहे हैं। भारत सरकार से इन्सट्रक्शन आये थे, उसके अलावा दस हजार टन और खरीदेंगे, तो ५४,४००, (विराम) ५४,२२४ टन खरीदा है इसके अलावा जो बने ग्रेड, ट्र ग्रेड बिलो एफ. सी. आई. इस क्वालिटी को ५५ रुपये, ५३ रुपये और ५३ रुपये प्रति क्विन्टल पर खरीदती रही है। उसके बाद ए ग्रेड बिलो, ट्र ग्रेड बिलो से भी बिलो का बाजरा दस हजार टन राजस्थान सरकार अपने खाते में खरीदेगी। इसका घाटा राजस्थान सरकार को जबर्दस्त होगा, फिर भी पहले वाला जो खरीदा गया है, जो भारत सरकार द्वारा एफ० सी० आई० द्वारा खरीदा गया है उसके अलावा खरीदने का राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है।

यह बात भी उठाई गई, यह पर्चेज हो रहा है, यह कल्टीवेटर्स से डाइरेक्टली नहीं नहीं हो रहा है। मैं माननीय सदस्यों की इस भावना को समझता हूं। जो आदेश दिये गये थे इनको भारत सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच में जब यह बात तय हुई थी कि इस तरह से प्रोक्योरमेंट करना चाहिए सेन्ट्रल पूल में, तो उस वक्त यह बात साफ कर दी गई थी। उसके बाद में एफ. सी. आई. ने पर्चे छपाये थे, उसमें लिखा था कि कल्टी-वेटर्स से डाइरेक्टली पर्चेज करना चाहिए। लेकिन कल्टीवेटर्स से डाइरेक्टली पर्चेज नहीं किया है—यह शिकायत आई है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, पुलिस में एक केस भी रजिस्टर हुआ है, बाड़मेर कलेक्टर कार्यवाही कर सकते हैं। इसके अलावा जालौर कलेक्टर ने भी शिका-यत की है। तो जालौर के कलेक्टर को वापस जांच करने के लिए लिख दिया गया है। नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि शिकायत आई है। मैं ठीक नहीं कह सकता, यह बात नो दस तारीख की बात है। ११ तारीख को रात को मैं आया। बारह तारीख को फूड डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर कहा, इस प्रकार की खबर आई है कि हरियाणा में जो अनाज रिजेक्ट कर दिया गया है वह नोहर की मण्डी में खरीदा जा रहा है और एफ. सी. आई. के लोग जो खरीद रहे हैं इसमें काफी घोटाला है। यह दोनों बातें की उस दिन। उस दिन बताया कि एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर है उसकी कम्प्लेन्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

आई है। कल एन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कम्प-लेन्ट देखी और देखने के बाद हमने आदेश दिया है, गंगानगर कलेक्टर इसकी जांच करें। नौहर से आने वाले माननीय सदस्य सहयोग देना चाहते हैं तो सरकार उनका सहयोग लेना चाहती है। कलेक्टर को चिट्ठी लिखी जा रही है और एस. डी. ओ. को लिख दिया है कि क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी इन्सपेक्टर घपला कर रहा है, इसकी जांच करनी चाहिए। वह इन्क्वायरी करेगा। यही नहीं, जिलाधीश को आदेश दिया है, अब कलेक्टर जांच करके नतीजे पर पहुँचेगा तब मामला हमारे सामने आने के बाद में हम ठोस मामला रख सकते हैं भारत सरकार के सामने। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा....

श्री रामचन्द्र आर्य : रोजाना ऐसा आदेश होता है, कोई मानता है? आप ऑर्डर ऑर्डर देते हैं, क्यों नहीं इसकी आप सी. बी. आई. से जांच करवायें? उनको आप फौरन गिरफ्तार कराइये। वह इतना करप्शन कर रहा है और आप कहते हैं कि कलेक्टर को लिख दिया है, यह आदेश किया गया है, वह आदेश किया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके कहने से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसको जांच करवाई जायगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं कर सकते। यही मैं कहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं कर सकते, बैठ जाइये।

मैं निवेदन कर रहा था, इसलिए शिका-यत की जांच करवानी पड़ेगी कि एलीगेशन में कहां तक तथ्य है और किस कानून में प्रोसीक्यूट किया जा सकता है, किस बात में अमुक केस होगा। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, अभी नहीं किया था, डेढ़ साल पहले गेहूं की पर्चेज के मामले में इस सदन में मामला उठा था, उस वक्त कहा था कि एफ. सी. आई. सेन्ट्रल एक्ट के नीचे ऑपरेट करता है और राजस्थान सरकार के प्रति आन्सरेबल नहीं है, वह ऑटोनोमस कॉर्पोरे-शन बना हुआ है, उस ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भारत सरकार है, इसलिए राज्य सरकार इसमें एक्शन नहीं ले सकती....

श्री रामचन्द्र आर्य : भारत सरकार तो है, लेकिन आदेश तो आपका है कि किसानों से बाजरा लिया जाय। आपके आदेश की लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं और पैसा लोग खा रहे हैं। आप कहते हैं भारत सरकार का है।

श्री परसराम मदेरणा : फेयर एवरेज क्वालिटी का जो नहीं है, आप चाहते हैं वह खरीदा जाय। जो टेक्नीकल आदमी हैं, और जो उनकी कार्यवाही है, उससे मैंने सदन को अवगत कराया। आप समझें कि हर तरह का बाजरा खरीद लिया जाय तो यह सम्भव नहीं है खरीदना। दस लाख का घाटा होते हुए भी राज्य सरकार जो दस हजार टन खरीद रही है, वह इसलिए खरीद रही है, कुछ बाजरे का भाव ठीक रह जाता है। इसके अलावा वसूली का कारण बताया। वह बात कही, लेकिन वसूली के बारे में, रिकवरी स्टे करने की बात के लिए मैं नहीं कह सकता, मैं अलबत्ता राजस्थान मन्त्रिमण्डल को सुझाव प्रस्तुत करूंगा। वैसे मैं महसूस करता हूं कि कुछ अर्से तक यह रोक दी जायं क्योंकि किसानों के कुर्कियां

(श्री परसराम मदेरणा)

आ रही हैं, और दूसरी फीलिंग मैं बताऊं, यह और भी है, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, दो, तीन चार साल के अकाल के बाद में इस साल फसल अच्छी हुई है और आगे जो आखा तीज आ रही है २७ अप्रेल को उस तारीख को गांव-गांव में बीस, पचास, साठ, सत्तर शादियां तय हुई हैं, शादी के लिए और माल खरीदने के लिए वह लोग बाजरे को बेचना चाहते हैं, वैसे वह बाजरे को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि रेनी सीजन और सीजन में उसकी जरूरत होती, लेकिन यह लाइबिलिटी है घरेलू, इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए सब के सब लोग बाजरा बेच देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है, इसके लिए राज्य सरकार के सामने सुझाव प्रस्तुत करूंगा....

श्री देवीदत्त गाड़िया : गेहूं के बारे में ?

श्री परसराम मदेरणा : गेहूं के बारे में सतरह तारीख को, आज से दो दिन के बाद चीफ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर की कान्फ्रेंस दिल्ली में हो रही है, एग्रीकल्चर फूड कमिशन की रिपोर्ट भी राज्य सरकार के सामने आई है, उसमें जो सुझाव दिये हैं उनमें अलग-अलग केटेगरी के लिए अलग-अलग बात कही है। क्योंकि एग्रीकल्चर फूड कमीशन की रिपोर्ट सीक्रेट है उस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चीफ मिनिस्टर और फूड मिनिस्टर की सतरह तारीख को जो दिल्ली में कान्फ्रेन्स हो रही है उसमें निर्णय लिया जायगा, और उसमें सुझाव मांगे जायेंगे, उसके बाद में भारत सरकार निर्णय देगी। अभी असेम्बली सत्र चलेगा, इसलिए जो भी प्रोक्योरमेंट प्राइस तय होगी-पिछले साल आप जानते हैं जो प्राइस थी, वह ६८ से ७१ रुपये तक थी। लाल गेहूं के लिए और मेक्सिकन व्हीट व्हाइट व्हीट के लिए ७६ रुपये प्रोक्योरमेंट प्राइस तय की थी, एग्रीकल्चर फूड कमीशन का सजेशन नीचे का था। इस साल प्राइस के जो सजेशन दिये हैं, पिछली साल की तरह दिये हैं और क्या फाइनल प्राइस तय हुई है- उससे सदन आठ-दस दिन के अन्दर अवगत हो सकेगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मन्त्री, गेहूं की फसल तो आ रही है मण्डी के अन्दर और वहां भाव गिर रहे हैं और उसके कारण से किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी इस बारे में पूर्णतया केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मन्त्री से मिल कर, विभाग से मिल कर पांच सात दिन में निर्णय करेंगे तो किसानों को राहत होगी नहीं तो उनका शोषण होगा।

श्री परसराम मदेरणा : हमारा इस बात पर एम्फेसिस रहा है और सदन को आश्वासन भी दिया गया है, भारत सरकार को कहेंगे चीफ मिनिस्टर, जो सुझाव दिया जाता है प्रोक्योरमेंट की प्राइस निर्धारित करने के लिये उसमें समय नहीं ले और चार-पांच दिन के अन्दर फैसला कर दें, क्योंकि गेहूं की फसल आने लग गई है और प्रोक्योरमेन्ट प्राइस तय नहीं हुई है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि भारत सरकार क्या टार्गेट तय कर रही है राज्यों के लिये अलग-अलग, भारत सरकार अलग-अलग राज्यों के लिये टार्गेट बना रही है, उसके बाद में जो प्रोक्योरमेन्ट प्राइस होगी, उसके अनुसार खरीदने की बात होगी।

मैंने एफ. सी. आई. वालों से यह बात कह दी कि चारों तरफ से

(श्री परसराम मदेरणा)।

क्वालिटी इन्सपेक्टर की शिकायतें आई हैं, कुछ तो हमारे कहने के बावजूद भी कुछ दूसरे आदमी लगाये हैं वह किसानों से डाइरेक्टली खरीदने वाली बात नहीं करें और बिचोलिया से अनाज खरीदते रहें, या घपला करते रहें तो हमने यह भी निर्णय लिया है, और उन्होंने भी यह एग्री कर लिया है कि यह बिचोलियों से खरीदें नहीं, इसके लिये कोई न कोई आदमी आप डेप्यूट कर दें, और इसके लिये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनाई है, एडवाइजरी कमेटी, जो काश्तकारों को गाइड करेगी, उसमें जिला प्रमुख, प्रधान, बी. डी. ओ., तहसीलदार; एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर, एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर हैं। इसके अलावा राजस्थान में १४ क्वालिटी इन्सपेक्टर हैं, तीन-तीन मंडियों में एक-एक क्वालिटी इन्सपेक्टर जायेगा। क्वालिटी इन्सपेक्टर का पोस्टिंग कर दिया है पांच तारीख सात तारीख को, और उसके साथ-साथ यह तय किया है कि हमारा जो एन्फोर्समेन्ट स्टॉफ लगा हुआ है, उसका डी. एस. ओ. है, कलेक्टर वगैरह हैं, यह उसका सुपरविजन करें ताकि कम से कम जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं बाजरा या और कुछ १० हजार टन खाद्य निगम खरीदेगी। उसमें भी इसी एडवाइजरी कमेटी को रखने जा रहे हैं। इस बात के लिये हमने आदेश दे दिये हैं। यह कमेटी तीन जिलों के लिये बनाई थी। जब तीन जिलों के कमेटी के आदेश राज्य सरकार की ओर से प्रसारित हुए, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास जब आई तो आज ही मैंने आदेश दे दिये, तार दिला दिये कि राजस्थान में खाद्य निगम जहां पर क्रय केन्द्र खोलती है वहां सभी जगह इस तरह की कमेटी काम करे ताकि कोई भी आदमी एक आदमी तो वहां प्रजेंट रहे। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि आप तो सदन में व्यस्त रहेंगे लेकिन प्रधान, विकास अधिकारी, नगरपालिका अध्यक्ष को भी इसमें रखा है। जहां नगरपालिका अध्यक्ष नहीं है वहां प्रशासक को रखा है। बहुतसी जगह मंडियां हैं, नगरपालिकायें हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, प्रधानों को साथ में रखा है और तहसीलदार वगैरह को रखा है। कई जगह विकास अधिकारी पंचायत समिति के दूसरी जगह हैडक्वार्टर हों तो हमेशा नहीं रह सकता, जो कोई भी अधिकारी रहेगा उसके आइडेंटीफाइ करने के बाद अनाज खरीदें।

माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं काफी वजनी सुझाव है। मैं नहीं कहता कि राज्य सरकार चिंतित नहीं है। जो कान्फ्रेंस हो रही है जो खरीद में कमियां हैं खाद्य निगम की तरफ से, उनको कैसे पूरा किया जा सके, क्या एजेन्सी होनी चाहिये, गेहूं खरीदें उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार अपने विचार भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी। आज जो स्थिति है मोटे अनाज की खरीद की इसमें दो राय नहीं कि इस साल जो उत्पादन हुआ है वह रेकार्ड प्रोडक्शन है और गेहूं की फसल सांचोर से नैनीताल तक बढ़िया है।

नोहर से आने वाले सदस्य ने मोटे अनाज का जिक्र किया। चार प्रकार का मोटा अनाज होता है। ४।। मिलियन टन चावल की खरीद का टार्गेट या खरीफ की फसल में। गेहूं उत्तर भारत में ज्यादा होता है। हिन्दुस्तान में १०५ मिलियन टन के टार्गेट्स हैं उसमें से ४५ मिलियन टन चावल होता है, आधे लोग चावल खाते हैं। बाजरे के लिये भी हमने कुछ स्टेप्स लिये थे। बाड़मेर वगैरह को,

Page No 81

(श्री परसराम मदेरणा)

बेगन्स नहीं आए। हमने रेल मंत्री को, जेनरल मैनेजर की आफिसर्स लेविल पर रेल मन्त्री को लिखा। जब वैगन्स आए तो भाव ठीक हो गये। भाव जो गिर रहे थे वह रुक गए। उसके बाद वर्गीकरण को हटा दिया। वापस ओरिजिनल पोजीशन रेस्टोर करवाली तो हमने समय-समय पर जब देखा कि भाव गिर रहे हैं तो स्टेप्स लिये हैं।

एक बात डिस्प्यूट की है। राजस्थान का जो बाजरा है १३ से २४ प्रतिशत खराब मानते हैं। भारत सरकार कहती है कि स्टोरेज कैपीसिटी नहीं है यह मामला भी एक डिस्प्यूट का कारण है। यह होने की वजह से कहते हैं कि थोड़े समय के बाद ह्यूमन कन्जम्पशन के काबिल नहीं रहेगा। जब ह्यूमन कन्जम्पशन के लिए नहीं रहेगा तो फिर हम खरीदते हैं तो पूरे का पूरा राज्य सरकार को घाटा होने वाला है। तो भी १० हजार टन की बात हमने कही है। अगर १० हजार टन ४८) के हिसाब से अगर टार्गेट पूरा भी हो गया तो भी कुछ टार्गेट राज्य सरकार बढ़ाने का भी इरादा रखती है ताकि भाव न गिरे।

श्री मदनसिंह : अगर इनके भावों में कोई निश्चित रूप से फायदा नहीं हुआ और समस्त राजस्थान के काश्तकारों ने, जैसे मजदूरों के आन्दोलन होते हैं वैसे निश्चय कर लिया कि भविष्य में फसल खड़ी रख ली तो नुकसान होगा तो अगर मजदूरों को हक है किसी भी ढंग से आन्दोलन करें, अगर काश्तकार के दिमाग में आ गया कि राज्य सरकार जो भाव निश्चित करती है उससे उनको फायदा नहीं है और वह आन्दोलन कर बैठे तो ....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : उनके आन्दोलन पर प्रतिबन्ध है? इसको अच्छी मिसाल में समझें थोड़ी अहमियत दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो ४-५ क्विंटल ही हर वर्ष रखता हूं। दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, राज्य सरकार उनके सुझाव को मानती है और भारत सरकार के सामने पुरजोर शब्दों में यह रखने वाली है कि अगर इस तरह से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के भाव गिरे तो काश्तकार का इन्सेंटिव खत्म हो सकता है और अगर इन्सेंटिव खत्म हो गया तो कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस साल भारत सरकार ने मार्केट से १५ लाख टन के आसपास गेहूं खरीदा है। हमेशा ४-५ लाख टन के बीच खरीदा। कम खरीदा। जैसा सेंसस फिगर्स से आपने देखा होगा हर साल एक करोड़ से ऊपर आबादी बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए किसान का इन्सेंटिव किसी प्रकार से खत्म न हो ताकि अनाज का उत्पादन वह बढ़ाता जाए, कैश क्राप्स की ओर उनका डाइवर्शन न हो। इस बात को ध्यान में रख कर भारत सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये और रबी की फसल जो आ रही है, बाजरे की फसल अभी भी एक-दो महीने तक आती रहेगी। गांवों ने मार्च से निकाला है, मार्च के अन्त तक निकाला है, १० हजार टन से ऊपर की खरीद भी हो सकती है तो भारत सरकार भी ज्यादा टार्गेट्स रख सकती है और हम यह भी प्रस्ताव रखेंगे कि स्पेसीफिकेशन्स जो आपने निर्धारित किये हैं और हमारे मोटे अनाज के स्पेसीफिकेशन्स में थोड़ा बहुत चेन्ज किया उससे पर्पज सर्व नहीं हुआ है और स्पेसीफिकेशन्स के मामले को दोनों

(श्री परसराम मदेरणा)

देखना चाहिये ताकि काश्तकार को इन्सेंटिव मिले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार के सामने पहले भी इस बात को रखा गया या अब रखने का विचार रखते हैं ? राजस्थान में और हिन्दुस्तान में जनरली हमारा बम्पर क्रॉप्स होते हुए भी यह पी. एल. ४८० के इम्पोर्ट्स को फौरन बन्द कर दें क्योंकि यह सबसे ज्यादा एडवर्ड इम्पेक्ट हमारे कृषि उत्पादन पर कर रहा है, भावों को प्रभावित कर रहा है। जब भारत सरकार के टेक्निकल एक्सपर्ट्स की यह राय है कि फलां अनाज इससे ज्यादा प्रीजर्व नहीं रखा जा सकता तो यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो जिस किसान ने पैदा किया है उसके घर में घाटा हो जाए, अगर वह सरप्लस है तो कहीं न कहीं प्रीजर्व किया जाएगा। किसान के पास साइन्टीफिक गोडाउन्स नहीं है उसमें रख कर सकें उसके बजाय सरकार टेक्निकल या कैमिकल तरीके से इसका प्रिजर्वेशन कर सकती है, यह दृष्टिकोण तो ऐसी सरकारों का हो सकता है जो फ्री ट्रेड में विश्वास करती है इसलिये फंडामेंटली नए दृष्टिकोण की जरूरत है जिसमें सबसे पहले राज्य सरकार को पी. एल. ४८० के आयात बन्द कराने के लिये जोरदार आवाज उठानी चाहिये।

दूसरी बात जैसे क्वालिटी १२-१४ प्रतिशत बिनो स्पेसीफिकेशन्स कहते हैं तो वह किसान से जिसके पास सरप्लस है सारा सरप्लस सरकार ले ले जैसे आज राज्य सरकार ट्रेड कर रही है सारे के सारे स्टेट गवर्नमेन्ट खरीद कर रही है, सारा सरप्लस सरकार खरीदे किसी भी स्पेसीफिकेशन का हो, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, डिफरेंट केमिकल्स से उनका प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। जितना भी प्रिजर्वेशन हो सके उतना किया जाए, नुकसान हो तो भोगिए।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पी. एल. ४८० के लिये कहा। इसका सम्बन्ध भारत सरकार से है और यह देश में बफर स्टॉक बनाये रखने की दृष्टि से है ताकि जब भी अकाल आदि का समय हो तो उस स्केयरसिटी से निपटा जा सके।

एक बात यह कही गयी कि गोदामों में प्रिजर्व किया जा सकता है और आजकल ऐसे केमिकल्स निकल गये हैं कि प्रिजर्वेशन हो सकता है। पिल्लई की जो रिपोर्ट है उसमें यह सब है। १२ पर्सेन्ट के लिये भी ६ महीने की बात है।

जहां तक गोदामों के सम्बन्ध की बात है तो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जरिये पिछले सालों में ये बनाये गये हैं और आज भी कन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। २०० करोड़ की लागत के गोदाम देश में बन रहे हैं। उनमें से कितने बने और कितने नहीं मैं नहीं बता सकता क्योंकि यह भारत सरकार की ओर से हो रहे हैं। गोदामों की ज्यादा से ज्यादा केपेसिटी बढ़े, और खाद्यान्न को अधिक प्रिजर्व किया जा सके इसलिये और भारत सरकार से निवेदन किया जायगा ताकि भारत सरकार के पास जो स्टॉक है वह भी प्रिजर्व किया जा सके क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिये उनको देना पड़ता है। सबका अनाज भारत सरकार खरीद कर रख सके यह संभव नहीं है।

(श्री परसराम मदेरणा)

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब काश्तकार पांच-पांच साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं तो भारत सरकार क्यों नहीं ? लेकिन हमारे पास मजबूरी है इसलिये नहीं रख सक रहे हैं। राख है उसमें प्रिजर्वेशन के केमिकल हैं।

श्री शंकरलाल : यह जो रिपोर्ट पिल्लई सा० की बताते हैं....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या मंत्री महोदय इस बात को....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जानते हैं कि....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : किसान अनाज प्रिजर्व करके रख सकें उसके लिये उनको एडवान्स दिया जाय ताकि किसान ने जो माल पैदा किया है वह सस्ते भाव में न बिक सके।

श्री शंकरलाल : पिल्लई साहब की रिपोर्ट के लिये कहा गया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप बहुत बोल चुके हैं।

श्री शंकरलाल : यह कहा कि ह्यूमन कन्जम्पशन के योग्य नहीं रहेगा किन्तु बहुत से माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि वह रिपोर्ट खराब है। यह बात सही नहीं है कि वह खाने योग्य नहीं रहेगा। क्या सरकार दुबारा इसकी जांच कराने के लिये तैयार है ? दूसरे एक्सपर्ट से जांच करायी जाय इसको ताकि पता लगेगा कि रिपोर्ट सही है या गलत। पिल्लई की रिपोर्ट कोई खुदा की रिपोर्ट थोड़े ही है।

श्री परसराम मदेरणा : चार-छः महीने से अधिक स्टोरिंग केपेसिटी नहीं है फिर भी खरीदने का रखा है। भारत सरकार को निवेदन करेंगे कि डा० पिल्लई की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए और किसी दूसरे एक्सपर्ट को राजस्थान में भेज कर जांच कराये कि स्टोरिंग केपेसिटी ज्यादा है या नहीं या डा० पिल्लई ने जो बात कही है वह सही है।

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई।

आय-व्ययक १९७१-७२ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापतिजी, जब २७ मार्च को माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट के भाषण की प्रति मिली तो जिस तरह का इसका रंग है उसको देख कर लगा कि चैत्र के महीने में ढाक बहुत खिलता है और उसके सुन्दर-सुन्दर फूल आते हैं लेकिन उन फूलों में खुशबू नहीं होती है। ठीक इसी तरह से इनका भाषण बिना खुशबू का है। दूसरे शब्दों में यह निवेदन करूं कि इस पर समाजवाद का मुलम्मा है। शुगर कोटेड पॉइजन कहूं। वरना शुरू से अन्त तक इसमें सर्वनाश ही सर्वनाश भरा हुआ है।

सभापतिजी, जिस राज्य पर ५४७ करोड़ का कर्जा हो, जिस राज्य पर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

६० करोड़ का श्रोवर ड्राफ्ट हो फिर भी सब प्रकार से गुलछर्रे उड़ते हों, लाख-लाख की गाड़ियों में फिरते हों, बिजली पानी आदि का अनापशनाप खर्चा हो, जिन पर सीलिंग न हो, यात्रा पर कोई सीलिंग न हो, और विधायक भी १२ हजार मील की फर्स्ट क्लास में फ्री यात्रा करते हों, घूमते हों, ये भी निश्चिन्त और हम भी निश्चिन्त सोचना तो यह चाहिये था कि कटौती किस प्रकार करें। मैंने इस विषय पर एक स्थगन प्रस्ताव रखा था तो उस समय निवेदन किया था कि संकटपूर्ण स्थिति है इसलिये इस पर सीलिंग कर दिया जाय । इनके टेलीफोन पर कोई सीलिंग नहीं, पचास-पचास हजार वर्ष का टेलीफोन का खर्चा । बिजली पानी का कोई कन्ट्रोल नहीं। एक-एक लाख की गाड़ियां में बैठ कर घूमें । कोई परवाह नहीं। जब संकटपूर्ण स्थिति है तो पहले पहल तो इन खर्चों में कटौती करें। यदि हम अपने इन खर्चों में कम करेंगे तो अधिकारी भी निश्चित रूप से कटौती करेंगे और बहुत कुछ स्थिति ऐसी ला देंगे कि जिससे वास्तविक कटौती होगी । मैंने पहले ही निवेदन किया कि हम सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं तेजी से । कौनसी बात है ऐसी जिससे मैंने यह बात कही है कि यह तो सर्वनाशी बजट है।

सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय विषय की ओर आता हूं। मैंने यह बार-बार अर्ज किया है कि जब तक शराब और लॉटरी रहेगी तब तक समाजवाद आ नहीं सकता । माननीय माथुर साहब ने बताया कि ६ जिलों में शराबबन्दी की है। वहां तो ठीक तरह से देख लें। यह कभी हो सकता है कि अन्य जिलों में शराब चलती रहे और केवल छः जिलों में शराबबन्दी हो जाय और वह भी जब कि आपकी नीयत शराबबन्दी की न हो । मुझे क्षमा करिये; कल जनसंघ के माननीय नेता ने कहा कि अधिकारी ऐसा है जिन्होंने खुद के लिये दूसरों के नाम से ठेका लिया है और जो शराब बिकवाते हैं। बाड़ ही खेत को खाने लग जावेगी तो शराबबन्दी कैसे होगी ? जिन्होंने यह कहा है कि शराबबन्दी करनी चाहिये उन्हीं में इन्सेन्टिव नहीं है तो शराबबन्दी कैसे हो सकती है । वित्त मंत्रीजी ने टैक्स बढ़ाया शराब पर। टैक्स बढ़ाने से शराबबन्दी नहीं होती है। यह तो नाजायज कसीदगी को जन्म देता है । शराबों में कोई फर्क नहीं आपकी जायज और उनकी नाजायज। शराब कभी जायज हो ही नहीं सकती। कोई वैश्यावृत्ति खोल दे, जो यह काम करती हैं वह भी नाजायज काम है और जो गुपचुप करती है वह भी नाजायज काम है। आप यही बात कहेंगे कि यह चुपचाप वेश्यावृत्ति करने वाली ठीक नहीं है।

शराबबन्दी से कितना लाभ हुआ यह भी निवेदन करना चाहता हूं । मैं तो यह सोचता था कि सरकार को नुकसान होता है इसलिये बन्द नहीं कर रहे हैं । लेकिन दूसरी बात ही दृष्टिगोचर हो रही है। शराब की दुकानों से आपको लाभ है । लाखों रुपया इलेक्शन के लिये मिलता है । और भी कई बातें हैं। इसलिये अपने खुद के लाभ के लिये शराबबन्दी की ओर नहीं बढ़ेंगे । मैंने यह देखा है कि राज्य की मार्फत शराब बन्द नहीं होगी। शराब बन्द तब ही होगी जब पूर्वी बंगाल के लोगों की तरह, जो कुर्बानी दे रहे हैं, कुर्बानी दी जावेगी। तब शराबबन्दी होगी ।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लॉटरी इसलिये शुरू की कि शराबबन्दी से नुकसान होगा वह लॉटरी पूरा कर देगी। एक पाप को खत्म करने के लिये दूसरा पाप शुरू हुआ। अब तो यह हो गया है कि एक रुपये से १६ लाख रुपया मिलेगा, गली-गली में लोगों को मुफ्त की कमाई की ओर लगा दिया है। आदिवासियों के लिये फरमाया। आप आदिवासियों के कल्याण के लिये, अपितु स्वयं अपने कल्याण के लिये उनकी आड़ लेकर काम कर रहे हैं क्योंकि आपके चुनाव के मुख्य आधार पहले पांच थे:— महाजन, महत्तर, मुसलमान, मुलाजिम और मजदूर इनमें से तीन मम्मे तो खिसक गये। अब तो महत्तर और मुसलमान दो मम्मे रह गये। इसलिये महत्तर हरिजनों को पकड़ना चाहते हैं वे कहते हैं हम तुम्हारा कल्याण करना चाहते हैं। अब क्या कल्याण करते हो आप उनका आज सबसे अधिक नुकसान उनका अगर किसी से होता है तो शराब पीने से होता है पर शराब तो आपने बढ़ाई है। इसके कारण उनके बच्चे भूखों मरते हैं, औरतें बिलखला रही है, औरतें रोज पीटाई खा रही हैं, त्योहार के दिन भी उनका परिवार नंगा-भूखा नजर आता है। आपने बाजार के बीच में इस शराब को ला बिठाया है आज तो। आज शराब की लत बढ़ती जा रही है। यह भयंकर काम आप कर रहे हैं।

इसके परिणाम भयंकर होंगे, यह बात आपकी समझ में अभी नहीं आवेगी। कुछ मन्त्री भावनाशील भी हैं। पर अब तो ७५ पर्सेन्ट इनमें ऐसे लोग हो गये हैं जो यह कहते हैं कि शराबबन्दी हो नहीं सकती। मैं कहता हूं आप चाहते ही नहीं मन से। इसलिये नहीं हो सकती।

श्री वृद्धिचन्द जैन : ७५ पर्सेन्ट की बात आप गलत कह रहे हैं। हम सब तो शराबबन्दी के पक्ष में हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : फिर आप निर्जीव हैं, निर्वीर्य हैं, आप में हिम्मत नहीं है। द्रौपदी का चीर-हरण हो रहा था और भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण सरीखे महारथी चुप थे। चुपचाप वह कुकृत्य देख रहे थे। तो चुपचाप देखने वालों में और कुकृत्य करने वालों में कोई अन्तर नहीं है। अगर जीवन हो आप लोगों में और इतनी भीड़ में से पचास जीवट वाले आदमी ही उठकर कह दें कि शराबबन्दी होनी चाहिये तो इनकी मजाल नहीं कि ये ना कह दें। इनकी तो पिंडलियां धूजने लग जावेंगी। माथुर साहब तो कल मान जावें। पर आप में हिम्मत नहीं। इससे तो शराब के पक्ष में होना ज्यादा अच्छा है निर्जीव होने से तो। मैं फिर कहता हूं अगर है हिम्मत। आप में तो उठो हुंकार करो। तभी आपकी मन की आवाज सुनी जावेगी, माथुर साहब कांप जावेंगे, बाकी तो कोई सुनेगा नहीं।

आपने कृषि फार्म खोले। मैं मानता हूं कृषि उत्पादन बढ़ा। इसके लिये बधाई दिये बगैर नहीं रहता। पर आज भी ऐसी स्थिति है कि कल अगर भगवान न करे, अकाल पड़ जावे तो भयंकर स्थिति फिर पैदा हो सकती है। आपने जिस तरह से इन फार्मों को चलाना चाहिये, इस बारे में जितना अच्छी तरह से सोचना चाहिये, सोचा ही नहीं। आपके पंचायत समितियों के फार्म चल रहे हैं, सब घाटे में चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं। आपके पास कितने फार्म हैं। ठीक तरह से जांच करिये इनमें से कितने मुनाफे में चल रहे हैं

(मनोहरसिंह मेहता)

और जो मुनाफे में भी चल रहे हैं वे कितने मुनाफे में चल रहे हैं।

फार्मों के कारण जो जमीन आपको घाटे में रही वह जमीन अगर गरीब हाथ से खेती करने वाले किसानों में बांटी होती तो हजारों मन का उत्पादन और बढ़ गया होता। जिन-जिन नेताओं को जमीन मिली है अगर उनको न दी जाकर वह जमीन भी अगर हरिजन आदिवासियों को और भूमिहीन किसानों को दी होती तो बड़ा फायदा होता। उनको जो भी कुछ जमीन मिली है वह वह मिली है जो खराब से खराब थी। फिर भी कुछ काम तो हुआ है।

आपने अपने भाषण में फरमाया जोधपुर में आप डेयरी फार्म लगा रहे हैं। आप आज डेरी लगा रहे हैं। यहां तो घर-घर में डेरी चल रही थी। घर-घर में बालक मक्खन के लिये कटोरी लिये अपनी मां के सामने खड़े हो जाते थे जब वह घर-घर में बिलोने बिलोती थीं। पर जबसे आजादी आई है करीब-करीब सभी घरेलू डेरियां बन्द हो गई हैं। मैंने इस पर एक स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया था कि आप गाय और बछड़े के आधार पर जीते हो तो कम से कम इनको राष्ट्रीय पशु ही घोषित कर दो गाय और बछड़े को। हजारों गायें और बछड़े आज इस भारत भूमि में रोज कट रहे हैं। राजस्थान में नहीं कटते, यह जानता हूं, इसकी खुशी है। पर देश में जो इनका कत्ले आम हो रहा है उसे भी आपको रोकना पड़ेगा। केवल ट्रैक्टरों पर भरोसा रखकर आप कृषि में क्रान्ति लाने का सपना देख रहे हो, वह पूरा नहीं होने वाला है। यूरिया के भरोसे काम नहीं चलेगा। कम्पोस्ट की जरूरत तो रहेगी ही। भगवान कृष्ण पागल नहीं थे जो गायें चराने जाते थे। आज उस गोपाल के देश में गायें और बैल बछड़े कट रहे हैं। ४२ करोड़ लोग अगर यही चाहते हैं तो करें क्या? मैं तो ५५ करोड़ कह सकता हूं। मुसलमानों को भी खेती की जरूरत पड़ती है, बैलों की जरूरत पड़ती है। बछड़ों की जरूरत पड़ेगी। कम्पोस्ट खाद के बगैर आपकी भूमि की उर्वरता टिक नहीं सकेगी। एक दिन फिर घूम कर आपको कम्पोस्ट खाद पर आना होगा। ये यूरिया फूरिया आपके काम ज्यादा नहीं आने वाले हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : लूली लंगड़ी गायें कटती हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भारत सरकार से रिक्वेस्ट करिये कि कुछ लोग खेती पर लगें और कुछ लोग गोपालन पर लगें। आपकी बेकारी बहुत सीमा तक मिट सकती है।

सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सुन्दर बात थी। यह बात नहीं है कि यह सहकारिता अभी आई है, यह पुरातन है। पहले भी थी। आप गांवों में चले जाइये। गांवों में कोई मर जावेगा तो घर से लकड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है। एक-एक आदमी गांव का अपने-अपने कन्धों पर एक-एक लकड़ी लेकर चला जावेगा और काम हो जावेगा। वापिस जब आवेगा तो घर-घर से एक-एक रोटी लाकर उनको खिला देंगे। इसी तरह खेती, पानी कटाई वगैरह में सहयोग देते हैं। पर जब से आपने इसे कानून के शिकंजे में जकड़ा और पैसा देना शुरू किया इतना करप्शन इसमें घुस गया है कि सहकारिता

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

यहां कहीं दिखती ही नहीं है, वह तो भाग गई, करप्शन के ड से। स्थिति आज यहां तक पहुंच गई है अध्यक्ष और मन्त्री सभी चट कर गये, खा गये हैं इन सहकारी समितियों को। एक दिन ऐसा आवेगा कि जिस प्रकार जमीन के नाजायज कब्जे को आप जायज करते जा रहे हैं, उसी तरह इन पंचायत समितियों में सहकारी समितियों में, जो कुछ पैसा सरकार का लगा है, या दिया गया है वह सब बट्टे खाते लिखना पड़ेगा।

तो अगर निष्ठा से ईमानदारी और मेहनत से आपने काम किया होता तो बिजली की बात मैं कहता हूं गांव-गांव में पहुंच गई होती। पर आज तो हालत यह है कि बिना कुछ दिये लिये कागज सरकता नहीं। बिना पैसा दिये लाइन खिचती नहीं। कुछ काम होता नहीं। आप अन्दाज तो लगाइये इसका।

आपने शिक्षा के बारे में कहा। वित्त मन्त्रीजी ने फरमाया ३ कॉलेज और खोल रहे हैं इतने प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में बदल रहे हैं, इतनी नई स्कूलें और हायर सैकण्डरी स्कूल खोल रहे हैं। इसमें शक नहीं। मैं इसके लिये बधाई भी दे सकता हूं कि १ करोड़ से ४० करोड़ तक आप इसमें ले गये। पर परिणाम? बेकारी! बेकारी! परिणाम यह कि बुद्धि और श्रम में भयंकर भेद, अन्तर, दूरी, श्रम करने वाला नीचा और बुद्धि का काम करने वाला ऊंचा आपने यह भेद डाल दिया आज। जो आई. ए. एस. अधिकारी के यहां चपरासी काम करने जावेगा वह छोटा। साहब मोटा। साहब की मेम अपने घर में झाड़ू नहीं दे सकती। क्योंकि झाड़ू देने का काम छोटे आदमी का। यह दिमाग में बू घुस गई है आज। यह है इस शिक्षा का कुपरिणाम: श्रम करने वाले को छोटा मानते हैं। श्रम का महत्व इनको नहीं बताया गया। घोषणा कर दो चपरासी किसी के घर काम करने नहीं जावेगा। अगर झाड़ू लगाना है घर का, श्रम का, और कोई काम करना है तो करे साहब और उनकी मेम, मन्त्रिजी और उनकी मन्त्राणी। पर यह काम वे नहीं करेंगे क्योंकि इस श्रम को वे हेय समझते हैं। तो शिक्षा ऐसी दीजिये कि स्कूल के बच्चे ऐसे निकले कि जो श्रम करें, श्रम में अपनी इज्जत समझें। गांधी ने कहा था उस बूढ़े की कौन सुने? कहा था उसने कि बुनियादी-तालीम शुरू करो। पर बूढ़े की यह बात भी आपने ठुकरा दी।

आप फरमा रहे हैं बेकारी का भत्ता देंगे। एक-दो साल देंगे। यहां तो इतनी फैक्टरियां हैं कि यह भत्ता आप कितनों को कब तक देंगे? आप दिवालिया हो जावेंगे। पांच फैक्टरियां हैं डाक्टरों की और इन्जीनियरों की भी कई फैक्टरियां हैं। हर साल हजारों की तादाद में ये उसमें से दनादन निकलते हैं। कहां कन्जूम करोगे इस माल को आप? आप बेकारों का भत्ता सबको दे नहीं सकेंगे।

आपने फरमाया हरिजन बालकों को पढ़ने को स्कालरशिप दी। बधाई देता हूं इसके लिये। आप उनको खूब पढ़ाइये खूब सुविधाएं दीजिये। जमीनें दीजिये। जहां वे श्रम करें और सोना उपजावें। पर जहां चयन का मौका आवे वहां तो सबके गुणों के आधार पर ही चयन करिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि ४६ पर्सेन्ट वाले को ले लें और ६६ पर्सेन्ट वाले को छोड़ दें। इसलिये आप इस बात का ध्यान रखें।

चिकित्सा में आपने अच्छा काम किया। अस्पतालों में खाटें बढ़ाये इसके लिये बधाई

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दे सकता हूं। पर सभापतिजी, अपने क्षेत्र की बात निवेदन करूं दस-दस मील तक पंचायत हैडक्वार्टर से कोई दवा का साधन नहीं। किसी के पेट में दर्द हो जाय तो मजवाइन देने वाला नहीं मिलेगा दस-दस मील दूर तक। बरसात के दिनों में हालत और भी खराब हो जाती है, सड़कें नहीं होने के कारण नहीं आ-जा सकते। आज तक कई पंचायतें तो ऐसी हैं जिनमें रहने वाले लोगों ने बसों के दर्शन तक नहीं किये। बस नहीं पहुंच सकती है, सड़कें नहीं हैं, दवाखाना नहीं है। मरते हुए को कोई दवा नहीं दे सकते हैं, यह राज्य सरकार तो ऐसी है जिसे जीने का कायदे से कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात के लिये मैं बधाई दूंगा वित्त मंत्री महोदय को उनका भाषण इतना बढ़िया होता है कि वे लोगों को चक्कर में जल्दी ला सकते हैं। वोट के लिये, राजस्थान भर में वोट केपचर करने के लिये उनके मुकाबले में कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। वोट केपचर करने की यह उत्तम मशीन है। लेकिन वोट को आप केपचर कर लीजिये, लेकिन आगे जाकर इसका परिणाम क्या होगा जैसे कलश पर से सोने का मुलम्मा निकल जाता है तो तांबा ही तांबा निकल आता है और इसी तरह लोगों को मालूम हो जायगा कि इन्दिराजी का समाजवाद कितना बड़ा धोखा है। जो रोज-रोज समाजवाद की बात करती है लेकिन आज तक उनके मुंह से यह नहीं निकला है शराब बन्द हो, लॉटरी बन्द हो। यह इन्दिराजी बन्द नहीं कर सकती हैं। तो वह समाजवाद नहीं सर्वनाश ही लायेंगी। यह मेरा अन्तिम भाषण है और यह प्रार्थना करता हूं कि शायद अगली बार जब चुनाव हो तो मुझे यहां नहीं आना पड़े। मैं नहीं आना चाहता। जनता चाहे तो दूसरी बात है। मैं तो नहीं आना चाहूंगा क्योंकि यह स्थान खाली बोलने का स्थान है। आप यहां जाकर बोल लीजिये। आपके मन में जो दर्द है, दुःख है वह कह लीजिये, लेकिन कौन सुनता है। "आपका हुक्म माथे पर नारदा तो यहीं गिरेगा" यह कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है।

सभापति महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने यह भी फर्माया है कि बच्चों के लिये पौष्टिक आहार का इन्तजाम कर रहे हैं। इस तरह बच्चों को हम भिखारी बना रहे हैं। आप बाहर से आया हुआ, धर्म के नाम पर आया हुआ दूध, तेल और उसके पकोड़े बनाकर इन बच्चों को खिलायेंगे। क्यों इन बच्चों को भिखारी बना रहे हैं? हरिजनों, और आदिवासियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मन में स्वाभिमान जाग्रत होना चाहिये। क्या कभी माथुर साहब अपने बच्चों को यह पौष्टिक आहार खिलायेंगे? क्या वे अपने बच्चों को क्यू में खड़े करेंगे? कभी नहीं करेंगे। स्वाभिमानी राष्ट्र को यह ग्रहण नहीं करना चाहिये लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसको पौष्टिक आहार कह कर ले रहे हैं। हम सूखे चने चबायेंगे, रात को भिगो देंगे और सुबह खा लेंगे लेकिन हम भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। एक तरफ भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और दूसरी तरफ एम्पाला गाड़ी में घूमते हैं, यह क्या है?

आपने यह भी फर्माया है कि होस्टल बढ़ा रहे हैं, हरिजनों के लिये और होस्टल को अपग्रेड कर रहे हैं। क्या आप इनको हमेशा के लिये हरिजन ही रखना चाहते हैं तब तो होस्टल बढ़ाइये। आदिवासियों के

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

लिये अलग होस्टल बनायेंगे, हरिजनों के लिये अलग से होस्टल बनायेंगे, उनके नाम की अलग बस्तियां खोलेंगे। मेरा निवेदन है कि अलग बस्तियां न खोलें। जहां अच्छी बस्तियां हों उनके बीच-बीच में २०-२५ प्लॉट इनके लिये भी रखें जिसमें मेहतर, बलाई, चमार भी रहें और आज तो मेहता भी इस श्रेणी में है, वे भी रहें, सब रहें। तब जाकर आपकी हरिजन समस्या हल होगी। इनके लिये यह भंगी होस्टल, चमार होस्टल न खोलिये। आप कृपा करके इस तरह से न करें। पिछड़ी हुई जातियों के लड़कों को आप वजीफा दीजिये, सामान्य तौर पर और निश्चित तौर पर दीजिये क्योंकि ये सैंकड़ों सालों से पीड़ित रहे हैं, शोषित रहे हैं, इसलिये उनको सहायता की जरूरत है लेकिन कृपा करके इनके लिये अलग से होस्टल्स न खोलें।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कौनसा ऐसा काम है जिसमें आपने उन्नति की हो, और जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि आप समाजवाद को ला रहे हैं। क्या दूध, घी, दही, छाछ में वृद्धि हो रही है। भ्रष्टाचार की मोहर, बेरोजगारी की मोहर आप लगा रहे हैं। चारों ओर हाहाकार हो रहा है। चाहे आप जीतकर आ जाइये लेकिन इसका मतलब यह न समझें कि लोगों के मन में असंतोष नहीं है। किसी गतो जभी विभाग में लेये, बिना पैसे के काम नहीं होता। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माथुर साहब को निवेदन करूंगा कि आप जीवट के आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब आप करवट बदलिये। आप समाजवाद को लाना चाहते हैं तो आप करवट बदलिये और करवट बदलकर सब से पहले शराबबन्दी कीजिये, लॉटरी को बन्द कीजिये, और नहीं तो आप इस महकमे को किसी दूसरे को सौंप दीजिये क्योंकि हरी बोतल में जो टेम्पटेशन है, जब तक यह विभाग आपके पास रहेगा यह बोतल आपसे न छूटेगी और राजस्थान....

श्री मथुरादास माथुर : आपकी हवेली में भेज दूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हवेली में मेरे एक मित्र वैसे ही रहते हैं। जिनके पास आप भेज रहे हैं। ....आप कृपा करके इसको सीरियसली लीजिये। चुनाव की दृष्टि से आपका जो भाषण है वह बहुत ही अच्छा है। ७२ में निश्चय ही आपको वोट मिलेंगे। लेकिन जहां तक राजस्थान के निर्माण का सवाल है, राजस्थान का इससे निर्माण नहीं हो सकेगा, राजस्थान की तरक्की नहीं होगी, बेहबूदी नहीं होगी, बेकारी नहीं मिटेगी, भ्रष्टाचार नहीं कम होगा। इसलिये यह सब मैंने संक्षेप में निवेदन किया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)....कृपा करके थोड़ा समय और दीजिये। मुझे थोड़ा पशु चिकित्सा के बारे में भी निवेदन करना है।

सभापति महोदय, पशु चिकित्सा की स्थिति यह हो गई है, जैसे एक पाइंट पहुंच जाता है जैसे सेचुरेशन पाइंट-डाक्टर को जगह नहीं है। पशु ही चाईलजा नहीं है है कहां मिलेगी ? इस समस्या की ओर भी आप ध्यान दीजिये। पशु चिकित्सालय आपको जगह-जगह खोलने चाहिये और कम से कम एक एस. डी. ओ. और तहसील हैडक्वार्टर पर पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहिये। गायों की वृद्धि हो, अच्छे सांड निकलें, इसके बारे में भी आप सोचिये लेकिन आप सोच

(श्री मनोहरसिंह महता)

नहीं रहे हैं, पशु मंहगा होता जा रहा है। साधारण से साधारण बैल की जोड़ी एक हजार, डेढ़ हजार में मिलती है। इसलिये कभी-कभी आप इस पर सोचिये। गांधीजी क्यों चाहते थे कि ग्रामोद्योग चले? आपने बड़े उत्साह से फर्माया कि एक मिल खोल रहे हैं गुलाबपुरा में, को-ऑपरेटिव स्पीनिंग मिल। यह नहीं सोचा कि आप मिल खोल रहे हैं तो वहां पर कतवारियों की हजारों की तादाद बेकार हो जायगी, हजारों बुनकर बेकार हो जायंगे, इनका काम धंधा नष्ट हो जायेगा, पिंजारा, बुनकर बेकार हो जायंगे। जितनी मिल है वे चाहे डाल्डा की हो, ऑइल की हो, चाहे कपड़े की हो, अन्धाधुन्ध आप मिलें खोल रहे हैं। इसका परिणाम भयंकर होगा। इससे ग्रामीण व्यवस्था चौपट हो जायेगी। इसलिये यह जरूरी है कि आप गांधी और विनोबा के विचार को पढ़ें। आप जगे हुए हैं, आप सब जानते हैं, जगे हुए को कैसे जगाया जाये? इसलिये कृपा करके इस तरफ भी सोचना शुरू कर दीजिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शीशराम!

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : सभापति महोदय, राजस्थान का बजट वर्ष १६७१-७२ का सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। मैं भी अपने विचार इस पर रखना चाहता हूं। विशेषतः यह बजट समाजवाद की नीतियों से ओतप्रोत है इसके लिये मैं वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता हूं। फिर भी बहुत सारी खामियां हैं....

श्री रामचन्द्र आर्य : आप तो सस्पेन्ड हो।

श्री शीशराम : I am a elected M. L. A. I am not a Govt. Servant. Please don't disturb me.

सभापति महोदय, मैं इस बजट के अन्दर जो और कमियां महसूस कर रहा हूं, जो प्रस्ताव और सामनें आने चाहिये विचारार्थ सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत वित्त मन्त्रीजी के समक्ष रखना चाहूंगा। सब से पहले एक बात देखने को मिल रही है कि ५० मिडिल स्कूलों को इस वर्ष हाई स्कूल बनाने का प्रस्ताव है, १० हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी बनाने का प्रस्ताव है और ३०० प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाने का प्रस्ताव है और कुल ३० नई प्राईमरी स्कूलें इस वर्ष खोली जा रही हैं। आज के युग में हमारे गांवों में प्राईमरी स्कूलें न हों यह एक दुर्भाग्य की बात है; इस राज्य के लिये और हमारे लिये...

श्री रामचन्द्र आर्य : किसको सुना रहे हो, कोई मन्त्री नहीं है।

श्री शीशराम : मेरा काम है बोलने का और रिपोर्ट लिखी जा रही है। अच्छा है कि आप मुझे डिस्टर्ब न करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इसलिये कह रहा हूं कि यहां कोई सरकार नहीं है।

श्री शीशराम : सरकार अपंग हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह सरकार का अपमान है कि सदन में मिनिस्टर्स नहीं बैठते हैं। यह गलत है कि कोई कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे हों तो सभी मन्त्री सदन में न हों।

श्री सभापति : उप-मन्त्रीजी हैं ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं, मन्त्रीजी को होना चाहिये। यह कोई तमाशा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्टेट मिनिस्टर्स भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। सदन में आवश्यकता इस बात की है कि पूरा मन्त्रिमण्डल रहे। सदन में बजट पर सामान्य बहस चल रही है अगर पूरा मन्त्रिमण्डल नहीं है तो मन्त्रिमण्डल के अधिकांश सदस्य यहां रहने चाहिये लेकिन आपने यह वतीरा बना रखा है कि सदन का जितना अपमान किया जाय उतना ही थोड़ा है इसकी इनको परवाह नहीं है। बजट पर बहस हो और मन्त्रिमण्डल के अधिकांश सदस्य बाहर चर्चा करते हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार की परम्परा रही तो कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होगा। आसन ने कई बार ताड़ना दी है लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई परवाह नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि २४ घंटे ही यहां बैठे रहे। मन्त्रि-मण्डल के कई सदस्य हैं वे भी बैठे रहे तो किसी हद तक समझ में आता है लेकिन यहां तो....

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं तो बराबर बैठता हूं। माननीय सदस्य को यह कहने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये। अब मन्त्रिमण्डल पूरा बैठे यह आवश्यक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, बजट की सामान्य बहस चल रही है कोई डिमाण्ड का प्रश्न नहीं है, जिसमें सम्बन्धित मन्त्री ही बैठे रहे तो काफी है...

श्री सभापति : यह चान्स हो गया है आपका इधर आना हुआ और उधर अभी-अभी माननीय वित्त मन्त्रीजी का जाना हुआ और यह सम्भव भी नहीं है कि ११ से ५ बजे तक बैठे रहें।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि इनको यहां २४ घंटे बैठे रहना चाहिये लेकिन मेरा निवेदन है मन्त्रि-मण्डल के अधिकांश सदस्यों को रहना चाहिये और पहले रहते रहे हैं। इसी सत्र में मैं देखता आ रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि वे यहां बैठना अपना अपमान समझते हैं। यदि बजट की जनरल डिबेट नहीं होती और पर्टीक्यूलर कोई वाद-विवाद चल रहा होता तो उस विभाग के मन्त्री बैठे रहे यह समझ में आता है, लेकिन आज कोई एग्रीकल्चर की बात कर रहे हों तो बाद में मिनिस्टर नोटिंग करते रहेंगे मेरे विषय में क्या कहा और क्या नहीं कहा। इसलिये मन्त्रियों को बैठने के बारे में आसन की ओर से अवश्य कोई संकेत दिया जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा मैं उससे शत प्रतिशत सहमत हूं और इसका पूरे तौर से अनुमोदन करती हूं। हमारा मन्त्रिमण्डल जब इसको इस तरह से लेता है तो ऐसा लगता है कि हमारे दूसरे सदस्यों का भी अपमान हो रहा है। मन्त्रि-मंडल के सदस्य यहां बैठने में भी अपना अपमान समझते हैं जब कि बजट की जनरल मीटिंग हो रही है कम से कम ५-७ मिनिस्टर्स को तो बैठे रहना चाहिये। आखिर हम लोगों की भी इज्जत है, सम्मान है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : ऐसी व्यवस्था हो कि हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि भी हो। कोई भी मन्त्री हो, उप-मन्त्री हो क्योंकि बजट पर सामान्य बहस में हर विभाग से सम्बन्धित हर बात कही जा सकती है। कोई बात माननीय सदस्य कहते हैं तो जनहित में ही कहते हैं। न जाने कौनसी बात किस विषय पर कह दी गई और वह दीवारों से टकरा कर रह गई तो उसमें माननीय सदस्यों को कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। मेरी मांग है इस पर आप कोई व्यवस्था दें दे तो अच्छा हो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सभापतिजी, पहले डिपार्टमेन्ट्स के सेक्रेट्री और हैड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट आया करते थे। अब आना उन्होंने भी बन्द कर दिया। अब तो न कोई यहां मिनिस्टर बैठता है, न कोई डिप्टी मिनिस्टर बैठता है। यह हाउस का अपमान है।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, माननीय सभी सदस्य इतनी उम्मीद तो रखते ही हैं कि मन्त्रिमण्डल के कुछ सदस्य यहां बैठे। मेरा निवेदन है माननीय मन्त्रीजी को इतना डाइरेक्शन तो दिया जाय। जैसे कोरम के लिये कुछ सदस्य होना जरूरी रहता है उसी तरह इनके लिये भी कोई कोरम निश्चित कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मन्त्री महोदय बोलने लगे और हम सब उठ कर चले जायं तो कैसा रहे अधिकांश में देखा जाता है मन्त्री नहीं रहते हैं। अकेले वित्त मन्त्रीजी जवाब नहीं देते हैं और सदन में कई दफा देखा गया है जिन मन्त्रियों को थोड़ी चुटकी लगती है तो वे भाग कर उधर चले जाते हैं और वहीं पर बिराजते रहते हैं। इसलिये मैं कहता हूं इस पर ध्यान दें और आइन्दा के लिये व्यवस्था कर दी जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सरकारी जो सचेतक महोदय हैं उनको इसके लिये एक महीने की तनख्वाह का जुर्माना कर दिया जाय क्योंकि यह उनकी ड्यूटी रहती है ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, इनका १२ महीने की तनख्वाह जब्त कर ली जाय क्योंकि ये साल भर कोर्ट की पैरवी करते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न तनख्वाह काटने का नहीं। सदन के सम्मान का प्रश्न है। इस प्रश्न के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं आप कोई व्यवस्था दें और मन्त्रिमण्डल के सदस्य यहां नहीं बैठते हैं तो हम भी हाउस में नहीं बैठेंगे। वि विल नोट सिट।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : सदन के माननीय सदस्यों ने जो राय रखी है, हम उसकी इज्जत रखते हैं। हमारी कोई धारणा नहीं है कि सदन के माननीय सदस्य उपस्थित न रहें और सदन की अवहेलना की जाय अभी-अभी बजट भाषण शुरू हुआ है। अभी शायद एक बजट भाषण हुआ है ५-४ मंत्री बैठे हुये, राजस्व मंत्रीजी बैठे हुये थे, पशु मंत्रीजी बैठे हुये और मैं तो बैठा हुआ हूं ही। अब ऐसे जीरो अवर्स के बाद बहस चलती रहती है तो लोगों को लन्च लेने भी जाना पड़ता है। खाना खाने का मौका नहीं मिलता है। अभी-अभी दो-एक मंत्री मुझसे खाना खाने के लिये कह कर गये हैं। मंत्री जहां बैठे हुये है हम भी यहां बैठे हुये हैं और जिनकी ड्यूटी

(श्री मथुरादास माथुर)

होती है उसको बैठना पड़ता है बिना खाना खाये भी बैठना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिहजी बोलेंगे तो सुन लेंगे और शीशरामजी बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे ...

श्री भैरोंसिह : यह मेरी बहस का या दूसरों की बहस का सवाल नहीं है। सवाल तो मंत्रियों की उपस्थिति का है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया यह कोई भैरोंसिहजी की बहस का सवाल नहीं है, उनकी बहस को सुनने के लिये तो फिर भी दिल चाहिये हमें तो सभी की बहस को सुनना है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को भी डाईरेक्शन करिये।

श्री मथुरादास माथुर : ५-७ मिनिट हुये हैं अभी वे चले गये हैं। हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर व्यवस्था दी गई है वे हमारे सामने भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले काफी मंत्री यहां पर थे। एक-दो मिनिट के लिये माननीय वित्त मंत्रीजी बाहर चले गये थे और उप-मंत्रीजी यहां पर उपस्थित थे....

एक माननीय सदस्य : दल बदलू मंत्री।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जो अपने विचार यहां रखते हैं वे सिर्फ इसलिये नहीं रखते हैं कि मंत्री लोग उनके विचारों को और भाषणों को सुने। वे सदन के सामने अपने विचार रखते हैं और सदन उनके विचारों को सुनता है लेकिन प्रत्येक माननीय सदस्य की यह भावना होती है वे जो कुछ कहे मंत्रियों तक पहुँचे और खास तौर से सम्बन्धित मंत्री तक पहुँचे इसलिये यह उचित है ट्रेजरी बेंच की तरफ माननीय मंत्री गण उपस्थित रहें इसमें सदन की भी शोभा है और मर्यादा है और माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने में बल मिलता है। मैं इतना ही निवेदन करता हूं, यह परम्परा बनाई रखनी चाहिये। इसी में सदन की शोभा और मर्यादा है, ट्रेजरी बेंचेज को रखना चाहिये। काफी विचारों का आदान-प्रदान होता है इसलिये इनका रहना जरूरी है, माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी काफी कह दिया है सदन का आदर किया जाना चाहिये इतना ही निवेदन है।

श्री भैरोंसिह : नवाब साहब से पूछ लिजिये सभापति महोदय कौन से कट मोशन की डिमाण्ड चल रही है। अब इनके बैठे रहने से क्या फायदा। इनको कुछ पता ही नहीं....

श्री सभापति : आज तो जनरल डिबेट चल रही है।

श्री भैरोंसिह : यह तो आपने बता दिया इनको पता थोड़े ही है।

श्री शीशराम ओला : सभापतिजी मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री से निवेदन कर रहा था कि जहां गांवों में प्राइमरी स्कूल न हो तो आज के युग में इस प्रकार की बात के लिये सरकार की शोभा नहीं है। जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हों उन गांवों में प्राइमरी स्कूल होने चाहिये और उसके बाद ही मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और हायर सैकेण्डरी

(श्री शीशराम ओला)

स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाय। इसलिये प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये शिक्षा विभाग को व्यवस्था दें। हर गांव में बच्चों का स्कूल होना चाहिये ताकि छोटे बच्चों को दूसरे गांवों में पढ़ने के लिये न जाना पड़े। कोई ५० गांव ऐसे हैं जिसमें प्राईमरी स्कूल नहीं है। और आपने सम्पूर्ण राजस्थान के के लिए ३० प्राईमरी स्कूलों की व्यवस्था की है। इस नये बजट में तो मैं नहीं समझता कि यह पूर्ति कैसे हो सकेगी जब कि एक-एक प्राईमरी स्कूल जिलेवार देंगे तब जाकर झुंझुनूं जिले को एक ही प्राईमरी स्कूल मिलने वाली है....

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य को गलतफहमी है जो ३० प्राईमरी स्कूलों का प्रावधान है वह शहरों के लिए है। यह काम पंचायत समितियों का है, पंचायती राज्य का विषय है। कस्बों और शहरों के लिए है यह।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन पंचायत समितियों की बात तो मानी ही नहीं जाती है।

श्री शीशराम ओला : वह तो मैं पंचायतों पर जब बहस होगी तब कहूंगा। ऐसा है कि पिछले चार-पांच वर्षों से कहीं भी और किसी भी गांव में प्राईमरी स्कूल खोलने की सरकार की तरफ से आज्ञा नहीं मिलती है, पंचायत समितियों के पास प्राईमरी स्कूल एजुकेशन है किन्तु वह राजस्थान मे प्राईमरी स्कूलें, सैकेण्डरी एजूकेशन के डायरेक्टर के तहत है और वो एक भी प्राईमरी स्कूल खोलने की इजाजत नही देते हैं। न इसका बजट में प्रावधान होता है इसलिये परेशानी और जहां कहीं भी स्कूल खोलने का आता है तो हमें निराश होना पड़ता है। मैं अभी तक तो खुश था कि चलो आज कम से कम ३० प्राईमरी स्कूलें खुल रही हैं और उनमें से एक तो झुंझुनूं जिले को मिलेगी लेकिन यह तो पंचायती क्षेत्रों में भी नहीं खोल रहे है तो यह भी दुख की बात है। आज के युग में ज्यादा से ज्यादा प्राईमरी स्कूल हों और उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

इस बजट स्पीच में दूसरे कॉलेजेज के बारे में जिक्र है कि राजस्थान में ३ कालेजेज खोले जा रहे हैं-भीलवाड़ा और भरतपुर में लड़कियों के लिए और सवाई माधोपुर में लड़कों के लिए। मुझे यह बात देखकर अत्यन्त खेद हुआ है कि खेतड़ी का इसमें कोई जिक्र नहीं है जब कि खेतड़ी सब दृष्टिकोणों से इनसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां बहुत बड़ा तांबे का कारखाना है और दिल्ली में जो तांबे का ऑफिस था वह भी उठकर खेतड़ी में आ गया और वहां के रहने वालों के लिए कहीं भी कॉलेज की व्यवस्था नहीं है या तो वे हरियाणा में जाते हैं या फिर नीम-का-थाना जाते हैं जो कि ५०-५५ मील पड़ता है और उस क्षेत्र में हायर सैकेण्डरी स्कूल और हाईस्कूल काफी हैं जो कि कॉलेज को फीड कर सकते हैं इसलिए वहां पर कालेज का होना आवश्यक है। मुख्य मंत्रीजो ने दो-तीन बार घोषणा की है और मुझे देख कर दुख हुआ कि वहां पर खेतड़ी में कालेज की कोई व्यवस्था नही की इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि खेतड़ी में कालेज खोलने की व्यवस्था की जाये इसी वर्ष में।

हॉस्पिटल के बारे में व्यवस्था है कि ज्यादा बैड्स हॉस्पिटल में किये गये हैं किन्तु

(श्री शीशराम ओला)—

यह वही किये गये हैं जहां कि बड़े हॉस्पिटल हैं और जहां पहले ही चिकित्सा की व्यवस्था है। उस क्षेत्र के लिए जहां पहले हॉस्पिटल नहीं थे वहां पर कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं की गयी है। केवल २५ डिस्पेंसरीज खोलने का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके २६ जिले हैं और इन २६ जिलों के हिसाब से एक डिस्पेंसरी भी नहीं आती है। मैं निवेदन करूं कि जो हॉस्पिटल के बैड्स बढ़ाने हैं इनको बढ़ाओ इसमें एतराज नहीं है लेकिन एक तरफ जिनके पास चिकित्सा की पहले ही व्यवस्था है और जो पहले ही हॉस्पिटल के नजदीक हैं, शहर में हैं, टैलीफोन के साधन हैं, सड़कों के साधन हैं, मोटरों के साधन हैं वहां आसानी से डॉक्टर्स को बुला सकते हैं या वहां हॉस्पिटल में जा सकते हैं वहीं पर आपने और व्यवस्था करने की सोची है, लेकिन जो लोग तीस-तीस और चालीस-चालीस मील दूर गांव की ढाणियों में रहते हैं और जहां कोई भी व्यवस्था नहीं है उनको कोई बीमारी हो जाये तो वह डाक्टरों को बुला सकें तो यह सम्भव नहीं है क्योंकि उनके पास न तो मोटर होती है, न टेलीफोन का साधन है जिसके जरिये डाक्टरों को इत्तला करें या उनके पास पहुंच सकें। इसके अलावा सड़कों की कठिनाई है, यातायात की कठिनाई है। ऐसी सूरत में जरूरी है कि गांवों में अधिक से अधिक डिस्पेन्सरी खोली जाय ताकि आज के युग में हम समाजवाद का बड़ी तेजी से प्रचार कर रहे हैं उसमें गांव वालों को तो लाभ नहीं मिले और शहर वालों को सारे लाभ मिलें और गांव वालों की चिकित्सा के अभाव में मृत्यु भी हो जाये तो कोई नहीं पूछता है। इसलिए यह जरूरी है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल खोले जायें, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

(२.५५ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

आपने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की है और वह केवल डॉक्टर्स और इन्जीनियर्स के लिए है। मैं वित्त मंत्रीजी आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अव्वल तो डाक्टर्स अधिक बेरोजगार नहीं हैं, यदि कोई हैं भी तो बहुत थोड़ी मात्रा में हैं और इसी प्रकार से इन्जीनियर्स भी कुछ ही बेरोजगार हैं किन्तु उनके मुकाबले में जो लोग गांवों में या शहरों में बी० ए० करके बैठे हैं वे ज्यादा बेरोजगार हैं। इसलिए या तो उनको भी यह भत्ता मिलना चाहिए या या फिर इनको भी नहीं मिलना चाहिए था। जो दूसरे बी० ए० और एम० ए० बैठे हैं उनको भी रोजगार नहीं मिला है उनको भी भत्ता मिलना चाहिए ताकि समाजवाद का लाभ जो दूसरों को देना चाहते हैं इनको भी मिले। यहां मैं यह भी कह देना जरूरी समझता हूं कि समाजवाद के लाने में जो काम, जो सहयोग सक्रिय रूप से उन लड़कों ने दिया है जो कि बी० ए० और एम० ए० हैं वह सहयोग डाक्टर्स और इन्जीनियर्स ने नहीं दिया। आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए भी इसकी व्यवस्था की है लेकिन जो दूसरे लोग बी० ए० और एम० ए० हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको यह निवेदन करूंगा जोरदार शब्दों में कि आप उनके लिए भी व्यवस्था करें तो अति उत्तम हो।

(श्री शीशराम श्रोला)

सिंचाई के बारे में इस बजट स्पीच में केवल तीन-चार लाइन ही हैं। जहां-जहां सिंचाई के काम शुरू हैं, काम चल रहे हैं उन्हीं को पूरा करने के बारे में स्पीच में लिखा है। और छोटी सिंचाई और बड़ी सिंचाई दोनों के लिए ही तीन-चार लाइनों की स्पीच है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जिले से मेरा संबंध है उसकी अधिक सीमा हरियाणा से लगती है। हरियाणा की भूमि और हमारे यहां की भूमि में ऊंच और नीच का इतना फर्क है कि जैसे यह कुर्सी और इससे नीचे वाली कुर्सी। मैं समझता हूं कि यह एक फुट ऊंची है और ये वाली एक फुट नीची है और इसी तरह से लुहारू के आसपास के गांवों की जमीन में टीबे हैं और हमारे गांव नीचे हैं। लुहारू तक तो नहर आ रही है इसी तरह से माडना में नहर हमारे गांव तक नहीं आई और वहां के लोग बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है और हरियाणा में क्या हो रहा है। वर्षा का अधिक पानी जो नाला नम्बर १,८,९ और १० का दिल्ली से मिलकर आता है उसको एक नहर बनाने की योजना है और उसकी व्यवस्था झुंझुनू, सीकर और नागौर आदि के लिए भी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता उसका क्या होगा। रद्दी की टोकरी में है या कहां है। लेकिन वहां के किसानों में इसके लिए बड़ा भारी असन्तोष हैं और असन्तोष ही नहीं बल्कि उसमें हीन भावना है और वह सोचते हैं कि हरियाणा में तो सब जगह नहर आ गयी और हमारे यहां पर नहरें नहीं आ रही हैं और इसके लिए वह अपने आपको ऐसा समझते हैं कि हम जिस जिले में बैठे हैं उसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, इस प्रकार से बिजली के लिए थोड़ा सा कहना चाहता हूं। उसमें कहा गया था अगले वर्ष कि बिजली देंगे। मैं यह बताना चाहता हूं मंत्रीजी को कि ३-३ वर्ष से कुओं को मन्जूरी दे दी गई है बिजली लगाने के लिए और ट्रान्सफार्मर्स रख दिये गये दो-दो वर्षों से लेकिन उन गांवों में भी बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा मैं आपको बताऊं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में चाड़ावास एक गांव है वहां पर ७-८ कुओं पर लोगों ने ६-६ हजार रुपये खर्च करके बिजली की मोटरें फिट कर दी लेकिन अभी तक वहां पर बिजली नहीं दी गई। इसी प्रकार से खुराना बड़ी और छोटी में बिजली तीन साल से मौजूद है लेकिन बिजली नहीं है। मन्जूरी कर दी जाती है लेकिन उसको काम में नहीं लिया जाता है। प्रस्ताव किये जाते हैं और सुन्दर-सुन्दर स्पीचें हो जाती हैं लेकिन उनसे काम नहीं चलने वाला है चाहे आप प्रोग्रेस कागजों में कितनी ही दिखाते रहें।

यही हालत रोड्स के बारे में है। हरियाणा में हर गांव को लिंक रोड से ज्वाइन कर दिया है और हर गांव को एप्रोच रोड से मिला दिया है, लेकिन हमारे यहां इन्टर स्टेट रोड्स को भी एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहे हैं। एक स्टेट को दूसरी स्टेट से मिलाने वाली सड़कें वैसी ही पड़ी हैं। उन सड़कों को मैं बतलाना चाहता हूं। संघाना से सतलाना, सूरतगढ़ से महेन्द्रगढ़, सत्तगढ़ से सतलाना। ये एक दूसरी स्टेट को मिलाने वाली रोड्स हैं। इन रोड्स के बारे में दूसरी पंचवर्षीय योजना से इसके बारे में चर्चा हो रही है। मन्जूर कर दी जाती हैं लेकिन काम आज तक नहीं हुआ है। और भी कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं।

(श्री शीशराम ओला)

नारनौल से मिलाने वाली सड़क है वह भी आज तक पूरी नहीं हुई है इसलिए लोगों को कितना ज्यादा किराया देना पड़ता है सामान लाने का। बड़े बड़े फासले से सामान लाने में किराया ज्यादा देना पड़ता है। एक आठ मील का टुकड़ा पूरा नहीं होने की वजह से कितने ही प्रोजेक्टस में किराया ज्यादा देना पड़ता है। इसलिए यदि वह ८ मील का टुकड़ा तैयार हो जाता तो मैं समझता हूं कि बड़ा लाभ होता किराये के दृष्टिकोण से उनको रोड्स की दशा भी उतनी ही बुरी है जितनी बिजली की।

इसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूं जो कि इस बजट में कहीं नहीं है। हम बात करते हैं कि समाजवाद ला रहे हैं। आज सर्विसेज की यह हालत है कि गांव के लोग सर्विसेज में नहीं आ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह यह है कि उनको शिक्षा की व्यवस्था ऐसी नहीं है जो कि शहरों में रहने वाले लोगों की है या सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की होती है। उनको उनके कम्पीटिशन में आना पड़ता है। कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन से जब बैठते हैं और इन्टरव्यू में बैठते हैं तो वे लोग उनके मुकाबले में कमजोर रहते हैं, क्योंकि वे लोग ऐसे घर से आते हैं जहां कि उनके घर का वातावरण ऐसा रहता है, उनके स्कूल का वातावरण ऐसा होता है कि उनके सारे लोग शिक्षित नहीं होते हैं। उनकी अखबारों तक पहुंच नहीं हो पाती है, न आधुनिक युग के साधनों के पास वे पहुंच पाते हैं गांवों में रहकर। यदि कोई आदमी चेष्टा भी करे कि उनके बच्चे पढ़ें लेकिन उनके बच्चे एम० ए० होने के बाद में भी जो लड़के अच्छे स्कूलों के वातावरण में रहते हैं, जिनको अच्छे घर में पालन-पोषण होता है और घर का वातावरण अच्छा होता है उनके साथ कम्पीटिशन में इन्टरव्यू में आते हैं तो उन लड़कों को ज्यादा नम्बर मिल जाते हैं और उनको नहीं मिलते हैं। इसलिए इन सारी बातों को बराबर करने के लिए, और इस अन्तर को मिटाने के लिए जो कि इतना बड़ा अन्तर है यह जरूरी है कि जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन रखा है उसी तरह से राजस्थान में जितनी सर्विसेज हैं भारत सरकार की बात हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि भारत सरकार हमारे आधीन नहीं है, लेकिन जितनी भी आपके आधीन बात है तो गांवों के लोगों के लिए रूरल सर्विसेज के नाम से ५० पर्सेन्ट रिजर्वेशन हो। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : वह तो ८० पर्सेन्ट ही है।

श्री शीशराम : ८० पर्सेन्ट तो पापुलेशन है, लेकिन ५० पर्सेन्ट उनके लिए हो तो वे बराबर आने की चेष्टा कर सकते हैं। वे आफिसर बनेंगे तो उनके बच्चे भी सुधर जायेंगे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रिमण्डल में ८० पर्सेन्ट रिजर्वेशन हो गया है क्या ?

श्री शीशराम : तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय को यह बहुत जरूरी है इस बजट में शामिल करना मेरे प्रस्ताव को कि रूरल एरिया के नाम से ५० पर्सेन्ट रिजर्वेशन हो, चाहे गांव वाले किसी कास्ट के हों तो ठीक तरह से समाजवाद की ओर चल सकेंगे, और गांवों के लोग समझ सकेंगे, कि हमने समाजवाद की ओर यह पहला कदम उठाया है।

(श्री शीशराम ओला)

इन शब्दो के साथ साथ फिर में आपको बधाई देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सोनीजी।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : माननीय सभानेत्री जी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने....

श्री मदनसिंह : हमें भी समय मिलना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सोनीजी !

श्री गोरधन सोनी : ....का बजट लकीरी भाषा में है, लेकिन, सभानेत्रीजी, जब इस बजट को गोर से देखा जाता है तो तो ऐसा लगता है कि इसमें नई कांग्रेस ने नई रोशनी की बात कही थी वह इस बजट में कहीं भी नई रोशनी की झलक नहीं है। में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभानेत्री जी कि वित्त मंत्रीजी ने बताया है कि लोक सभा के ऐतिहासिक चुनावों के बाद इस बजट की एक खास अहमियत है, तो अहमियत क्या होनी चाहिए थी, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा। लोकसभा के चुनावों में नई कांग्रेस ने जो सफलता प्राप्त की सभानेत्रीजी, उसमें मुख्य यह नारा दिया गया था कि इस देश में तेजी से गरीबी को दूर किया जायगा, और इस नारे के आधार पर जनता ने गुमराह होकर नई कांग्रेस को वोट दिया, तो बजट में गरीबों को राहत पहुँचाने की एक भी बात नहीं है यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आज जो बातें चल रही हैं शहरी सम्पत्ति पर बान्ध लगाना चाहते हैं या ऐसी वैसी बातें करने जा रहे हैं, अगर इस बजट में वैसी बात होती कि जो गरीब तबका है उसकी गरीबी को मिटाने के लिए क्या किया जा रहा है ? क्या उसको मकान मिला, क्या उसको कमाने खाने के साधन मिले ? तो मैं कह सकता हूं कि यह बजट महत्त्वपूर्ण है यदि यह होता, लेकिन इन गरीबों को राहत देने के लिए कोई भी उल्लेखनीय बात नहीं है। अगर सभानेत्रीजी, यह भी निर्णय लिया जाता कि जो गरीब लोग हैं और जिनके पास रहने को मकान नहीं है और जो सड़कों पर सोते हैं उन लोगों को ऐसे साधन दिये जायं कि जिनसे वे अपनी आजीविका चला सकें, जिनके पास जमीन नहीं है उनको ऐसे साधन दिये जांय कि डेढ़ दो रुपया रोज कमा सकें उनको चरखा देते ताकि वे सूत कात सकते जो छोटे किसान हैं उनके पास तो थोड़ी जमीन तो है लेकिन बैल नहीं है तो उनको बैलों के लिए ऋण दिया जाता ताकि वे कृषि भूमि को जोतकर अपने बच्चों का पालन कर सकते, यह कुछ भी नहीं है। तो सभानेत्रीजी, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबों को राहत देने के लिए जिस नारे को लेकर नई कांग्रेस का चुनाव जीता, उस तरह की इस बजट में कोई भी राहत नहीं है।

इसके साथ साथ, सभानेत्रीजी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह बताया है कि इन चुनावों ने देश के राजनैतिक इतिहास को एक नया मोड़ दिया है वह क्या मोड़ दिया है ? इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है कि राजनैतिक इतिहास में यह तब्दीली आई है और राजनीति में क्या क्या चेन्जेज आ रहे हैं। सभानेत्रीजी, जनतन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए विरोधी पक्ष को सबल होना चाहिए। मैं स्थाई सरकार बनाने के पक्ष में हूं लेकिन उसके मुकाबले में विरोधी दल को भी मजबूत होना चाहिए।

Page No 99

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह आपका खाना फर्ज था।

श्री गोरधन सोनी : आपने गरीबों का नाम लेकर चुनाव जीता है आपने जनता का मनोबल इस प्रकार से खत्म कर दिया है कि वह देश के बारे में सही स्थिति नहीं समझ सकती है। आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि जनता का मनोबल ऊंचा उठे। ऐसे कानून कायदे और नियम बनाये हैं कि जनता को निर्बल कर दिया है। किसी को कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा लेना है किसी का कुछ काम है। अभी तो आप बराबर पावर में आते जा रहे हैं। वित्त मंत्रीजी ने यह भी कहा है राजनैतिक ठेकेदारों, पूंजीपतियों और सरमायेदारों का सफाया कर दिया है। यह ठीक है लेकिन राजनीतिक सत्ता के ठेकेदार है कौन? यह वह हैं जो सत्ता में बैठे हुये हैं। तो उनका सफाया किस बात का हुआ है? अगर राजा महाराजाओं की ओर संकेत है तो मैं माननीय सभानेत्री महोदया, मानने वाला नहीं हूं।

श्री शंकरसिंह : आप जैसे पैसे वाले हैं।

श्री गोरधन सोनी : राजा महाराजा अपनी लोकप्रियता से जीते हैं पूंजीपति खड़े हुए थे दुर्भाग्य से वह हार गये हैं....

कई माननीय सदस्य : सौभाग्य से।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सौभाग्य से हार गये हैं।

श्री मदनसिंह : एक बात तो सही है कि आप स्वतन्त्र पार्टी की ओर से यह बात कहते हैं।

श्री गोरधन सोनी : सभानेत्री जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में यदि उद्योगपति नहीं रहेंगे तो देश विकास नहीं कर सकता है। उद्योग चलाने के लिए उद्योगपतियों की आवश्यकता होती जैसे कि बिरला, टाटा आदि हैं....

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : यह गलत है उद्योग चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है।

श्री गोरधन सोनी : यह गलत है।

श्री सुरेन्द्र कुमार व्यास : उद्योगपति अनावश्यक हैं।

श्री गोरधन सोनी : सभानेत्रीजी, जितने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है उनका क्या हाल हो गया है। इस समय देश में ५ हजार करोड़ रुपया उद्योग में लगा हुआ है। ७०० करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। अगर जनता को लाभ मिले तो कोई बात नहीं है। जनता को सहारा मिले तो कोई एतराज नहीं है। अधिकारियों की रिश्वतखोरी से और बदइन्तजामी से इस राष्ट्रीय पैसे का दुरुपयोग होता है। वह कहां से आता है? एक धोती का जोड़ा आता है, वह २० रुपये का आता है लेकिन उस पर टैक्स कितना जाता है? १०० की चीज पर ६० रुपये टैक्स चला जाता है। गुड़ पर टैक्स है, तेल पर टैक्स है, उन चीजों पर टैक्स है जो गरीबों की चीजें हैं। इस तरह से गरीबों का दुरुपयोग किया जाये। जनता ज्यादा दिन गुमराह होने वाली नहीं है। सहकारी समितियां हैं, सुपर बाजार हैं, यह दुरुपयोग किया जा रहा है। देश की जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की चीजों को रखा जा रहा है। सभानेत्री महोदया, यह लम्बे दिनों तक चलने वाला

Page No 100

(श्री गोरधन सोनी)

नहीं है। इस दृष्टिकोण से हित नहीं हो सकता है। यहां पर किसानों के हित की बातें कही जाती हैं। हमारे एक प्रधान मन्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया है। सभानेत्रीजी इस नारे का अर्थ क्या है? किसान सुखी होता है तो सारे देश का भला होता है। चन्द राजनैतिक नेता पावर में हैं। वह किसानों का हित कभी नहीं सोचते हैं। उनको तो अपने हित में वोट चाहिये। सभानेत्री महोदया, आज अगर किसान पटवारी के पास जाता है तो २ रुपये दिये बिना कोई काम नहीं होता है। तहसील में जाता है तो क्लर्क इज्जत नहीं करता है। वह होस्पिटल में जाता है तो वहां भी भ्रष्टाचार है। न्यायालय में भ्रष्टाचार है। किसानों के लिये सहकारी कानून बनाये हैं। उससे कितना हित होगा यह सोचने की बात है। बैंकों से पैसा देने की बात करते हैं। छः-छः महीने हो जाते हैं किसानों को पैसा नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार से ऋण मिलता है। २५ का धन्धा करने वालों के लिये यहां पर संशोधन आया तो कई लोगों ने विरोध किया है। मुझे बड़ी हंसी आई। किसानों को ऋण मिला उस पर भी आपने पाबन्दी लगा दी। गंगानगर में १ रुपया सैकड़ा ब्याज लेते हैं। साहूकार लाइसेंस से घबराते हैं। इस परिस्थिति में किसान कहां जाये। अगर आप किसानों का विकास चाहते हैं तो इससे सरल रीति से ऋण दिलवाइये। इस प्रकार के कानून बनाइये। सभानेत्रीजी आपको मालूम है कि इन्होंने बाजरे का भाव ४५ रु० मुकर्रर कर दिया। बाजार में वह २५-३० रु० क्विन्टल हो गया। जब अकाल हो गया तो ७५ रुपये में वही माल बेचा गया। सरकार ने यह गारंटी दी थी कि न्यूनतम मूल्य पर किसानों का माल खरीदा जायेगा। अधिक नहीं लिया जायेगा। सरकार के खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सभानेत्रीजी क्या यह किसानों के साथ धोका नहीं है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

यह बहुत बड़ा धोका है। वह कहीं भी जाए कोई काम नहीं है। किसान की कोई भलाई नहीं होती है। अब, सभानेत्रीजी, मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के बाद आते हैं व्यापारी। व्यापार के सम्बन्ध में यह सही बात है कि व्यापार की दुर्दशा राज्य सरकार ने की है, उतनी किसी राज्य में भी नहीं हुई है। व्यापारी राज्य सरकार को आय के स्रोत हैं, सेल्स टैक्स के द्वारा सरकार को बिना कमीशन लिये पैसा देते हैं। व्यापार में अधिकतर लोग हैं जो इन्कम टैक्स देते हैं। जो म्युनीसिपैलिटी के द्वारा पैसा वसूल होता है, वह भी व्यापारियों से ही होता है। इसलिये हमारे देश के अन्दर यह कर्त्तव्य रहा है, यह देश की संस्कृति रही है कि जिन लोगों के जरिये सरकारी खजाना भरता है, उनकी इज्जत की जानी चाहिये। मैं आम तौर पर यह महसूस करता हूं कि आम तौर पर लोग व्यापारियों को गाली देते हैं, उनको अपशब्द कहे जाते हैं और उनको महत्व नहीं दिया जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं लेकिन देश में किसानों की जरूरत है तो वही किसानों के उत्पादन के वितरण के लिये व्यापारियों की जरूरत है। लेकिन आज व्यापारियों के मुकाबले में खड़ी की गई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुपर बाजार। लेकिन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी और सुपर बाजार में कितना भ्रष्टाचार है, अनाचार है—यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। [illegible]

(श्री गोरधन सोनी)

माल लेता है तो उनके इन्सपेक्टर कहीं एक रुपया क्विन्टल लेते हैं, कहीं डेढ़ रुपया क्विन्टल लेते हैं। इस ढंग का भ्रष्टाचार आज है। तो सरकार अपने विभागों की तो ठीक व्यवस्था नहीं कर सकती है, लेकिन दूसरों को वह दोष देती है। इससे अफसोस होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने पिछले साल कहा था, जब मैंने कहा था कि गांवों में व्यापारियों को पांच हजार के व्यापार के लिए भी, अनाज बेचने का लाइसेन्स लेना पड़ता है और बिक्री कर का हिसाब रखना पड़ता है। जो व्यापारी पांच हजार का व्यापार करता है उससे वह अपने परिवार का उदर पोषण भी नहीं कर सकता है लेकिन उसको लाइसेन्स लेना पड़ता है और उनको इन्सपेक्टर तंग करते हैं। इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अनाज के व्यापार की सीमा अब तीस हजार कर देनी चाहिये ताकि छोटे दुकानदारों को राहत मिले।

इसके अलावा किसानों के लिए मण्डी समिति का कानून पास किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह युग एक वैज्ञानिक युग है। सब मण्डी हिन्दुस्तान के अन्दर एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, मार्केटिंग इन्सपेक्टर सब जगह होते हैं और वहां कोई गड़बड़ी होती है तो उसको चैक कर सकते हैं, वह देखता है कि जो पर्ची काटी गई है वह नियमों के माफिक काटी गई है या नहीं। अब उसके बाद यह मण्डी समिति और थोप दी गई है, जो पच्चीस से पचास पैसे तक लेती है। आज कर के भार से सामान्य तौर पर राजस्थान और हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक दबा हुआ है, उसके उपरान्त यह एक और भार थोप दिया गया है। इससे कोई लाभ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य में देखें, व्यापारियों को ही नहीं, उद्योगपतियों की जो दुर्दशा हुई है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। उद्योगपतियों के लिए आप कहते हैं, जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं जरूरत इसलिए है कि उद्योगपतियों में उद्योग के संचालन की क्षमता होती है, वह और में नहीं है, इसलिए ही राजकीय उद्योगों को आप देखें, उनमें निरन्तर घाटा होता है। जब हम उद्योगों को ठीक तरीके से चला नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी जरूरत है। लेकिन पैसे वालों को गाली देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उद्योगपति जो पैसा कमाते हैं वह पैसा कहां जाता है? बिड़ला का पैसा कहां जाता है? क्या वह पैसा निजी उपभोग में आता है? उनका आज जो खर्चा है वह मिनिस्टर से कुछ कम ही होगा, ज्यादा नहीं है। वह पैसा उद्योगों से कमाते हैं और जो पैसा उद्योगों से कमाते हैं वह उद्योगों में ही खर्च करते हैं। इसलिए यह अच्छा तरीका नहीं है कि उद्योगपतियों को गाली दी जाय। इसलिए मैं मानता हूं जरूरत उद्योगपतियों की है। बिड़ला जैसे उद्योगपति को तो बाहर के देश वाले बुलाते हैं कि हमारे यहां आकर उद्योग लगाइये। लेकिन हम उनको गाली निकाल कर अपमानित करें, जिनका विशेष योगदान देश की आजादी की लड़ाई में रहा। इसके उपरान्त उद्योगपति हैं वह अस्पताल बनाते हैं, शिक्षण संस्थाएं खोलते हैं। ऐसे सराहनीय काम उन्होंने किये हैं। उन को गाली देना, मैं समझता हूं उचित नहीं है और इससे जन-मानस में आप जहर घोल रहे हैं। यह आपको मालूम नहीं है। मैं भीलवाड़ा में गया तो वहां देखा कि बहुत शानदार अस्पताल है।

(श्री गोरधन सोनी)

कॉलिज है। मैंने मालूम किया कि यह किसने बनवाया है, हमारे क्षेत्र में तो स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं है, अस्पतालों में बैड नहीं है, पूरे डाक्टर नहीं है, नर्स नहीं हैं दवा नहीं है। जब मालूम किया तो यह बताया गया कि वहां एक उद्योगपति द्वारा बनाये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता कि जिस ढंग का आज जो रवैय्या चल रहा है, आज जो उद्योगपतियों को गाली देते हैं, उनके द्वारा उद्योगपतियों के इन कार्यों का अवलोकन नहीं किया जाता है। आज सरकार अस्पताल नहीं बनवा सकती है, अस्पताल बनवा दे तो उसमें दवा नहीं होती है, डॉक्टर नहीं होते हैं, नर्स नहीं होती है। लेकिन उद्योगपति ने अपने ढंग से जो पैसा कमाया है, उससे कहीं पर धर्मशाला बनवा दी है, कहीं पर अस्पताल और स्कूल बनवा दी है। इसलिए उनको गाली देकर हतोत्साहित करना उचित नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बजट के बारे में कुछ ज्यादा समय कहने में नहीं लूंगा, लेकिन अगर वास्तव में देश की तरक्की करना चाहते हैं जनता को सुख सुविधा देने के लिए, उनको सुव्यवस्था देने के लिए पैसे की मांग करते हैं, तो बजट के अन्दर जो प्रावधान है उनके अनुसार सरकार बारह महीने तक काम करती है, लेकिन वित्त मंत्री जी ने इस बजट में न तो व्यवस्था की है, अस्पतालों में दवाई देने की और न ही जानवरों के अस्पतालों में दवा देने की, और न ही डाक्टरी सहायता देने की। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के गांवों में डाक्टरों की बहुत कमी है। गांवों में डाक्टर यदि बस जायं और ढंग से वहां इलाज करें तो उनको रोजी मिल सकती है। तो इस प्रकार यह सरकार गलत काम करती है और गलत ढंग से पैसा खर्च करती है। इसको सही तरीके से पैसा खर्च करने का तरीका याद नहीं है और करना चाहती भी नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट में समाप्त करता हूं। आज जो स्कूल हैं, उनमें लड़कों को दाखिला नहीं मिलता है, और स्कूल में भर्ती हो जाय तो बैठने की जगह नहीं होती है। लेकिन बजट में स्कूल की बिल्डिंग्स के लिए प्रावधान नहीं है। और अन्य कामों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, राजकीय उद्योगों पर, कृषि फार्मों पर जो पैसा लगाया जाता है, उनके सम्बन्ध में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि सरकार को केवल भावना में न बह कर सही ढंग से काम करना चाहिए ताकि पैसे का सही उपयोग हो पाय और जनता को राहत मिले। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा! काफी लोगों को बोलना है और समय कम है, इसलिए दस-पन्द्रह मिनिट में बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : यह ठीक रहेगा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : सभानेत्री महोदया, बजट पर सामान्य बहस हो रही है, वित्त मंत्रीजी ने जो बजट सदन में रखा वह अच्छी तरह सजा कर रखा है, इसमें कुछ लुभावने शब्द भी हैं, जिस तरह डाक्टरों को कहीं रोजगार नहीं दे सकें तो उनको वजीफा दिया जायगा, और पशु चिकित्सक, डाक्टरों को रोजगार पर नहीं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

रख सकें तो उनको वजीफा दिया जायगा। इंजिनियरों को काम नहीं दिला पायें तो उनको वजीफा दिया जायगा। हो सकता है कि दो सौ, चार सौ को आप इस तरह से पैसा दें। इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उनको काम पर नहीं लगा सकेंगे तो उनको वजीफा दिया जायगा। बहुत अच्छी चीज लगी। ठीक है, पूरी नहीं है लेकिन शुरूआत बहुत अच्छी है। आज शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट को पैसा देंगे तो कल आप मैट्रिक पास लड़कों को भी देंगे, क्योंकि उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। आज हजारों शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मैट्रिक पास लड़के बेकार बैठे हुए हैं। इसके अलावा जब आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स को पैसा देते हैं तो फोर्थ क्लास के किसी बच्चे ने, एल. डी. सी. के किसी लड़के ने एम. ए. कर लिया है तो उसने क्या गुनाह किया है, उस लड़के को आप क्यों न दें, उसकी माली हालत भी खराब है। इसलिए जो बैकवर्ड लोग हैं उन्हें देना चाहिए। उन्हें भी दिया जायगा, यह शब्द भी बजट भाषण में होते तो मैं समझता हूं सराहनीय होता। अब आप पिछड़े लोगों को सहायता पहुंचाना चाहते हैं, आप नारे में नहीं बहना चाहते हैं। तो नारे में न बह कर यह आपको सोचना चाहिए कि जितने भी पिछड़े लोग हैं, जिनके पिता इन्कम टैक्स पे नहीं करते हैं और ऋण करके अपने लड़कों को शिक्षा प्राप्त करवा देते हैं, उन लड़कों को भी आप वजीफा दें अगर रोजगार नहीं मिले तो। यह होना चाहिए था इसमें, लेकिन नहीं हुआ। खैर शुरूआत ऐसी है, तो मैं समझता हूं, वित्त मंत्रीजी, वापिस इस पर विचार करेंगे, और पिछड़े लोगों को वजीफा मिलेगा, खाली एक वर्ग को नहीं मिलेगा। और यदि आज नहीं कर पाये तो कुछ दिन बाद करेंगे। आपको हरएक की सहायता करनी चाहिए और इस तरफ एक्शन लेना चाहिए।

मैं अभी सुन रहा था कि उद्योगपतियों को कुछ नहीं कहना चाहिए, उनको छूट दे देनी चाहिए। गांवों में उन लोगों को छूट दे देनी चाहिये जो गांवों में व्यापार करते हैं और सहकारिता को बन्द करना चाहिये क्योंकि सहकारिता में गड़बड़ी हो रही है, जो चुने हुए लोग सहकार करते हैं, वह गड़बड़ी करते हैं और व्यापारी गड़बड़ी नहीं करते हैं। सभानेत्रीजी, उद्योगपतियों ने बड़ा अच्छा काम किया है, निहाल कर दिया है यह भी सुना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मैं बीकानेर से आया हूं, मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में दो उद्योग चलते हैं पब्लिक सेक्टर के उद्योग हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो आज भी मजदूरों को साढ़े तीन रुपये तीन रुपये रोज की मजदूरी के दस्तखत करा कर सैंकड़ों मजदूर और मजदूरनियों को दो रुपये रोज ही देते हैं। पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। इस प्रकार प्राइवेट सेक्टर में आज उनको किसी प्रकार की रियायतें नहीं हैं और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर में लोगों को तनख्वाह के कम से कम हर मजदूर को (१५०, रुपये २००) रुपये तक मिलते हैं तथा वहां पर लोगों जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं उनको और भी सुविधायें दी जाती हैं, उन्हें छुट्टियां मिलती है, मेडीकल रिलीफ मिलती है, प्रोवीडेन्ट फण्ड भी मिलता है। ये सब प्रकार की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है।

Page No 104

श्री गोवर्धन सोनी : आप व्यवस्था करायें, राज्य आपके हाथ में है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : यह व्यवस्था साफ है यहां छुट्टी नहीं दी जायगी। मैं गवर्नमेन्ट से कह रहा हूं आपसे नहीं कह रहा हूं। सरकार की गलती है, सरकार द्वारा प्राइवेट लोगों को बिजनेस करने का मौका दिया जाता है और हजारों मजदूरों को उनके हाथों में छोड़ दिये जाते हैं। मैं यह कहता हूं कि यह छूट इन्हें नहीं दी जायगी और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनकी नौकरी की पूरी मजदूरी नहीं दी जाती है उनकी इच्छा हो उतने पैसे देते हैं बाकी के अपने पास रख लेते हैं पूंजीपतियों को जो छूट आपने प्राइवेट सेक्टर में दे रखी है उसको बन्द करनी पड़ेगी और अगर बन्द नहीं करेंगे तो उसका यह नतीजा होगा कि देश की जनता को बन्द करना पड़ेगा। आज देश में यह कहा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर में फायदा कम है नुकसान ज्यादा है तो जो लोग यह कहते हैं उन्हें मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में रोडवेज का नेशनलाइजेशन किया गया। रोडवेज की बसें चलती है वो क्या नुकसान में चलती है? क्या हमारे यहां रोडवेज की बसें चलती है वो फायदे में नहीं है। वित्त मन्त्रीजी जरा ध्यान दें तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आज कितनी गाड़ियां रोडवेज की चलती हैं उससे लाखों रुपये का पैसेन्जर टैक्स राज्य सरकार को मिलता है। लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों की बजाय पब्लिक सेक्टर में चोरियें ज्यादा होती हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर वाले गवर्नमेंट के लाखों रुपये का नुकसान टैक्स की चोरी करके करते हैं। तो मैं आपसे यह पूछता हूं कि आपके पास चोरी के कितने काम आये पब्लिक सेक्टर के? क्या पब्लिक सेक्टर में ही चोरियां होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में चोरियां नहीं होती। अगर यह मान कर चलें कि पब्लिक सेक्टर में चोरियां अधिक होती है तो क्या पब्लिक सेक्टर में सब बेइमान हैं लेकिन इन सबके बावजूद पब्लिक सेक्टर में लोगों को लाभ अधिक मिलता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर एक आदमी अगर एक सेठ के पास काम करले और अगर एक दिन सेठजी नाराज हो गये और उसे छुट्टी दे देते हैं तो उनके लिये कोई रास्ता नहीं है पर अगर पब्लिक सेक्टर में किसी को नौकरी से निकाल दें तो उसके लिये इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल खुले हैं वहां केस चला सकता है और न्याय करा सकता है।

दूसरी बात माननीय सभानेत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनाज के राजकीय व्यापार के बारे में। जहां तक अनाज के राजकीय व्यापार का सवाल है यह सही है कि इस साल देश में अनाज ज्यादा पैदा हुआ है और बहुत से भाई अनाज सस्ता बाहर से ला रहे हैं। इससे यहां के किसानों को नुकसान होता है अभी सदन में खाद्य निगम के बारे में चर्चा हो रही थी। एक बड़ी शिकायत आई थी खाद्य निगम के बारे में कि खाद्य निगम में जो खाद्यान्न की खरीद हुई है वह किसानों से न खरीद कर बिचौलियों से अनाज खरीदा गया है इसलिये किसानों को मजबूरन खाद्यान्न उन बिचौलियों सस्ता बेचना पड़ता है। यह बात बड़ी दुखदायी है तो उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सभानेत्री महोदया, कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि एफ. सी. आई. किसानों से सीधा अनाज खरीदे। यहां पर यह बात भी सदन में आई कि एफ. सी. आई. के स्टाफ के लोग चोर और बेइमान हैं। मैं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

यह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि सब बेइमान हैं। मैं यह सदन में कहना चाहता हूं कि जैसा आप होंगे आपको दूसरा आदमी वैसा ही दिखेगा।

श्री गोरधन सोनी : आपके हिसाब से तो कोई बेईमान नहीं है। मैं कहता हूं दुनियां में भरे पड़े हैं मैं आपको सैंकड़ों बता सकता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इनकी बातें सुन कर मुझे एक किस्सा याद आ गया है। एक बार श्री कृष्ण भगवान के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गये कि उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं लेकिन तुम मुझे एक अच्छा आदमी ढूंढ कर बता दो। दुर्योधन अच्छा आदमी ढूंढने गया। वापस आकर उसने कहा महाराज कोई भला नहीं है मुझे भला आदमी दिखाई नहीं देता सब चालाक हैं इसी प्रकार उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम मुझे कोई बुरा आदमी ढूंढ कर बता दो उसने कहा कि महाराज मुझे तो सब अच्छे मालूम होते हैं किस आदमी को बुरा बताऊं मैं ही बुरा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही आपको दूसरे नजर आयेंगे। आपकी आंखें कैमरे का काम करती है इसलिये मैं आपको यह बताना चाहता हूं क आप अपना दिल साफ रखें, खाद्य निगम के विरोध में यहां कहा गया है। तो क्या खाद्य निगम सेवा नहीं करता है, दूसरे लोग सेवा नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, लूट कर खाते हैं ?

श्री गोरधन सोनी : यह तो आपके शंकरलालजी कहते हैं कि वहां सरकारी मशीनरी में ईमानदारी नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है और लोग बेईमान हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तुम बैठ जाओ मुझे कहने दो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भाई गोकुलप्रसादजी कह रहे हैं वह अपनी जगह सही है खाद्य निगम भ्रष्टाचार कर रहा है, यह बात छिपी हुई नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जो व्यक्ति चोरी करता है, बेईमानी करता है उसके खिलाफ कार्यवाही करें, हर आदमी बुरा थोड़ा ही होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गेहूं की बोरी में कंकर ही कंकर थे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गेहूं की बोरी में कंकर हो तो कंकर फेंकदो। गेहूं की बोरी में कंकर यों तो थोड़े बहुत होते ही हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : सारी की सारी बोरी में कंकर हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो भाई जिसने उस गेहूं को खरीदा है उसके खिलाफ कार्यवाही कराओ। सभानेत्री महोदया अब मैं थोड़ा शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा। राज्य सरकार ने शिक्षा के ऊपर काफी खर्चा किया है और राजस्थान बनने के बाद शिक्षा का काफी विकास हुआ है मैं उसकी तारीफ किये बिना नहीं रहूंगा। राज्य सरकार काफी खर्चा करती है उसके लिये मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। राज्य सरकार ने उन इलाकों में काफी खर्चा किया जिन क्षेत्रों

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

में राजाओं के जमाने में कोई प्राइमरी स्कूल तक नहीं थी वहां प्राइमरी तो क्या मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तक खुल गये हैं। उस जमाने में जहां तहसीलदार होता था वहां मिडिल स्कूल होती थी और, जहां नाजिम होता था वहां हाई स्कूल होती थी। आज राज्य सरकार ने प्राईमरी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। शिक्षा में काफी पैसा खर्च किया इसमें एक बात तो जरूर हुई है जो मानव धर्म है उसके अनुसार मानव की अपनी कमजोरी होती है मैं आपसे कहता हूं कि जिन जिलों में पहले हाई स्कूलें नहीं थी, कॉलेज नहीं थे वहां पर अब हाई स्कूलें खुली हैं, कॉलेज खुले हैं और जहां कॉलेज थी वहां पर विश्व विद्यालय खोले दिये गये हैं। आजादी के पहले जहां पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज थे वहां विश्वविद्यालय नहीं खोले हैं। इसके लिये जो मंत्री हैं अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा शिक्षा का प्रचार करा रहे हैं। शिक्षा का प्रसार करना अच्छा है पर स्वेच्छाचारी होना अच्छा नहीं है। आपको अपने जिले के लोगों के अलावा दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिये। मैं वित्त मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपने जोधपुर में विश्वविद्यालय बनाया, उदयपुर में विश्वविद्यायल बनाया, बीकानेर में तो विश्वविद्यालय नहीं बनाया क्या आप बता सकते हैं कि बीकानेर में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज थी वहां तब आपके जोधपुर और उदयपुर में आजादी के पहले ये क्या कुछ था? तो बीकानेर में पहले पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज था वह का वहीं रहा पर वहां आपने यूनिवर्सिटी खोलने की आवश्यकता नहीं समझी आपने अपने क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बनायी, आपको याद है वित्त मन्त्रीजी?

श्री मथुरादास माथुर : याद है अच्छी तरह से।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने बीकानेर में राजस्थान बनने के बाद कोई नयी बात की, पिछले डेढ़ साल में दो साल में आपने दो-तीन मिडिल स्कूल जरूर खुलवायी होंगी।

श्री मकुटबिहारीलाल गोयल : एजूकेशन बोर्ड पूरा बीकानेर में भेज दिया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अरे भाई चुप रह क्यों मुझे तंग कर रहा है, अभी कोई बात सुनोगे। मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने बीकानेर के लिये क्या किया?

श्री मदनसिंह : आप जैसे महान व्यक्तियों को यहां पर भेजा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं मेरी बात कह रहा हूं मुझे कहने दो। सभानेत्रीजी राजस्थान में हमने बिजली पर भी खर्चा किया है। राजस्थान सरकार ने विद्युत् मण्डल का गठन किया और उसमें १५० करोड़ रु० से ऊपर खर्चा हो चुका है, उसमें दोनों तरह की बात आती है लोगों को नौकरी मिलती है, मजदूरों को बोनस भी मिलता है। शहर वालों को इसलिए बिजली के ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है। होता क्यों है? वहां बिजली ले जाएं जहां एक गांव में बिजली चाहिए। गांवों में बिजली लेजानी चाहिए और ग्रामीण विद्युत् योजनायें चलती हैं, चलनी चाहिए। गांवों में बिजली पहुंचनी चाहिए लेकिन सारा खर्चा। विद्युत् मंडल यह कहकर कि इतना खर्चा हो गया, इसलिए आइंदा बिजली की दर बढाई जाए। इससे गरीबों का, थोड़ी जगह में ज्यादा

Page No 107

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

तादाद में लोग रहते हैं, उनका क्या हाल होगा? जयपुर शहर का अकाऊंट अलग रखें तो आपको मालूम होगा कि कितना लाभ है? एक करोड़ से ज्यादा लाभ आपके पावर हाऊस को है लेकिन यहां पर सुविधा के काम शहर को नहीं देंगे। हम गांव को ले जा रहे हैं तो गांव का विकास सरकार अपने बजट से करे। यहां कोई मजदूर रहता है २-४ रुपये रहते हैं तो इन लोगों से डबल पैसे ले लेते हैं।

यही जलप्रदाय योजना का हाल है। आपने एक रुपये से डेढ रुपया कर दिया। आप कहेंगे कि ज्यादा पैसा लगा दिया है। ज्यादा वहां लगता है जहां पूरा पैसा नहीं मिलता है तो बिजली पानी की सुविधा जब शहरों में मिलती थी अब गांवों में दी जाने लगी इसलिए शहरों की सुविधायें और महंगी कर दीं। आप उन पर कम से कम पैसा लगायें जिनको पूरी कमाई नहीं।

आपने जो विकास के लिए खर्च किया है, आपने सड़कें बनाने पर खर्च किया करीब ३० करोड़ किया। सड़कों से ५-६ करोड़ का यात्रिकर का अमाउन्ट होता है, व्हिकल्स टैक्स होता है, वह आपका पैसा बिल्कुल सही लगा है। सरकार को चाहिए कि उसमें और ज्यादा से ज्यादा लगाए ताकि यातायात के साधन बढ़ें।

बांध बनवाने में आपने २०० करोड़ खर्च किए हैं, सिंचाई योजनायें अच्छी हैं। अनाज पैदा होता है। इससे जितना रिटर्न आता है। उससे ज्यादा तो ब्याज पर, मेन्टेनेन्स पर और स्टाफ पर लग जाता है। ब्याज १० करोड़ साल का देते हैं भाखरा और राजस्थान कैनाल और गंगा कैनाल का। छोटे-छोटे बांधों पर भी खर्च हुआ है। १० करोड़ ब्याज देते हैं, ब्याज का रिटर्न भी नहीं मिला। ब्याज हम दूसरे खाते में लिखें रेवेन्यू अकाउन्ट में। जितना पैसा स्टाफ पर लगता है उतना पैसा भी वापस नहीं आया। रेट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो रेट पर ही हल्ला का डर लगता है। जो सिंचाई करते हैं वह नाराज हो जायेंगे, रेट नहीं बढ़ा सकते। आपने २०० करोड़ तो लगा दिये। आप उद्योगों में भी १-२ करोड़ लगाइए। आप कहेंगे कि आमदनी नहीं होती, पब्लिक सेक्टर में आमदनी नहीं होती है। वह बांध पब्लिक सेक्टर नहीं है, राजस्थान कैनाल पब्लिक सेक्टर नहीं है?

श्री रामचन्द्र आर्य : भाखरा में २२ करोड़ खर्च किया, मर्जी आए सिंचाई के पैसे के लिए....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जबरदस्ती बीत करते हैं, बैठ जाइये। जितना खर्चा होती है, उतना नहीं आता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : नीयत का घाटा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको क्या घाटा है?

(दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे)

आपको क्या घाटा है, आपको हर प्रकार से आमदनी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे क्या आमदनी है? सरकार ने जमीन दी नहीं, पुराने कब्जे हैं ...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्रीमती सभानेत्री : आपस में बातचीत न करें। जो कुछ आपको कहना है, आप अपने समय पर करें बीच में न बोलें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने जिस तरह से कुछ गांवों के सम्पन्न किसानों की जमीनों को सिंचाई कराने के लिए २०० करोड़ रुपये कि राशि लगा रखी है और रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, जितनी एड मिल रही है उतना ब्याज चुका रहे हैं। ४०-४५ करोड़ ब्याज दे देते हैं, ४० करोड़ की एड मिलती है। ये जो ५० लाख आदमी हैं

(घंटी)

इनको रोटी मिले, इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया ? कौनसा प्रोडक्टिव प्रोग्राम सामने रखा है ? आप कहेंगे कि स्कूल खोलें, अस्पताल खोल दिए, मेडिकल कालेजेज खोल दिये। मेडिकल कालेजों से तो डाक्टर पैदा होंगे। पेट की रोटी के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया ? जैसे आपके तालाबों पर एक पैसे का भी रिटर्न नहीं आता है। एक-एक करोड़ के तालाब बनाए हैं। जितना पैसा आता है उससे दुगुना-तिगुना खर्चा हो जाता है, ब्याज का पता नहीं। आप ऐसे उद्योग बनायें जिनमें रोजी मिले। आप कह सकते हैं जो लोग गांवों से आए हैं कि हमारे यहां इतने कुएं खोदे गए, इतने स्कूल पहले कभी नहीं थे....

(घन्टी)

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य शोर्ट में कर दें, कई लोगों को बोलना है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपका सारा दिमाग एक तरफ बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसका कुछ हिस्सा २०–२५ प्रतिशत आदमी शहरों में रहते हैं, उन लोगों की तरफ भी आपका दिमाग जाना चाहिए। आपने गांवों में तय कर दिया कि वहा आवास भूमि मुफ्त में मिलेगी लेकिन शहरों में कृषि भूमि जिनके पास है थोड़ी बहुत एक-एक दो-दो बीघा उनको आपने कह दिया कि अवाप्त की जाएगी। आपके बजट भाषण में है आप कहते हैं कि वापस आबादी में बदल देंगे। अब अवाप्त की जाएगी तो वह व्यक्ति कहां रहेगा ? उनके लिए क्या उपाय किया जिनके लिए न पशु हैं जिनके पास न जमीन है न रोजी न ठिकाना जो परमात्मा के भरोसे रोटी के लिए शहर में घूमते हैं। कहीं मंडी में जाकर पल्लेदारी करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, बस वालों के यहां क्लीनर रहते हैं, उन लोगों के आवास का क्या इंतजाम किया ? उनको कहोगे पैसे से खरीदो। किसी का बाबा भी नहीं खरीद सकते, १०–१५ रुपए गज जो २ रुपये की मजदूरी से काम चलाता है। क्या वह राजस्थान का निवासी नहीं है ? क्या वह सरकार की प्रजा नहीं है ?

(घंटी)

उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : कई बार कह चुकी हूं संक्षेप में कहदें, ३–४ बार कह चुकी हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या चाहती हैं, मैं बोलना बंद करदूं ?

श्रीमती सभानेत्री : आधा घंटा हो गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आधा घन्टा अभी नहीं हुआ। आज्ञा हो तो बैठ जाऊं। बीच में २० मिनट तो ये भाई ले लेते हैं, इसको आप क्यों नही गिनती हो ?

श्रीमती सभानेत्री : आप उलझें नहीं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जल्दी कर रहा हूं, जितना दूसरे लोग बोले हैं उससे कम बोला हूं।

श्रीमती सभानेत्री : आधा घंटा बोले हैं। बार-बार घंटी बजाकर निवेदन कर रही हूं। जब आसन की तरफ से घंटी बजे तो ध्यान दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ठीक है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : सामान्य नियमों का ध्यान रखें। घंटी का कुछ मतलब है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मतलब मुझे याद है। जमीन उनको भी मिलनी चाहिए औद्योगीकरण बड़े शहरों में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले इसके लिए आपके बजट में कोई स्कीम नहीं है। आप हरित क्रांति को लेकर चलते हैं।

दूसरा क्या है? आपने कुछ ऐसे जिले चुने हैं जिनमें गांवों में काम करना चाहते हैं। ऐसे जिले ले लिए हैं जहां कभी उद्योग नहीं हुआ। जहां उद्योग में काम करने वाले लोग हैं वहां का तो नाम लिया नहीं। कहीं औद्योगीकरण में बीकानेर का नाम नहीं लिया माप दण्ड पर चलना चाहते हैं? खेती के लिये अलवर, भरतपुर का नाम लिया और भीलवाड़ा और अजमेर दोनों को बाद में लेने के बाद भी ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां काम कर सकते हैं।

बीकानेर का नाम लिया। अकाल का काम होगा कि पुरानी सड़कें टूटी हुई हैं उनकी मरम्मत कराने में कुछ पैसा खर्च होगा उनके लिये काम करेंगे। और कुछ नहीं। गांवों का क्या, शहरों का क्या? सरकार से निवेदन करना है कि सबको एक नजर से देखिये। बिलकुल उनकी अवहेलना होती जाय, यह लोग अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हैं शहरों में बड़े-बड़े मकान हैं। सेठों के बड़े मकान हैं, बाकी तो गरीब लोग रहते हैं। यहां भी काम खुलवाने चाहियें। ज्यादा नाम दर्ज हैं, वे शहरी लोगों के हैं। हजारों लोग बेकार बैठे हुए हैं। उनको तो आप परवाह नहीं करेंगे। उनकी परवाह करेंगे जिनकी आपको जरूरत है। लोग बरदाश्त नहीं करेंगे। यही निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय सभानेत्रीजी, वित्त मन्त्रीजी के सारे भाषण को मैंने पढ़ा। यह बिलकुल सही बात है कि भारत की प्रधान मंत्री एक ऐतिहासिक चेन्ज लाना चाहती है। नारा भी लगाया। राजस्थान में बजट भाषण के साथ कोई ऐतिहासिक चेन्ज आती तो मैं मानता कि सही नारा लगाया आपने भी। बजट में ऐसी कोई चेन्ज आती, समाजवाद के ढांचे के ऊपर आप बजट बनाते, रूपरेखा इस बजट की उस ढांचे पर होती तो कुछ समझ में आता।

सभानेत्रीजी, समाजवाद कोई पैसे से आने वाला नहीं है। अमेरिका जैसे धनाढ्य देश में समाजवाद नहीं आ रहा है। वित्त मंत्रीजी समाजवाद २४ करोड़ खर्च करके लाना चाहते हैं। समाजवाद तो एक भाव है। समाजवाद तो त्याग और शिक्षा से आ सकता है। समाजवाद का नारा लगाते हैं। जो नेता हैं उनमें समाजवाद नहीं आवेगा। बाकी लोगों में तो समाजवाद आज भी है। गरीब है एक ढंग से रहता है, आज मुसीबत उठाता है। समाजवाद का नारा लगाने वाले

(श्री मदनसिंह)

समाजवाद नहीं लावेंगे, उनसे समाजवाद नहीं आवेगा। समाजवाद की जड़ है क्या यह उनको मालूम ही नहीं हुआ है। समाजवाद की जड़ है, त्याग, जब तक त्याग नहीं होगा, वह भावना नहीं होगी जो आत्मा को आत्मा से पहिचाने तब तक समाजवाद नहीं आवेगा। गरीब किस प्रकार रहता है और हम किस प्रकार रहते हैं। क्या हम भी उसी प्रकार रहते हैं ? क्या गरीबों के लड़के भी उसी प्रकार पढ़ें जिस प्रकार हमारे लड़के पढ़ते हैं ? हमारे को न्याय मिलता है उसी प्रकार हमको भी न्याय मिले। जब तक यह सिद्धान्त नहीं आवेगा, जब तक त्याग नहीं होगा, समाजवाद नहीं आवेगा।

अन्य लोगों ने बजट के ऊपर भाषण दिये उसी प्रकार मैं भाषण नहीं देना चाहता बजट आया जिस तरह से आया करता है अपनी रूपरेखा लेकर उसी प्रकार का बजट रख दिया। मेरे कुछ सुझाव हैं जो उनको समाजवाद की ओर झुका सकते हैं, वह मैं सदन में निवेदन करना चाहूंगा। मै मानता हूं कि बीस वर्ष तक समाजवाद नहीं आवेगा। समाजवाद लाने वालों की तो तौंदे सूख गयीं। समाजवाद लाने वालों की तो हड्डियां सूख गईं। समाजवाद लाने के पीछे गांधी जैसे लोग होंगे जब ही समाजवाद आवेगा। जब तक देश को उठाने वाले व्यक्ति नहीं होंगे समाजवाद नहीं आ सकता।

मेरे कुछ सुझाव है। आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। हजारों रिक्शा चलाने वाले हैं। हजारों की तादाद में। पूंजीपति उनके मालिक हैं। जागीरदारों की जागीरें खत्म हो गई, जागीरदारों को मुआवजा दिया, उनको अधिकार दिये, भारतवर्ष के जितने रिक्शा चालक हैं, चाहे स्कूटर रिक्शा वाले हों या दूसरे, उनके मालिक तो दूसरे हैं। कई रिक्शा वालों ने हमको बताया है कि हम रोज के दस रुपया कमाते हैं तो ८ रुपया तो मालिक को दे देते हैं। ६१ से जो रिक्शा चलाने वाले हैं उन्होंने पूरे रिक्शों की मालिकों को कीमत दे दी। रिक्शा तांगे वालों ने उनकी रेट चुका दी। अब वे रिक्शे उनके हो जाने चाहियें। आज उनको लाइसेन्स मिल जाता है और उनके रिक्शे हो जाते हैं तो आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है।

आपने जागीरदारों के कुओं के लिये व्यवस्था की थी कि जागीरदारों ने फायदा उठा लिया इसलिये उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जो लोग तांगा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उन लोगों ने पूरी कीमत चुका दी। बड़ी-बड़ी फेक्ट्रियां प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में हैं उनको बोनस के आधार पर जो गरीब लोग, मजदूर लोग उनमें काम करते हैं, यदि उनका उनमें एक पैसे का भी शेयर हो सकता है तो उनको बहुत बड़ी भारी राहत मिलेगी। बिड़लाजी की फैक्ट्रीयां हैं उनमें पांच लाख लोग काम करते हैं। पांच लाख मजदूरों को एक पैसा भी शेयर के रूप में दिया जावेगा तो उनकी बड़ी मदद होगी। यदि इस प्रकार के सुझाव को माना गया तो लिटिगेशन कम हो जावेंगे और फैक्ट्रिज का उत्पादन भी खूब बढ़ेगा और अधिक फैक्ट्रियां हमारे देश में बढ़ेंगी। काश्तकार हल चला कर खेती करता है। जब खेती और जमीन उसकी हो, उसका मालिकाना हक हो एक तरह से तो उसी तरह से मजदूरों का इस प्रकार का हक क्यों नहीं फैक्ट्रियों में हो। यदि इस प्रकार का कोई काम आप करते हैं तो समस्या का बड़ा हल निकाल सकते हैं।

(श्री मदनसिंह)

सभानेत्रीजी, किसानों के ऊपर कुछ कहना है। यदि मजदूरों को और किसानों को एक साथ मिलाते है तो वह गलत है। भाव सस्ते हुए है तो उससे मजदूरों को राहत मिली है। सस्ते अनाज से उनको सहूलियत हुई है। उसको खरीदने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आप मजदूर और किसान को एक साथ मिलाते हैं यह गलत है। मजदूर की जरूरत एक अलग है और काश्तकार की अलग है। काश्तकारों के अनाज के भाव सस्ते हुए हैं तो लगान भी कम हो, खाद वगैरा का पैसा कम हो, ट्रैक्टरों के भाव कम हो जाने चाहिये। उसके काम आने वाली ये चीजें सस्ती हो जाती हैं तो मैं निश्चित रूप से मानूंगा कि आप समाजवाद की ओर जा सकते हैं। समानता का व्यवहार रखेंगे और इन्सान का दृष्टिकोण रखेंगे न्याय और शिक्षा में भी तो समाजवाद की ओर जावेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनका जीवन यापन समाजवाद की तरफ होगा तब ही समाजवाद आवेगा। आप सच्चे नहीं। आपकी जो स्थिति है आम गरीब लोगों ने वोट आपको भाग-भाग कर दिये हैं इससे आपके साथ हैं, ऐसा मत समझना। जो आपने भरोसा दिलाया है उसके कारण वे आपके साथ हुए हैं। अब अगर आपने उसके अनुसार काम किया तो ठीक है, वरना आपकी हालत भी खराब होने वाली है। आप अपनी तनख्वाह ५००) रु. कर लीजिये। मुख्य मन्त्री और मन्त्रिमंडल के लोग साइकलों पर चलें। काम चला सकते हैं, आप इससे तार टेलीफोनों के लाखों के बिल आप समाप्त कर दीजिये, टी. ए. डी. ए. में आप जो सरकार के पैसे को धुंआ लगा रहे हैं उसे रोक दीजिये। तो निश्चित रूप से आप में गरीबों को विश्वास आवेगा। पूंजीपति भी मजबूर होंगे। पर पूंजीपतियों का सा अपना स्वयं का रवैया रख कर पूंजीपतियों जैसे महलों में और ऐश आराम में बैठ कर पूंजीपतियों की तरह, राजा-महाराजाओं की तरह, नवाबों की तरह आप लाख-लाख रुपयों की गाड़ियों में बैठ कर सोचें कि आप समाजवाद ले आवेंगे तो यह नहीं आने वाला है।

चुनावों के दौरान समाजवाद का हल्ला हुआ था। लोगों ने पैसे वालों से पूछा था, यो ठाकर साब काई रासो है? जनसंघ वाले भी कहते हैं, समाजवाद लाओ और कांग्रेस वाले भी कहते हैं, समाजवाद लाओ। मैंने कहा है यह जनसंघ को सपोर्ट किया है तब। जनसंघ के केन्डीडेट ने भी ना नहीं दिया। तापड़ियाजी ने कहा समाजवाद।

श्री भैरोंसिंह : समाजवाद को कोई वोट नहीं मिला है। यह धोखा है। अगर समाजवाद को ही वोट मिलता तो २० वर्षों से ये रट लगा रहे हैं इसकी तो....

श्री मदनसिंह : हम कब कह रहे हैं कि ये इसी आधार पर ले आये हैं। मैंने पहले सोचा यह नारा बिल्कुल गप्प है। जब वोट मिले तो समझा सत्य है। पर जब इनका बजट देखा तो यह तो सारा ही गप्प और सप्प में निकल गया।

तो मैं तो यह कहना चाहूंगा कि त्याग और ईमानदारी तथा मेहनत जब तक नहीं आवेगी समाजवाद नहीं आ सकता। त्याग, तपस्या, ईमानदारी और मेहनती जीवन इन मन्त्रियों में जब तक नहीं आवेगा तब तक समाजवाद की छाया भी नहीं आ सकती। असली समाजवाद तो दूर रहा।

(श्री मदनसिंह)

आज सभानेत्रीजी, शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं गांवों में बी. ए. एम. ए. हैं। पर शहरी पूंजीपतियों के लड़कों को मन्त्रियों के सगे सम्बन्धियों के लड़कों को प्रवेश मिल जाता है, गांव वालों को नहीं मिलता चाहे वे उनसे अधिक ईमानदार, महनती और योग्य हों।

कई सदस्यों ने कालाडेरा में कॉलेज खोलने की बात को क्रिटिसाइज की कि छोटे से गांव में बड़ी सी यूनिवर्सिटी खोल दी। पर मैं कहता हूं आज जरूरत इसी की है। अगर वाकई में समाजवाद के आप हामी हैं तो गांवों में आप कॉलेज खोलें, यूनिवर्सिटियां खोलें। शहरों में ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं, आबादी का असर पड़ रहा है, शहरों में पूंजीपतियों के लड़के हावी रहते हैं। गरीब तबका दबा रहता है। सभानेत्रीजी समाजवाद तब तक नहीं आ सकता जब तक गरीबों को आप ऊपर नहीं उठावेंगे। पर आज देश में ५५ करोड़ में से ३० करोड़ ऐसे हैं जो गरीबी से उठे ही नहीं।

जितनी-जितनी योजनाएं होती हैं आपकी तो गरीब लोग उनका निर्माण करते हैं पर लाभ का अवसर जब आता है तो पूंजीपति लोग उठा ले जाते हैं। वे जो भी चीजें बनाते हैं, बड़ी सस्ती बनाते हैं पर जब उनको ही खरीदने जाते हैं माचिस की पेटी जहां फेक्ट्री में गरीब बनाता है दो पैसे में बनाता है पर बाजार में ५ पैसे में मलती है उसी गरीब को। अनाज गरीब किसान पैदा करता है पर उसके भाव आज गिर रहे हैं। चीनी के भाव बढ़ रहे हैं।

समाजवादी देशों में खाने-पीने, रहने की चीजें बहुत सस्ती हैं। समाजवादी देशों में गये लोगों से मैंने पूछा कि वहां कौनसी अच्छी चीज है? तो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा मजदूर बड़े से बड़े लीडर पूंजीपति के बराबर खाता है, पीता है और अच्छे से अच्छे होटल में रह सकता है। तो जब यह खाने-पीने, रहने-करने की डिस्पेरिटी दूर हो जाती है तो कोई भी गरीब आदमी किसी का खजाना नहीं देखना चाहता। भारत में स्थिति उल्टी है। यहां तो ऐसा था पहले कि गरीब को विश्वास दे रखा था कि ईश्वर की कृपा से भूंगड़े खाकर भी राजी रहो। आपने २३ साल तक यहां की गरीब सहनशील जनता को भूंगड़े खिला कर रखा तब भी खुशहाल रहा। भूखा है और थोड़ा अन्न अगर आपने दे दिया तो खुश हो जाता है। छोटा सा अस्पताल है उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दी आपने तो इसी में खुश हो जावेगा क्योंकि २३ वर्ष तक भूखा रहा है। आपने उसे अब तक अनजान रखा कि समाजवाद क्या है? जिसे छः दिन की प्यास है उसे एक बूंद भी काफी लगती है।

आप डॉक्टर, इन्जीनियर आदि को बगैर काम दिये दो सो रुपये देना चाह रहे हैं तो ये क्या करेंगे? आपकी एजेन्सी का काम कर सकते हैं। चुनाव में आपकी मदद कर सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। बिड़ला सेठों का रवैया देखा है मैंने। उनके हजारों मुनीम, गुमाश्ते, इन्जीनियर, ओवरसियर, मैनेजर जो उनके कारखानों में काम करते थे उनको बुला लिया और चुनावों में उनसे काम लिया। इसी तरह से आप शायद कुछ करने की सोच रहे हैं और इसके लिये दो सो रुपये उनकी तनख्वाह बांध दी है अभी से। वे यह भी सोचेंगे कि अच्छा है यही सरकार ७२ के इलेक्शन में भी आ जावे तो आगे भी हमें दो-ढाई सो मिल जावेंगे।

Page No 113

(श्री मदनसिंह)

तो यह स्थायी हल नहीं होगा। आपने एक इन्जीनियर का ढाई सौ किया। अब अगर किसी के परिवार में सात मेम्बर हैं तो उनका कैसे पेट भरेगा इतने से मैं वह ?

इसलिये मैं कहता हूं कि समाजवाद लाने के लिये तपस्या की जरूरत होगी यह वर्तमान में जो आपका है समाजवाद नहीं है, यह तो शुद्ध चुनाव वाद है। निश्चित रूप से आपका यह दो-ढाई सौ रुपये का वजीफा ७२ के इलेक्शन में उपयोगी होगा।

रिक्शा चालकों को पूरा अधिकार रिक्शाओं का मिल जाना चाहिये। फैक्ट्री में जो मजदूर हैं उनका फैक्ट्री में कम से कम एक पैसा ही सही पर हिस्सा हो जाना चाहिये ताकि वह भी कुछ कमा सके और उसको इन्सेन्टिव भी मिल सके। इसी तरह से टैक्सी हैं, ड्राइवर हैं उनके मालिकों को अगर वे कर्मश कर उसकी पूरी कीमत दे चुके हैं तो उनका उस पर अधिकार हो जाना चाहिये। इस तरह से कानून आपको शीघ्रातिशीघ्र लाने चाहिये। समाजवाद का निर्माण ऐसा होना चाहिये। समाजवाद की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि आगे आने वाली भावी पीढ़ी में समाजवाद की सही भावना आवे।

तो जब तक त्याग की भावना नहीं आवेगी समाजवाद नहीं आ सकेगा। चाहे इन्दिराजी हो, चाहे कोई हो। इन्दिराजी की भावना हो सकती है अच्छी हो पर उनके पीछे जो पल्टन है वे अपने कारनामों में पूंजीपतियों से किसी तरह कम नहीं है, बल्कि कुछ बढ़-चढ़ कर ही होंगे। आज एक शब्द और चल पड़ा है हेव्ज और हैव नोट। तो ये कहते हैं कि तुम भी हैव वाले बनो। इनका तो यह समाजवाद है। आप इस ढोंग को भले ही थोड़े दिन चला लो पर भावी युवा पीढ़ी जो आ रही है वह यह सब समझ रही है। जिसने समाजवाद को सही ढंग से सीखा है जिनके साथ अमीर और गरीब पढ़ रहे हैं वह आवाज उठावेंगे।

आज तो चुनाव की पद्धति ऐसी बना डाली है कि पूंजीपतियों के बिना या पूंजी के बिना कोई लड़ नहीं सकता। गरीबों के लिये उनकी कोई वास्तविक आस्था नहीं है न समाजवाद में आस्था है। केवल नारे के लिये आवाज लगाते हैं। इसलिये मैं इनकी ईमानदारी का सबूत चाहता हूं। अगर वास्तव में ये समाजवाद में आस्था रखते हैं तो बनावें रिक्शा वालों को रिक्शाओं के मालिक। कारखाने में मजदूरी करने वाले मजदूर को कारखाने का हिस्सेदार। काश्तकार की परिभाषा बनावें कि वह काश्तकार होगा जो हाथ से खेती करेगा। आज तो भंडारीजी काश्तकार हो सकते हैं। बिरलाजी के पास जमीन है, वे भी काश्तकार हो सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ६० हजार एकड़ जमीन हैं उनके पास।

श्री मदनसिंह : तो इसमें भी जब तक सरकार इन्कम को कन्ट्रोल नहीं करेगी इन्कम पर सीलिंग नहीं लगावेगी वह आपका सही समाजवाद नहीं आ सकता। इसलिये जब तक इन्कम पर सीलिंग नहीं होगा, समाजवाद नहीं आ सकता। यही मुझे निवेदन करना है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री शंकरसिंह।

श्री शंकरसिंह (नसीराबाद) : सभानेत्री महोदया, राजस्थान का ७१-७२ का बजट

(श्री शंकरसिंह)

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन के विचारार्थ पेश किया है। बजट एक ऐसी चीज है जिससे राज्य की आर्थिक और दूसरी स्थिति स्पष्ट होती है और सरकार की नीति भी। मैं सभानेत्री महोदया, दो-तीन मुद्दों पर निवेदन करने जा रहा हूं, जैसे अकाल सहायता चार साल के अन्दर राजस्थान सरकार ने अकाल के समय में ७२ लाख ३४ हजार व्यक्तियों को भूख से मरने नहीं दिया, उनको राहत दी, इसके लिये वे आपके आभारी हैं और सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन जो १५७ करोड़ की लागत इस पर लगी····

श्री मदनसिंह दांता : यह तो डिक्टेटर भी कर सकता है।

श्री शंकरसिंह : १५७ करोड़ की लागत इस पर लगी है। अकाल जैसी चीज है उससे कोई भी खुश नहीं है। इससे राज्य सरकार पर भी संकट आता है, कृषकों और अन्य लोगों के सामने भी संकट आता है। लेकिन अकाल आने से राज्य सरकार को यह सोचने का मौका मिला है कि अकाल के लिये किस प्रकार के साधन जुटाये जायें जिससे अकाल का स्थायी हल हो जाये और कृषि उत्पादन और दूसरे साधन भी अच्छे हो सकें। लेकिन १५७ करोड़ की लागत लग जाने के बाद ऐसी हालत नहीं है। आज हालत यह है कि कई कार्य अधूरे हैं। इसका मूल कारण यह है कि जो कार्य ६४ में हाथ में लिये गये, उनको पूरा नहीं किया गया और ६५ में फिर नये काम हाथ में ले लिये गये इनको भी अधूरा ही छोड़ दिया गया। इसी तरह से ६६ में नये काम शुरू कर दिये गये और उनको पूरा नहीं किया गया और आज यह हालत हो रही है कि कई कृषि योग्य महत्वपूर्ण कार्य जिनको कि हम पूरा कर सकते थे, उनको पूरा करने से वंचित रह गये हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने नहीं की कि ये कार्य पूरा हो सके। सिर्फ पैसा लाना है और पैसे पर ही ध्यान दिया गया। यह नहीं ध्यान रखा गया कि इस काम को भी पूरा करना है। इसलिये यह निवेदन कर रहा हूं। इस कार्य को पूरा करना है, ऐसी भावना नहीं रही इसलिये इस भावना के साथ में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

कृषि कार्यक्रम के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। आजादी के बाद भी सौ में से ८० फी सदी जनता का निवास गांवों में ही है और कृषि पर ही निर्भर करती है। इसके लिये सिंचाई के साधन और दूसरे साधन भी जुटाये हैं। मैं मानता हूं कि सरकार ने इस ओर प्रयास किये हैं लेकिन जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था ऐसी है जैसे सिंचाई की सुविधा दी है, कुए आदि की व्यवस्था की है, वह व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है पंचायती राज की जो संस्थायें हैं उन्होंने बीज वितरण का कार्य समय पर पूरा नहीं किया, उससे किसानों में असन्तोष है। खरीफ के समय काफी अच्छी वर्षा हुई। चार साल के जमाने के बाद पहली बार अच्छी वर्षा हुई लेकिन अच्छी वर्षा हो जाने के बाद अच्छा बीज न मिलने से लाखों मन का घाटा हो गया अब की बार जो पैदावार हुई है उससे काश्तकार को चार साल में राहत मिली है परन्तु जिस काश्तकार को अच्छा बीज नहीं मिला उसके लिये अच्छा साल भी अकाल के बराबर ही है। हम एक तरफ समाजवाद का नारा दे रहे हैं और एक तरफ यह हमारा राष्ट्रीय गान हो

(श्री शंकरसिंह)

गया है। फिल्मी गानों में तो लोग रुचि भी लेते हैं किन्तु राष्ट्रीय गान अच्छा होते हुए भी लोगों को वह अरुचिकर लगता है। इसी तरह यह समाजवाद भी राष्ट्रीयगान होता जा रहा है। समाजवाद की छाप गहरी हो, उसके लिये माननीय सदस्य श्री मदनसिंह जी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं। इसमें त्याग की भावना हो और यह भावना नहीं होगी तो केवल नारे से पेट नहीं भरेगा। कृषि को हम बढ़ावा देना चाहते हैं और हालत यह हो रही है कि कृषि के साधन महंगे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ काश्तकार की पैदावार सस्ती हो रही है। पम्पींग सेट्स, उनके कपड़े, मकान बनाने के लिये पत्थर और चूना आदि जो भी साधन हैं, वे महंगे होते जा रहे हैं। बैल की साधारण सी जोड़ी भी हजार रुपये से कम नहीं होती है और जो पैदावार होती है वह ३० रुपये क्विन्टल में बिकती है। राज्य सरकार ने भाव निर्धारित किया है ५५ से ५७ रुपये क्विन्टल परन्तु इसका लाभ किस को मिल रहा है। काश्तकारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। व्यापारियों को अवश्य इसका लाभ मिल रहा है। यह पक्की बात है। यह सरकारी भाव नहीं होता तो हो सकता है कि माल को खरीदने वाले ऊंचे से ऊंचे भाव में खरीदते। काश्तकार ६-७ रुपये किलो का बीज लाता है और उसकी पैदावार को खाद्य निगम सस्ते भाव में खरीदता है व्यापारियों के जरिये। और माल को रिजेक्ट कर देता है तो व्यापारी क्या कहते हैं। खाद्य निगम की साख हो गई है, इसको नहीं खरीदना है। अब हम खरीद रहे हैं तो हमारा ऐहसान मानो। यह दुर्दशा हो रही है किसान की।

सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हूं कि जो ऋण की व्यवस्था सरकार ने की है और साहूकार से छुटकारा दिलाने के लिये राज्य सरकार ने साहूकारी एक्ट बनाया। आजादी के बाद यह देखा गया कि काश्तकार लोग साहूकारी के चुंगुल में फंसे हुए हैं किस तरह से काश्तकारों को इनसे छुटकारा दिलाया जाये इसके लिये साहूकारी एक्ट बनाया गया लेकिन इसके बावजूद भी सरकार द्वारा जो ऋण देने की व्यवस्था है, पंचायती संस्थाओं के जरिये, उसको भी आप देखें। पंचायत समितियां पंपिंग सैट के लिये २ हजार रुपये का लोन देती है, पहली किस्त १५००/- रुपये की दे देती है, दूसरी क्रिस्त के ५००/- रुपये काश्तकार को दो-दो तीन-तीन साल तक नहीं मिलते हैं और २ हजार की रकम ब्याज समेत काश्तकार से सरकार वसूल करना शुरू कर देती है और वह भी पेनल इन्टरेस्ट के साथ, कई केसेज़ पी० डी० आर० के बना दिये गये हैं। इसमें जांच की जाये तो राज्य सरकार को मालूम होगा जहां पंचायत समितियों को दो लाख रुपये दिये गये वहां उन्होंने चार लाख रुपये लोन के रूप में वितरित किये गये हैं। तो उन्होंने चार लाख रुपये कैसे दे दिये। इसका मतलब साफ है कि एक किश्त दी और दूसरी किश्त का पेमेन्ट नहीं किया गया। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पेनल इन्टरेस्ट अगर हम साहूकारों से किसानों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो नहीं लेना चाहिये। अगर देश को उठाना है तो करोड़ों की हानि होगी, गिरे हुए नेशन को उठाने के लिये करोड़ों रुपये लगाने होंगे और समाजवाद लाना है

(श्री शंकरसिंह) :

तो यह जरूरी है। आप दूसरे कामों में कमी करिये। आप वन विभाग को देखिये। पहले करोड़ों रुपयों की वन विभाग से आमदनी होती थी आज वन कट रहे हैं और कोई सरकार को इन्कम नहीं हो रही है। इससे वर्षा भी कम होती है। आज वनों से सैंकड़ों लकड़ी की गाड़ियाँ शहरों को जा रही हैं। चुंगी चौकी के सामने से जाती हैं और यह चोरी फिर भी साबित नहीं हो रही है। सामने होकर लकड़ियां जाती है और उनको रोका नहीं जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि दूसरे कामों में कमी की जावे। सभानेत्री महोदया, १९३९ में अकाल पड़ा था, वह समय ब्रिटिश साम्राज्य का था। परन्तु उस समय वसूली करने का भी एक तरीका था। जो ५० रुपये का कर्जा लेता था उससे पचास आने ब्याज के लिये जाते थे। सौ रुपयों पर सौ आने। इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्तकारों से भी इस प्रकार ब्याज लिया जाये। पांच साल हो गये और वह यदि २५०/- रुपया देना चाहे तो मैं समझता हूं कि डूबा हुआ धन भी वापिस आ जायेगा और लोगों को राहत मिलेगी। अकाल पड़ा और उसके बाद काश्तकार की पैदावार हुई उसका पूरा पैसा उसको नहीं मिल रहा है, उस अकाल के कर्ज पर भी आप ब्याज ले रहे हैं। मैं राज्य सरकार और वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पैसा अकाल के समय काश्तकारों को दिया गया, उसमें काश्तकारों को राहत देने के लिये उस ऋण का सरकार को ब्याज नहीं लेना चाहिये। इसके लिये सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसकी पैदावार तो अब है, उसकी हालत क्या है? यह हम सभी जानते हैं कि भाव गिर रहे हैं तो वह देगा कहां से ३० रुपये मन अनाज खाया और ३० रुपये क्विंटल उसना अनाज बिक रहा है तो वह देगा कहां से कर्जा?

इसी प्रकार शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। गावों के अन्दर चाहे प्राइमरी स्कूल की मांग हो, चाहे मिडल स्कूल की मांग हो, इतना रुपया देंगे तो वह खोला जायेगा और क्या शहरों में इसकी कोई जरूरत नहीं है? गांवों के लिये यह कहा जाता है कि इतना रुपया दो। तो मैं समझता हूं कि यह समाजवाद का तरीका नहीं है। शहरों में बड़े-बड़े अस्पताल, सड़कें, बस स्टेन्ड मिलेंगे और गांवों में बैलगाड़ी का भी रास्ता नहीं है। भीनगर गांव के लोग पट्टी कातला डालकर ला रहे थे और आज उनको वहां से हटा दिया गया है। लेकिन जो निवास के लिये सरकार की मंशा पूरी करने जा रहे हैं, निवास के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं। पट्टी कातलों को जगह नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं उसके लिये भी कम से कम ध्यान दें। इसी तरह बेरोजगारी, एक जिले में एक हजार को बेरोजगारी भत्ता दिया जायगा। गांव और शहर में भी फर्क करना होगा। आज फर्स्ट डिविजन बच्चा वही आयेगा जिसको पूरी सुविधा होगी और गांव का व्यक्ति थर्ड डिविजन वाला कभी मोटा अनाज खाकर फर्स्ट डिविजन नहीं आयेगा। सभानेत्री महोदया अगर सर्विस में भी लेना है तो फर्स्ट डिविजन और थर्ड डिविजन में गांव और शहर को देखते हुये करना होगा। मेरा निवेदन है ऐसा प्रोफार्मा बनाया जाय कि सर्विसेज में भी जो साधनहीन हैं उनको पहले लिया जाय और साधन सम्पन्न हैं उनको बाद में लिया जाय। कुछ न कुछ

(श्री शंकरसिंह)

क्राइटेरिया आपको इस प्रकार का बनाना पड़ेगा....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सर्विस नहीं दे रहे हैं इसके लिये भी मैं निवेदन करने जा रहा हूं। समाजवाद की सही दिशा लाने के लिये काफी कदम उठाने पड़ेंगे। और इसी प्रकार सार्वजनिक विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना है अभी भी नसीराबाद में भवन निर्माण नहीं है। आज नसीराबाद केन्टोनमेंट होने से कुछ कानून वहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं और कुछ कानून राज्य सरकार के हैं। मैंने कहा भवन निर्माण कीजिये तो कहते दान दाताओं की लिस्ट लाइये। कम से कम जहां भवन निर्माण जरूरी है वहां तो करना चाहिये। इसी सम्बन्ध में जो बजट बना है, मैं आपसे निवेदन करूं कालेज नसीराबाद में खुला है उसके लिये तो मैं आभारी हूं लेकिन कम से कम अजमेर में लड़कियों के कॉलेज की घोषणा नहीं हुई। मंत्री महोदय उसके लिये भी घोषणा करें। अजमेर का राजस्थान में जबसे मर्जर हुआ है तब से उसकी हालत खराब हुई है। वह ऐतिहासिक जगह है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभानेत्री महोदया, 'मंत्री लोग भी हैं कई भाई कहते हैं जहां मंत्री होता है वहां तो काम हो जाता हैं लेकिन इस क्षेत्र में तो ऐसा भी नहीं हुआ है। मंत्री हैं तो पूरे राजस्थान के मंत्री है, किसी एक क्षेत्र नहीं हैं...।

श्री प्रेमसिंह : नकली अकाल भी पड़ जाता है नसीराबाद में।

श्री शंकरसिंह : नकली अकाल तो नहीं पड़ता है नसीराबाद में लेकिन अनाज की पैदावार नहीं हुई है यह बात जरूर है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभानेत्री मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कम से कम जो भी सिंचाई के, शिक्षा के जितने काम हैं सैद्धान्तिक दृष्टि से हों। कम से कम जो बजट बना है आर्थिक दशा को सुदृढ़ करने के लिये है। हमारा बजट राजस्थान का निर्माता है। बहुत सी सड़कें अकाश के अन्दर योंही पड़ी रह गई। हमारे क्षेत्र में मैंने देखा है २०० कट्टे सीमेन्ट के सड़क पर पड़े हैं। क्या उन कट्टों के लिये आम लोग अन्दाज नहीं लगा सकते हैं कि सरकार के धन का कितना दुरुपयोग हो रहा है। अनपढ़ आदमी भी सरकार का प्रशासन पर कितना अंकुश है, अन्दाज लगा लेता है। मेरा निवेदन है जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से १५७ करोड़ लिया है उसका सदुपयोग होना चाहिये। आज हम अगर बाजार में सीमेन्ट का एक कट्टा लाते हैं तो रु.१५ रु. उसकी कीमत देनी पड़ती है। अब आप अन्दाज लगाइये २०० कट्टों की कितनी कीमत हो जाती है। उन कट्टों का कोई जैसे मालिक ही नहीं है। बजट के लिये जरूर मेरी सद्भावना है और आदर है। बजट ठीक बना है लेकिन सदुपयोग करने की सरकार की और सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिये। अन्त में मैं निवेदन करूं राजस्थान के बजट का सदुपयोग हो।

श्रीमती सभानेत्री : श्री प्रेमसिंह।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : चेयरमैन महोदया, जो राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने २३ तारीख को जो बजट पेश किया है उनकी इन्हीं शब्दों में तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस बजट को इस दृष्टि से बनाया है कि सन् ७२ में कांग्रेस पार्टी को किस तरह जनता के पक्ष में लिया जाय। इसका

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

ध्यान इन्होंने इसमें ज्यादा रखा है। सभानेत्री महोदया, आज जिस तरह की हवा देश में चल रही है और राजस्थान में चल रही है उसके अनुसार और उस हवा को नहीं पहचानते हुये इस देश के अन्दर, राजस्थान के अन्दर वर्ग भेद करने की कोशिश की है। सभानेत्री महोदया, आपको मालूम होगा आज गरीबी कोई जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राईब्स के तबके में ही हो। गरीबी आज आम लोगों में है। जैसे—जाट, राजपूत, मीणे धीदे, गूजर, बणिये और सब लोगों में गरीबी है। मैं आपसे निवेदन करूं अगर एक आदमी जो गरीब है और कमाने के साधन नहीं हैं और अगर वह महाजन के घर में पैदा हो गया है तो उसने कोई पाप नहीं किया है। सरकार उसको किसी प्रकार की इमदाद देने को तैयार नहीं है और जो एक शिड्यूल कास्ट है, शिड्यूल ट्राइब्स मे है चाहे उसका बाप कलक्टर हो एस.पी. हो या और कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति हो फिर भी उसके लड़के को सरकार की तरफ से इमदाद मिल जायगी। जो शिड्यूल कास्ट के अलावा लोग हैं उनको वित्त मंत्रीजी ने कह दिया तुम चुप रहो तुम्हारे लिये कोई साधन सरकार में नहीं हैं। इस प्रकार अच्छी जात और ऊंची जात वालों के लिये राजस्थान के वित्त मंत्री जी ने किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा है। इस बजट में यह कमी है।

दूसरी बात वित्त मंत्रीजी ने कृषि उत्पादन के सिलसिले में जो दो-तीन कॉलम रखे हैं। २० हजार कुओं पर नई बिजली देने की राजस्थान ने योजना बनाई है। सभानेत्री महोदया, जहां तक इनका कहना है और करना है उसमें बहुत फर्क है। आज ये नारे तो बहुत अच्छे देते हैं, २० हजार कुओं पर बिजली देंगे लेकिन बिजली विभाग की कितनी अनियमितता है इसके बारे में मैं निवेदन करूं। मैं आपको कोटा जिले की छीपाबड़ोद तहसील के बारे में निवेदन करूं वहां पर बिजली डिपार्टमेन्ट वाले उपभोक्ताओं से या काश्तकारों से जिनके कुओं पर बिजली लगाने जाते हैं अगर ५ हॉर्सपावर का है तो ३७५ रु० और अगर ३ हार्स पावर का है तो ३०० रु० मिनिमम चार्ज के नाम से जमा करवाते है। सभानेत्री महोदया, यह रकम जमा कराने के बाद, सारी अनियमितताएं पूरी करने के बाद उसको बिजली नहीं दी जाती है और उस काश्तकार से जो अपने कुएं पर बिजली ले जाना चाहता है तो उसको बिजली का सामान जैसे खंभे, तार, एंगिल, होल, नट बोल्ट तक भी उस उपभोक्ता से बिजली विभाग के कर्मचारी या अफसर मंगाते है। इस प्रकार की हालत आज राजस्थान में एक नहीं अनेक जगह पर हैं पर्टीक्यूलरली मैं आपको एक मेमोरी खाटा तहसील छीपाबड़ोद की बताऊं कि वहां....

(४.२९ म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

पर अपने कुओं पर बिजली लाने के लिये सरकार के कोष में मिनिमम गारन्टी की रकम जमा की और जमा कराने के बाद वहां पर बारीस आ गई। और बारीस होने के बाद उन्होंने वह तार वहां पहुंचाये। छीपाबड़ोद से मामोरी धाटा ६ मील पड़ता है और वहां पर काश्तकारों को कहा कि तुम्हें बिजली लेनी है तो यह खम्बे और तार

Page No 119

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

दो और एंगिल्स तो हमारे पास हैं लेकिन उनमें होल्स नहीं हैं और हमारे पास आदमी नहीं है जो कि इन एंगिल्स के अन्दर होल करे और वहां उनको लाइट सप्लाई होती। सभापति महोदय क्योंकि कार्तिक का महीना आ चुका था और फसल का टाइम था और काश्तकार को अपने यहां जमीन पर पानी देना था इस गरज से उसने सारी सुविधाएं सिंचाई विभाग को प्रदान की यहां तक कि बिजली के तारों के खींचने का सवाल था, ट्रान्सफार्मर से कुएं तक तार खींचने और खम्बे गाड़ने की सारी लेबर काश्तकारों ने भुगती। आज इस तरह की हालत राजस्थान के बिजली विभाग की है। यह बिजली बोर्ड न होकर गधों का एक सामूहिक संगठन है जो कि काश्तकारों से पैसा लेकर उनको ठगता है। इस तरह की हालत राजस्थान सरकार की और विद्युत् विभाग की है।

अब मैं प्रशासन के बारे में कहूंगा। जहां तक सिंचाई का सवाल है, इसके लिए निवेदन करूंगा कि हमारे कोटा जिले को चम्बल की देन है और वहां पर चम्बल की वजह से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। सिंचाई में भी बड़ा भारी पक्षपात होता है और भ्रष्टाचार होता है। वहां पर जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनकी पेट पूजा होगी तो समय-समय पर पानी मिल जायगा नहीं तो भगवान ही मालिक है। या तो इन्द्र भगवान ही पानी दें या फिर ये ही दें। जहां तक लघु सिंचाई योजनाओं का सवाल है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर जैसा कि बताया है कि सिंचित जमीन सिर्फ १५ परसेन्ट है और १५ परसेन्ट जमीन पर ही इरिगेशन होता है और बाकी की सारी जमीन बारानी है तो मैं कोटा जिले के बारे में बताऊं कि कोटा जिले का बहुत सा हिस्सा तो जो इरिगेशन में है....

श्री सभापति : (माननीय सदस्यों के आपस में बात करने पर) माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सभापति महोदय, इनको तो पाली का डाक बंगला याद आ रहा है।

तो सभापति महोदय, मैं कोटा जिले के बारे में अर्ज करना चाहता हूं जैसे छबड़ा, छीपाबड़ोद, अटरू, इकलेरा आदि तहसीलें हैं जहां पर प्राकृतिक साधन तो बहुत हैं और कुदरत ने दिये हैं। वहां पर प्रकृति ने नाले दिये हैं, पहाड़ दिये हैं, जंगल दिये हैं और जमीनों में भी मैदान दिये हैं और वहां की छोटी-छोटी नदियां भी इस काबिल हैं कि वहां पर बारहों महीने पानी बहता है। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि राजस्थान सरकार नदियों पर छोटे-छोटे बांध बांध दे तो वहां के लोगों का भला होगा और सिंचाई के साधन बढ़ेंगे और जो कुओं में पानी की कमी आ जाती है वह भी पूरी हो सकती है। यदि नदी और नाले बांध दिये जायें तो और इसमें सरकार का कोई विशेष खर्चा भी नहीं होगा। मुश्किल से १०-१५ लाख रुपये का काम है। सरकार माने तो मर्जी नहीं तो हम तो वहां थका ही रहे हैं।

सभापति महोदय, जहां तक बेरोजगारी की समस्या है, इसके लिए सरकार ने कार्यक्रम बनाया है और इसके लिए हर जिले को कुछ रुपया बांटा है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मुझे आशंका है कि जो

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

एक हजार आदमी हैं कहीं ऐसा नहीं हो कि यह रुपया जिला हैडक्वाटर्स तक ही सीमित न रह जाये। सभापति महोदय, प्रत्येक जिले में जैसे कोटा जिले में १५ तहसीलें हैं, मैं चाहूंगा कि यह रुपया तहसीलवाईज और तहसील में भी आबादी-वाईज याने जितनी आबादी है उसको ध्यान में रखते हुए वहां के बेरोजगारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसको दिया जाये। सभापति महोदय, मैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में बताऊं कि हमारे यहां खाती हैं जो कि बड़े अच्छे दस्तकार हैं, सुहार हैं जो कि बड़े अच्छे दस्तकार हैं, कुम्हार हैं जो कि बड़े अच्छे दस्तकार हैं और वे बड़ी सुन्दर-सुन्दर मूर्तियां और सुराहियां बनाते हैं। वहां पर अच्छी कॉटेज इन्डस्ट्रिज पनप सकती हैं। इसके अलावा हमारे यहां कोली जाति के लोग भी रहते हैं छीपाबड़ोद और छबड़ा में और वह बुनाई का काम करते हैं। दरियां चद्दर व मोटा कपड़ा जो कि पहनने के काम आता है वे इस तरह के कपड़े भी बनाते हैं। सभापति महोदय, अगर सरकार किसी तरह का राजनैतिक दृष्टिकोण नहीं रखकर ईमानदारी से इस बात को देखे तो मैं आपसे निवेदन करूं कि इस तरह से वहां जो बेरोजगारी की समस्या है और पैसे के अभाव में जो कोली हैं या दूसरे लोग हैं वह अपनी आजीविका के साधन नहीं जुटा पाये हैं। वे जुटा कर बे रोजगारी दूर कर सकते हैं।

शिक्षा के बारे में भी मैं बतलाऊंगा कि राजस्थान, हिन्दुस्तान में सब राज्यों से शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है। सभापति महोदय, कोटा जिले की स्थिति बताऊं और विशेष कर छबड़ा सब-डिविजन की। छबड़ा सब-डिविजन में बहुत घनी आबादी है और नजदीक-नजदीक गांव हैं और आज एक-एक गांव की आबादी जहां ५०-५० और १००-१०० घर हैं वहां पर चार-चार और पांच-पांच सौ लोगों की आबादी है वहां भी आज तक राजस्थान सरकार या पंचायत समिति प्राइमरी स्कूल नहीं खोल पाई है। दूसरा निवेदन करूंगा कि आज दुर्भाग्य है इस राजस्थान सरकार का या इनकी अकर्मण्यता का कि छबड़ा म्युनिसिपल टाउन को तो छोड़ दें और उसके बाद छबड़ा पंचायत समिति का एरिया है उसमें आज दिन तक भी हाईस्कूल नहीं है। राजस्थान की प्रगतिशील सरकार के समय में एक भी हाईस्कूल नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब कि यह जरूरी है कि वहां से आपको चन्दा खूब मिलता है और क्योंकि मेरा भी आपसे लगाव है इसलिए कह रहा हूं। आपकी जेब में माथुर साहब ठेकेदारों से पैसा जरूर आता है। आपके पर्सनल नहीं चन्दे के रूप में तो वहां पर स्कूल तक नहीं है। तो सभापति महोदय, आपने हर पांच-पांच मील की दूरी पर तो शराब की दुकानें खोलदी लेकिन हाईस्कूल उस पंचायत समिति में नहीं है जिसका कि ४० स्क्वायर मील का क्षेत्रफल है एक भी हाईस्कूल नहीं है। मैं इस बात के लिए कहूंगा कि कम से कम नये सेशन में तो आप छबड़ा पंचायत समिति को ध्यान में रखेंगे।

सभापति महोदय, इसी तरह से छीपा-बड़ोद तहसील के बारे में कहूंगा जहां से मैं

Page No 121

[श्री प्रेमसिंह सिंघवी]

चुनकर आता हूं। इस तहसील में हरना-वदा और सादल, दो बड़े-बड़े कस्बे हैं पर जहां की आबादी ३-३ हजार के करीब की है, वहां पर सड़कों के साधन हों। आस-पास के एरिया में प्राइमरी स्कूलों की संख्या बहुत है और विद्यार्थियों की संख्या बहुत है, मिडिल स्कूल हरनावदा में मौजूद है, मिडिल स्कूल सारथल में मौजूद है और इन मिडिल स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या ३००-४०० के बीच में है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर हाईस्कूल खोलने की मेहरबानी करें। वहां पर छीपाबड़ौद में हाईस्कूल खोलने की कृपा करेंगे तो मैं आपका आभार मानूंगा।

सभापति महोदय, जहां तक सड़कों का सवाल है कोटा जिले में और विशेष रूप से झाला-वाड़ से इकलेरा और इकलेरा से अटरू तक की सड़क और इन सड़कों को तो राजस्थान सरकार बिल्कुल ही भूल गई है करीब-करीब। वहां पर ३० साल पहले जब कोटा दरबार का राज्य था उस समय इन सड़कों की मरम्मत हुई थी। इस बीच में यदि कोई ४-५ मील की सड़क बन गई हो तो मैं उसको ज्यादा महत्त्व नहीं देता, लेकिन इन ५०-५०, ६०-६० मील लम्बी सड़कों पर राजस्थान सरकार ने न तो मरम्मत करवाई है और न इन पर डामर करवाया है। राजस्थान सरकार में इस तरह की अन्धेरगर्दी और पक्षपात चल रहा है। पक्षपात की बात तो मैं नहीं करता क्योंकि हमारे यहां की जनता राजस्थान सरकार से लेना जानती है। जनता भीख नहीं मांगती है। हमारे यहां की जनता राजस्थान सरकार को टैक्स देती है और उसका हक है। तो इस तरह से छीपा बड़ोद, छबड़ा और अटरू–अटरू का विशेष तौर से कहूं कि हमारे यहां एक कहावत है कि पाप कमायो और पेट भी नी भरयो। यह जो डिप्टी मिनिस्टर श्री रामचरण हैं जो कि राजस्थान सरकार में बैठे हुए हैं, दलबदलू, जिन्होंने जनसंघ की पार्टी को छोड़कर एक घृणित काम किया है, इनकी कान्स्टीटुएन्सी हमारी कान्स्टीटुएन्सी से लगी हुई है। हम समझते थे कि जब इन्होंने दलबदल कर लिया तो वहां पर बड़ा काम होगा, लेकिन आज तक एक काम भी वहां पर नहीं हो पाया है। हमें इस बात का ख्याल था कि अपोजिशन में हैं इसलिए वहां पर काम नहीं होता है, मगर दुःख इस बात का है कि कम से कम अटरू में काम करते। पाप भी कमाया और पेट भी नहीं भरा।

छबड़ा सब-डिविजन का हैडक्वार्टर है और एक म्युनिसिपल टाउन है, मगर आज भी छबड़ा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरह की अन्धेर-गर्दी इस राज्य में चल रही है। वह एक सब-डिविजन का हैडक्वार्टर है, तहसील हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति का हैड क्वार्टर है और डी. वाई. एस. पी. का हैड-क्वार्टर है, उसके बाद भी वह जिला हैड-क्वार्टर से जुड़ा हुआ नहीं है। सड़क का कोई साधन नहीं है। बरसात के अन्दर दुर्भाग्य से ट्रेन बन्द हो जाय तो माननीय माथुर साहब तो क्या करेंगे क्योंकि वे तो कभी भी उधर का सफर नहीं करते हैं, इस-लिए नवाब साहब से कहना चाहता हूं कि वह भी किसी जमाने में नवाब की स्टेट थी।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)।

मैं इतनी सी बात निवेदन करता हूं कि माथुर साहब ने जो बजट पेश किया है वह बड़े बलात्कारी तरीके से किया है और

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

सन् ७२ के चुनावों में लाभ उठाने के लिए किया है। मैं उनको आश्वासन देता हूं कि कोटा जिले की जनता फिर भी एक बार कसौटी पर खरी उतरेगी और आपके पैर वहां पर नहीं जमने देगी। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री पृथ्वीसिंह!

श्री पृथ्वीसिंह (बालो) : सभापति महोदय, सन् १६७१-७२ का बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने एक लाल पुट्ठे की किताब में तरह-तरह की भाषा के शब्दों में जिसमें उर्दू भी है, फारसी भी है, हिन्दी भी है, अंग्रेजी भी है, उस किताब के अन्दर अपना भाषण एक क्रांतिकारी दिखने वाला लिखकर पेश किया है। जिस प्रकार से लाल किताब जो चीन के अध्यक्ष माओ ने लिखी है जिसके लिए कहा जाता है कि वहां के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन वास्तव में वहां की जो जनता है वह उन आदेशों को पालन करके आज भी त्राहि-त्राहि कर रही है, उसी तरह की यह है। वहां पर जिस ढंग से ठीक विकास नहीं हो रहा है और उनका जो मानसिक और राजनैतिक शोषण होता है उसी प्रकार से इस लाल किताब के अन्दर आदेश लिखकर वित्त मंत्री महोदय ने हमारे सम्मुख पेश किये हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसे भले आदमी होकर भी इस चक्कर में कहां पड़ रहे हैं?

श्री पृथ्वीसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं आप कृपया सुनें।

बजट में उन्होंने अपना मुख्य मकसद जो बताया है वह यह कहा है कि हम गरीबी, सामाजिक अन्याय और शोषण को मिटाकर नये समाज की रचना करना चाहते हैं। अब इस बजट के अन्दर जो इन्होंने यह मकसद बताया है वह मकसद यह जो बजट उन्होंने बनाकर दिया है उससे कहां तक पूरे हो सकते हैं और कहां तक पूरे यह करेंगे वह समय आने पर ही पता लगेगा, परन्तु जहां तक मैं आशा करता हूं कि १६४७ से लगाकर १६७१ तक जो इन्होने नारे दिये और जो कि इस बजट के अन्दर मकसद बताया है वह कोई भिन्न नहीं है। वही का वही मकसद वही की वही रट, और वही की वही लकीर आज तक ये पीटते रहे हैं, पर वास्तव में वे अपने मकसद को किस हद तक हासिल कर पाये हैं वह जनता से छिपा हुआ नहीं है, और इस सदन के माननीय सदस्यों से छिपा हुआ नहीं है।

आज इसी ७१-७२ के बजट के अन्दर २४-२१ करोड़ रुपये का घाटा बताकर यह बात कहना चाहते हैं कि घाटे का बजट आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उपयुक्त होता है, और घाटे के बजट के आधार पर विकास की ओर प्रगति की जा सकती है, परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि कर्जा लेकर और घाटा बता करके अगर विकास करते हैं और वास्तविक विकास होता है तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। विकास के लिए कर्जा भी लेना पड़ता है और अपने बजट में घाटा भी बताया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शादी और मौसर के लिए कर्जा लेकर अपने बजट को असंतुलित करे तो वह बात समझ में नहीं आ सकती। इस प्रकार यह बजट प्रगतिशील दिखता जरूर है पर वास्तव में प्रगतिशील नहीं है। यह मैं आगे जाकर बताउंगा कि इसमें किस

(श्री पृथ्वीसिंह)

ढंग से प्रगति की बात कही है लेकिन वास्तव में प्रगति होने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं केवल इनकी शहरी सम्पत्ति की जो सीमा निर्धारित करने की बात है उसको ही पहले लेता हूं। इन्होंने अपने भाषण के अन्दर यह कहा है कि विधान सभा का कानूनी दायरा होते हुए भी हम लोकसभा को यह रेफरेंस करते हैं कि वह शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाने के लिए देश भर के लिए एक सा कानून बनाये तो वह ज्यादा उपयुक्त होगा। यह बात कहकर उन्होंने उस बात को टाल दिया जो शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाने की थी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्रिटिसिज्म इज कमिंग फ्राम स्वतन्त्र पार्टी, माथुर साहब।

श्री सभापति : बैठे, बैठे नहीं।

श्री पृथ्वीसिंह : इन्होंने लोकसभा के ऊपर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर एक तरह से साइड ट्रैक करने की कोशिश की है। जब कानूनन उनका दायरा है तो उनको करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि उसी प्रकार से दुविधा के अन्दर यह शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग का कानून पड़ गया....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप शहरी सम्पत्ति को निर्धारित करने के पक्ष में हैं ?

श्री पृथ्वीसिंह : आप सुन लें।

जिस प्रकार से शुगर मिल्स के नेशनेलाइजेशन का मसला यू. पी. में पड़ गया। यू. पी. गवर्नमेंट ने यह कह कर टाल दिया कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह कह कर वापिस भेज दिया कि यह राज्य सरकार का मुद्दा है और वह मसला आज तक खटाई में पड़ा हुआ है और आज तक मुद्दा ही मुद्दा है और यू. पी. में शुगर इन्डस्ट्री का नेशनेलाइजेशन नहीं हो पाया है।

मैं शहरी संपत्ति के सीलिंग करने को ही पर्याप्त नहीं मानता, मैं इसके भी आगे जाकर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप शहरी संपत्ति का सीलिंग मात्र न करें, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर सच्चे समाजवादी हैं तो आय का सीलिंग ले आयें। जब आपने काश्तकारों पर एक भंयकर कुठाराघात किया है कि उनकी आय की सीमा बान्ध दी उनको २६००) रु० की आय साल भर की निर्धारित करके और आप कहना चाहते हैं कि हम असमानता मिटाना चाहते हैं, लेकिन आप असमानता बढ़ा रहे हैं। एक उद्योगपति करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमा सकता है, मंत्री लोग हजारों रुपयों की तनख्वाह ले सकते हैं, हजारों रुपयों की आलिशान बिल्डिंग बनाकर उनमें रह सकते हैं, कार में घुम सकते हैं तो काश्तकार ने क्या जुर्म किया है ? जिन काश्तकारों ने ऐसा किया है तो जुर्म किया है। जिनके ऊपर आपने सीलींग लागू किया है उनके सारे अधिकारों पर कुठाराघात किया है। जब काश्तकारों के प्रति आपने यह किया है तो उद्योगपतियों की आमदनी पर भी सीमा बांधिये। व्यापारियों की आमदनी है, उस पर भी सीमा बांधिये। नहीं तो शहरी संपत्ति पर....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्टी से निकाल दिया जायगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह कम्युनिस्टों को ज्यादा भय रहता है, पार्टी से निकालने का।

श्री पृथ्वीसिंह : यह सही बात है।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे मारवाड़ के दोस्त हैं, वह आपकी मदद ही करेंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : जो नौकरी पेशा वर्ग है, वह आपके जो आलीशान भवन है, कारें हैं, उनको देख कर उनके मन में द्वेष है। वह यह संपत्ति छीनेगा।

श्री मदनसिंह : यही कारण था जो नागौर में गरीबों की तरफ से पत्थर फिकवाये थे।

श्री पृथ्वीसिंह : आप साइड ट्रेकट करने की कोशिश करते हैं। सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहूं कि आप ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने की बात कही है तो सभापति महोदय, मैं यह बात कहूं कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उनका नियमन करने की बात करते हैं, होना तो यह चाहिए था, उनका बेदखली का आदेश होना चाहिए था। उनको समुचित दण्ड दिया जाना चाहिए था, इसके बजाय उनके नियमन की व्यवस्था की है। सभापति महोदय, जो कानून और व्यवस्था को भंग करते हैं, उनको तो आप नियमित करना चाहते हैं और जो गरीब सीधे-सादे आदमी थे, जो कानून का पालन करते हैं वह भूमि की लालसा में जो उनकी इच्छाएं हैं, उनके कुछ करना नहीं चाहते हैं। वास्तव में होना यह चाहिए था कि जो अतिक्रमणकारी हैं उनको बेदखल करके उन लोगों को भूमि देना चाहिए था। इस तरह से तो लगता है कि आप डकैतों और चोरों का भी नियमन करेंगे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : असेम्बली का भी नियमन कर दो।

श्री मथुरादास माथुर : विधान सभा का तो चुनाव होता है।

श्री पृथ्वीसिंह : उनके लिए तो दण्ड व्यवस्था होनी चाहिए थी। उनसे वापिस जमीन छीन कर गरीबों को मिलनी चाहिए। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने खुशहाली कर की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने हर तरह के करों को, टैक्सों से मुक्त कर दिया है। इसी तरह से लैण्ड रैवेन्यू, खुशहाली कर से मुक्ति देते तो मैं समझता कि वास्तव में आप काश्तकारों के हक में राहत देना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : खुशहाली कर माफ तो किया है।

श्री पृथ्वीसिंह : जितना होना चाहिए उतना तो नहीं किया है।

७०—७१ तक १५७ करोड़ रुपया खर्च किया गया है। वह खर्चा कहां हुआ है, इसके अन्दर न पढ़कर मैं इतना ही कहूंगा कि इसके अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है। राजनैतिक लाभ मिला है। सभापति महोदय, इस धांधली और भ्रष्टाचार की लोगों ने शिकायतें की हैं। जिनका निपटारा करने के लिए कोई व्यवस्था नही की गई है उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए थी। जो सामान्य तरीके की व्यवस्था है वह पर्याप्त नहीं है। उनके निपटारे के लिए ट्रिब्युनल बने। ताकि अलग ढंग से निपटारा हो सके।

सभापति महोदय, अकाल राहत कार्यों के लिए जो भूमि ली जाती है, उसको चर्चा कर

(श्री पृथ्वीसिंह)

हूं । इन्होंने यह कहा था कि भूमि जो ली जाती है वह आपसी बातचीत से ली जाती है। काश्तकार स्वयं सरेण्डर करते हैं। मैं कहता हूं कि उनसे जबरदस्ती भूमि ली जाती है। मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं। पाली जिले में ऐसा ही एक मामला था। देवली के पास सड़क बनने वाली थी। उस के अन्दर पाली जिले के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं का हाथ था। एक और मामला हुआ था। जिसमें

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मुख्य मन्त्री महोदय ने हस्तक्षेप कर के उनके हिसाब से सड़क निकली है। काश्तकारों की रजामन्दी से सड़क नहीं निकली है। इसके अन्दर किसानों की कीमती खेती और कुए की जमीन बरबाद हुई है। इसके लिए मुआवजे को भूमि दिलवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह अभी तक नहीं किया गया है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

क्या सदन का समय बढ़ाया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य : कुछ बढ़ा दीजिये।

श्री पृथ्वीसिंह : थोड़ा सा बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन का समय ५ मिनट और बढाया जाता है।

श्री पृथ्वीसिंह : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में कहूंगा, सिंचाई की सुविधा, एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन और बैंक लोन के बारे में जो बातें कही गई हैं।

सभापति महोदय, बैंक की जहां तक सुविधा देने का, बैंक से जहां तक लोन दिलवाने का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि वही व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। आज भी राजस्थान के अन्दर ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राष्ट्रीयकृत बैंक जो लोन्स देते हैं वह कुछ स्थानों पर सौ मील से भी दूरी पर स्थित हैं। इसलिए मैं निवेदन करूं कि जिन स्थानों से दूर राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसमें उनकी शाखा आप जल्दी से जल्दी खुलवायें ताकि समुचितरूप से किसानों को ऋण उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, इस वर्ष उत्पादन में अवश्य वृद्धि हुई है लेकिन आज गेहूं और जौ की फसल सामने आई है, बाजरे की फसल का तो सुबह जिक्र हो चुका है— उस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता। गेहूं के आज से पन्द्रह दिन पहले भाव ११५ रुपये क्विन्टल और सौ रुपये क्विन्टल थे, वह अब ६५ हो गये हैं. जौ के जो भाव पचास रुपये क्विन्टल थे, वह पैंतीस रुपये क्विन्टल होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आप बाजरे और कोर्स अनाज के लिए व्यवस्था करते हैं उसी प्रकार से रबी के अनाज की खरीद के लिए आपको व्यवस्था करनी होगी।

सभापति महोदय, खाद्य निगम द्वारा जो खरीद की बात कही गई है, उसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, डाइरेक्टली काश्तकारों से माल नहीं लिया है, आढ़तियों की मार्फत जो कमीशन एजेन्ट हैं, उनकी मार्फत लिया है, बाजरा जो पर्चेज किया है वह पैंतीस रुपया क्विन्टल के भाव से खरीद करके लिया है और पचपन रुपये क्विन्टल के हिसाब से उसको बेचते हैं। यह कर्मचारी वर्ग है, इसके सम्बन्ध में सुमेरपुर

(श्री पृथ्वीसिंह)

की बात करता हूं कि सुमेरपुर के अन्दर निगम कर्मचारी लोगों से मिले हैं और वहां से लाकर, बाला-बाला सस्ता अनाज खरीद कर बीस रुपये क्विन्टल से मुनाफा कमाते हैं। सभापति महोदय सरकार की एक पोल में और खोलना चाहता हूं····

श्री मथुरादास माथुर : खोलिये।

श्री पृथ्वीसिंह : सरकार काश्तकारों की हिमायती बन कर यह कहती है कि काश्तकारों को सरकार पूरी तरह से राहत देती है। सभापति महोदय, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एल. डी. ओ. लाइट डीजल ऑइल, जो उद्योगों के अन्दर दिया जाता है, वही काश्तकारों को दिये जाने वाले एल. डी. ओ. पर सेल्स टैक्स राजस्थान आर. एस. टी. से एक पर्सेन्ट कम पर दिया जाता है। उसका कारण क्या बताया है, दर में छूट इस कारण दी जाती है कि उनके द्वारा निर्मित माल पर राज्य अथवा अन्तर्राज्यीय बिक्री कर में पूरी-पूरी दर से कर मिल जाता है। कृषि काम में काम लेने पर निर्मित माल पर कृषकों के हितों की दृष्टि से बिक्री-कर वसूल नहीं किया जाता। यह जो बात कही है कि जो निर्मित माल होता है इन्डस्ट्रीज के अन्दर उसका राज्य को दूसरे रूप में ज्यादा टैक्स मिल जाता है, इसलिए उसको बिक्री-कर के अन्दर छूट दी जाती है, और काश्तकार का प्राड्यूस है, उस पर बिक्री-कर बाहर से नहीं मिलता है इसलिए उसके एल. डी. ओ. पर ज्यादा कर लिया जाता है। तो यह उचित बात नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए आपको कानूनी व्यवस्था या उसके अन्दर और भी सुधार करना पड़ेगा तो यदि आप काश्तकारों को वास्तव में राहत देना चाहते हैं तो उनको एल. डी. ओ. के आर. एस. टी. के अन्दर छूट देनी चाहिए।

उद्योगों के अन्दर बिजली जो मिलती है, उसकी टेरीफ रेट है, और काश्तकारों को जो बिजली मिलती है उसकी टेरीफ रेट है उसके अन्दर बहुत बड़ा अन्तर है। वह अन्तर भी आपको मिटाना चाहिए।

जो सीड की खरीद नेशनल सीड कॉर्पोरेशन करता है, सभापति महोदय, और जो वापिस काश्तकारों में वितरण किया जाता है उसकी रेट के अन्दर सौ पर्सेन्ट से भी अधिक का फर्क आता है। काश्तकार जो सीड खरीदते हैं वह चार रु० प्रति किलो से लेते हैं, लेकिन आठ रुपये प्रति किलो के हिसाब से काश्तकारों में वितरण किया जाता है। यह जो अन्तर है और आज जो किसानों की हालत है– उसको दृष्टि से चिन्ता की बात है। असमानता को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन उसको बढ़ाते जाते हैं– यह उचित नहीं है। यह सीड जो है, वह जिस ढंग से पर्चेज करते हैं और जिस ढंग से वितरित करते है उसमें कम से कम मुनाफा कमाया जाय तो ज्यादा लाभप्रद किसानों के लिए होगा।

सिंचाई कार्यों के अन्दर इन्होंने कहा है, चालू छोटी एवं मध्यम योजनायें हैं वह तेजी से काम करके शीघ्र पूरी की जायगी। तो चालू सिंचाई योजनाओं के बारे में मैं अर्ज करूं कि साइल फीडर का काम चल रहा है, यह जवाई बांध के अन्दर बनाने की है, इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी, और कहा कि तीन साल में काम

(श्री पृथ्वीसिंह)

पूरा कर दिया जायगा, लेकिन उस काम को चले हुए डेढ़ साल हो गया है, लेकिन मैं अर्ज करूं कि वन टेन्थ काम भी पूरा नहीं हुआ है। मैंने इंजिनीयर साहब से पूछा था, और क्या रुकावट है तो उन्होंने बताया कि पैसे की कमी है, इसलिए काम पूरा नहीं हो सकता। डेढ़ साल में जो काम तीन साल में होना था उसका वन टेन्थ हुआ है, तो वह डेढ़ साल का बाकी का वन नाइन्टी काम कैसे पूरा होगा यह समझ में नहीं आता

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ५ बज कर ५ मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक १६ अप्रेल, १९७१ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

परिशिष्ट—२

(तारांकित प्रश्न संख्या २७३ की सूची)

सूची माल पुष्कर स्थित रंगजी के मन्दिर से चोरी गया

क्रम संख्या	सूची जेवरात व जवाहारात	संख्या	वजन तोले में
१.	जनेऊ गुथवां छः लड़ी	१	५५॥
२.	लक्ष्मी पदक बड़ा जंजीर (एक लड़ी में हीरा मानक जड़ाव का)	१	२३।
३.	कमर पट्टा (जलपट्टी) जड़ाव	१	—
४.	हीरा	१	—
५.	लक्ष्मी पदक जड़ाव लड़ी सहित	१	॥
६.	गल पटिया हीरा का जड़ाव का	१	१०
७.	तिलक जड़ाव	१	७
८.	झारी सोने की	१	६१॥
९.	कमर पट्टा सोने का बोरवा	२	१३॥
१०.	हार	२	६
११.	मंगलसूत्र	१	२
१२.	मंगलसूत्र का पदक	१	१
१३.	बेली छोटी बोरा सोती	२	३
१४.	नथ जड़ाव	२	१॥
१५.	तिलक	२	३॥
१६.	कमर पट्टा (हार)	१	५॥
१७.	पुतली का हार	२	२३
१८.	कमर पट्टा का आधा हिस्सा	१	२॥
१९.	चड़ी तेवड़ी	४	१४
२०.	मंगलसूत्र	२	४
२१.	कर्णपत्र (कुण्डल)	४	१३
२२.	जनेऊ	५	१६
२३.	फैन्सी चैन	२	१०
२४.	गोप गुंथवा	१	११।

क्रम संख्या	सूची जेवरात व जवाहारात	संख्या	वजन तोले में
२५.	लक्ष्मी पदक ६ लड़ का	१	१२
२६.	कण्दोरा पत्र लड़ी एक	१	१५
२७.	कर्ण पत्र (कुण्डल)	२	६॥
२८.	कवच पीछे का हिस्सा		१६३
	सामने का ऊपर का हिस्सा		८०
	सामने का नीचे का हिस्सा		७५
	शंख आगे का		२३
	शंख पीछे का		१८
	चक्र	२	४३
	वरद हस्त पुरा	२	२६
	कटिहस्तपुरा	२	६७
	चरनारबिन्द	१	६
	क्रीट		५
	चक्र		[illegible]
		कुल नग १४	४९८ तोला
२९.	जड़ाव कण्ठी		४
३०.	क्रीट		[illegible]
३१.	पचलड़ी हार पदक सहित जड़ाव	[illegible]	४२॥
३२.	मूंगा की माला	१	११
३३.	कण्ठी दो लड़ी	१	१७
३४.	हार एक सफेद हीरा जड़ाव हुआ	१	१२
३५.	मंगल सूत्र	१	[illegible]
३६.	सतलड़ी	१	१७
३७.	पुतलो का हार	१	१३।
३८.	मोती का हार चोलड़ा	१	—
३९.	मंगल-सूत्र	२	४
४०.	कर्ण फूल	२	३।
४१.	लोंक	१	४ आने भर
४२.	कांठला हीरा मीना का जड़ाव	१	[illegible]
४३.	नथ	१	॥
४४.	तिलक	[illegible]	१

परिशिष्ट-३

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

जालोर बहुधन्धी सहकारी समिति लि०

२८२. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जालोर बहुधन्धी सहकारी समिति लि० को पिछले वर्ष अवधिपार ऋण होते हुए मध्यमकालीन ऋण सहायक रजिस्ट्रार की विशेष सिफारिश पर दिया गया था ? अगर हां, तो उक्त सहकारी समिति पर उस वक्त कितना अवधिपार ऋण था व मध्यमकालीन ऋण कब व कितना क्यों दिया गया ? इस अनियमित कार्यवाही के लिये क्या सरकार विभागीय कार्यवाही सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सहकारी समिति में अब तक काफी अवधिपार बैंक का ऋण है ? अगर हां, तो कितना एवं उसकी वसूली कब तक कर दी जावेगी ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त सहकारी समिति में काफी अर्से से बैंक का अवधिपार ऋण बकाया है ? अगर हां, तो कितना एवं कब से ? इतने अर्से से इतना बकाया ऋण क्यों रखा गया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, जालोर बहुधन्धी सहकारी समिति लि० नाम की कोई सहकारी समिति स्थापित नहीं है इसलिये ऋण दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

नगर विकास न्यास, कोटा

२८३. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा नगर में नगर विकास न्यास की स्थापना कब की गई ?

(२) उक्त न्यास के एस्टेब्लिशमेण्ट पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ? कृपया इसका विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(श्री कृष्णकुमार गोयल,)

(३) क्या यह सही है कि स्थापना के बाद से न्यास ने भूमि का विक्रय किया है ? अगर हां, तो किस-किस को कितनी-कितनी दर से कितने-कितने मूल्य पर बेचा है व कितनी-कितनी रकम जमा हुई है ?

(४) न्यास ने अब तक कौन-कौन सी योजना बना कर राज्य सरकार से स्वीकृति ली है ? कृपया सूची सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) कोटा नगर में नगर विकास न्यास की स्थापना दिनांक १०-७-७० से की गई है।

(२) न्यास के एस्टेब्लिशमेन्ट (Establishment) पर कुल एक लाख नौ हजार एक सौ इकतालीस रुपये व्यय हो चुके हैं। खर्चे की तालिका (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी हां। विस्तृत विवरण तालिका (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है। भूमि कुल २,८९,७४४ रु० की विक्रय की गई है।

(४) कोटा न्यास ने अभी कोई नई योजना तैयार नहीं की है। मण्डी कमेटी की स्वीकृत योजना है जो न्यास के क्षेत्र में आ गई है भूमि विक्रय तथा विकास कार्य किया जा रहा है।

परिशिष्ट (क)

नगर विकास न्यास कोटा के एस्टेब्लिशमेंट एवं विकास व्यय की सूची फरवरी, ७१ तक की

१.	वेतन पदाधिकारी	९२०३.००
२.	कर्मचारियों का वेतन	१४२३१.००
३.	भत्ता एवं मानदेय	२२६६७.००
४.	अन्य प्रभार	६३०४०.००
	योग:—खर्चा स्थापना	१०९१४१.००

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा बेचे गये भू-खण्डों का विवरण

श्री रूम एम. एल. आइ. जी. एस स्कीम, गुमानपुरा

क्र. सं.	नाम खरीददार	क्षेत्रफल प्रति वर्ग फुट	दर	कुल प्रीमियम	प्रीमियम की रकम वसूल की गई।
१.	श्री कुलवीरसिंह आत्मज श्रीरामसिंह बजाजखाना, कोटा	६८००	११.२५	७८०००.००	७८०००.००
२.	श्री दयालचन्द आत्मज विशनदास खत्री, बारां	४८००	६.२२	४४२५६.००	४४२५६.००
३.	श्री रामेश्वर प्रसाद कचोलिया, लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, कोटा	,,	६.३२	४४७३६.००	४४७३६.००
४.	श्री चिरंजीलाल कचोलिया, के. लक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, कोटा	,,	६.२६	४४४४८.००	४४४४८.००
५.	श्री बालचन्द, मैनेजर, आनन्द साईकिल स्टोर, सब्जी मंडी, कोटा	,,	६.०१	४३२४८.००	४३२४८.००
६.	मैसर्स अनिलकुमार जीवनदास अरोड़ा, गुमानपुरा, कोटा	,,	६.००	४३२००.००	४३२००.००
७.	श्री एस. पी. अग्रवाल एन्ड सन्स, कोटा	,,	८.६०	४१२८०.००	४१२८०.००
८.	मैसर्स शुक्ला एण्ड ब्रदर्स, पार्टनर, एच. पी. शुक्ला, नयापुरा, कोटा	,,	८.८७	४२५७६.००	४२५७६.००
			योग:—	३८१७४४.००	३८१७४४.००

आग से नष्ट फसल

२८४. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बिजोलिया के जावदा गांव में भीषण आग लगी जिसमें तीन किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई ?

(२) यदि हां, तो आग लगाने वालों का पता लगा है या नहीं ?

(१) जी हां, जावदा गांव में आगजनी की दो घटनायें अलग-अलग समय पर हुई हैं।

(२) जी हां, चालान पेश किये जा चुके हैं।

ग्राम झोटवाड़ा के निवासियों को सुविधाएं

२८५. श्री लालूराम सुलानिया (फागी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जयपुर जिले का ग्राम झोटवाड़ा नगर परिषद सीमा में आ चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या झोटवाड़ा ग्राम के नगर परिषद व नगर विकास न्यास के अधीन हो जाने के बाद से ग्राम झोटवाड़ा में शहर सुविधाओं का लाभ वहां के निवासियों को दिया जा चुका है ? यदि हां तो दी गई सुविधाओं का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सत्य है कि बगैर किसी शहरी सुविधा दिये एवं नगर परिषद् व नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा बगैर कोई सुविधा एवं विकास सम्बन्धी कार्य किये ग्रामीण जनता को तंग किया जाता है व स्थानीय दुकानदारों से मनमाना जुर्माना वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या सरकार इस सम्बन्ध में नगर परिषद् व नगर विकास न्यास को कोई आवश्यक निर्देश देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक ७-१०-१९६९ से।

(२) नगर परिषद अपने सिमित साधनों के अनुसार नागरिकों को शहरी सुविधाएँ देने को सतत् प्रयत्नशील है। मुख्य सड़कों की सफाई की व्यवस्था है। हरिजन बस्ती में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई धनराशि से लाइटें भी लगाई गई हैं तथा पीने के पानी की भी व्यवस्था है।

(३) जी नहीं, नियमों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही की जानी आवश्यक है।

(४) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

बारां मार्केटिंग सोसायटी के संचालक मण्डल का चुनाव

२८६. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां मार्केटिंग सोसाइटी के संचालक मण्डल का चुनाव एक लम्बे समय से नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कितने समय से नहीं हुआ और उसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मार्केटिंग सोसाइटी में भारी गबन व घोटाला चल रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि वर्तमान संचालक मण्डल में से कुछ संचालकों के विरुद्ध गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ?

(४) यदि हां, तो किस किस संचालक के विरुद्ध क्या क्या आरोप हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) बारां कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि० के संचालक मन्डल का चुनाव दिनांक ११-१२-६८ को हुआ। संचालक मण्डल के सदस्यों द्वारा अपने पदें पर बने रहने की नीयत से चुनाव नहीं कराये।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

परिशिष्ट—(क)

सूची संचालक मण्डल के सदस्यों की जिनके विरुद्ध जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के आरोप हैं

क्रमांक	नाम संचालक मण्डल के सदस्य	विवरण आरोप	रिमार्क्स
१	२	३	४
१.	परचेज कमेटी के सदस्यः—		
	(१) श्री प्रभूलाल गुप्ता, अध्यक्ष	धान की खरीद	धारा ७४ के अन्तर्गत आचरण की जांच की जा रही है।
	(२) श्री रामनारायण, फतेहपुर		
	(३) श्री मगनलाल		
	(४) श्री रामनाथ		
	(५) श्री फतेहमोहम्मद		
	एवम्		
	श्री चतुर्भुज गुप्ता कर्मचारी		
२.	परचेज कमेटी के सदस्य :—		
	(१) श्री प्रभूलाल गुप्ता, अध्यक्ष	धान की छीजत (सूख) २ किलो प्रति बोरी के हिसाब से करीब २५० क्विन्टल कीमतन करीब २०,०००) रु० का घोटाले का संदेह	धारा ७४ के अन्तर्गत आचरण की जांच की जा रही है।
	(२) श्री रामनारायण		
	(३) श्री मगनलाल		
	(४) श्री रामनाथ		
	(५) श्री फतेहमोहम्मद		
	एवम्		
	श्री चतुर्भुज गुप्ता कर्मचारी		

१	२	३	४
३.	चतुर्भुज गुप्ता कर्मचारी एवम् श्री प्रभूलाल गुप्ता, अध्यक्ष	धान से चावलों की प्राप्ति ३ प्रतिशत कम बताकर करीब ३०० क्विन्टल चावल कीमतन करीब ५०,०००) ६० कम प्राप्त होना बताकर घोटाला किये जाने का सन्देह	धारा ७४ के अन्तर्गत आचरण की जांच की जा रही है।
४.	श्री चतुर्भुज गुप्ता, कर्मचारी एवम् श्री प्रभूलाल गुप्ता, अध्यक्ष	(१) ३२ बोरी १ कट्टा चावल बारां की फर्म मैसर्स नेमीचन्द चन्द्रमोहन की दुकान पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। यह चावल श्री चतुर्भुज गुप्ता कर्मचारी समिति ने अपना होना बतलाया था	इस मामले में श्री चतुर्भुज को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। पुलिस द्वारा तफतीश जारी है ।
		(२) ३४ बोरे चावल अवैधानिक रूप से विक्रय हेतु कोटा फर्जी नाम श्री शंकरलाल से बिल्टी बनाकर भेजा गया। चावल हरियाणा गुड्स ट्रान्सपोर्ट, कोटा के यहां पड़ा हुआ है। यह चावल उसी चावल में से था जो धान की छीजत तथा चावल की प्रोसेसिंग में कम बैठना बतलाया है	धारा ७४ के अन्तर्गत आचरण की जांच की जा रही है ।
५.	राइस मिल कमेटी : (१) श्री प्रभूलाल गुप्ता, अध्यक्ष (२) श्री रामनाथ (३) श्री रामनारायण (४) श्री मगनलाल (५) श्री फंक्शन निरीक्षक (मार्केट) (६) श्री सहायक रजिस्ट्रार, बारां एवम् श्री चतुर्भुज गुप्ता, कर्मचारी	राइस मिल भवन निर्माण कार्य समिति द्वारा अमानी में करवाया तथा लोहा, सीमेन्ट, लकड़ी आदि बिना टेन्डर प्राप्त किये खरीदा गया जिसमें खर्चा अधिक होने का सन्देह	अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ), झालावाड़ को एसेसमेन्ट के लिये लिखा गया है।

९. श्री प्रभूलाल गुप्ता, अध्यक्ष	स्वयं द्वारा फायदा उठाना :— (१) मोटर साइकिल एवाउन्स ५० रु० प्रति माह मार्च, ६९ से अक्टूबर, ७० तक १,००० रु० (२) मानदेय वर्ष ६६-६७ का १८३७ रु० अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुँचाना :— (१) अपने भाई श्री मोहनलाल गुप्ता, व्यवस्थापक, सभाबीज, अटरु को ५० रु० माहवार के हिसाब से १५००रु० १७ पैसे का, चुकारा करना। (२) समिति की उपभोक्ता शाखा जो ४० रु० माहवार पर थी को अपने भाई श्री सूरजमल गुप्ता की दुकान में ६० रु० माहवार पर ले जाकर २० रु० माहवार से कुल २४० रु० का अतिरिक्त नुकसान समिति को किया जबकि उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री में कोई वृद्धि नहीं हुई।	धारा ७४ की अन्तर्गत आचरण की जांच की जा रही है।

संचालक द्वारा लिखी गई पुस्तकें

२८७. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जन सम्पर्क निदेशालय के संचालक श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट ने पिछले तीन वर्षों में स्वयं ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं ? उनका प्रकाशन किसने कब किया ? सरकार ने उनको तत्सम्बन्धी प्रकाशन के लिए कब आज्ञा प्रदान की ? उन आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी जायें।

(२) उन पुस्तकों की कितनी प्रतियां राज्य सरकार ने क्रय की और उनका कितना मूल्य चुकाया ?

(३) उक्त अधिकारी ने तत्सम्बन्धी पुस्तकों से कब कब कितनी रायल्टी, पारिश्रमिक प्राप्त किया ? क्या नियमानुसार उसकी सूचना उन्होंने राज्य सरकार को दे दी ? यदि हां, तो कब ? राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या गत तीन वर्षों में श्री भट्ट को विभिन्न प्रकार के लेखादि पर किन किन समाचार पत्रों अथवा अन्य स्थानों से कितना पारिश्रमिक प्राप्त हुआ और कब कब ? क्या नियमानुसार उसकी सूचना राज्य सरकार को दे दी गई ? यदि हां, तो कब कब ?

उत्तर

(१) जन सम्पर्क निदेशालय के निदेशक श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट ने गत तीन वर्षों में दो पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तक का नाम 'महाराणा प्रताप' तथा "सवाई जयसिंह" हैं। महाराणा प्रताप का प्रकाशन भारत सरकार द्वारा गठित "नेशनल बुक ट्रस्ट" द्वारा किया गया है। "सवाई जयसिंह" का प्रकाशन भी इसी ट्रस्ट द्वारा शीघ्र होने वाला है। सरकार से न स्वीकृति मांगी गयी थी, न दी गई है।

(२) राज्य सरकार के जन सम्पर्क निदेशालय ने इस पुस्तक की कुल ६४ प्रतियां खरीदी हैं। इनका मूल्य ११२) रु० होता है। इस विभाग की विभिन्न इकाइयों के संदर्भ पुस्तकालयों एवम् सूचना केन्द्रों के उपयोग के लिए पुस्तक की खरीद की गई है, अन्य विभागों के सम्बन्ध में जानकारी देना संभव नहीं है।

(३) अब तक दो बार करके रायल्टी के कुल ७७८-१८ पैसे प्राप्त हुए हैं। सूचना राज्य सरकार को नहीं दी गई है।

(४) गत तीन वर्षों में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखित लेखों से जो धन-राशि श्री भट्ट को प्राप्त हुई है उसकी जानकारी जन सम्पर्क विभाग को नहीं है।

मानटाउन क्षेत्र में सब–जेल भवन का निर्माण

२८८. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाईमाधोपुर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(१) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर मानटाउन क्षेत्र में, राज्य सरकार द्वारा एक सब-जेल भवन का निर्माण कराया गया ?

(२) यदि हां, तो इस भवन में कितने कैदी अधिक से अधिक रखे जाने के अनुमान से यह भवन बनाया गया ?

(३) सन् ६७ से अब तक अधिक से अधिक कितने कैदी एक साथ इस भवन में रखने के अवसर आये हैं और कितने दिन तक इन कैदियों को इस भवन में रखना पड़ा ?

(४) क्या यह सही है कि जितने कैदियों के लिये यह भवन बनाया गया उससे अधिक कैदी एक साथ इस भवन में रखना उपयुक्त नहीं है ? यदि हां, तो ऐसे अवसर आने पर स्वीकृत संख्या से अधिक कैदियों को रखने के लिये राज्य सरकार क्या विकल्प रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस सब-जेल भवन में कम से कम ३० और अधिक से अधिक ४० बन्दियों के रखे जाने की व्यवस्था है लेकिन अस्थाई वृद्धि होने पर अधिकतम ५० बन्दी तक रखे जा सकते हैं।

(३) ४० से अधिक बन्दी इस भवन में रखे जाने के अवसर तीस बार आये हैं, जिसमें अधिकांश विचाराधीन बन्दियों को जो न्यायालय के आदेनुसार जमानत होने पर १० या १५ दिन रख कर छोड़ दिये गये थे।

(४) गत चार वर्षों में इस उप कारागृह की बन्दियों की दैनिक औसत संख्या निम्न भांति रही है जो बन्दियों के रखे जाने की निर्धारित संख्या से अधिक नहीं है: —

वर्ष	दैनिक औसत संख्या
६७	१६
६८	२०
६९	१४
७०	१९

(कारागृह मंत्री)

यदि विचाराधीन बन्दियों की संख्या सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो ऐसी दशा में नजदीक वाले जेल पर उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाता है ।

सड़क निर्माण के लिये अनुदान

२८९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सड़क निर्माण के लिये नगरपालिकाओं को राज्य द्वारा ४० प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ?

(२) यह अनुदान छोटी और बड़ी नगरपालिकाओं को समान रूप से दिया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि बड़ी नगरपालिका को कई प्रकार की आमदनी होती है और वह बढ़ाई भी जा सकती है पर छोटी नगरपालिकाओं की आय बढ़ाने की गुंजाइश बहुत सीमित होती है ?

(४) क्या राज्य सरकार छोटी नगरपालिकाओं के अनुदान के परसेन्टेज बढ़ाने के लिये सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

उत्तर

(१) जी हां । यह अनुदान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिया जाता है ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं । कानून में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है । सभी नगरपालिकाओं की आय के साधन समान रूप से दिये हुए हैं ।

(४) जी नहीं । अभी यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

मत्स्य का ठेका

२९०. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९७०-७१ के लिये मत्स्य ठेका नदी पारवती (जो राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है) का दिया गया था ? अगर हां, तो कब-कब व अन्तिम बोली किस-किस की कितनी-कितनी रकम की रही ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(२) क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय ने किसी अन्य व्यक्ति को ठेका देने की सिफारिश को थी ? अगर हां, तो कब व किसके पक्ष में व उनका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(१) जी हां, ठेका दिनांक ६-७-७० को हुआ था। अन्तिम उच्चतम बोली १७८१०) रु. की श्री मंगलसेन, मछली ठेकेदार, आगरा के नाम रही।

(२) जी हां, दिनांक ७-७-७० को श्री इस्लामुद्दीन मत्स्य ठेकेदार लुहारों का खुर्रा, जयपुर के पक्ष में सीजनल लाइसेन्स देने के लिये की था। परन्तु मन्त्री महोदय ने दिनांक ६-७-७० को परिस्थितियों की जानकारी होने पर अपने आदेश रद्द करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश दे दिये। ठेका १७८१०) रु. में श्री मंगलसेन, मछली ठेकेदार, आगरा के पक्ष में छोड़ा गया।

ओवरसियर एवं इन्जीनियरों के विरुद्ध मामले

२९१. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में किन-किन ओवरसियर तथा इन्जीनियरों के विरुद्ध अकाल के समय में फर्जी मस्टर रोल भरने की शिकायतें १ अप्रेल, ६६ से आज तक पैन्डिंग हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि जालोर जिले के ओवरसियर एवं सहायक इन्जीनियर के विरुद्ध भी शिकायतें पेश की गई थीं ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के समक्ष सांचोर पशु मेले के समय शिकायत पेश की गई थी और वह जिलाधीश के पास जांच हेतु भेजी गई थी ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) प्राप्त सूचना के अनुसार सूची 'अ' प्रस्तुत है।

(२) जी हां, कुछ की जांच की गई है और बाकी जांच की जा रही है।

(३) पेश की गई होगी विभाग की जानकारी में नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

चम्बल नदी पर भैंसरोडगढ़ के पास पुलिया का निर्माण

२९२. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल नदी पर भैंसरोडगढ़ के पास पुलिया बनाई जा

(श्री जुझारसिंह)

रही है ? यदि हां, तो इस पुलिया के कब तक पूरी हो जाने की योजना है ? इस पर कितनी लागत आवेगी ?

(२) क्या यह सही है कि इस पुलिया के बन जाने के बाद नेचट-रावतभाटा होते हुए झालावाड़ जिला चित्तौड़ व उदयपुर से सीधा जोड़ा जा सकता है ? यदि हां, तो नेचट से गऊघाट होते हुए रावतभाटा तक सड़क बनाने की योजना भी क्या इस पुलिया के बनने के साथ-साथ पूरी करवा दी जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क को बनाने की मांग क्षेत्रीय जनता व प्रतिनिधियों द्वारा बहुत अर्से से सरकार के समक्ष की हुई है ? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

उत्तर

(१) इस विभाग द्वारा पुल निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

(२) जी हां। विचाराधीन है।

(३) जी हां। नेचट-एकलिंगपुरा रोड को योजना में शामिल करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

जैसलमेर-म्याजलार सीमा सड़क पर कार्य

२९३. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जैसलमेर से म्याजलार सीमा सड़क पर प्रथम बार कार्य कब आरम्भ किया गया और कितने ठेकेदारों ने कार्य किया ? किस-किस ठेकेदार को किस-किस चीज की लीड किस-किस जगह से दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि सीमा सड़क निर्माण कार्य में अकाल सहायता कार्यों द्वारा मेटीरियल जो इकट्ठा किया गया था उसका भी उपयोग हुआ है ? अगर हां, तो उसका पैसा ठेकेदारों से वसूल क्यों नहीं किया गया ? अगर वसूल की गई है तो किस ठेकेदार से कितनी राशि वसूल की गई है ? नीचे लिखी सड़कों (१) जैसलमेर-सम (२) रामदेवरा-नाचना (३) जैसलमेर-म्याजलार इत्यादि पर अगर वसूली नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) प्रथम बार कार्य ७-११-६६ को आरम्भ किया गया था। ५ ठेकेदारों ने कार्य किया है। सूची लीड 'अ' संलग्न है।

(२) जी हां। कुछ ठेकेदारों से ढुलाई सामान कराई गई है, और उनको ढुलाई का ही भुगतान किया गया है। एकत्रित सामान जो ठेकेदारों को दिया गया है, उसका मूल्य उनसे वसूल किया है। उसकी सूची 'ब' संलग्न है।

सूची 'ब'

Statement of Material used for construction of Jaisalmer to Miajlar Road Mile 0/0 to 60/0

Mile No.	Particulars of material with lead: Stone Soling	Ballast 1½" to 2½"	Murram	Gravel
1	2	3	4	5
	M/s Achal Singh Bhati & Co., Kota Section 0/0 to 8/0 & 8/0 to 16/0			
1	2 Mile	2 Miles	5 Miles	—
2	1 Mile	1 Mile	4 Miles	—
3	1/2 ,,	1/2 ,,	3 ,,	—
4	—	—	2	—
5	—	—	2 ,,	—
6	—	—	1 ,,	—
7	—	—	2 ,,	—
8	—	—	—	—
9	1/2 Mile	1/2 Mile	No lead	—
10	1/2 ,,	1/2 ,,	,,	—
11	1/2 ,,	1/2 ,,	,,	—
12	1/2 ,,	1/2 ,,	,,	—
13	1/2 ,,	1/2 ,,	,,	—
14	1/2 ,,	1/2 ,,	,,	—
15	1/2 ,,	1/2 ,,	,,	—
16	1/2 ,,	1/2 ,,	,,	—
	M/s Ramesh Chander Jain & Co. Section 16/0 to 24/0			
17	1/2 Mile	—	1 Mile	Nil
18	1/2 ,,	—	1 ,,	,,
19	1 ,,	—	2 ,,	—
20	1 ,,	—	3 ,,	—
21	—	—	—	3 Miles
22	—	—	—	2 ,,
23	—	—	—	1 ,,
24	—	—	—	1 ,,

Page No 144

1	2	3	4	5
		M/s Khajan Singh S/o Harpal Singh Contractor Section 24/0 to 32/0		
25	—	—	—	1 Mile
26	—	—	—	2 Miles
27	—	—	—	2 „
28	—	—	—	1 Mile
29	—	—	—	1/2 „
30	—	—	—	1/2 „
31	—	—	—	2 Miles.
32	—	—	—	2 „
		M/s Bhanwar lal Bohara & Bros. Barmer Section 32/0 to 60/0		
33	—	—	—	2 Miles
34	—	—	—	1/2 Mile
35	—	—	—	1/2 „
36	—	—	—	2 Miles
37	—	—	—	2 „
38	—	—	—	1/2 Mile
39	—	—	—	1/2 „
40	—	—	—	1/2 „
41	—	—	—	2 Miles
42	—	—	—	3 „
43	—	—	—	3½ „
44	—	—	—	4½ „
45	—	—	—	5½ „
46	—	—	—	6½ „
47	—	—	—	7½ „
48	—	—	—	8½ „
49	—	—	—	9½ „
50	—	—	—	10½ „
51	—	—	—	9½ „
52	—	—	—	8½ „

1	2	3	4	5
53	—	—	—	8½ Miles
54	—	—	—	7½ ,,
55	—	—	—	6½ ,,
56	—	—	—	5½ ,,
57	—	—	—	4½ ,,
58	—	—	—	3½ ,,
59	—	—	—	3 ,,
60	—	—	—	2 ,,

सूची 'ब'

क्रम० संख्या	नाम सड़क	नाम ठेकेदार	रकम जो ठेकेदार की वसूल की गई।
(1)	जैसलमेर-सम-मुरार	मैसर्स मुन्नी लाल एण्ड को०, जैसलमेर	8,143.31
(2)	जैसलमेर-समधनाना	भंवरलाल बोहरा	8,139.08

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७१)

हथियारों का बेचान

१९९. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पुलिस माल गोदामों से बेचे गये हथियारों के मामलों में जो रिपोर्ट सतर्कता आयोग ने प्रस्तुत की थी, उसके अनुसार किस-किस राजपत्रित अधिकारी को नोटिस दिया गया है और उनके खिलाफ अन्य क्या कार्यवाही की गई है ? जिन-जिन राजपत्रित अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७१)

अप्रोच रोड़ के कार्य का ठका

१७१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र की अप्रोच रोड़ कोयला, फतेहपुर रोड को डामर रोड बनाने का ठेका हो गया था ? यदि हां, तो किस-किस ठेकेदार को किन्-किन टर्म्स व कन्डीशन पर कितने कितने रुपयों का ठेका कब-कब दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या उक्त ठेकेदारो ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो अब तक कितना-कितना कार्य हो गया है ? और पूरा कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(३१-३-७१)

प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी

१७६. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि राज्य में गत दो वर्षों में प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी का दौर रहा है ?

(२) गत दो वर्षों में राज्य में कुल कितनी मूर्तियां कहां-कहां से चोरी गई और कितने चित्रों तथा मूर्तियों को क्या पुलिस बरामद कर सकी ?

(३) ग्राम हिन्डोली व देवझर से चोरी गई मूर्तियों को क्या पुलिस बरामद कर सकी ?

(४) क्या यह सत्य है कि फरवरी, १९७० में पुलिस द्वारा भीलवाड़ा में एक जैन मूर्ति चोरी करने वाले को पकड़ा गया ? क्या पुलिस उससे और भी मूर्तियों को बरामद कर सकी ?

(५) क्या यह सत्य है कि मूर्तियों व चित्रों की चोरी करने वालों का कोई गिरोह है जिसे विदेशी सहायता प्राप्त होती है ? यदि हां, तो क्या उसकी भी पुलिस ने जांच की है ?

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट—४

(अतारांकित प्रश्न संख्या २६९ की सूची)

वर्ष १९७०-७१ के अप्रैल से फरवरी, ७१ तक की मण्डी शुल्क तथा उपज के क्रय-विक्रय की सूचना

क्रम सं.	मण्डी का नाम	मण्डी शुल्क रुपयों में	क्रय-विक्रय की मात्रा क्विंटल में
१.	श्री गंगानगर	२,७६,८१६	७,३२,८८२
२.	रायसिंहनगर	५६,३४१	२,७०,३४६
३.	श्री करनपुर	७०,८६२	१,६६,६८४
४.	नोहर	१,६७,११७	४,३६,१३६
५.	श्री विजयनगर	१०,२,००८	३,५३,३१३
६.	भादरा	४१,७३५	१,४६,७००
७.	हनुमानगढ़	१,७३,०९८	८,२८,३४३
८.	सांगरिया	१,०३,२५४	३,६१,१६०
९.	पदमपुर	६१,५४४	१,६८,७८६
१०.	गजसिंहपुर	४३,९७८	९८,३६६
११.	केशरीसिंहपुर	८३,५५०	१,३२,९६६
१२.	सादुलपुर	६४,१६४	१,७६,५१०
१३.	पीलीबंगा	१,०६,०१२	६,८४,१९२

यह सूचना केवल जनवरी तक की है। फरवरी की अभी उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट–५

(अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ की सूची)

गत ५ वर्षों में तिलवाड़ा पशु मेले से सालाना राज्य सरकार को जो आय हुई वह निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	आय
६५-६६	२,२७,७२१.६८
६६-६७	१,८४,५६१.६६
६७-६८	१,३७,६३१.३०
६८-६६	२,१६,२६३.५०
६६-७०	२४,५००.००

परिशिष्ट–६

(अतारांकित प्रश्न संख्या ८३ की सूची)

तहसीलवार आंवटन व शेष रकबे के आंकड़े १९७०-७१

क्रम सं.	नाम तहसील	वर्ष १९७०-७१ में आवंटित भूमि			आवंटन से शेष भूमि
		कमाण्ड	अनकमाण्ड (बारानी बीहड़)	योग	कमाण्ड
१	२	३	४	५	६
१.	हनुमानगढ़	२१८४	२९५७	५१४१	४६५
२.	नोरंगदेसर	३४३८	३५९९	६३३७	५८०
३.	रावतसर	२८०५	८१४५	१८९५३	१५९३
४.	सुरतगढ़ नं. १	१६३६	३९५४८	४१४८४	११३५
५.	सुरतगढ़ नं. २	२१९३	२७२८४	२९४७७	४१८५
६.	सुरतगढ़ नं. ३	६६२६	२३४११	२३०५७	४९२१
७.	अनूपगढ़	१९४०६	२१५	१९६२१	१५१६७
८.	विजयनगर	२४१२५	१३०६१	३७१५६	१२१८८
९.	रायसिंहनगर	३०७८९	८२६२	३६०५१	१०५९
१०.	छत्रगढ़ नं० १	१९४४३	—	१९४४३	८२३६०
११.	छत्रगढ़ नं० २	२६१६१	७२५	२५५३९	२५९३८
१२.		१६३२६	१५६४	१७८९०	६४००
१३.	बीकानेर	—	२५६१९	२५६१९	—
१४.		२६४१	९६७०	१२५११	८०१०
१५.	लूनकरनसर	—	१०१५५	१०१५३	—
	कुल योग	१,५४,७७६	१,७१,७१६	३,२६,४९२	१६८३९९

———

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १५ अप्रल, १६७१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२५	६	छेपा	छीपा
३५	३	श्री दौबतराम	श्री दौलतराम
३७	८	रणनिष्का	निष्कारण
३८	अन्तिम से १	गृहण	ग्रहण
४२	,, ६	अगर	और
५१	११	रानीपु	पुरानी
५७	४	शिघ्रातिशीघ्र	शीघ्रातिशीघ्र
८७	शीर्ष १	ग्रह	गृह
११५	अन्तिम से ११	मुर्रक	मुकर्रर
११७	,, ११	में	मैं
१२१	,, १६	पकड़ने संकोच	पकड़ने में संकोच
	,, १	ओर	और
१४५	१	की	कि
,,	५	कि	को
१५४	६	नहीं नहीं	नहीं
१६६	४	अब ता	अब तो
१७०	१२	जोवट	जीवन